दशम माला, खंड 30, अंक 21

सोमवार, 02 मई 1994

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

नवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 30 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

2 मई, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद के

हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
आवरण पृष्ठ	6	नवा-सत्र	नौवां सत्र
विषय सूची	6	आतारांकित प्रश्न संख्या	अतारांकित प्रश्न संख्या
विषय सूची का पृष्ठ 29	11	मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय-जारी
22	नीचे से 3	श्री श्रवण कुमार पटेक	श्री श्रवण कुमार पटेल
33	17	खान मंत्रालय में राज्य मंत्री	खान मंत्रालय के राज्य मंत्री
42	17	श्री संजय लाल	श्री मंजय लाल
92	नीचे से 6	श्री विजये एन•पाटील	श्री विजय एन•पाटील
96	2	प्रो० एम•कायसन	प्रो० एम•कामसन
125	नीचे से 6	श्री वी•शोभनाद्रीश्वर राव	श्री वी•शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे
135	नीचे से 9	श्री प्रेम चन्द राय	श्री प्रेम चन्द राम
143	नीचे से 12	"1431" का लोप करें	
144	नीचे से 5	श्री एम•जे•राठवा	श्री एन•जे•राठवा
148	नीचे से 1	श्री प्रवीण डेका	श्री प्रबीन डेका
151	14	श्री एस•एम•लालजानबाशा	श्री एस•एम•लालजान बाशा
253	16	(जादतपुर)	(जादवपुर)
270	4	मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय-जारी
272	11	Learning by doing	लर्निंग बाई डूइंग
306	10	(श्रीमती सन्तोष चौधरी पीठासीन)	(श्रीमती सन्तोष चौधरी पीठासीन हुईं)
310	5	(माईलाडुटुरई)	(मईलादुतुराई)
315	12	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री : (महिला और बाल विकास विभाग)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री

विषय-सूची

दशम माला, खंड 30, नौवां सत्र. 1994/1915-1916 (शक)

अंक 29 सोमवार, 2 मई, 1994/12 वैशाख, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*** तारांकित प्रश्न संख्या :**	501, 503, 506-508 और 510	1-15
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*** तारांकित प्रश्न संख्या :**	502, 504, 505, 509 और 511-520	15-42
आतारांकित प्रश्न संख्या :	5619-5689, 5691-5715 और 5717-5849	42-253
प्रधान मंत्री के अमरीका के आगामी दौरे के बारे में		254-265
सभा पटल पर रखे गए पत्र		265
विधेयकों पर अनुमति		265-266
नियम 377 के अधीन मामले		267-270
(एक) चिकित्सासुविधाओं में सुधार की दृष्टि से जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों की स्थापना के मानदंडों की समीक्षा करने की आवश्यकता		267
डा. वसंत पवार		
(दो) रक्षा मंत्रालय द्वारा 1990 में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए चुने गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति शीघ्र करने की आवश्यकता		267-268
श्री पी॰ पी॰ कालियापेरूमल		
(तीन) भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों के कल्याण के लिए योजना बनाने की आवश्यकता		268
श्रीमती संतोष चौधरी		

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(चार) असम के हैलाकाण्डी टाउन जिले में हैलाकाण्डी टाउन डाक घर का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता 268-269

श्री द्वारका नाथ दास

(पांच) उत्तर प्रदेश के नैनीताल और पीलीभीत जिलों में बसे बांग्लादेशी शरणार्थियों के नामों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने की आवश्यकता 269

श्री बलराज पासी

(छः) पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में धुपगढ़ी के मानव चालित दूरभाष केन्द्र को इलैक्ट्रॉनिक दूरभाष केन्द्र में परिवर्तित करने की आवश्कता 269-270

श्री जितेन्द्र नाथ दास

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1994-95 270-334

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी

श्री चिन्मयानन्द स्वामी 270-280

डा. बसंत पवार 280-282

श्रीमती गिरिजा देवी 282-291

श्रीमती बासवा राजेश्वरी 291-298

प्रो॰ मालिनी भट्टाचार्य 298-306

कुमारी ममता बनर्जी 306-316

प्रो॰ प्रेम धूमल 316-322

श्री मुकुल वासनिक 322-328

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 329-331

डा॰ एस॰ पी॰ यादव 331-334

लोक सभा

सोमवार, 2 मई, 1994/12 वैशाख, 1916 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

छोटे इलेक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र

*** 501 +श्रीमती भावना चिखलिया :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर छोटे इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्यानायडु) : (क) जी हां, सरकार की नीति के अनुसार, देश के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर छोटे इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) छोटे इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज उन स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां दत्त पंजीकृत मांग दस अथवा इससे अधिक टेलीफोनों के लिए हो और साथ-ही यह भी शर्त है कि ऐसा करना तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हो। 1992-97 की अवधि के लिए, जनजातीय क्षेत्रों में 307459 लाइनें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और 31.12.1993 तक 124274 लाइनें जोड़ी जा चुकी हैं। सर्किलवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जनजातीय उप योजना

आठवीं योजना (1992-97) के दौरान टेलीफोन स्विचन क्षमता में वृद्धि

क्रम सं०	सर्किल	स्विचन क्षमता लक्ष्य 1992-97	01.4.92 से 31.12.93 के दौरान वास्तविक उपलब्धि
1.	आंध्र प्रदेश	2500	1058
2.	असम	5226	2582
3.	बिहार	20000	15603
4.	गुजरात	40327	7594
5.	हिमाचल प्रदेश	2300	131
6.	कर्नाटक	67138	12382
7.	केरल	36800	4197
8.	मध्य प्रदेश	61500	42531
9.	महाराष्ट्र	16926	3901
10.	उत्तर पूर्व	20100	10999
11.	उड़ीसा	13200	7946
12.	राजस्थान	9846	6106
13.	तामिलनाडु	301	218
14.	उत्तर प्रदेश	925	181
15.	पश्चिम बंगाल	10370	8847
	कुल योग :	307459 लाइनें	124247 लाइनें

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : अध्यक्ष महोदय, आज के समय में सर्वांगीण विकास के लिये टेलीफोन का होना बहुत आवश्यक है, यह एक आवश्यक सुविधा मानी जाती है और टेलीफोन की मांग भी इतनी बढ़ रही है कि हम कितनी भी जल्दी करें, आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते। मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जो आंकड़े दिये हैं उसमें बताया गया है कि जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने गुजरात के लिये जो टार्गेट रखा है वह 40327 है जिसके अगेन्स्ट 31.12.1993 तक मात्र 7594 की ही उपलब्धि हो पायी है। इसी तरह यदि केरल और उड़ीसा को भी देखा जाये तो वहां भी टार्गेट के अगेन्स्ट बहुत कम उपलब्धि हुई है। यदि इसी

गति से सरकार टेलीफोन उपलब्ध कराती है तो किसी भी हालत में 1997 तक आप अपना टार्गेट पूरा नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि यदि इसी गति से काम चलता रहा तो 1997 तक आप कैसे टार्गेट पूरा कर सकेंगे ?

[अनुवाद]

श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू : महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किये जाएंगे। आरंभिक अवस्थाओं में हमें उपस्कर की कुछ समस्या थी क्योंकि एम॰ ए॰ आर॰ आर॰ प्रणाली उपलब्ध नहीं थी, अब हमें एम॰ ए॰ आर॰ आर॰ प्रणाली की निरंतर आपूर्ति मिल रही है। गुजरात के बारे में मुझे विश्वास है कि यथानिर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा और इस संबंध में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : हमारे देश में सबसे ज्यादा आबादी गांवों में निवास करती है। जिस समय राजेश पायलट जी संचार मंत्री थे, उन्होंने 19 दिसम्बर, 1992 को यहां आयोजित ग्रामीण दूरसंचार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा था कि 1995 तक सभी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी लेकिन जिस गति से काम चल रहा है, उससे 1995 तक सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त कदापि नहीं कर सकेगी। अभी भी अनेक ग्राम पंचायतों को यह सुविधा पूरी तरह सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है। हमारे गांवों की स्थिति यह है कि न तो वहां पक्की सड़कें हैं और न आने-जाने की सुविधा है। यदि हर गांव में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दी जाती है तो गांव पंचायतें अपना विकास का काम अच्छी तरह से कर सकती हैं मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि गुजरात और सौराष्ट्र के जनजातीय तथा पर्वतीय क्षेत्रों में क्या 1995 तक सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी जाएगी ?

[अनुवाद]

श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू : वास्तव में यह परिकल्पना की गई थी कि सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों में 31 मार्च, 1995 तक टेलीफोन उपलब्ध करा दिये जाएंगे। जैसा कि, इस सभा में मैंने पहले भी निवेदन किया था कि यह कार्य 1995-96 तक भी चल सकता है क्योंकि अभी लगभग एक लाख पंचायतों में टेलीफोन लगाये जाने हैं।

हम एक वर्ष में औसतन लगभग 40,000 से 50,000 पंचायतों में टेलीफोन उपलब्ध करा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मार्च, 1996 के अंत तक देश में सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन उपलब्ध करा दिये जाएंगे। हमारे पास 5,80,000 गांव हैं और इस समय हमारा लक्ष्य वर्ष 1997 तक 1.5 लाख गांवों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराना है। वर्ष 1997 तक सभी गांवों में टेलीफोन उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। संभवत:, शताब्दी के अंत तक हम वहां ये सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे, फिर भी हम इस प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि संभव

हुआ तो वर्ष 1997 तक सभी गांवों में टेलीफोन सुविधाएं दे दी जाएंगी।

श्री याइमा सिंह युमनाम : पूर्वोत्तर विशेषकर मणिपुर में कई जनजातीय क्षेत्र हैं। कुल क्षेत्र के दो-तिहाई भाग में जनजातियां हैं। हाल में हुए जातीय दंगों को देखते हुए लघु इलेक्ट्रॉनिक केन्द्र स्थापित करने की अत्यधिक आवश्यकता है। इस बात को देखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या मंत्रालय मणिपुर में उन पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में लघु इलेक्ट्रॉनिक केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई विशेष कार्यक्रम शुरू कर रहा है।

श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि जहां तक दूरसंचार का संबंध है पूर्वोत्तर विशेषरूप से मणिपुर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हम संचार प्रणाली में सुधार करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। मेरे विचार से इस वर्ष के अंत तक कम से कम मणिपुर में सभी उपविभागीय मुख्यालयों तथा कुछ तहसील मुख्यालयों में भी यह सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे।

श्री लाईता उम्ब्रे : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से उन विचाराधीन स्थानों के बारे में जानना चाहूंगा जहां वर्तमान केन्द्रों को इलेक्ट्रॉनिक केन्द्रों में परिवर्तित किया जाना है। यदि कोई प्रस्ताव है तो चालू वित्त वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों विशेषरूप से अरूणाचल प्रदेश में पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में कितने केन्द्रों को परिवर्तित किये जाने की संभावना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू : महोदय इस देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मानव चालित (मैनुअल) केन्द्रों को इलेक्ट्रॉनिक केन्द्रों में परिवर्तित करने का एक कार्यक्रम है क्योंकि ये बहुत छोटे केन्द्र हैं और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक केन्द्रों में बदलना सरल है। और .....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत विशिष्ट प्रश्न है। आप लिखित में अपना उत्तर इन्हें भेज सकते हैं।

श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू : इस समय मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। मैं लिखित में भेज दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने मार्च 1995 तक सभी ग्राम पंचायतों में दूरभाष की सुविधा उपलब्ध कराने की जो घोषणा की थी, शायद उसमें ये सफल नहीं हो पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान में यह काम विभाग ने ठेकेदारों को दिया हुआ है और एक-एक सर्किल में एक-एक ठेकेदार ने दो-दो, तीन-तीन आदमी लगाए हुए हैं, जहां जोर ज्यादा पड़ता है वहां पर वे थोड़ी सी केबल बिछाते हैं और फिर दूसरी जगह शुरू कर देते हैं, तो क्या विभाग कोई ऐसा कदम उठाएगा कि विभाग या तो ज्यादा ठेकेदार लगाए या इस काम को विभागीय लोगों को डिप्लॉय करके

करवाए, क्योंकि अभी तो इस वित्त वर्ष में 11 महीने शेष हैं और इतने समय में यह काम आसानी से हो सकता है ? अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न, मेरे अपने प्रदेश से ही सम्बन्धित है। बहुत सी जगह पर विभाग ने बताया कि कम से कम इतने लोग टेलीफोन के लिए पैसे जमा करवा दें, तो वहां पर छोटा इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगवा दिया जाएगा। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने 1990 तक जहां पैसे जमा करवा दिए हैं, क्या वहां मार्च 1995 तक आप दूरभाष की सुविधा उपलब्ध करवा देंगे ?

[अनुवाद]

श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू : जी हां, महोदय, मैंने उत्तर में पहले ही बताया है कि जहां दत्त पंजीकृत मांग दस अथवा उससे अधिक है, वहां हम टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने के लिए बाध्य हैं और हम निश्चित रूप से वहां टेलीफोन केन्द्र बनाएंगे। प्रश्न, कि क्या इन्हें इनमें एस. टी. डी. सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी अथवा नहीं, एक अलग मुद्दा है। ग्राम अथवा गांव के समूह के भीतर यदि दस से अधिक लोगों ने इसके लिए पंजीकरण करवाया है तो वहां कम क्षमता वाला दूरभाष केन्द्र बनेगा।

जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, यदि विशेष मामले हमारे ध्यान में लाए जाते हैं, तो हम कार्यवाही करेंगे। हमारा प्रयास रहता है कि जब कभी कोई काम ठेकेदार को सौंपा जाए, तो विभागीय निरीक्षण होना चाहिए और ऐसा यहां है।

प्रत्येक मंडल, उप-मंडल, जिले तथा राज्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं। हमें लक्ष्यों को पूरा करना है। लक्ष्य पूरा न करने का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। मंत्री जी और एम. पीज के रिकमैंड किए हुए टेलीफोन भी नहीं लगे। जो एम॰ पीज ने अपने कोटे से रिकमैंड किए हैं और हमारे स्टेट के मंत्री जी ने खुद सैंक्शन किए हैं, वे भी अभी तक नहीं लगे। .....**(व्यवधान)**..... इसको आप पता कीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू : मैं अपने साथी, श्री सुखराम जी के ध्यान में यह बात लाऊंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री जी कहां हैं ? क्या वे छुट्टी पर हैं अथवा विदेश गए हैं ? इनके वरिष्ठ मंत्री जी कहां हैं ?

श्री अन्ना जोशी : वह कनिष्ठ भी नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा शिकायतें टेलीफोन के मंत्री जी से हैं और उनका कहीं पता नहीं रहता है। वे कभी एम॰ पी॰ से नहीं मिलते देश में न ही टेलीफोन

काम करता है और न ही मिनिस्ट्री काम कर रही है।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद : समस्या यह है कि जब मंत्री जी न हों तो हम कहां जाएं और किससे कहें। हम किससे अपनी बात कह सकते हैं ?

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय : अधिकारियों के लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा टेलीफोन भी अभी तक नहीं लगा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे मंत्रीजी का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि वह हिमाचल प्रदेश की सरकारी दौरे पर हैं। मैं समझ सकता हूं .....(व्यवधान).....

श्री ई० अहमद : जब संसद का सत्र चल रहा हो तो उस समय ऐसे सरकारी दौरों पर जाना क्या उनके लिए सही है ? यह सही नहीं है। जब संसद का सत्र चल रहा हो उस समय इस तरह के दौरे पर जाना सही नहीं है। यह मंत्री का अत्यधिक महत्वपूर्ण सरकारी कर्तव्य है। संसद सबसे महत्त्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, हम यह समझ रहे थे कि वे विदेश गए हुए हैं, विदेश में सम्मेलन था। लेकिन यह सही नहीं है। .....(व्यवधान)..... इसकी निन्दा की जानी चाहिए।

.....(व्यवधान).....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं मामले को तूल नहीं देना चाहता लेकिन आप यह स्वीकार करेंगे कि जब लोक सभा की बैठक हो रही है तो किसी मंत्री का ऑफिशियल टूर पर देश के किसी हिस्से में जाना उचित नहीं है।

.....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह पत्र प्राप्त हुआ है। मैं मंत्रीपरिषद् के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जब संसद का सत्र चल रहा हो, तो वे सरकारी दौरे पर न जाएं जब तक कि नितांत आवश्यक न हो। हम उनकी कठिनाइयां समझ सकते हैं। ये कार्यकारिणी के सदस्य हैं और यदि यह नितांत आवश्यक है, तो वे ऐसा कर सकते हैं। मैं मंत्रियों से आने वाले पत्रों की भी सराहना नहीं करता जिनमें कहा गया है कि प्रश्न के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाएगी और इसके लिए समय दिया जाना चाहिए। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वे मुझे ऐसे पत्र न लिखें और यदि मैं ऐसे पत्रों का उत्तर नहीं देता, तो उन्हें दुःखी नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश

***503. +डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय :**

श्री नीतिश कुमार :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में विदेशी कंपनियों से प्राप्त विद्युत संयंत्र स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं;

(ख) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान विदेशी कंपनियों द्वारा कुल कितने पूंजी निवेश का प्रस्ताव किया गया और सरकार ने इसमें से निवेश की कितनी राशि स्वीकार की;

(ग) क्या सरकार ने अपेक्षित प्रयोजन हेतु धनराशि का उपयोग कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन परियोजनाओं में उक्त राशि व्यय की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो कितनी धनराशि का उपयोग नहीं हो सका और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस राशि का उपयोग न किये जाने के कारण सरकार द्वारा वचनबद्धता प्रभार के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडु) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त अनुबंध में दिए गए हैं। जहां तक राज्य परियोजनाओं का संबंध है। परियोजनाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों को देना राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है।

(ख) अब तक की स्थिति के अनुसार लगभग 73,386 करोड़ रु॰ की लागत से 22,432 मेगावाट की क्षमता वाली 35 विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित किए जाने के लिए विदेशी कंपनियों (अनिवासी भारतीय एवं संयुक्त उद्यम प्रस्तावों समेत) से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। परियोजना प्रस्तावों की वित्तीय स्थिति के समापन के पश्चात् ही विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश संबंधी ब्यौरे की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अभी तक कोई भी प्रस्ताव वित्तीय समापन की स्थिति में नहीं है।

(ग) से (ङ) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(च) निजी विद्युत परियोजनाओं में निवेश हेतु अपेक्षित निधियों की व्यवस्था प्रवर्तकों द्वारा ही की जाती है। इसलिए ऐसी निधियों के बारे में भारत सरकार को आश्वस्त प्रभारों के लिए किसी प्रकार

की राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता है।

विद्युत उत्पादन और वितरण हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने के लिए अधिकाधिक निजी निवेश को प्रोत्साहन देने की नीति से संबंधित प्रोत्साहन/मार्गदर्शी सिद्धान्त।

विद्युत उत्पादन, सप्लाई और वितरण में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने से संबंधित स्कीम का ब्यौरा निम्नवत है :-

–विद्युत क्षेत्र में निजी उद्यमियों हेतु नया विधि सम्मत, प्रशासनिक और वित्तीय वातावरण बनाने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में संशोधन किया गया है।

–निजी क्षेत्र किसी भी आकार की ताप विद्युत परियोजनाएं (कोयला/गैस) और जल विद्युत परियोजनाएं तथा पवन/सौर ऊर्जा परियोजना अधिष्ठापित कर सकते हैं।

–ऐसी विद्युत परियोजनाएं जिनकी कुल मिलाकर परिव्यय की राशि 25 करोड़ रु० से अधिक नहीं होती इन परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

–निजी क्षेत्र की कंपनियां लाइसेंसधारी अथवा विद्युत उत्पादन कंपनी के रूप में प्रचालन हेतु उद्यम अधिष्ठापित कर सकती हैं।

–सभी निजी कंपनियां जो अब विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेंगी इनको ऋण-ईक्विटी 4:1 के अनुपात हेतु अनुमति दी जाएगी।

–समग्र परिव्यय की राशि की न्यूनतम 20% राशि ईक्विटी घटक के रूप में होनी चाहिये।

–प्रर्वतक के अंशदान की न्यूनतम राशि समग्र परिव्यय की राशि का 11% होनी चाहिये।

–भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से जुटाई गई राशि समग्र परिव्यय की राशि की मात्रा का 40% से अधिक नहीं होनी चाहिये।

–यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस क्षेत्र हेतु निजी उद्यमियों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने में परियोजना की समग्र परिव्यय की राशि की मात्रा की कम से कम 60% राशि निश्चय ही सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से भिन्न स्रोतों से जुटाई जानी चाहिये।

–विदेशी निजी निवेशकों द्वारा परियोजनाएं अधिष्ठापित किए जाने के मामले में शत-प्रतिशत (100%) विदेशी ईक्विटी भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है।

–निर्यात अर्जन के जरिए तुलन लाभांश की शर्त जोकि 51% तक के विदेशी निवेश के मामलों में सामान्यत: लागू होती है विद्युत क्षेत्र में विदेशी निजी निवेशकों पर लागू नहीं होगी।

परिसंपत्तियों से संबंधित मूल्यह्रास की दरों को उदार बनाया गया है।

–ऐसे मामले जिनमें विदेशी सप्लाईकर्ता (सप्लाईकर्ताओं) अथवा एजेंसी (एजेंसियों) द्वारा रियायती

दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, सरकार के अनुमोदन से विद्युत परियोजनाओं के लिए उपस्कर के आयात की अनुमति भी दी जाएगी।

–विद्युत उपस्कर के आयात हेतु सीमा शुल्क की राशि में 20% की कटौती की गई है तथा विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण एवं नवीकरण के लिए अपेक्षित मशीनरी हेतु भी इस दर की सुविधा प्रदान की गई है।

–विद्युत उत्पादन अथवा विद्युत उत्पादन एवं वितरण हेतु भारत में किसी भी स्थान पर नए औद्योगिक उपक्रम अधिष्ठापित करने पर लाभांश के बारे में पांच वर्ष तक कर की छूट की अनुमति दी जाएगी। पांच वर्ष की अवधि की शुरूआत वह वर्ष माना जाएगा जिस वर्ष में विद्युत का उत्पादन किया जाएगा।

–विद्युत क्षेत्र के अधिकांश पूंजीगत सामग्री और यंत्रों पर उत्पादन शुल्क को घटा कर समान निम्न दर 5% रखी गई है।

–टैरिफ में शामिल विदेशी ईक्विटी पर 16% लाभांश की राशि संबंधित विदेशी मुद्रा में उपलब्ध कराई जा सकती है।

–निर्धारित लागतें 68.5% के संयंत्र भार अनुपात पर वसूल की जा सकेंगी। इससे अधिक संयंत्र भार अनुपात पर कार्य निष्पादन किए जाने के लिए आकर्षित प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

–परियोजना लागत में बीमा की राशि शामिल किए जाने के लिए नम्यता प्रदान की गई है।

विद्युत उत्पादन कंपनियों के लिए निम्न प्रोत्साहनों के प्रस्ताव रखे गए हैं :–

–मानक मानदंड जिनके अधीन विद्युत उत्पादन कंपनियां प्रचालन कार्य करेंगी इनको अधिसूचित कर दिया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि प्रदत्त एवं निर्धारित ईक्विटी पर 16% लाभांश अर्जित किया जाए।

–विद्युत उत्पादन कंपनियां जिनका प्रचालन कोयला, गैस पर आधारित है और जल विद्युत परियोजनाएं समुचित निर्धारित टू-पार्ट-टैरिप के आधार पर विद्युत बेच सकेंगी।

–निजी विद्युत कंपनियों को राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किए जाने वाले भुगतान से संबंधित दायित्व के लिए संबंधित राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा प्रति गारंटी दिए जाने के मामले पर विचार किया जा सकता है।

लाइसेंसधारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन निम्नवत हैं :–

–दीर्घावधि के लाइसेंस पहली बार 30 वर्ष के लिए जारी किया जाएगा तथा अनुवर्ती नवीकरणों की अवधि 20 वर्ष होगी जबकि पहले यह अवधि क्रमशः 20 वर्ष और 10 वर्ष थी।

–आर॰ बी॰ आई॰ की दर से 2% अधिक पहले की दर के स्थान पर 5% उच्च लाभांश की दर।

–आर० बी० आई० की दर से 1% अधिक पहले वाली दर की अपेक्षा वास्तविक लागत (विस्तार परियोजनाओं हेतु भी) पर निर्माण के दौरान ब्याज की राशि का पूंजीकरण।

–ऋण विमोचन दायित्वों की पूर्ति के लिए विशेष विनियोजन।

डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जिन 35 विद्युत परियोजनाओं के बारे में कहा गया है, उनकी वित्तीय स्थिति के समाधान की कोई स्थिति प्राप्त नहीं हुई है और उसके कारण अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। क्या यह भी सही है कि नैशनल वर्क ऑन पावर के ग्रुप द्वारा इस प्रकार की परियोजनाओं के बारे में आपत्ति की गई है और कहा गया है कि बाहर से निवेश करने की जो बात की गई है, वह बहुत महंगी होगी और हमारी वर्तमान में जो कीमत है वह 16 प्रतिशत बढ़ जाएगी ? क्या इस बारे में सरकार विचार कर रही है ताकि कम से कम लागत पर हमें विद्युत प्राप्त हो सके ?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री॰ एन॰ के॰ पी॰ साल्वे) : प्रथमत: इस बात की सराहना करनी पड़ेगी कि निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करना एक लम्बी प्रक्रिया है। यू॰ के॰ तथा यू॰ एस॰ ए॰ का भी यह अनुभव है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्वतन्त्र निजी परियोजना लगाने में आठ वर्ष का समय लगा था। अत: जहां तक विद्युत परियोजनाओं का संबंध है इसमें कुछ अधिक समय लगा है इसके कई कारण हैं जिनमें अधिक परिपक्वन अवधि तथा हजारों करोड़ों रुपये का पूंजी निवेश शामिल है। उन संयमित 35 परियोजनाओं में से सी॰ सी॰ एफ॰ आई॰ द्वारा 5,128 मेगावाट की सात परियोजनाओं को स्वीकार किया गया है जिन पर 21,867 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। जहां तक उनकी आपत्ति का संबंध है मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या आपत्ति उठाई है। यदि वह स्वयं संस्था विशेष का संदर्भ दिए बिना आपत्ति जाहिर करें तो मैं निपटारा कर सकता हूँ।

[हिन्दी]

डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या यह सही है कि सैंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और आपकी मिनिस्ट्री ने कुछ परियोजनाओं के बारे में जो लागत कीमत बतायी उनका आपस में बहुत अन्तर है। उसके कारण बाहर के बिडर्स द्वारा दिये गये बिड्स में और अनुमानित लागत में अन्तर है वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते। इसके कारण परियोजनाओं के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

[अनुवाद]

श्री एन॰ के॰ पी॰ साल्वे : महोदय, जहां तक किसी परियोजना की पूंजी लागत का संबंध है, यह ऐसा मामला नहीं है जो मंत्रालय द्वारा निपटाया जाये। विधिनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

समस्त वित्तीय पैकेज का निर्धारण करने के लिए अंतिम निर्णयकर्ता प्राधिकारी है; और फिर यदि यह किया जाता है, तो इस मामले में अंतिम निर्णय देना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का कार्य है। महोदय समाचार पत्रों में मैंने यह पढ़ा है कि कई संगठनों ने यह प्रश्न उठाया है कि यह पूंजी लागत जो अधिक है; लेकिन स्वयं विधि में भी एक उपबन्ध है और वह इसे स्पष्ट करता है। यदि किसी को पूंजी लागत के संबंध में कोई आपत्ति हो वे यह प्रश्न राज्य सरकार तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ उठा सकते हैं। अत: एक अन्त:निर्हित प्रक्रिया है। कोई उचित शिकायत हो तो उसके बारे में निर्णय लिया जा सकता है। क्योंकि इस संबंध में उपबंध स्पष्ट है और साथ ही एक अन्त: निर्हित प्रक्रिया भी मौजूदा है। सामान्यतया यह कहना ठीक नहीं है कि यह बहुत अधिक है अथवा बहुत कम है।

[हिन्दी]

डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या यह सही है कि जहां आप विदेशी सहायता से विदेशी कम्पनियों को बुलाकर अपने पावर जैनरेशन को बढ़ाना चाहते हैं वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कार्यालय और स्टैंडिंग कमेटी ने इस बारे में आपत्ति की कि आपने विदेशी सहायता से प्राप्त धन को पूरा खर्च नहीं किया ? यहां तक कि वह आधा भी खर्च नहीं हुआ। इसके कारण बहुत सी परियोजनायें लम्बित हैं। यदि यह बात सही है तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ताकि उसका पूरा उपयोग हो सके और योजनाएं जल्दी पूरी हो सकें।

श्री एन॰ के॰ पी॰ साल्वे : इसका जवाब मूल प्रश्न के जवाब में दिया गया है।

[अनुवाद]

"कि निजी विद्युत परियोजनाओं में निवेश हेतु अपेक्षित विधियों की व्यवस्था प्रवर्तकों द्वारा ही की जाती है। इसलिए ऐसी निधियों के बारे में भारत सरकार को आश्वस्त प्रभाव के लिए किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता है।"

[हिन्दी]

प्राईवेट सैक्टर में जो कम्पनियां आ रही हैं इनको कोई फंड ऐलोकेशन नहीं होता है।

डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय : मैंने पूछा था कि स्टैंडिंग कमेटी ने भी स्वयं आपत्ति की कि वह राशि व्यय नहीं की।

श्री एन॰ के॰ पी॰ साल्वे : मेरा अपना ख्याल था कि माननीय सदस्य का सवाल प्राइवेट सैक्टर से ताल्लुक रखता है। जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमैंटस में फांड्स आते हैं, उनका इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मार्ग निर्देशों में कई रियायतें प्रदान की गई हैं। मैं तीन

पर ध्यान केन्द्रित करूंगा। उनमें से एक यह है कि विद्युत परियोजनाओं को ऐसे मामलों में भी अनुमति प्रदान की जायेगी जिनमें विदेशी आपूर्तिकर्ता अथवा ऐजेन्सियां रियायती ऋण प्रदान करती हैं। अर्थात उपस्कर को स्वतन्त्र आयात की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए और फिर सीमा शुल्क कम किया गया है और फिर स्थानीय वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क को कम करके पांच प्रतिशत कर दिया गया है, और टैरिफ में शामिल की गई विदेशी इक्विटी पर 16 प्रतिशत राशि संबद्ध विदेशी मुद्रा में प्रदान की जा सकती है। अब विद्युत उपस्करों के स्थानीय विनिर्माताओं पर क्या प्रभाव होगा। मुम्बई क्लब और अब सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स संस्थाओं ने लेवल पलेइंग फील्ड के बारे में बात करना प्रारम्भ कर दिया है। एक अन्य मत भी है कि यह लेबल नहीं होना चाहिए बल्कि भारतीय उत्पादकों के पक्ष में होना चाहिए।

इस मामले में इस तरह के उपबन्ध सीमा शुल्क तथा अन्य की रियायत, का क्या प्रभाव होगा ? उदाहरण के लिए क्या वे अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर रहे हैं ? वे अपने क्षमता उपयोग में बंधे होंगे। यह संबद्ध भाग है। आप ये सभी रियायतें– ये सभी रियायतें लेवल प्लेइंग की दृष्टि से 16 प्रतिशत हों ऐसा होना आवश्यक नहीं है भारतीय निजी क्षेत्र उत्पादकों को क्यों नहीं प्रदान करते ?

श्री एन॰ के॰ पी॰ साल्वे : हमने वे रियायतें प्रदान कर दी हैं। यहां एक भारतीय अथवा किसी को भी इक्विटी पर 16% लाभ उपलब्ध हैं। इस नीति में एक विदेशी पूंजी निवेशक अथवा भारतीय पूंजी निवेशक में कोई अन्तर नहीं किया गया है। यह एक समान है।

दूसरी बात यह है कि यदि एक बार निजी क्षेत्र को शामिल कर किया जाय तो निजी क्षेत्र यह बेहतर ढंग से निर्धारित कर सकेगा कि उपस्कर कहां से खरीदें। लेकिन यदि हम सीमाशुल्क के संबंध में सुविधाएं प्रदान न करें और यदि विद्युत क्षेत्र के उपस्करों पर उत्पाद शुल्क कम न करें आदि..........

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : गैट का भाग ? हमें यह नहीं भूलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसे एक तरफ रखो। वह सामान्य बातों का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री एन॰ के॰ पी॰ साल्वे : मैं सही मार्ग पर था।

अध्यक्ष महोदय : हाँ आप सही मार्ग पर हैं। आप अपने मार्ग पर चलो क्योंकि आप सही मार्ग पर हैं।

श्री एन॰ के॰ पी॰ साल्वे : वह मेरा पुराना मित्र है। यह उनकी आदत है कि जब वे यह देखते हैं कि उत्तर थोड़ा स्पष्ट नहीं है तो मंत्री महोदय भ्रम में पड़ जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या वे सफल हुये हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : चाहे उन्हें भ्रमित करना कठिन ही क्यों न हो ?

श्री एन॰ के॰ पी॰ साल्वे : मैं यह कह रहा था कि रियायतें यह आस्वासन देने के लिए प्रदान की गई है कि पूंजीगत लागत अधिक न हो। क्योंकि हमें उपभोक्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखना है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्होंने इस भाग का उत्तर नहीं दिया है। भारतीय पूंजी माल उत्पादकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इससे यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री पी॰ सी॰ चाक्को : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि क्या केरल के कायमकुलम सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए कोई वित्तीय समझौता किया जा रहा है। इस सदन में ही माननीय मंत्री ने यह उत्तर दिया था कि सरकार जापान की ओ॰ ई॰ सी॰ एफ॰ के साथ बातचीत कर रही है। यह ओ॰ ई॰ सी॰ एफ॰ या निजी क्षेत्र में कोई अन्य वित्तीय कम्पनी हो सकती है। क्या सरकार ने कायमकुलम परियोजना के लिए वित्तीय समझौते को अंतिम रूप दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशेष बात है। यदि आपके पास जानकारी है तो प्रदान करें अथवा लिखित में भेजें।

श्री एन॰ के॰ पी॰ साल्वे : मैं लिखित में भेज दूंगा।

श्री॰ पी॰ सी॰ चाक्को : यह परियोजना को वित्त पोषित करने के संबंध में है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, एक तो मुझे पहली आपत्ति है कि सरकार ने जो नई नीति बनाई है, इस पर सदन को कभी विश्वास में लिया नहीं है। आज यह प्रश्न है इसलिए यह मामला यहां पर आ रहा है। हम चाहेंगे कि इस पर एक विशेष तौर पर सदन में बहस कराई जाय, चूंकि इस पर देश में बहुत कुछ चर्चा हो रही है।

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब आप एक तरफ 5 ईयर टैक्स होलीडे दे रहे हैं, दूसरी ओर 16 परसेण्ट आप उस 68.5 PLF पर रिटर्न गारण्टी दे रहे हैं। और अगर उससे 0.5 भी बढ़ गया तो फिर आप उसको 1 प्रतिशत या हो सकता है कि उससे अधिक बोनस देने के लिए भी तैयार हैं, जो भी पूंजी उसमें लगायेगा, उसको 5 साल के अन्दर उसके हाथ में वापस जाने का इन्तजाम आप करते हैं। फिर लगातार उसको 16 परसेण्ट पर रखने का काम या उससे ज्यादा पर रखने का काम आप करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि इसका असर देश में जिस दाम में बिजली को आप बेचने जा रहे हैं, वह क्या होना है ? चूंकि इसपर आपने यह भी कहा है कि उनको यहां तक सुविधा देने को तैयार है कि

[अनुवाद]

विस्तार परियोजनाओं के लिए वास्तविक लागत पर निर्माण के दौरान ब्याज तथा यथापूर्व रूप

में भारतीय रिर्जव बैंक के 1 प्रतिशत का पूँजीकरण जैसाकि पहले होता था।

[हिन्दी]

कौन इसको तय करने वाला है कि एक्चुअल कास्ट क्या है, इन्श्योरेंस को आपने इसमें जोड़ा है तो कौन इस चीज को तय करने वाला है, आपके पास मोनेटरिंग कौन सी है कि यह लोग ईमानदारी से आपके पास कास्टिंग दे रहे हैं या नहीं, चूंकि आपने सारी जिम्मेदारी को अब छोड़ दिया है।

इसी के साथ जो प्रश्न है, मुझे अभी मंत्री जी के मंत्रालय से एक दस्तावेज मिला है कि जो एनरॉन बिजली घर बनाया जा रहा है, इसमें 40 हजार करोड़ रुपया अगले दस सालों में देश से बाहर जाने की बात है। यह बात एक समूह ने लिख कर दस्तावेज के माध्यम से देश के सामने रखी है। इसमें देश के भूतपूर्व वित्त सचिव हैं और पावर सैक्टर के बड़े अधिकारी जिन लोगों ने देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी को संभाला है, वे लोग हैं। मुझे मंत्री जी के कार्यालय से आज ही चिट्ठी मिली है, अभी यहां बैठने के बाद, उसमें यह कहा गया है–

[अनुवाद]

प्रथम 10 वर्षों के लिए प्रथम चरण हेतु विदेशी मुद्रा का निर्गम 40,000 करोड़ रु० से बहुत कम होगा।

[हिन्दी]

मैं यह जानना चाहता हूं, कितना पैसा एनरॉन प्रोजैक्ट के ऊपर विदेश जाना है और कितना दाम बिजली का बढ़ना है तथा किसानों की हालत इसमें क्या होनी है ?

[अनुवाद]

श्री एन० के० पी० साल्वे : जहाँ तक चर्चा का संबंध है, मैं चर्चा से बेहतर कुछ नहीं समझता। मैं सभा को एक बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस नीति में हम चाहते हैं कि पूर्ण स्पष्टता हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे हम छिपाना चाहेंगे। हमारी अवधारणा में भिन्नता हो सकती है लेकिन नीति पर किसी भी समय चर्चा की ही जानी चाहिए जिस पर निःसंदेह प्रश्नकाल में चर्चा नहीं की जा सकती।

'एनरॉन' के संबंध में यदि माननीय सदस्य और अधिक असंदिग्ध हिसाब चाहें तो मैं मंत्रालय से जानकारी एकत्र करके उन्हें भेज सकता हूँ। मैं यहाँ यह बताना चाहूँगा। कि बहुत सी गलत जानकारियाँ फैलायी जा रही हैं, इसके बजाय यदि माननीय सदस्य ने विशिष्ट परियोजना के बारे में मुझे लिखा होता तो मुझे उन विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देने में अधिक प्रसन्नता होती।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : ये अपना बचाव करने में माहिर हैं।

श्री एन० के० पी० साल्वे : इस बात का निर्णय कौन करेगा कि इसका ब्याज आदि क्या होगा। मैं मामले में स्पष्ट करूँगा। उन्होंने एक अन्य प्रश्न उठाया है जो सौभाग्यवश लेखे से संबंधित

है। निर्माण के दौरान ब्याज का क्या होता है ? सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक मामलों में यह निर्धारित किया है कि निर्माण के दौरान समग्र राजस्व व्यय का पूँजीकरण किया जाए तथा इसे परियोजना की पूँजी लागत में जोड़ा जाए। यह एक सर्वविदित लेखा सिद्धांत है। भारतीय चार्टड अकाउण्टेंट्स संस्थान ने भी अपने मार्ग निर्देशों में सही बताया है। इस मामले के संबंध में हमारी नीति पूर्णत: मान्यता प्राप्त लेखा सिद्धांत के अनुरूप है।

एक अन्य प्रश्न उन्होंने कुछ विशेष अवसरों पर कर न लगाए जाने आदि के बारे में पूछा है, नीति में हमने इक्विटी पर 16 प्रतिशत लाभ का प्रावधान किया है जो कि टैरिफ में एक निर्धारित प्रभार होगा और जिसे 68.5% संयंत्र भार फैक्टर में शामिल करना होगा। विद्यमान निजी कंपनियों को दिए जाने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए जोकि लगभग 57 प्रतिशत संयंत्र भार फैक्टर पर लगभग 40 प्रतिशत है, यह 16 प्रतिशत लाभ काफी अच्छा है। इसलिए, जहाँ जोखिम पूँजी के संबंध में ब्याज 18 प्रतिशत तथा 170 प्रतिशत होता था, नीति मामले के रूप में 16 प्रतिशत काफी उचित तथा न्यायसंगत है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। बिजली को बेचने का जो दाम का मामला है, उसके बारे में मंत्री जी का क्या कहना है ?

[अनुवाद]

श्री एन॰ के॰ पी॰ साल्वे : जैसा कि मैंने पहले बताया है, पूरे वित्तीय पैकेज का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया जाना है जोकि उच्चतम प्राधिकरण है तथा जो कानून को लागू करता है। इसमें वरिष्टतम व्यक्ति सर्वोत्तम तकनीकी तथा वित्तीय व्यक्ति होते हैं। यही लोग मूल्य निर्धारण करते हैं न कि मंत्रालय। यह राज्यों, उत्पादक कंपनियों तथा केन्द्रीय विद्युत प्रधिकरण के लिए है। विद्युत की कीमत अलग-अलग परियोजना में अलग-अलग होगी।

श्री ई॰ अहमद : महोदय, विद्युत उत्पादन तथा वितरण दोनों के लिए नए औद्योगिक उपक्रमों के लाभ तथा मुनाफे के संबंध में पांच वर्ष के लिए कर-मुक्ति की अनुमति दी गई है। क्या सरकार इन गैर सरकारी उपक्रमों पर विद्युत वितरण की दरों के संबंध में कोई प्रतिबंध लगाना चाहेगी अथवा यह उन कंपनियों की स्वेच्छा पर निर्भर करेगा।

श्री एन॰ के॰ पी॰ साल्वे : टैरिफ के संबंध बहुत गलत धारणा है। विद्युत मंत्रालय टैरिफ का निर्धारण नहीं करता। टैरिफ उत्पादक कंपनी तथा क्रय बोर्ड के बीच तय किया जाता है। इसका निर्णय इन दोनों के बीच में होता है। वे पूर्ण वित्तीय पैकेज के साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास जाते हैं। यदि यह अनुमोदित हो जाता है, तो वही टैरिफ होगा।

[हिन्दी]

श्री संदीपान भगवान थोरात : अध्यक्ष महोदय, ये जो पावर जेनरेशन प्राइवेट सैक्टर में दे

रहे हैं, अब स्टेट में जो पावर जेनरेट होती है वह नेशनल ग्रिड से आती है तो यह पावर सैक्टर में जेनरेट होने वाली पावर नेशनल ग्रिड में जानै वाली है या नहीं ? अगर जाने वाली है तो एग्रीकल्चर सैक्टर में या रूरल सैक्टर में इसके लिए कुछ रिजर्वेशन करने के लिये गवर्नमेंट ने तय किया है या नहीं ?

श्री एन॰ के॰ पी॰ साल्वे : महोदय, नेशनल ग्रिड है ही नहीं। हमारी पांच ग्रिड हैं नार्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट एंड नार्थ ईस्ट, और एगजिस्टिंग बिजली जो स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाते हैं वे अपने सूबे को देते हैं। हम सैंट्रल सैक्टर में जो बिजली बनाते हैं उसका वितरण अलग-अलग सूबों में करते हैं जो उस ग्रिड के हैं, उस रीजन के हैं। जहां तक प्राइवेट प्रोजेक्ट का सवाल है इसकी पूरी शत-प्रतिशत बिजली स्टेट को दे दी जायेगी।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : सभापति महोदय, मेरे विचार से मंत्रालय द्वारा बनाई गई नीति को अवश्य ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का अनुमोदन अथवा कम से कम उसकी अनुशंसा अवश्य प्राप्त होनी चाहिए थी। मंत्री महोदय ने कहा है कि वे नीति के संबंध में निर्णय लेते हैं तथा के॰ वि॰ प्रा॰ इस बात का मूल्यांकन करता है कि अंतिम कीमत क्या होगी। मंत्रालय गैर-सरकारी क्षेत्र को जितनी भी वित्तीय सहायता दे, ऋण इक्विटी अनुपात 4:1 है। ऋण सस्ती दरों पर उपलब्ध होता है किन्तु इक्विटी व्यवहारिक रूप से एक प्रतिशत है। ऐसी स्थिति में आप गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ ऐसा पक्षपात क्यों कर रहे हैं ?

दूसरे आपने उल्लेख किया है कि प्रति मेगावाट उत्पादन लागत लगभग 5 करोड़ रु॰ आती है। विद्युत की लागत लगभग 4 रु॰ प्रति यूनिट होगी। मुझे इस बात की चिंता है कि उस बिजली को कौन खरीदेगा इसे देखते हुए राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम को विदेशी बैंकों से कुछ ऋण लेने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती ? मंत्रालय रा॰ ता॰ ऊ॰ नि॰ की इक्विटी में और अधिक धन दे सकता है ताकि वह विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त करके इस प्रकार की परियोजना को कार्यान्वित कर सके।

सभापति महोदय : कृपया इसे प्रश्न ही बना रहने दीजिए।

श्री श्रीकांत जेना : स्पष्टत: यह मेरा प्रश्न ही है। महोदय, मंत्रालय अपने अभिकरण अर्थात् रा॰ ता॰ ऊ॰ लि॰ की इक्विटी के मामले में सहायता क्यों नहीं कर रहा है ताकि यह पूँजी लागत बनाने की बजाय विभिन्न बैंकों से कुछ ऋण ला सके और अन्तत: वह ऐसी लागत पर पहुँच सके जो पूर्णत: अलाभकारी होगी ?

श्री एन॰ के॰ पी॰ साल्वे : पहली बात तो यह कि मैंने यह कभी नहीं कहा कि के॰ वि॰ प्रा॰ ने नीति बनाई है। नीति सरकार द्वारा बनाई गई है।

जहां तक निजी क्षेत्र में प्रति मेगावाट लागत का संबंध है, जैसाकि मैंने पहले निवेदन किया है कि यह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी॰ ई॰ ए॰) द्वारा समीक्षा की विषय वस्तु है। वे निर्णय करते

हैं कि लागत क्या होनी चाहिए और यदि किसी को भी इसमें आपत्ति है तो वहां अंत:निर्हित तंत्र है। कोई भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अथवा राज्य के पास जा सकता है और यह आपत्ति उठा सकता है कि लागत थोड़ी बढ़ी हुई है। मूल्यह्रास तथा ब्याज आदि केवल स्वीकृत लागत से ही नहीं है वरन् वास्तविक लागत से भी संबद्ध हैं। कर प्रयोजनों के लिए कई मामलों में उच्चतम न्यायालय ने वास्तविक लागत की व्याख्या की है जहां तक वास्तविक लागत का संबंध है यदि यह पाया गया कि यह बढ़ी हुई लागत है न कि वास्तविक लागत नहीं है तो राज्य विद्युत बोर्ड वास्तविक लागत का पता लगाने के लिए हमेशा स्वतंत्र है।

जहां तक विद्युत की अधिक लागत का संबंध है चाहे राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम अथवा कोई और लागत बढ़ाए, विद्युत की लागत वही रहेगी क्योंकि पूंजीगत लागत करीब-करीब समान है। यहां-वहां कुछ नाम मात्र का अंतर हो सकता है। माननीय सदस्य गलत आधार या धारणा पर प्रश्न जारी रख रहे हैं कि राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम बाजार में जा सकता है और जितना चाहे उतना वाणिज्यिक ऋण जुटा सकता है।

जिस तरह की राशि हमें चाहिए वह राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम (एन॰ टी॰ पी॰ सी॰) को वाणिज्यिक बाजार से नहीं मिल सकती है, इसलिए हम निजी क्षेत्र के पास गए हैं। यदि हमारे लिए यह धनराशि देना संभव होता तो ऐसा करने में हमें प्रसन्नता होती। ई॰ पी॰ एस॰ के अनुसार, 15 वर्षों में हमें 1,42,000 मे॰ वा॰ बिजली की आवश्यकता है। क्या इस बात की कल्पना की जा सकती है कि राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम कभी 1,42,000 मे॰ वा॰ बिजली पैदा कर पाएगा। इस समय यह मुश्किल से 15,000 मे॰ वा॰ बिजली पैदा कर रहा है। इसलिए यह एक अव्यावहारिक अनुपात नहीं है। परंतु, मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितनी क्षमता बढ़ाने के बारे में हम योजना बना रहे हैं। हम उसे पूरा कर रहे हैं। वस्तुत: केवल सरकारी क्षेत्र में हम योजना में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर पाए हैं। हम इससे अधिक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उस लक्ष्य तक पहुंचना भी हमारे लिए अत्यधिक कठिन है।

इसलिए जहां तक टैरिफ का संबंध है मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जो टैरिफ निर्धारित किये गए थे उनकी आज के टैरिफ से तुलना नहीं की जा सकती है। ताप संयंत्र के लिए निर्माण अवधि पांच से सात वर्ष, जल संयंत्र के लिए यह अवधि 7 से 9 वर्ष है। आप देख सकते हैं कि आज जो लागत लगभग 2.25 अथवा 2.40 रुपये है वह अगले पांच से सात वर्षों में उसी प्रकार उचित लगेगी जैसी कि आज पांच या सात वर्ष पूर्व की 1.20 रुपये की लागत उचित लगती है।

हर बार लागत बढ़ रही है। इसलिए तुलनात्मक लागत का मूल्यांकन करते समय कृपया निर्माण अवधि की भी परिकल्पना करें जोकि इस मामले में बहुत अधिक है। यह मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड

* 506. श्री सोमजी भाई डामोर :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई-विशाखापत्तनम रेल लाइन पर विशेष रूप से रेलगाड़ियों के आवागमन में बाधा आने के कारण भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के उत्पादन और निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का 1994-95 का निर्यात लक्ष्य क्या है, और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में अब कितने मूल्य के कितने निर्यात क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए निर्यात लक्ष्य 6.0 लाख टन निर्धारित किया गया है।

(घ) वर्ष 1994-95 के लिए मृदु इस्पात के निर्यात हेतु 'सेल' अब तक 57 आर्डर बुक कर चुका है। इन आर्डरों का मूल्य बताना 'सेल' के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री सोमजी भाई डामोर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक आयात-निर्यात का मामला है, सरकारी उपक्रम में जो स्टील की कंपनियां हैं, ये बहुत खर्चा करती हैं और आखिर में भाव बढ़ा देती हैं और घाटे की भरपाई करती हैं और स्टील महंगा हो जाता है। स्टील के भाव कम करने के लिए और कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या सरकार कोई कार्रवाई करने जा रही है ?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, वर्तमान विनियमन समाप्त करने की प्रणाली के अंतर्गत सरकार मूल्यों पर नियंत्रण नहीं रखती है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल) मूल्यों पर नियंत्रण रखता है। परंतु वे अपने मूल्य इस तरह निर्धारित करते हैं कि वे अपने उत्पाद को बाजार में बेच सकें और उपभोक्ता उसे खरीद सकें। कतिपय आदानों जैसे रेल भाड़ा, विद्युत लागत, कोयला आदि की लागत में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। वे हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। इस तरह, केवल आवश्यक वस्तुओं की कीमतें ही बढ़ रही हैं और बाजार इस लागत को वहन कर रहा है। इस वर्ष भी हमने लगभग 440 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। परंतु हम अनावश्यक रूप से मूल्यों को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हमारा यह इरादा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सोमजी भाई डामोर : अध्यक्ष महोदय, जो सरकारी उपक्रम है, उनके अंदर एक तिहाई कर्मचारी काम नहीं करते हैं, इस बारे में कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। इस बारे में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मैं यह बात स्वीकार नहीं कर सकता कि जिन कामगारों को संयंत्र में नियुक्त किया गया है वह काम नहीं कर रहे हैं। निसंदेह ही सरकारी क्षेत्र में उत्पादन लगभग 6 प्रतिशत बढ़ा है। इसलिए कामगार काम कर रहे हैं। वे अच्छा काम कर रहे हैं। यदि वहां अतिरिक्त श्रमिक हैं तो हम इसकी जांच करेंगे। परंतु यह संभव नहीं है। आज के परिपेक्ष्य में, यहां कई संघ हैं, यदि वे काम करते हैं तो आपको उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। आप उनकी छंटनी नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

*** 507. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने आयातित आधुनिक दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कितने टेलीफोन एक्सचेंजों में शुरू किया गया है; और

(घ) सभी एक्सचेंजों में इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : – आयातित आधुनिक प्रौद्योगिकी दिल्ली के 18 एक्सचेंजों तथा बंबई के 7 एक्सचेंजों में चालू की जा चुकी है।

(घ) फिलहाल शेष सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में आयातित आधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, भविष्य में चालू किए जाने वाले योजनाबद्ध नए एक्सचेंज, केवल डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज ही होंगे (जिसमें पुराने मौजूदा इलेक्ट्रो-मेकेनिकल एक्सचेंज भी शामिल हैं जिन्हें उनकी मियाद समाप्ति पर बदला जाएगा।)

श्रीमती महेन्द्र कुमारी : इसका क्या परिणाम निकला ? अब तक सरकार ने क्या किया है?

अध्यक्ष महोदय : महानगर टेलीफोन निगम लि० होने से सरकार को इस संबंध में क्या उपलब्धि हुई है ?

श्री पी० वी० रंगय्या नायडू : जैसाकि मैंने कहा, हमने दिल्ली में 18 तथा मुम्बई में 7 दूरभाष केन्द्र स्थापित किये हैं। जहां तक महानगर टेलीफोन निगम लि० का संबंध है हमने भारत के अन्य शहरों में आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनायी है तथा अन्य केन्द्र खोले हैं।

श्रीमती महेन्द्र कुमारी : वर्ष 1993-94 के दौरान कितने दूरभाष केन्द्रों को स्थापित किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास यह जानकारी है तो दे दें अन्यथा आप इसे लिखित में भी भेज सकते हैं।

श्री पी० वी० रंगय्या नायडू : मैं इसे लिखित में भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे लिखित में भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

इस्पात के मूल्य

*** 508.+ श्री लाल बाबू राय :**

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पाद शुल्क तथा रेल टैरिफ में हाल ही में की गई वृद्धि और इस्पात उद्योग द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर सीमा शुल्क में कमी किए जाने के कारण इस्पात के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और

(ग) इस्पात के अनुकूलतम मूल्य सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 1994-95 के रेल बजट में रेल-माल भाड़े में वृद्धि और 1994-95 के बजट में इस्पात की सभी मदों पर उत्पाद शुल्क में 15% यथा मूल्य की वृद्धि होने के कारण इस्पात के मुख्य उत्पादकों ने मूल्य बढ़ा दिए हैं। उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण इस्पात की कुछ प्रतिनिधि मदों के संबंध में स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के कारखाना-बाह्य मूल्यों में हुई वृद्धि नीचे दी गई है :-

क्रम संख्या	मद	वृद्धि (रुपए प्रति टन)
1.	बिलेट्स (100 मि. मी.)	82
2.	ब्लूम्स (150×150 मि. मी.)	49
3.	तार छड़ (8 मि. मी.)	349
4.	टारस्टील (10 मि. मी.)	358
5.	एंगल (100×100×8 मि. मी.)	554
6.	जाइस्ट (300×140 मि. मी.)	547
7.	चैनल (100×50 मि. मी.)	389
8.	प्लेट (6 मि. मी.)	312
9.	एच. आर. क्वायल (2 मि. मी.)	294
10.	सी. आर. क्वायल (0.63 मि. मी.)	355
11.	जी. सी. शीट्स (0.63 मि. मी.)	454

रेल-माल भाड़े में वृद्धि के कारण स्टाकयार्ड-बाह्य-मूल्यों में हुई वृद्धि भिन्न-भिन्न स्टाकयार्डों में भिन्न-भिन्न है जो अधिकतम 200 रु० प्रति टन है। इस्पात गलन स्क्रैप, अयस्क और सान्द्रण जैसे आदानों पर से सीमा-शुल्क को कम करने में मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी बल्कि इससे इस्पात की उत्पादन लागत कम होगी।

(ग) नियन्त्रण समाप्त कर दिए जाने के बाद सरकार का इस्पात के मूल्यों पर कोई नियन्त्रण नहीं है। मूल्य बाजार शक्तियों द्वारा नियन्त्रित हैं।

देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य शुरू किया गया है। निजी क्षेत्र में इस्पात की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने की सुविधा के लिए तथा प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं जैसे सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से लोहा और इस्पात को निकालना, अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट देना आदि।

इस्पात की सभी मदों को आयात करने की अनुमति है और इस्पात की अधिकांश मदों पर से सीमा-शुल्क में कमी की गई है।

इस्पात के घरेलू उत्पादन और उपलब्धता में वृद्धि तथा कम मूल्यों पर आयात से घरेलू इस्पात मूल्यों पर नियन्त्रणात्मक प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री लाल बाबू राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न 'क' के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया है कि सरकार की नीतियों के कारण इस्पात के मूल्य बहुत बढ़े हैं। मैंने अपने प्रश्न 'ख' में पूछा है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में नहीं बताया है। मेरे प्रश्न के 'ग' के उत्तर में भी सही नहीं बताया है, यह कहा गया है कि मूल्य बाजार शक्तियों द्वारा नियन्त्रित होता है। सरकार ने प्रश्न को गंभीरता से नहीं लिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस्पात के मूल्य के संबंध में सरकार को संसद की स्थाई समिति या अन्य समितियों की सिफारिश मिली है क्या; और सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : इस्पात संबंधी स्थायी समिति ने छोटे इस्पात संयंत्रों और उनके बन्द होने के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन करने और तत्सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मैंने अपने मंत्रालय में एक विशेष समिति गठित की है जिससे कि हम उन्हें पुनः शुरू कर सकें। हमने यह कार्यवाही की है।

[हिन्दी]

श्री लाल बाबू राय : अध्यक्ष महोदय, इस्पात के मूल्य बढ़ने से कितने-कितने छोटे उद्योग बन्द हो गए हैं और कितने प्रभावित हुए हैं ?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : मूल्य वृद्धि के कारण संयंत्रों को बंद नहीं किया गया है, उन्हें स्क्रैप पर लगने वाले सीमा-शुल्क में बढ़ोत्तरी के कारण बन्द किया गया है। अनेक इस्पात संयंत्रों में काफी कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उनमें से कुछ को बन्द कर दिया गया है।

हाल में, वित्त मंत्री ने बजट में इस शुल्क में कटौती की घोषणा की है। इसे 12 1/2 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया था। अब इसे 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका अधिकांश इस्पात संयंत्रों द्वारा स्वागत किया गया है तथा मुझे उम्मीद है कि उनकी कठिनाइयां अब समाप्त हो जाएंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा है अनेक इस्पात संयंत्रों द्वारा सामना की जा रही एक अन्य कठिनाई विद्युत मूल्यों को लेकर थी। हमने सभी राज्य सरकारों को यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखे हैं कि–जैसा कि यह एक कार्योन्मुखी उद्योग है–कि वे इस्पात संयंत्रों को दी जाने वाली बिजली पर विशेष छूट देने का विचार करें।

श्री श्रवण कुमार पटेल : निजी क्षेत्र में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि हाल में बजट में भारतीय इस्पात उद्योग के साथ न्याय नहीं किया गया है। टाटा, आदि जैसी कंपनियां पहले ही कार्य की धीमी प्रगति तथा उत्पादन में कटौती करने की नीति अपना चुकी हैं।

महोदय, सरकारी क्षेत्र में इस्को का मामला भी कई वर्षों से लटका पड़ा है। अत:, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उपरोक्त निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों के लिए सरकार की क्या संक्षिप्त योजनाएं हैं। सरकार का देश में इस्पात उत्पादन में किस तरह वृद्धि करने का इरादा है और क्या सरकार इस्पात के आयात का विचार कर रही है ?

श्री संतोष मोहन देव : मैं इस प्रणाली का एक हिस्सा हूं। मैं वित्त मंत्रालय की आलोचना नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कई बार वाद-विवाद में बता दिया है कि किए गए उपायों को हमने वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया है क्योंकि उन्होंने इस पर विचार किया है। घोषणा के बाद भी, मुझे मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि वह इसकी और जांच कर रहे हैं। अत: हमें आशा करनी चाहिए भविष्य में कुछ और राहत प्रदान की जाएगी।

जहां तक लाइसेन्स प्रणाली समाप्त करने और विनियन्त्रण का संबंध है, हम निजी क्षेत्र के उद्यमियों से अच्छी प्रतिक्रियाएं प्राप्त कर रहे हैं। अभी कल ही में हजीरा में था जहां मैंने 3 मिलीयन टन की क्षमता वाला एक इस्पात संयंत्र देखा। तीन महीने पहले मैं महाराष्ट्र गया था जहां मित्तलूस एक इस्पात संयंत्र लगा रहे हैं। लगभग 8 मिलियन टन की क्षमता वाला यह इस्पात संयंत्र इस शताब्दी के अंत तक स्थापित कर लिया जाएगा। सरकार अंतर समाप्त करने का प्रयास कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर पूरे विश्व में इस्पात बाजार में मंदी का दौर चल रहा है। उस प्ररिप्रेक्ष्य में हमारे उद्योग का अच्छा निष्पादन रहा हैं

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सभी तरह की स्टील बाहर से मंगाने की छूट दे दी है, यह क्यों किया गया ? जो स्टील हम बना रहे हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, वह प्रतियोगिता में कैसे ठहरेंगे ? केवल बाहर से मंगाने की छूट नहीं दी है, कस्टम ड्यूटी भी घटा दी है जिसके परिणामस्वरूप हमारे यहां स्टील पैदा करने वाली कम्पनीज मुश्किल में पड़ गई हैं। क्या मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालेंगे, क्या यह भी गैट के अंतर्गत है ?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : 'गैट' का भय हर जगह है। यदि मुझे ठीक से याद है तो जब हम 1991 में सरकार में आए तो भारत के राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा था कि इस्पात उद्योग को प्रतियोगी होना पड़ेगा क्योंकि आज हम 54 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन कर रहे हैं और 30 मिलियन टन का निर्यात कर रहे हैं। मूल्य वर्द्धित उत्पादों का निर्यात किया जाना चाहिए। अपने आपको और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता करनी होगी।

जब हमने 1990-1991 में पुन: निर्यात शुरू किया तो हमारे पास केवल 181 करोड़ रुपए थे। आज हमने 1688 करोड़ रु० कमा लिए हैं। अत: आपको हमारे इस्पात उद्योग को कम नहीं आंकना

चाहिए, वह क्षमतावान है। हां, कतिपय क्षेत्र ऐसे हैं जहां कुछ दबाव है, जैसे एच आर कॉइल और सी आर कॉइल। सीमा शुल्क के कारण उसे कम कर दिया गया है हमारे देश में उत्पादन लागत 500 करोड़ से 600 करोड़ रु० के बीच है।

जैसा कि मैंने कहा मैं इस उद्योग और वित्त मंत्रालय के बीच एक पोस्ट बॉक्स हूं। मैंने इन सारे मुद्दों को लिया है, मेरी सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ सहानुभूति है और मैं यह देखने की कोशिश करूंगा कि इस बारे में क्या अच्छा किया जा सकता है मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता लेकिन हम प्रतियोगी होंगे।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : नहीं मंत्री जी अपने वजन को कम आँक रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि भारत से कच्चा इस्पात विदेश में जा रहा है और वहां से पक्का माल बनकर यहां आ रहा है ? इसमें भारत को कितना घाटा हुआ है और क्या सरकार इसकी जानकारी दे सकती है ?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : जैसा कि मैंने बताया कि लौह अयस्क का निर्यात हो रहा है और सरकार ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। लेकिन 1993-94 में किया गया आयात 1992-93 में किए गए आयात के मुकाबले कम है। अत: यह सही नहीं है कि बाहर से अधिक उत्पाद मंगाए जा रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता करने में सक्षम होंगे।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : उत्तर में देश में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने की महत्ता को बताया गया है और यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण और विस्तारण का कार्य शुरू किया गया है। मैं जानना चाहती हूं कि उस मामले में मंत्रालय द्वारा इस्को के लिए स्वीकृत आधुनिकीकरण योजना को क्यों नहीं शुरू किया गया है और इस्को द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धि पर मंत्रालय की निष्क्रियता के जरिए क्यों पानी फेरा जा रहा है ?

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, यह सही नहीं है कि हम इस्को का आधुनिकीकरण नहीं कर रहे हैं। कुछ सदस्यों के दरम्यान पहले से ही मतभेद है कि हम यह आधुनिकीकरण कार्य निजीक्षेत्र के साथ शुरू कर रहे हैं।

.....(व्यवधान).....

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : कार्यक्रम पर पहले ही सहमति हो गई थी। मैं 1988-89 में पहले ही आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर जताई गई सहमति के बारे में बात कर रही हूं। उसके बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री संतोष मोहन देव : मैं इतना ही कह सकता हूं कि जब हम योजना आयोग के पास गए थे, हमने 'इस्को' को 300 करोड़ रुपए तक आवंटित किए थे, पूरी धन राशि नहीं दी थी क्योंकि हम भी इस्को का कुछ आधुनिकीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन, अब हमारा मंत्रालय स्थायी समिति द्वारा दी गई एक रिपोर्ट का मूल्यांकन कर रही है जिसमें इस्को के आधुनिकीकरण के लिए अनेक तरीके सुझाए गए हैं। और मैं उनमें से अनेक के बारे में अभी अपने प्रतिक्रिया नहीं दे सकूंगा क्योंकि उनमें से अधिकांश को अभी विधि मंत्रालय के पास उसका मत जानने के लिए भेजा जाना है।

.....(व्यवधान).....

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : यह पहले ही बी. आई. एफ. आर. को भेजी जा चुकी है क्योंकि आप स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं।

.....(व्यवधान).....

श्री संतोष मोहन देव : जब तक विधि मंत्रालय की राय नहीं प्राप्त हो जाती मैं यह कहने की स्थिति में नहीं होऊंगा कि अंतिम परिणाम क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम स्थायी समिति द्वारा दिए गए हर एक प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहे हैं।

विद्युत उत्पादन

*** 510. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिये बड़ी मात्रा में उपलब्ध हाइड्रो और प्राकृतिक गैस संसाधनों के प्रयोग की कोई रूपरेखा तैयार की है;

(ख) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत उत्पादन और वितरण में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के लिये कोई नये तरीके ढूंढ निकालने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 60 प्रतिशत भार अनुपात पर 31,857 मे. वा. की कुल जल विद्युत आधारित विद्युत शक्यता का मूल्यांकन किया है। विभिन्न समुपयोजनों के लिए प्राकृतिक गैस का आबंटन, समुपयोजित प्राकृतिक गैस के अंतर्निहित आर्थिक मूल्यों (आई. ई. वी) पर आधारित है, बशर्ते कि उर्वरक और विद्युत क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। अब तक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 14 विद्युत परियोजनाओं के लिए गैस आवंटन के लिए सहमति दी जा चुकी है।

(ख) भारत सरकार की 1991 में आरंभ हुई निजी विद्युत नीति यह अपेक्षा करती है कि विद्युत

के उत्पादन और वितरण के निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ बढ़ाया जाए, जोकि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र समेत देश के सभी भागों में लागू होती है।

(ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में छः परियोजनाओं के लिए, अनुबंध में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निजी प्रवर्तकों द्वारा रुचि प्रकट किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अभिव्यक्त की गई रुचि का ब्यौरा निम्नवत है :

क्र. सं.	परियोजना/राज्य का नाम	क्षमता (मे. ल.)	अंतिम लागत अनुमान (करोड़ रुपये)	कम्पनी का नाम
1.	कामेंग एनईपी/अरूणाचल प्रदेश	600.00 (हाइडल)	1800.00	इन्टरकोर्प इण्डस्ट्रीज़ लि./ स्नोवी माउटेंस इंजीनीयरिंग (आस्ट्रेलिया)
2.	खारसांग जीबीपीपी/अरूणाचल प्रदेश	(गैस)	48.00	168.00 इन्टरकोर्प इण्स्ट्रीज लि./स्नोवी माउटेंस इंजीनीयरिंग (आस्ट्रेलिया)
3.	कारबी लांग्पी एचईपी/ (लोअर बारापानी) असम	100.00 (हाइडल)	300.00	भारत हाइड्रो पावर कारपोरेशन/ सुभाष प्रोजैक्ट्स एण्ड मार्केटिंग लि.
4.	अम्गुरी जीबीपीपी/असम	360.00 (गैस)	1280.00	नार्दर्न इंजीनीयरिंग इन्क., यू एस ए/ आगरा इण्डस्ट्रीज
5.	आदामटिल्ला ओपन साइकिल/असम	15.00 (गैस)	52.50	डीएलएफ पावर कम्पनी लि.
6.	बाशखण्डी ओपन साइकिल/असम	22.50 (गैस)	78.75	डीएलएफ पावर कम्पनी लि.

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि क्या केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिये बड़ी मात्रा में उपलब्ध हाइड्रो और प्राकृतिक गैस संसाधनों के प्रयोग की कोई रूपरेखा तैयार की है। परन्तु महोदय माननीय मंत्रीजी के उत्तर में रूपरेखा के निबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। मेरा कहना है कि हाइड्रोकार्बन संसाधनों कि संबंध में रीगर्स का पूर्वानुमान अनुमानतः तेल का 4 बिलियन टन और तटीय बेसिनः ऊपर असम और असम अराकन बैल्ट में तेल

के बराबर गैस है : इसका कुल हाइड्रो विद्युत सम्भावयता 60 प्रतिशत भार घटक पर लगभग 35,000 मेगावाट निकाली गई है। वित्तीय संसाधनों और संस्थागत अनुबन्ध की कमी के कारण संसाधनों के एक बड़े हिस्से का इष्टतम उपयोग किया जाना है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वित्तीय संसाधनों और संस्थागत अनुबन्धों की अनुपलब्धता को दूर करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं और क्या उपाय करना चाहती है ?

श्री पी॰ वी॰ रंगय्यानायडू : महोदय, यह सच है कि पूर्वोतर में हमारे यहां काफी अधिक हाइड्रो विद्युत सम्भावयता है। जैसा कि मैंने उत्तर में बताया है कि यह 60 प्रतिशत भार अनुपात पर लगभग 31,857 मेगावाट है। परन्तु हम इसकी पर्याप्त मात्रा नहीं कर सके हैं इसके लिये हाइड्रो विद्युत परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न समस्याऐं जैसे कि जल समस्या आप्लावन समस्या, विशेषत: पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्याप्त आप्लावन समस्या, उत्तरदायी हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना .....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न वित्तीय कोष के बारे में है आप इस उद्देश्य हेतु धनराशि कहां से लायेंगे ?

श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू : महोदय, धनराशि भी एक समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस उद्देश्य हेतु धन कहां से लायेंगे ?

श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू : हमें योजना आयोग के माध्यम से धन एकत्र करना होगा। योजना आयोग को धनराशि देनी होगी। इस समय, योजना आयोग हाइड्रो-विद्युत परियोजनाओं को इतनी बड़ी धन राशि देने की स्थिति में नहीं है। और हम इन्हें उचित समय में निजी क्षेत्र को सौंप सकते हैं। इससे पहले, मैं बता रहा हूँ कि .....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न है क्या आप धनराशि की व्यवस्था कर सकते हैं और कैसे?

विद्युत मंत्री (श्री एन॰ के॰ पी॰ साल्वे) : महोदय, यह हमारे लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र है और हमें सम्पूर्ण सम्भावयता को प्राप्त करना है। असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, नागालैण्ड और मणिपुर में 31,857 मेगावाट जल विद्युत शक्यता की मात्रा काफी अधिक है दो प्रश्न हैं। एक तो यह है कि सम्भवत: इसका सबसे अधिक (महत्त्वपूर्ण हिस्सा अत्यधिक अप्लावन के कारण व्यवहार्य नही है और अरुणाचल प्रदेश में 20,000 मेगावाट परियोजना से सम्भवत: सम्पूर्ण अरुणाचल में अप्लावन हो जायेगा। इसलिये समस्या यह है।

धनराशि की अत्यधिक कमी है। और धन प्राप्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह भी शायद निजी क्षेत्र के माध्यम से और यह मंत्रालय निजी क्षेत्र द्वारा धन प्राप्त कराने के लिये अपने अथक प्रयास करेगा।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : महोदय, उत्तर पूरा और संतोषजनक नहीं है।

मैं जानना चाहता हूँ क्या सरकार ट्रांसमीशन लाइनों को बिछाने और उनके रख-रखाव, जो कि अन्यथा पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्र में विशेष रूप से दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के विकास में बाधक हो सकता है, मैं निजी क्षेत्र को शामिल करना चाहती हूँ।

श्री एन॰ के॰ पी॰ साल्वे : मेरे विचार में, पिछले प्रश्न के उत्तर में मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आपने उत्तर दे दिया है। प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पासपोर्ट कार्यालय

***502. श्री छेदी पासवान :**

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) 1993–94 के दौरान पासपोर्ट कार्यालयों में प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों तथा लम्बित आवेदनों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) पासपोर्ट जारी करने में औसतन कितना समय लगता है ;

(ग) 1993–94 के दौरान निर्धारित समय सीमा के अन्दर राज्य–वार, कितने प्रतिशत पासपोर्ट जारी किये गये ;

(घ) पासपोर्ट आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ;

(ङ) पासपोर्ट कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के कार्य में राज्य–वार, क्या प्रगति हुई है ; और

(च) पासपोर्ट कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 1994–95 के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) से (च) 1993–94 के दौरान राज्य–वार प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों की संख्या तथा बकाया आवेदनों की संख्या से संबंधित सूचना विवरण I पर है। कार्यभार तथा कर्मचारियों जैसे विभिन्न कारकों की वजह से अलग-अलग पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा अलग–अलग समय लिया जाता है। पासपोर्ट कार्यालायों में पासपोर्ट जारी करने में लगने वाला समय विवरण II में देखा जा सकता है।

पासपोर्ट आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाना, पासपोर्ट पुस्तिकाओं की आपूर्ति में वृद्धि करना, उन्नत कार्यालय उपकरण मुहैया

कराना, उत्पादकता-आधारित प्रोत्साहन योजना लागू करना तथा पासपोर्ट जारी करने से संबंधित प्रक्रियाओं को सुचारु बनाना शामिल है। दिल्ली, बंगलौर तथा बम्बई स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। कोषीकोड़ और कोचीन में कार्य शुरू होने वाला है। हैदराबाद तथा मद्रास के संबंध में वित्तीय स्वीकृति के लिए प्राक्कलनों पर कार्रवाई की जा रही है। 1994-95 के दौरान अन्य 11 पासपोर्ट कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने का कार्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है। पासपोर्ट कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 1994-95 में 8 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

विवरण I

1993-94 के दौरान राज्यवार प्राप्त तथा लम्बित पासपोर्ट आवेदन पत्रों को दर्शाने वाला विवरण :

क्र॰ सं॰	राज्य	कार्यालय	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	31.3.94 की स्थिति के अनुसार कुल लम्बित	31.3.94 की स्थिति के अनुसार एक महीने से अधिक लम्बित
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्रा प्रदेश	हैदराबाद	187340	22359	13069
2.	असम	गुवाहाटी	8980	2728	1811
3.	बिहार	पटना	48395	43169	36863
4.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	71113	49536	37382
5.	दिल्ली	दिल्ली	125723	40886	13533
6.	गोवा	गोआ	16095	3181	210
7.	गुजरात	अहमदाबाद	112591	18589	16183
8.	कर्नाटक	बंगलौर	99026	35904	20948
9.	केरल	कोचीन, कोजीकोड़ तथा त्रिवेन्द्रम	426119	23598	9266
10.	मध्य प्रदेश	भोपाल	24604	3044	332
11.	महाराष्ट्र	बम्बई तथा नागपुर	233622	56250	34811
12.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	9637	1819	210

1	2	3	4	5	6
13.	पंजाब	जालन्धर	77129	60323	48247
14.	राजस्थान	जयपुर	67430	10577	2651
15.	तमिलनाडु	मद्रास और त्रिची	381997	53529	26369
16.	उत्तर-प्रदेश	बरेली और लखनऊ	190999	88376	76655
17.	पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता	41596	13941	3816
			2122396	527809	342356

विवरण II

प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय द्वारा आवेदन-पत्र पूर्ण होने पर लगने वाले समय को दर्शाने वाला विवरण :

क्र. सं.	कार्यालय	दिसम्बर, 92 में लिया गया समय	दिसम्बर, 93 में लिया गया समय	31.3.1994 के अनुसार लिया गया समय
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	105 दिन	90 दिन	80 दिन
2.	बंगलौर	28 दिन	97 दिन	73 दिन
3.	बरेली	70 दिन	39 दिन	49 दिन
4.	भोपाल	40 दिन	44 दिन	79 दिन
5.	भुवनेश्वर	60 दिन	65 दिन	44 दिन
6.	बम्बई	50 दिन	52 दिन	52 दिन
7.	कलकत्ता	90 दिन	37 दिन	30 दिन
8.	चण्डीगढ़	270 दिन	320 दिन	291 दिन
9.	कोचीन	180 दिन	56 दिन	48 दिन
10.	दिल्ली	70 दिन	45 दिन	24 दिन
11.	गोआ	40 दिन	32 दिन	32 दिन
12.	गुवाहाटी	60 दिन	32 दिन	28 दिन
13.	हैदराबाद	80 दिन	41 दिन	45 दिन

1	2	3	4	5
14.	जयपुर	240 दिन	37 दिन	44 दिन
15.	जालन्धर	270 दिन	235 दिन	106 दिन
16.	कोजीकोड़	330 दिन	66 दिन	66 दिन
17.	लखनऊ	180 दिन	107 दिन	114 दिन
18.	मद्रास	150 दिन	46 दिन	37 दिन
19.	नागपुर	28 दिन	32 दिन	35 दिन

इस्पात का उत्पादन और खपत

*** 504. श्री छीतूभाई गामीत** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ इस्पात संयंत्र 1992-93 और 1993-94 में अपने निर्धारित कार्य निष्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां । नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार हालाकि वर्ष 1992-93 और 1993-94 में "सेल" ने समग्र रूप से विक्रय इस्पात के अपने उत्पादन लक्ष्यों को पूरा किया था परन्तु दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी. एस. पी.) ("सेल" की एक इकाई), "इस्को" ("सेल" की एक सहायक कम्पनी) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (वी. एस. पी.) (सरकारी क्षेत्र का उपक्रम) अपने उत्पादन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सके :-

(इकाई : हजार टन)

संयंत्र	लक्ष्य	1992-93 वास्तविक	पूर्ति प्रतिशत	लक्ष्य	1993-94 वास्तविक	पूर्ति प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
भिलाई इस्पात संयंत्र	3040	3118	103	3100	3335	108
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	710	641	90	920	641	70
राउरकेला इस्पात संयंत्र	1080	1179	109	1130	1130	100
बोकारो इस्पात संयंत्र	2980	2999	101	3050	3205	105
"इस्को"	406	398	98	400	333	83
"सेल"	8216	8335	101	8600	8645	101
वी. एस. पी.	1520	879	58	2130	1184	56

(ख) उत्पादन लक्ष्यों को पूरा न कर पाने के कारण निम्नलिखित हैं :-

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

धमन भट्टी-1 तथा धमन भट्टी-4 की खराब हालत जिसकी वजह से तप्त धातु उत्पादन कम हुआ तथा अपरिष्कृत और विक्रेय इस्पात का उत्पादन भी कम हुआ, के कारण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र 1992-1993 में अपने उत्पादन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सका। 1993-94 में, उत्पादन लक्ष्यों में धमन भटटी-2 को जुलाई, 1993 तक चालू करने और धमन भटटी-1 की छिट-पुट मरम्मत की परिकल्पना की गई थी। तथापि, धमन भटटी-2 दिसम्बर, 1993 में ही चालू की जा सकी ओर इसे स्थिर करने में कुछ समय लग गया। धमन भटटी:1 जो मई, 1993 में अवधमन के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी, की मरम्मत में लगभग 7 माह का समय लग गया। फिर भी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने अपने सहायक संयंत्रों से अपनी बेलन मिलों के लिए आदानों के प्रावधानों से 1993-94 में विक्रय इस्पात के अपने उत्पादन के लक्ष्य का 70% प्राप्त कर लिया था।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी

1992-93 में "इस्को" इस्पात गलनशाला में प्रचालनात्मक समस्याएं आने के कारण अपने विक्रेय इस्पात के उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सका। 1993-94 में "इस्को" ने वाणिज्यिक दृष्टि से कच्चे लोहे के उत्पादन को तरजीह दी थी। धमन भटटी-3 में भी समस्याएं थीं जिनसे विक्रेय इस्पात के उत्पादन के लक्ष्य प्रभावित हुए।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (वी. एस. पी.)

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के संबंध में लक्ष्यों को पूरा न करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :-

(i) चूंकि संयंत्र अगस्त, 1992 में ही चालू किया गया है अत: इसकी विभिन्न इकाइयां स्थिरिकरण की प्रक्रिया में हैं

(ii) पहली बार नई प्रौद्योगिकियां अपनाए जाने के कारण कतिपय अप्रत्याशित समस्याएं आ रही थीं। वी. एस. पी. के पास इन समस्याओं के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित कार्मिक और सुविधाएं नहीं हैं।

(ग) स्थिति इस प्रकार है :-

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को 1994-95 के दौरान अपने उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने की आशा है क्योंकि भटटी-2 और। चालू हो गई हैं और तप्त धातु उत्पादन स्थिर हो गया है। आधुनिकीकरण की अधिकांश इकाइयों के वर्ष के दौरान प्रगामी रूप से चालू किए जाने की आशा है।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को)

"इस्को" अपने उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने में समस्याओं का सामना कर रहा है क्योंकि संयंत्र के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (वी. एस. पी.)

कन्वर्टरों और सतत ढलाई शालाओं में उत्पादन स्तर में सुधार करने के लिए वी. एस. पी. ने कई उपाय किए हैं इसके फलस्वरूप 1994-95 में उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिए जाने की आशा है।

खनन क्षेत्र

*** 505. श्री वी. श्री निवास प्रसाद :**

श्री तारा सिंह :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 मार्च, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फारेन फर्मस शाई अवे फ्रॉम माइनिंग सेक्टर" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है:

(ख) क्या भारतीय खनन क्षेत्र अन्य देशों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक और अर्थक्षम नही है: और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु इस क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक और अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने को प्रस्ताव हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

*** 509. श्री गुमान मल लोढा :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अन्य उद्योगों की तुलना में कम निवेश करके रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने की क्षमता है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में विशेषज्ञों की राय ली है :

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है: और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) जी, हां, ।

(ख) से (घ) : कृषि खाद्य उद्योगों पर योजना आयोग द्वारा गठित कार्य दल और भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद की अध्ययन रिपोर्ट से पता चलता है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बहुत कम निवेश करके बहुत अधिक रोजगार की संभावना है। इस क्षेत्र में पूजीं निवेश आकर्षित करने और इसके विकास को बढ़ाने के लिए सरकार ने निवेश के वातावरण को प्रेरक बनाने के वास्ते अनेक कदम उठाये हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं और उन्हें चलाया जा रहा है।

[अनुवाद]

इजरायल के विदेश उपमंत्री की भारत यात्रा

511. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजरायल के विदेश उपमंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस यात्रा के क्या उद्देश्य हैं ;

(ग) क्या इस यात्रा के दौरान कुछ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गयी ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले ;

(ङ) दोनों देशों के बीच संबंध को और मजबूत करने हेतु किन-किन नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है और इस संबंध में क्या अनुवर्ती कदम उठाए गए हैं ;

(च) क्या इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये ; और

(छ) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) इस्रायल के उप विदेश मंत्री डा. योसी बीलिन आधिकारिक विचार-विमर्श के लिए 29 मार्च से 5 अप्रैल, 1994 तक भारत की यात्रा पर आये थे और यह आधिकारिक विचार-विमर्श 3 अप्रैल, को विदेश राज्य मंत्री श्री आर. एल. भाटिया के साथ प्रतिनिधि मण्डल स्तर पर हुआ। इस्रायल के उप विदेश मंत्री ने 4 अप्रैल, 1994 को हमारे विदेश मंत्री से मुलाकात की। नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान डा. बीलिन बम्बई और जयपुर रुके तथा महाराष्ट्र और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्रियों से शिष्टाचार के नाते मुलाकात की।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) : दोनों पक्षों ने बूंद-बूंद से सिंचाई, शुष्क भूमि काश्त, बागवानी, पशु पालन तथा सौर-ऊर्जा के उपयोग जैसे क्षेत्रों में और अधिक सहयोग की सम्भावनाओं पर बल दिया।

(च) और (छ) : इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एक वायु-परिवहन करार सम्पन्न हुआ। इस करार में यह व्यवस्था है कि दोनों में से प्रत्येक पक्ष द्वारा नामित एअर-लाइन एक-दूसरे के देश में गंतव्यों की निर्धारित मार्गों पर निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय वायु-सेवाओं का प्रचालन कर सकती है। प्रत्येक नामित एअर-लाइन को प्रति सप्ताह अधिक से अधिक दो फेटे लगाने तथा प्रत्येक दिशा में अधिक से अधिक 500 यात्रियों को ले जाने का अधिकार होगा।

सड़कों और पत्तनों का निर्माण

*** 512. श्री॰ डी॰ वेंकटेश्वर राव :**

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने भारत में सड़कों और पत्तनों के निर्माण में निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई है,

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटेन के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल में भारत की यात्रा की थी और उनसे बातचीत की थी,

(ग) यदि हां, तो क्या ब्रिटेन के साथ इस संबंध में कोई समझौता किया गया है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) किन-किन राज्यों में ब्रिटेन के सहयोग से ये परियोजनाएं शुरू की जायेंगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और

(ख) जी हां। ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल ने फरवरी और अप्रैल, 1994 के दौरान भारत का दौरा किया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) स्थिति स्पष्ट कर पाना अभी संभव नहीं है क्योंकि यह विचार-विमर्श मुख्यत: जांच-पड़ताल विषयक था ।

[हिन्दी]

दूरदर्शन का प्रसारण क्षेत्र

*** 513. श्री राजेश कुमार : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन प्रसारण से अब तक बिहार और अन्य राज्यों के कितने जनजातीय लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या किसी सरकारी अथवा किसी अन्य एजेंसी ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि जनजातीय लोगों द्वारा ये कार्यक्रम पसंद किये जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण कराने का है ; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(ख) ऐसी विशिष्ट प्रकृति का कोई सर्वेक्षण अब तक नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ड) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

परिवहन परियोजनायें

*** 514. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या कुछ देशों ने 1992-93 और 1993-94 के दौरान भारत में जल-भूतल परिवहन के क्षेत्र में निवेश किया है,

(ख) यदि हां, तो किस-किस परियोजना में किस-किस देश ने किस-किस वर्ष निवेश किया,

(ग) क्या सिक्किम की परिवहन परियोजनाओं को विदेशों द्वारा वित्तपोषित किया जायेगा,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) और (ड) : प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व दूरसंचार सम्मेलन

***515. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:**

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में किसी विश्व दूरसंचार सम्मेलन में भाग लिया है,

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई,

(ग) भारत में विकसित दूरसंचार प्रौद्योगिकी को विकासशील देशों को हस्तांतरित करने के संबंध में उन देशों के साथ किन-किन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं, और

(घ) सम्मेलन के दौरान अन्य क्या-क्या निर्णय लिये गये ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां । संचार राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमण्डल ने 21 से 29 मार्च, 1994 तक ब्यूनस आयर्स, अर्जेण्टीना में आयोजित विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन (डब्ल्यू टी डी सी-94) में भाग लिया ।

(ख) सम्मेलन में दूरसंचार के विश्व-व्यापी विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, जिनमें निम्नलिखित मुद्दों का विशेष उल्लेख किया गया था :-

- 2000 ई. तथा उसके बाद, दूरसंचार के विकास संबंधी लक्ष्य एवं उद्देश्य,

- अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आई टी यू), जिनेवा, के दूरसंचार विकास क्षेत्र संबंधी कार्य-कलापोंके लिए कार्य अनसूची एवं दिशानिर्देश, और

- अत्यंत अल्प विकसित देशों (एल डी सी) के लिए विशेष कार्यक्रम ।

(ग) ऐसे किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। तथापि, भारतीय शिष्ठमण्डल ने विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी मसला उठाया जिसकी लगभग सभी विकासशील देशों ने सराहना की और एक समिति को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है कि वह सामर्थ्यपूर्ण शर्तों पर प्रौद्योगिकी को तत्काल हस्तांतरित करने के अर्थोपाय सुझाए।

(घ) सम्मेलन में एक "कार्य-योजना" अपनायी गई जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

- दूरसंचार विकास क्षेत्र के सदस्यों के बीच सहयोग संबंधी कार्यक्रम।

- विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने हेतु आई. टी. यू. द्वारा एक कार्य-योजना, और

- अत्यंत अल्प विकसित देशों (एल. डी. सी.) के लिए एक विशेष कार्यक्रम।

- इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित से संबंधित मुद्दों के अध्ययन के लिए सम्मेलन ने दो अध्ययन दलों का गठन करने का भी फैसला किया,

- दूरसंचार विकास संबंधी कार्य-योजनाएं एवं नीतियां,

- दूरसंचार नेटवर्कों तथा सेवाओं का विकास, सामंजस्य, प्रबंधन एवं अनुरक्षण ।

फ्रांस के विदेश मंत्री की भारत यात्रा

***516. श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या फ्रांस के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा के दौरान किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये ;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ड) क्या वार्ता में कश्मीर मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी ; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री : श्री सलमान खुर्शीद : (क) से (च) फ्रांस के विदेश मंत्री श्री एलैन जुप्पे ने 3 से 5 अप्रैल, 1994 तक भारत की यात्रा की । पिछले पाँच वर्षों से भी अधिक अवधि में फ्रांस से विदेश मंत्री स्तर की यह पहली यात्रा थी । श्री जुप्पे ने प्रधान मंत्री से मुलाकात की, विदेश मंत्री के साथ बातचीत की और वित्त मंत्री, गृह मंत्री और विद्युत मंत्री के साथ अलग-अलग बैठकें की । उन्होंने भारतीय उद्योग महासंघ द्वारा आयोजित मध्याह्न भोज के अवसर पर भारतीय व्यवसाय समुदाय को भी सम्बोधित किया ।

2. भारतीय नेताओं के साथ श्री जुप्पे की बैठकों में जिन मुख्य मसलों पर विचार-विमर्श हुआ उनमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलू, विशेषकर द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को गहन बनाना, जम्मू एवं कश्मीर की स्थिति विदेशों से प्रायोजित आतंकवाद की वजह से भारत को पेश आ रही समस्याएं, भारत-पाक संबंध, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था से संबद्ध मसले और अप्रसार संबंधी मसला शामिल था ।

3. श्री जुप्पे ने फ्रांस की सरकार की इस इच्छा की पुष्टि की कि भारत के साथ संबंध प्रगाढ़ किए जाएंगे और उन्हें नया प्रोत्साहन दिया जाएगा उन्होंने फ्रांस की कम्पनियों की इस तत्परता से अवगत कराया कि वे भारत के आर्थिक सुधारों द्वारा उत्पन्न नए अवसरों का लाभ उठाते हुए भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहती है । इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि ये कम्पनियां चाहती हैं कि फ्रांस के पूंजी-निवेशों के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने के वास्ते एक द्विपक्षीय निवेश संरक्षण करार सम्पन्न किया जाय । द्विपक्षीय आर्थिक संबंध बढ़ाने के उद्देश्य से फ्रांस के व्यापार एवं उद्योग

मंत्री भारत-फ्रांस संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में भारत आएंगे और फ्रांस का एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी 1994 के अन्त में भारत आएगा । श्री जुप्पे ने यह बताया कि फ्रांस की सरकार 1994 के लिए एक वित्तीय प्रोतोकोल सम्पन्न करने की तैयार है जिसके उपयोग के लिए उपयुक्त परियोजना तय की जा सकती है । दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में त्वरक के रूप में कार्य करने के लिए एक भारत-फ्रांस मंच गठित किया जाए ।

4. इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं किया गया ।

5. श्री जुप्पे को कश्मीर मसले के बारे में भारत की अवधारणाओं और चिन्ताओं के संबंध में जानकारी दी गई जिसमें जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान का समर्थन शामिल था जिससे उस राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने में बाधा आ रही है । श्री जुप्पे ने इस बात की पुष्टि की कि फ्रांस भारत-पाक के बीच सभी मसलों का समाधान द्विपक्षीय बातचीत के जरिए करने की प्रक्रिया का समर्थन करता है और उन्होंने बताया कि फ्रांस कश्मीर मसले को अन्तर्राष्ट्रीय बनाने के विरुद्ध है । उन्होंने कहा कि फ्रांस आतंकवाद और बाहरी हस्तक्षेप की भर्त्सना करता है और मानवाधिकार संबंधी पारदर्शिता तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित करके सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने की भारत की नीति की सराहना करता है ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी उद्योग

***517. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन के विशेषज्ञ गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी भारतीय उद्योग की रूगणता की जांच कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन क्षेत्रों में खाद्य और कृषि संगठन की विशेषज्ञता का उपयोग किया जा रहा है ; और

(ग) इसके क्या निषकर्ष निकले हैं ;

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) और (ख): जी हां,। भारत में गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के प्रोत्साहन योग्य और व्यवहार्य प्रचालन के लिए अवसरों का पता लगाने हेतु खाद्य और कृषि संगठन के एक परामर्शदाता द्वारा अध्ययन किया गया था ।

(ग) कृषि और खाद्य संगठन के परामर्शदाता के जांच परिणामों की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गयी हैं ।

विवरण

खाद्य एवं कृषि संगठन के परामर्शदाता द्वारा भारत में किए गए गहन समुद्री मत्स्यन विकास संबंधी अध्ययन की रिपोर्ट के निष्कर्षों की मुख्य विशेषताएं ।

(1) भारतीय गहन समुद्री मत्स्यन बेड़े के पास अपने मत्स्यन कार्यों को जारी रखने तथा विविधीकरण की तकनीकी तथा प्रबंधकीय क्षमता है ।

(2) गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों द्वारा 1,64,000 टन उपलब्ध मात्स्यिकी संसाधनों का वार्षिक दोहन किया जा सकता है जिसका निर्यात मूल्य लगभग 280 मिलियन अमरीकी डालर है ।

(3) कारगर मात्स्यिकी प्रबंधन के लिए क्रमिक और चरणबद्ध ढंग से गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों की पुन: तैनाती तथा मछली पकड़ने के आंकड़े इकट्ठे करना जरूरी है ।

(4) विविधीकृत मत्स्यन कार्यों को वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के लिए तीन प्रकार के ड्रेमोसट्रेशन वाणिज्यिक मत्स्यन अर्थात् आर्सनिक पेलाजिक लॉंग लाइनिंग, गहन समुद्र में ट्रालिंग, डीमर्सल लाइनिंग एंड ट्रेपिंग शुरू किये जाने चाहिए ।

(5) विविधीकृत मत्स्यन कार्यों के लिए गहन समुद्री मत्स्यन उद्योग को प्रोत्साहन तथा ऋण सुविधाएं दी जानी चाहिए ।

[हिन्दी]

पोत लदान क्षमता

***518. श्री सत्यदेव सिंह :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पोत लदान क्षमता का लगातार ह्रास हो रहा है,

(ख) 1991-92 की तुलना में 1992-93 के दौरान भारतीय नौवहन निगम के पोतों ने कितने टन सामान की ढुलाई की; और

(ग) 1991-92 की तुलना में 1992-93 में भारतीय नौवहन निगम ने कितना लाभ अर्जित किया ।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) भारतीय नौवहन निगम लि० ने वर्ष 1992-93 के दौरान 384.37 लाख रैवेन्यू टन की ढुलाई की जबकि 1991-92 में इनके द्वारा 378.87 लाख रैवेन्यू टन की ढुलाई की गई थी।

(ग) भारतीय नौवहन निगम ने वर्ष 1992-93 के दौरान 143.18 करोड रू का लाभ अर्जित किया है जबकि 1991-92 में लाभ 108.86 करोड रू था ।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में गैर-सरकारी भागीदारी

***519. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिये विद्युत क्षेत्र में "प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली लगाना" आरम्भ करने का हाल ही में निर्णय लिया है;

(ख) क्या इस प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली से विद्युत क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विद्युत परियोजनाओं में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी हेतु इस समय विचाराधीन भारतीय और विदेशी प्रस्तावों पर पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री एन. कें. पी. साल्वे) : (क) निजी प्रवर्तकों को विद्युत परियोजनाएं सौंपा जाना राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है । राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वह निजी प्रवर्तकों को विद्युत परियोजनाएं सौंपे जाने के संबंध में "प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली लगाने" की पद्धति की शुरूआत किए जाने पर विचार करें ।

(ख और ग) राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को "प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली" के तहत विद्युत संयंत्र सौंपे जाने का प्रस्ताव, इस तरह के प्रस्तावों को अधिक आकर्षक बनाए जाने के बजाए, प्रक्रिया में अधिक सुस्पष्टता लाने के लिए है ।

(घ) अभी तक लगभग 1,04,152 करोड़ रुपए की लागत से 32,662 मे. वा. की कुल अधिष्ठापित क्षमता की 75 विद्युत परियोजनाएं निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 35 प्रस्ताव, लगभग 73,386 करोड़ रुपए की लागत पर 22,432 मे. वा. की क्षमता अभिवृद्धि के लिए, विदेशी निवेशकर्ताओं (एन. आर. आई. और संयुक्त उद्यम प्रस्तावों सहित) से प्राप्त हुए हैं । इन 75 प्रस्तावों में से 35 प्रस्ताव, लगभग 20,330 करोड़ रुपए की लागत पर 7019 मे. वा. की क्षमता अभिवृद्धि के लिए भारतीय निवेशकर्ताओं से प्राप्त हुए हैं। शेष 5 प्रस्तावों को 3210 मे. वा. की क्षमता अभिवृद्धि के लिए बोली द्वारा सौंपे जाने का प्रस्ताव है।

***520. श्री पी॰ पी॰ कलियापेरूमल** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया विकास बैंक ने मद्रास को कन्याकुमारी से जोड़ने वाली ईस्ट कोस्ट रोड परियोजना की पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस परियोजना के क्रियान्वयन के साथ पर्यावरणीय मुद्दों को शामिल कर लिया गया है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ङ): एक विवरण संलग्न है।

विवरण

संविधानिक दृष्टि से केन्द्र सरकार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और उनके रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है और अन्य सभी सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं । ईस्ट कोस्ट रोड़ एक राज्यीय सड़क होने के कारण तमिलनाडु राज्य सरकार इसके विकास के लिए मूलत: जिम्मेदार है । इस बारे में राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना नीचे दी गई है :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : जी हां । पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ईस्ट कोस्ट रोड़ के मद्रास-कुड्डालूर खंड के लिए पर्यावरणीय अनुमति दे दी है । इसे एशियाई विकास बैंक ऋण सहायता से विकसित किया जा रहा है ।

(ङ) कार्य में वास्तविक प्रगति 30% हुई है ।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पद

5619. श्री संजय लाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टलीफोन निगम लिमिटेड में तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद पिछले काफी समय से नहीं भरे गए हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने पर विचार किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां, पैरा (ख) के उत्तर में यथा उल्लिखित रिक्तियां काफी समय से नही भरी गई हैं ।

(ख) अनुसूचित जनजाति के काफी समय से न भरे गए (बैंक लाग) पदों के श्रेणीवार ब्यौरे निम्नलिखित है :

श्रेणी	संख्या
समूह "ग"	550
समूह "घ"	683

चूंकि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे, अत: ये पद काफी समय से भरे

नहीं गये हैं।

(ग) अनुसूचित जनजाति के लिए काफी समय से न भरी गई आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(i) जहां यूनिट के अन्तर्गत उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, उन मामलों में अन्य दूरसंचार यूनिटों से इच्छुक उम्मीदवारों की मांग की गई है ।

(ii) अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उपर्युक्त कर्मचारी चयन आयोगों तथा रोजगार कार्यालयों से भी सम्पर्क किया गया है ।

(iii) जहां रोजगार कार्यालयों ने "अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र" दे दिया है, उन मामलों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के "बैकलाग" को भरने हेतु समाचार-पत्रों में खुले विज्ञापन जारी किए गए हैं ।

टिन-प्लेट का उत्पादन

5620. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टिन-प्लेट का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) भारत की टिन-प्लेट की प्रति वर्ष कुल मांग कितनी है;

(ग) क्या देश में टिन-प्लेट के मौजूदा उत्पादन से मांग और आपूर्ति का अंतर समाप्त नहीं हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो टिन-प्लेट की मांग और आपूर्ति में अन्तर को पाटने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) देश में वर्ष 1993-94 के दौरान टिन प्लेट का कुल उत्पादन 92,000 टन (अन्तिम) हुआ था ।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान टिन प्लेट की कुल वार्षिक आवश्यकता 2,60,000 टन आंकी गई थी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) टिन प्लेट को निर्बाध रूप से आयात करने की अनुमति है । टिन प्लेट पर आयात शुल्क को 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है । टिन मिल ब्लैक प्लेट जो टिन प्लेट के लिए कच्चा माल है, पर से भी आयात शुल्क को 35 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है । वर्ष 1994-95 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) टिन प्लेट के उत्पादन को बढ़ाने की योजना बना रहा है ।

बंगलादेश से होकर जाने वाला परिवहन कारिडोर

5621. श्री सनत कुमार मुंडल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से योजना आयोग की समिति की सिफारिशों के आधार पर मुख्य भूमि से कटे हुए पूर्वोत्तर राज्य के आर्थिक विकास हेतु बंग्लादेश से होकर एक "ट्रांसपोर्ट कारिडोर" खोलने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव पर बंग्लादेश सरकार से बात की थी; और

(ग) यदि हां, तो बंग्लादेश की इस पर क्यां प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) जी, हां । त्रिपुरा की सरकार ने इस संदर्भ में भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि चीजों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहुंचाने की उपर्युक्त सुविधा मांगने के सवाल को वह बंग्लादेश की सरकार के साथ उठाये ।

(ख) जी, हां,

(ग) अभी तक बंग्लादेश की सरकार ने हमारे प्रस्तावों पर रचनात्मक प्रक्रिया व्यक्त नहीं की है ।

[हिन्दी]

दिल्ली में बैंक ड्राफ्टों की चोरी

5622. श्री बारे लाल जाटव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के डाक घरों से बैंक ड्राफ्टों की चोरी के लिए जिम्मेदार एक गैंग का हाल ही में मार्च, 1994 के तीसरे सप्ताह में भंडाफोड़ हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई / अथवा करने का विचार किया जा रहा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी हाँ । कमला मार्किट पुलिस थाने ने दिनांक 9.3.94 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की तथा डाकघर से बैंक ड्राफ्ट चुराने के मामले में कथित रूप से शामिल होने के कारण एक बाहरी व्यक्ति श्री मनोज कुमार दिनांक 9.3.94 को और नई दिल्ली छंटाई डिवीजन के विभागीय कर्मचारी श्री नरेन्द्र कुमार को दिनांक 12.3.94 को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है । पुलिस ने 22,162.00 रु॰ के ड्राफ्ट भी बरामद किए ।

(ग) श्री नरेन्द्र कुमार को उनकी गिरफ्तारी की तारीख से निलंबित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध संबंधित अनुशासनिक नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई आरंभ करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं । यह कार्रवाई उस आपराधिक मामले के अतिरिक्त है, जिसे पुलिस ने इसमें शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया है ।

[अनुवाद]

मीडिया के लोगों को हटाया जाना

5623. श्री राम नाईक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 22 मार्च, 1994 को अमरीकी सहायक सचिव के आगमन के समय इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के वी. आई. पी. लांज से मीडिया के लोगों को हटा दिया गया था;

(ख) क्या हटाने का यह काम विदेश मंत्रालय के निर्देश पर किया गया था , और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) सरकार को इस घटना से संबंधित खबरों की जानकारी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दूरदर्शन के सांस्कृतिक कार्यक्रम

5624. श्री बापू हरि चौरे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) दूरदर्शन द्वारा गत दो वर्षों के दौरान कुल कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित किये गये ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि देश की कला और संस्कृति को जिस ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है उससे काफी कलाकार हताशा महसूस कर रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संबंध में अपनी नीति की समीक्षा करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) दूरदर्शन द्वारा ऐसे ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) और (ग) : जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

औद्योगिक क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं

5625. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार घने औद्योगिक क्षेत्रों और गैर-सरकारी क्षेत्रों को दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने में राज्य सरकारों को शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और ख) : राज्य सरकारें जिन स्थानों पर औद्योगिक केन्द्र तथा आवासीय कालोनियां स्थापित करती हैं, वहां वे अपना दूरसंचार नेटवर्क स्थापित कर सकती हैं, बशर्ते कि उन्हें दूरसंचार विभाग को इस प्रयोजन से स्वीकृति प्राप्त हो । इस प्रकार के नेटवर्कों को जंकशन लाइनों के माध्यम से सार्वजनिक नेटवर्क के साथ संयोज्यता प्रदान की जा सकती है ।

[अनुवाद]

हज सलाहकार बोर्ड

5626. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय हज सलाहकार बोर्ड बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) पिछली बार इस बोर्ड का गठन कब किया गया था, इसका कार्यकाल कितना था और इसके कौन-कौन से सदस्य थे ;

(ग) क्या 1993 में हज समिति ने वार्षिक हज सम्मेलन आयोजित किया था ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गई और इसमें क्या सुझाव दिए गये ; और

(ङ) क्या हज समिति और सरकार ने इन सिफारिशों और सुझावों पर विचार किया है और इन्हें स्वीकार किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) और (ख) : केन्द्रीय हज सलाहकार बोर्ड एक गैर-सांविधिक निकाय था जिसका गठन हज तथा हिजरत से संबंधित मामलों पर देश के गणमान्य मुसलमानों के विचारों का पता लगाने के लिए किया गया था। विगत में इसका गठन नवम्बर, 1987 में एक वर्ष के सामान्य कार्यकाल के लिए किया गया था, केन्द्रीय हज सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। केन्द्रीय हज सलाहकार बोर्ड का गठन एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है और विदेश मंत्रालय में हज कार्य का प्रभारी संयुक्त सचिव उस बोर्ड का पदेन सचिव तथा संयोजक होता है । नवम्बर, 1987 में गठित केन्द्रीय हज सलाहकार बोर्ड में 38 सदस्य थे और इसमें राज्य हज समितियों के सदस्य तथा कुछ संसद सदस्य और प्रख्यात व्यक्ति शामिल थे ।

(ग) से (ङ) : हज समिति ने बम्बई में 1 अक्तूबर, 1993 में वार्षिक हज सम्मेलन का आयोजन किया था । हज समिति द्वारा की गई सिफारिशों और सुझावों का संबंध मुख्यत: भारत तथा सऊदी अरब में हज प्रबन्धों को बेहतर बनाने से था । इनमें ये सुझाव थे-भवन को किराये पर लेने वाले प्रतिनिधिमण्डल तथा भवन का चुनाव करने वाले दल को शीघ्र समय रहते भेजा जाये, विमान द्वारा

यात्रियों को लाने-ले जाने से सम्बधित प्रबन्ध, रवानगी स्थलों की संख्या में वृद्धि करना, हज यात्राओं के लिए जहाज की उपलब्धता जारी रखना, भारत के प्रधान कोंसलावास, जद्दा को भेजे जाने वाली चिकित्सा और प्रशासनिक टुकड़ियों के कार्मिकों की संख्या में वृद्धि करना, हाजियों को विदेशी मुद्रा के रूप में 4600 अथवा 5500 सऊदी रियाल प्राप्त करने का विकल्प देना, सऊदी अरब में हाजियों के लिए वातानुकूलित बसों का प्रयोग जारी रखना तथा हज-हाउस का शीघ्र शुरू करना । वार्षिक हज सम्मेलन द्वारा दिए गए सुझावों की विस्तार से जांच की जाती रही है और व्यवहार्यता तथा आवश्यकता के अनुरूप इन पर बराबर अमल किया जाता रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में आम प्रसंस्करण एकल

5627. श्री धर्मभिक्षम : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आम के निर्यात के लिए विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं अथवा देने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : आयकर अधिनियम और सरकार की आयात निर्यात नीति के अंतर्गत उपलब्ध रियायतों के अलावा कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेड़ा) और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा आम समेत कृषि तथा प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात के लिए विशेषीकृत परिवहन की खरीद, प्री-कूलिंग स्टेशनों की स्थापना, मशीनीकृत फसलोत्तर हेडलिंग सुविधाओं, परीक्षण प्रचार आदि जैसी ट्रीटमेंट सुविधाओं के लिए सहायता दी जाती है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वेपर हीटिंग ट्रीटमेंट सुविधाओं की भंडारण स्थापना प्री-कूलिंग आदि जैसी फसलोत्तोर प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए भी सहायता देता है । ये प्रोत्साहन आंध्र प्रदेश से आम निर्यात के लिए भी दिए जाते हैं ।

[हिन्दी]

दलहन का प्रसंस्करण करने वाले कारखाने

5628. श्री एन. जे. राठवा :

श्री प्रेम चन्द राम :

क्या खाद्य **प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार तथा गुजरात में, विशेषता से आदिवासी जिलों में गत तीन वर्षों के दौरान दलहन का प्रसंस्करण करने वाले कारखाने लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ऐसे कारखाने लगाने के लिए राष्ट्रीय दलहन विकास योजना के अंतर्गत पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किए गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) और (ख) सूचना संबंधित राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ) : केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के तहत दाल प्रतिसर और भंडारण के लिए वर्ष 1994-95 के लिए 69 लाख रु० का प्रावधान किया गया है ।

[अनुवाद]

असम में सड़कें

5629. श्री नुरूल इस्लाम : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के धुबरी, बाड़पेडी और गोलपाड़ा जिलों में खतरनाक घुमावदार सड़क (ब्लैकलोप्ड सड़क) की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई कितनी है;

(ग) क्या ये सड़कें यातायात के लिए उपयुक्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) : भारत सरकार मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है । असम के धुबरी, बारापेटा और गोलापाड़ा जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई लगभग 260 कि. मी. है । उपलब्ध निधियों के अंतर्गत इन्हें यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है ।

विद्युत क्षेत्र में जर्मनी का सहयोग

5630. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास जर्मनी के सहयोग से कुछ और विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) किन-किन राज्यों में इन विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जाएगी, और

(ग) इन विद्युत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ख) : जर्मनी की सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य/क्रियान्वयन एजेंसी	क्षमता (मे. वा.)
1.	नागार्जुन टेल पॉण्ड डैम पावर हाऊस	आन्ध्र प्रदेश	2 × 25 = 50
2.	सिंगूर जल विद्युत स्कीम	आन्ध्र प्रदेश	2 × 7.5 = 15
3.	कोयना, मचकुण्ड, हीराकुंड यूनिट 3 व 4 की जल विद्युत परियोजनाओं का नवीकरण एवं सुधार	विद्युत वित्त निगम	-
4.	पारली, भुसावल, चन्द्रपुर और दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि. ताप विद्युत्त स्कीमों हेतु पर्यावरण सम्बन्धी सुधार परियोजना	विद्युत वित्त निगम	-
5.	चन्द्रपुर कोयला दहन केन्द्र की पुनः स्थापना	विद्युत वित्त निगम	

इसके अतिरिक्त रिटरोफिटिंग शुष्क राख एकत्रण प्रणाली आदि के प्रयोजन हेतु जर्मनी के सहयोग से निर्मित एन टी पी सी की निम्नलिखित परियोजनाओं की अनहारित विदेशी सहायता के समुपयोजन के लिए एक प्रस्ताव रखा गया है :

1. सिंगरौली एस. टी. पी. पी. चरण-2
2. कोरबा एस. टी. पी. पी. चरण-2
3. रामागुण्डम एस. टी. पी. पी. चरण-2
4. फरक्का एस. टी. पी. पी. चरण-2

कर्नाटक में आकाशवाणी केन्द्र

5631. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में कितने पूर्ण सुविधा प्राप्त आकाशवाणी केन्द्र, रिले केन्द्र और सहायक केन्द्र हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन आकाशवाणी केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) आठवीं योजना के दौरान कनार्टक में आकाशवाणी की प्रसारण सेवा के विस्तार का कोई विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) कर्नाटक राज्य में 12 पूर्ण विकसित आकाशवाणी केन्द्र हैं ।

(ख) और (ग) : जी, हां । गुलबर्गा में मौजूदा 10 कि. वा. मी. वे. ट्रांसमीटर का उन्नयन कर 20 कि. वा. मी. वे. किया जा रहा है ।

(घ) आठवीं योजना के दौरान कर्नाटक में आकाशवाणी सेवाओं के विस्तार के लिए निम्नलिखित योजनाएं आरंभ की गई हैं :-

	स्थान	स्कीमें
1.	बीजापुर	2 × 3 कि. वा. एफ. एम. ट्रासमीटर, एम. पी. स्टूडियो सहित स्थानीय रेडियो केंद्र
2.	बंगलौर	बाहरी सेवाओं के लिए 4 × 500 कि. वा. शा. वे. ट्रांसमीटर का प्रावधान ।
3.	गुलबर्गा	10 कि. वा. मी. वे. ट्रांसमीटर के स्थान पर 20 कि. वा. मी. वे. ट्रांसमीटर ।
4.	बंगलौर	स्टीरियो ट्रांसमीशन के लिए 2 × 5 कि. वा. एफ. एम. ट्रांसमिशन ।

दिल्ली में टेलीफोन बिल

5632. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के टेलीफोन उपभोक्ताओं को उनके टेलीफोन बिल समय पर नहीं प्राप्त होते हैं और कभी-कभी उन्हें बिल दिये ही नहीं जाते हैं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) दिल्ली टेलीफोन्स डाक द्वारा प्रतिमाह लगभग 3.5 लाख बिल जारी करता है । कुछ ऐसे मामले हुए हैं जब उपभोक्ता ने टेलीफोन बिलों के प्राप्त न होने या उनके बिलंब से मिलने की शिकायत की है ।

(ख) किसी उपभोक्ता द्वारा टेलीफोन बिल प्राप्त न किए जाने के मामले में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं :-

(i) प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में स्थित ग्राहक सेवा केन्द्रों से नि:शुल्क डुप्लीकेट बिल प्राप्त किया जा सकता है ।

(ii) अधूरा पता या किसी अन्य कारण से टेलीफोन बिल प्राप्त न होने का कोई मामला ध्यान में आने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है ।

(iii) टेलीफोन बिल जारी करने में विलम्ब होने पर भुगतान की तारीख को उपयुक्त प्रकार से बढ़ा दिया जाता है ।

पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों को वीसा

5633. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग ने बैसाखी के अवसर पर पाकिस्तान के गुरूद्वारों की यात्रा करने के लिए कितने भारतीय तीर्थयात्रियों को वीसा दिया;

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष बैसाखी के अवसर पर इन गुरूद्वारों की यात्रा करने के लिए जिन 3,000 भारतीय तीर्थयात्रियों ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को आवेदन दिया था उनमें से लगभग 1,100 तीर्थयात्रियों को बिना कोई कारण बताए वीसा नहीं दिया गया :

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या भारतीय सिख संगठन ने इस मामले में सहायता के लिए उनके मंत्रालय से सम्पर्क किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस मामले पर पाकिस्तान सरकार / दिल्ली स्थित उच्चायोग से चर्चा की गई थी ; और

(च) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (च) : धार्मिक यात्राओं के संबंध में 1974 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच सम्पन्न प्रोतोकोल के अनुसरण में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर सहमति हुई थी कि हर वर्ष वैशाखी के अवसर पर 3000 यात्रियों को पाकिस्तान में विशिष्ट गुरूद्वारों के दर्शनों के लिए पाकिस्तान की यात्रा की अनुमति दी जाएगी । सरकार को इस बात की जानकारी है कि वैशाखी के अवसर पर क्रमशः 1992, 1993 तथा 1994 के दौरान 2925, 2049 तथा 1915 यात्री अटारी सीमा चौकी के माध्यम से पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे।

नई दिल्ली स्थिति पाकिस्तान के हाई कमीशन से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह पाकिस्तान में स्थित गुरूद्वारों के दर्शनों के सिलसिले में भारतीय राष्ट्रिकों को दिए गए वीजाओं की संख्या के बारे में विस्तृत सूचना सरकार को दे । तथापि, पाकिस्तान के हाई कमीशन ने 11 अप्रैल, 1994 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह दावा किया था कि "वीजा नीति के अनुसार" जिसकी जानकारी भारत की सरकार को है, पाकिस्तान की यात्रा के इच्छुक भारतीय यात्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी तीर्थयात्रा शुरू होने से छह सप्ताह पहले अपने आवेदन प्रस्तुत करें और चूंकि इस वर्ष वैशाखी के सिलसिले में पाकिस्तान की यात्रा करने के इच्छुक भारतीय यात्रियों द्वारा यह अपेक्षा पूरी नहीं की गई थी इसलिए वह केवल 1969 वीजा ही दे पाया ।

सरकार यह बात स्पष्ट करेगी कि पाकिस्तान हाई कमीशन की यह दलील स्वीकार्य नहीं है। सरकार ने इसकी ओर राजनयिक माध्यमों के जरिए पाकिस्तानी प्राधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया है । सरकार ने इस बात पर भी अपना खेद व्यक्त किया है कि इस वर्ष वैशाखी के लिए पाकिस्तान द्वारा केवल 1969 यात्रियों को ही वीजा-सुविधायें दी गई थी ।

हाल के वर्षों में पाकिस्तान अलग-अलग बहाने बना कर धार्मिक स्थलों की यात्राओं से सम्बद्ध प्रोतोकोल के आधीन अपनी वचनबद्धतायें पूरी करने में टालमटोल करता रहा है । इस संबंध में पाकिस्तान के नकारात्मक रवैये से दोनों देशों में एक-दूसरे के यहां स्थित ऐतिहासिक तथा पवित्र धार्मिक स्थलों के प्रति इन देशों के विभिन्न समुदायों की भावनाओं और आस्था पर चोट पहुंची है और इससे भारत तथा पाकिस्तान के बीच लोगों से लोगों के बीच सम्पर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

तांबे की खानें

5634. प्रो॰ एम॰ कामरान : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) देश में तांबे की खानें कहां-कहां हैं ;

(ख) इन खानों से प्रति वर्ष कितने तांबे का खनन किया जाता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार तांबे के खनन में लागत को कम करने हेतु उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान बन्द की गई तांबे की खानों का ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) हिन्दुस्तान कापर लि. (एच. सी. एल.), जो केन्द्र सरकार का उपक्रम है और हट्टी गोल्ड माइन्स कम्पनी लि. (एच. जी. एम. एल) जो कर्नाटक राज्य सरकार का उपक्रम है/ निम्नलिखित तांबा खानों का प्रचालन कर रही हैं :-

एच. सी. एल. देश में	1.	खेतड़ी	राजस्थान
	2.	कोलिहान	राजस्थान
	3.	चांदमारी	राजस्थान
	4.	दरीबा	राजस्थान
	5.	मोसाबोनी	बिहार
	6.	पाथरगोरा	बिहार
	7.	सुरदा	बिहार
	8.	केंडाडीह	बिहार
	9.	राखा	बिहार
	10.	मलंजखंड ताम्र परियोजना	मध्य प्रदेश
एच. जी. एम. एल.	1.	चित्रदुर्गा	कर्नाटक
	2.	कल्याडी	कर्नाटक

उक्त खानों के अलावा, सिक्किम खनन निगम (एस. एम. सी.) जो सिक्किम सरकार और भारत सरकार

का संयुक्त उद्यम है, भी भोटांग (सिक्किम) स्थित अपनी खान से खनन किए गए पोलिमेटलिक अयस्क से तांबा सांद्र (कंसट्रेंट) का उत्पादन करती है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में हिन्दुस्तान कापर लि. द्वारा उत्पादित शुद्ध तांबा (कैथोड) निम्न प्रकार है :-

	(टन में)
	कैथोड
1991-92	45495
1992-93	45275
1993-94	39002 (अनंतिम)

इसमें एच. जी. एम. एल. और एस. एम. सी. से प्राप्त तांबा सांद्र से उत्पादित तांबा शामिल है क्योंकि उनके पास स्मैल्टिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) एच. सी. एल. और एच. जी. एम. एल. की तांबा खानें कुल मिलाकर यंत्रीकृत हैं । एच. सी. एल. ने एक प्लान तैयार किया है जिसमें खेतड़ी में आयातित उच्च ग्रेड फीड स्टाक कापर कंसट्रेट पर आधारित स्मेल्टिंग क्षमता का 31,000 टन से 1,00,000 टन तक विस्तार, जनशक्ति को तर्कसंगत बनाना, कंपनी की पूंजी का पुनर्गठन, आशाप्रद खानों का विकास, आदि शामिल है । इस रिवैम्पिंग प्लान के कार्यान्वित होने पर एच. सी. एल. द्वारा तांबा उत्पादन की लागत प्रभावी होगी।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में कोई तांबा खान बंद नहीं की गई है ।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक

5635. श्री मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान हिंदुओं के कथित बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के संबंध में पाकिस्तानी मासिक के मार्च, 1994 अंक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार को पाकिस्तान में विशेषत: सिन्ध क्षेत्र में हिन्दुओं सहित अल्पसंख्यकों के कष्टों के बारे में जानकारी है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारी संख्या में हिन्दुओं सहित अल्पसंख्यक लोग सिंध से निकल कर भारत आना चाहते हैं ;

(घ) क्या सरकार ने हिन्दुओं सहित अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार को कम करने के लिए कूटनीतिक स्तर पर कोई कार्यवाही की है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों, जिनमें हिन्दू भी शामिल हैं, के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है और उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है ।

(ग) ऐसी बहुत कम घटनायें हैं जिनमें सिंध के हिन्दू समुदाय के लोगों ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करके भारत में आने का प्रयास किया हो ।

(घ) और (ङ) सरकार का बराबर यह विचार रहा है कि यह पाकिस्तान की सरकार का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों जिनमें अल्प-संख्यक समुदाय के नागरिक भी शामिल हैं, के अधिकारों की रक्षा करे ।

उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

5636. श्री अनादि चरण दास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विद्यमान टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ग) उड़ीसा में जिला-वार विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां ।

(ख) 8 वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में यह परिकल्पना की गई है कि इस योजनावधि के अंत तक ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जाएं तथा वृहत् टेलीफोन प्रणालियों में टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची को अधिकतम दो वर्ष तक सीमित करना है ।

उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभाग ने 8 वीं योजना अवधि के दौरान, देश में लगभग 93 लाख लाइनों की निवल स्विचन क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई है । वार्षिक योजना (94-95) के अनुसार देश में लगभग 23.1 लाख लाइनों की निवल स्विचन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

डी. टी. सी. पर बकाया धनराशि

5637. श्री गुरुदास कामत : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों को बकाया राशि की अदायगी नहीं की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों ने डी. टी. सी. की तेल/डीजल की आपूर्ति बंद कर देने की धमकी दी है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं/ उठाने का विचार किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां ।

(ख) 31.3.94 की स्थिति के अनुसार विभिन्न तेल कंपनियों को अदा की जाने वाली बकाया राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

तेल कंपनी का नाम	(करोड़ रु॰)
आई ओ सी	18.62
बी पी सी	1.28
एच पी सी	1.79
	योग : 21.69

(ग) जी हां ।

(घ) सरकार ने दि. प. नि. की बकाया देयताओं तथा तेल कंपनियों को अदा की जाने वाली बकाया राशि के भुगतान हेतु दि. प. नि. के लिए अतिरिक्त निधियों का प्रावधान अनुमोदित दिया है।

पत्तनों का विकास

5638. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पत्तनों के विकास/विस्तार के संबंध में अध्ययन हेतु किसी शिष्टमंडल ने विदेशों की यात्रा की थी,

(ख) क्या उस शिष्टमंडल में कोई सदस्य महाराष्ट्र का भी था,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या सरकार ने उस अध्ययन के आधार पर देश में पत्तनों के विकास विस्तार हेतु कोई दीर्घकालीन योजना बनाई है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां । एक प्रतिनिधि मंडल ने निजीकरण और कन्टेनरीकरण का अध्ययन करने के लिए जनवरी, 1994 में सिंगापुर और मलेशिया के पत्तनों का दौरा किया था ।

(ख) और (ग) : जी हां । इस प्रतिनिधि मंडल में बम्बई पत्तन न्यास, महाराष्ट्र के चार अधिकारी शामिल थे । वे हैं :-

1.श्री के जी आप्टे, सचिव

2. श्री आर डी जोशी, गोदी प्रबंधक

3. श्री आर के खट्टर, अपर मुख्य यांत्रिक अभियंता

4. श्री टी वी पी रमन, अपर मुख्य अभियंता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देना

5639. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश राजदूतों और पत्रकारों को पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के प्रमाण दिखाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) : जी हां । सरकार ने भारत में आतंकवाद को पाकिस्तान के प्रायोजन के दस्तावेजी और प्रत्यक्ष साक्ष्य दिखाए हैं । पकड़े गए हथियारों की विस्तृत जानकारी देने के साथ-साथ यह जानकारी भी दी गई कि स्वयं आतंकवादियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें पाकिस्तान में प्रशिक्षण तथा सहायता मिली है । विदेशी राजदूतों तथा पत्रकारों ने गिरफ्तार आतंकवादियों जिनमें पाकिस्तान के राष्ट्रिक तथा भाड़े के आतंकवादी भी शामिल हैं, से मुलाकात की और साथ ही उन्होंने आतंकवादी हिंसा के शिकार लोगों से भी बातचीत की । जब भी विशिष्ट घटनाएं घटती हैं जैसा कि पाकिस्तान प्रशिक्षित विघटनकारियों की हाल ही में दिल्ली में गिरफ्तारी, तथा पकड़ी गई सामग्री के सबूत के साथ विशेष संवाददाता सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे हैं । दिल्ली में कार्यरत 25 निवासी प्रमुखों की जम्मू-कश्मीर की यात्रा का आयोजन इस उद्देश्य को लेकर किया गया है कि वे राज्य पर आतंकवाद के कुप्रभावों को स्वयं देख सकें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

अनुषंगी इस्पात उद्योग

5640. डा॰ के॰ डी॰ जेस्वाणी : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई उदारीकृत आर्थिक नीति के अन्तर्गत विदेशी पूंजी निवेश के कारण अनुषंगी इस्पात उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन उद्योगों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) : जी, नहीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, नई उदारीकृत आर्थिक नीति के अन्तर्गत विदेशी पूंजी निवेश के कारण गौण इस्पात उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

उत्पाद शुल्क में रियायत

5641. श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा : क्या **खाद्य प्रसंकरण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उत्पाद शुल्क में रियायत देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या गहरे समुद्र में मत्स्यपालन उद्योग द्वारा उपयोग में लाये जा रहे डीजल ईंधन पर उत्पाद-शुल्क कम करने के लिए इस वर्ष भी कोई सिफारिश की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) और (ख): विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए यह मंत्रालय समय-समय पर खाद्य उत्पादों, पूंजीगत सामान, खाद्य उत्पादों के लिए उपादानों, और खाद्य उत्पादों आदि के लिए पैकेजिंग सामग्री के संबंध में वित्तीय रियायतें देने और कर ढांचे में संशोधन करने के लिए वित्त मंत्रालय से सिफारिशें करता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एअर इंडिया बम विस्फोट, 1985

5642. श्रीकान्त जेना :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

प्रो॰ प्रेम धूमल :

श्री सत्य देव सिंह :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 1985 के एअर इंडिया बम विस्फोट की जांच कर रहे कनाडा के अधिकारियों से अमेरिका की खुफिया एजेंसियों द्वारा कथित रूप से महत्वपूर्ण जानकारी न देने के संबंध में तैयार की गई कनाडा के एक टेलीविजन वृत्त चित्र के विषय में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या कार्रवाई की है/करने का विचार किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) भारत को लक्ष्य बनाने वाली आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित मामलों में अमरीकी अभिकरणों से सरकार को पर्याप्त सहयोग मिला है। सरकार के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकलता हो कि सूचना अमरीकी सरकार के पास उपलब्ध थी जैसा कि कनाडा के टी. वी. वृत्रचित्र में आरोप लगाया गया है।

तमिलनाडु में डाकघरों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पद

5643. डा॰ पी॰ वल्लई पेरूमान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में कितने डाकघर कार्यरत हैं;

(ख) क्या उक्त डाकघरों में आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित पदों को भरा गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) तमिलनाडु में, 31.12.93 की स्थिति के अनुसार, कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या 2,849 है।

(ख) से (घ): जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

सियाचिन ग्लेशियर

5644. डा॰ कातिकेश्वर पात्र : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अमरीका से सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरवती सेतु को बन्द किया जाना

5645. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने कर्नाटक में सरवती सेतु को भारी वाहनों के लिए बन्द करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह आदेश कब दिया गया;

(ग) क्या केन्द्रीय इलेक्ट्रो-रसायन अनुसंधान संस्थान ने सेतु के कमजोर हिस्सों की जांच-पड़ताल की है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय परिवहन आयोजना तथा अनुसंधान केन्द्र ने भी इस सेतु के संबंध में भू-तकनीकी सर्वेक्षण किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्तमान सेतु को सुदृढ़ बनाने का अथवा नया सेतु बनाने का निर्णय लिया है;

(च) 1993-94 के दौरान उक्त कार्य के लिए कितनी धनराशि जारी की गई;

(छ) क्या नये पुल का निर्माण कार्य को कोंकण रेलवे निगम को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) 17.7.1991

(ग) जी हां, सूचक भागों के लिए।

(घ) जी हां, केवल प्रस्तावित नए पुल के लिए।

(ङ) जी हां, मौजूदा पुल के सुदृ-ढ़ीकरण/पुनरुद्वार के साथ-साथ एक नए पुल के निर्माण का भी निर्णय लिया गया है।

(च) राज्यों को, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए समग्रत: एकमुश्त निधियां जारी की जाती हैं न कि कार्य-वार।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

मछुआरों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन

5646. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री पोरबन्दर मच्छीमार बोर एसोसिएसन और गुजरात तथा अन्य राज्यों के पारम्परिक मछुआरों की एसोसिएसनों से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले आधुनिक जलपोतों के अनियमित

क्रियाकलापों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा पारम्परिक मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख): जी हां, मछुवारों ने आरोप लगाया कि पश्चिमी तट पर चार्टर और संयुक्त उद्यम के अंतर्गत चलने वाले गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों से उनके मछली पकड़ने के कार्य पर विशेषतया गुजरात और सौराष्ट्र तट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मछुवारों ने मांग की है कि गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों की तट से 24 समुद्री मील से परे ही मछली पकड़ने की अनुमति दी जाय। मछुवारों ने अन्य बातों के साथ-साथ गहन समुद्री मत्स्यन नीति के अंतर्गत दी गयी मंजूरियों को भी रद्द करने की मांग की।

(ग) मामले की पुनरीक्षा की गयी है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करते हुए गहन अध्ययन करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

शीतल-पेय उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

5647. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री अन्ना जोशी :

श्री संत राम सिंगला :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शीतल पेय उद्योग-एकक स्थापित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों से 1992-93 और 1993-94 में कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) क्या कोका कोला परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के मिलने के अवसर पैदा होंगे;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में बिक्री की जाने वाली पेप्सी-कोला और कोका-कोला अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में घटिया स्तर की होती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) संदर्भगत अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या एक है।

(ख) और (ग) कोका-कोला परियोजना से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पर्याप्त रोजगार जुटाने की आशा है। जैसा कि कंपनी ने बताया है सामान्यतया प्रति बाटलिंग संयंत्र में लगभग 500 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है।

(घ) ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में खनिजों का दोहन

5648. डा॰ गुणवन्त रामभाऊ सरोदे :

श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन :

श्री रमेश चेन्नितला :

श्री मनोरंजन भक्त :

डा॰ के॰ वी॰ आर॰ चौधरी :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में खनिजों तथा अन्य समुद्री निर्जीव संसाधनों के चयनात्मक दोहन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के अन्दर समुद्र तल पर अमूल्य खनिजों के वाणिज्यक दोहन के लिए कोई कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है:

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार समुद्री सर्वेक्षण तथा दोहन के क्षेत्र में अन्य देशों और घरेलू निजी क्षेत्र से सहयोग मांग रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख): भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का भारत के विशिष्ट आर्थिक जोन (ईईजेड) में समुन्द्र तलीय सर्वेक्षण करने का एक विस्तृत कार्यक्रम है। यह बंगाल की खाड़ी अंडमान सागर, अरब सागर और पूर्वी और पश्चिमी समुन्द्री तट के साथ के प्रादेशिक समुन्द्र में भारत के ईईजैड के भीतर ही व्यवस्थित टोह लेने वाले समुन्द्र तलीय सर्वेक्षण कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में सड़े-गले खाद्य पदार्थ

5649. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय बाजारों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा सड़े-गले खाद्य पदार्थों की बिक्री किए जाने के लिए खोल देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का घरेलू बाजार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हमले से बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है,

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) से (ग) : "जंक फूड" किसे कहा जाए इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है पर सरकार ने अनाज, मांस तथा पाल्ट्री, मछली, दूध आदि से तैयार होने वाले विभिन्न खाद्य उत्पादों के निर्माण और बिक्री के लिए विदेशी कंपनियों के पूंजी-निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन कंपनियों को भारतीय कानूनों के तहत काम करना होगा और बाजार में अन्यों से प्रतियोगिता करनी होगी।

[हिन्दी]

भूमिगत खनन

5650. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों से भूमिगत खानों में प्रति व्यक्ति उत्पादन में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन खानों में उत्पादकता बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पदों का अनारक्षण

5651. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

श्री तेज नारायण सिंह :

श्री ललित उरांव :

श्री कड़िया मुण्डा :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सड़क निर्माण निगम ने 1991-93 तक की अवधि में सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नत करते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को अनारक्षित करने के संबंध में कार्मिक विभाग के माध्यम से जारी केन्द्रीय सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया है तथा इन्हें कार्यान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पदोन्नति के लिए कितने पदों का सृजन किया गया, विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीवार कितने व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया, कितने पदों को अनारक्षित किया गया तथा अर्हता अवधि पूरी होने के पश्चात् 1991 से 1993 की अवधि में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया;

(घ) भारतीय सड़क निर्माण निगम के यथास्वीकृत कार्यसूची मद संख्या, 119/16 का कार्मिक विभाग के आदेशों की तुलना में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय सड़क निर्माण निगम ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ङ): ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

5652. श्री दत्ता मेघे :

डा० साक्षी जी :

डा० वाई एस राजशेखर रेड्डी :

श्री एम वी वी एस मूर्ति :

श्री डी वेंकटेश्वर राव :

श्री नीतिश कुमार :

डा० महादीपक सिंह शाक्य :

श्री एस बी सिदनाल :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री गंगाधर सानीपल्ली :

श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दशक के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 सहित गत पांच वर्षों के राज्य-वार, महानगर-वार और वर्ष-वार तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ग) देश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रति मिनट कितने लोग मरते हैं और परिणामस्वरूप कितनी वार्षिक वित्तीय क्षति होती है;

(घ) विभिन्न महानगरों में प्रति लाख जनसंख्या में से होने वाली मौतों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ङ) क्या हाल ही में सड़क सुरक्षा प्रबंध पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी; और

(च) यदि हां, तो कार्यशाला में किन विषयों पर चर्चा की गई और भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा क्या-क्या सिफारिशें की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख): जी नहीं। कुछ राज्यों/शहरों में कमी हुई है जो सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के राज्य वार, महा नगरवार और वर्ष वार आंकड़ों के विवरण 1 तथा 11 से स्पष्ट है।

(ग) वर्ष 1992 के आंकड़ों के आधार पर देश में सड़क दुर्घटनाओं में एक मिनट में 0.1124 व्यक्ति मारा जाता है। कुल वार्षिक वित्तीय घाटा अनुमानत: पांच हजार रुपये से अधिक है।

(घ) वर्ष 1991 के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न महानगरों में प्रति एक लाख जनसंख्या पर हताहतों के तुलनात्मक आंकड़े विवरण 1 से 11 में दिए गए हैं।

(ङ) जी नहीं। तथापि सड़क सुरक्षा संबंधी गोष्ठी 5 जनवरी, 1994 को आयोजित की गई थी।

(च) इस गोष्ठी में प्रस्तुत किए गए कागजात निम्नलिखित विषयों से संबंधित थे :-

(i) भारत में सड़क दुर्घटना परिदृश्य और सुरक्षा प्रबंध नीतियां।

(ii) सड़क सुरक्षा शिक्षा और प्रवर्तन

(iii) शहरों में बस दुर्घटनाएं,

(iv) सड़क सुरक्षा संस्कृति के विकास के लिए समस्याएं और प्रत्याशाएं,

(v) वाहनों, पैदल यात्रियों, यात्रियों और ड्राइवरों को सुरक्षा,

(vi) सड़क सुरक्षा संस्कृति का विकास, किए जाने वाले उपाय और कठिनाइयाँ।

(vii) सड़क सुरक्षा में सड़क इंजीनियरिंग-आगामी वर्षों में आवश्यकता।

(viii) एकीकृत सड़क यातायात प्रबंध प्रणाली सड़क सुरक्षा की नीति।

गोष्ठी में विभिन्न वक्ताओं द्वारा सुझाए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय विवरण iv में दिए गए हैं।

विवरण I

सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए राज्य वार/वर्ष वार व्यक्ति

	राज्य	1980	1989	1990	1991	1992
	1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4091	4458	5211	5598	6037
2.	अरुणाचल प्रदेश	95	59	97	83	175
3.	असम	881	895	904	867	940
4.	बिहार	2401	2185	2151	2304	2013
5.	दिल्ली	1474	1583	1670	1820	1727
6.	गोवा	161	169	174	177	208
7.	गुजरात	2973	3509	3722	3979	4000 (अ.)
8.	हरियाणा	1587	1819	1969	1916	1800 (अ.)
9.	हिमाचल प्रदेश	386	469	465	414	365
10.	जम्मू एवं कश्मीर	563	491	371	392	443
11.	कर्नाटक	3168	3655	3901	4079	4339
12.	केरल	1653	1737	1793	1803	2101
13.	मध्य प्रदेश	2649	2709	2793	3398	3667
14.	महाराष्ट्र	5133	5785	5427	6160	6776
15.	मणिपुर	108	129	106	111	106
16.	मेघालय	87	98	133	129	118
17.	मिजोरम	53	38	38	29	27
18.	नागालैंड	60	42	64	57	78
19.	उड़ीसा	1038	1171	1193	1330	1300 (अ.)
20.	पंजाब	908	819	1133	1141	1200 (अ.)
21.	राजस्थान	1898	3023	3465	3726	3862
22.	सिक्किम	49	38	26	34	44
23.	तमिलनाडु	5791	6299	6663	6406	7073
24.	त्रिपुरा	113	136	113	95	125

1		2	3	4	5	6
25.	उत्तर प्रदेश	6728	7111	7639	7806	7600 (अ.)
26.	पश्चिम बंगाल	2286	2094	2600	2559	2700 (अ.)
संघ राज्य क्षेत्र						
27.	अंडमान निकोबार दीप समूह	12	15	17	5	14
28.	चन्डीगढ़	91	76	80	72	96
29.	दादर एवं नगर हवेली	13	10	18	11	11
30.	दमन एवं द्वीप	7	9	16	7	11
31.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	1
32.	पांडिचेरी	104	82	164	107	132
	अखिल भारत जोड़	46561	50711	54058	56625	59089

विवरण II

महानगरों में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्ति

शहर	1988	1989	1990	1991	1992
दिल्ली	1474	1581	1670	1820	1727
बम्बई	520	444	400	365	406
कलकत्ता	425	468	463	452	472
मद्रास	390	413	507	461	467

विवरण III

विभिन्न महानगरों में प्रति एक लाख जनसंख्या पर हताहत

शहर	प्रति एक लाख जनसंख्या
बम्बई	2.90
कलकत्ता	4.10
मद्रास	8.50
दिल्ली	21.62

विवरण IV

सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए 5 जनवरी, 1994 को आयोजित सड़क सुरक्षा गोष्ठी में सुझाए गए उपचारात्मक उपाय निम्नलिखित हैं;

(i) विभिन्न श्रेणियों के सड़क प्रयोक्ताओं के लिए "करने योग्य" और "न करने योग्य" बातों से संबंधित श्रव्य, दृश्य, इश्तहार आदि तैयार किए जाने चाहिए और अधिक बेहतर ढंग से प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

(ii) शिक्षा मंत्रालय को अधिनियम बनाकर "यातायात शिक्षा" को स्कूली बच्चों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बना देना चाहिए।

(iii) सभी मोटर ड्राइविंग स्कूलों, जिनकी सं० बहुत अधिक हो गयी है, राज्य की एजेंसियों द्वारा विनियमित और नियंत्रित किए जाने चाहिए। इन ड्राइविंग स्कूलों में उचित मूल संरचनात्मक सुविधाएं और अर्हता प्राप्त अनुदेशक होने चाहिए।

(iv) चूंकि पैदल यात्री और साइकिल चालक सड़क दुर्घटनाओं के अधिकतर शिकार होते हैं इसलिए सड़क अनुशासन के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए विशेष शिक्षा अभियान की आवश्यकता है।

(v) पहाड़ी खंडों के साथ-साथ भू-ज्यामितीय सुधार।

(vi) पुल के पहुंचमार्गों तथा उच्च तटबंधों आदि पर सुरक्षा पटरियों का प्रावधान।

(vii) बिना व्यक्तियों के रेलवे लैवल क्रासिंगों पर सिग्नल लगाना और चेतावनी संकेत और ध्वनि यंत्रों की व्यवस्था करना।

(viii) राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्गों पर से गति अवरोधकों को हटाना और जहां गति रोधकों की नितान्त आवश्यकता हो, वहां अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना।

(ix) शहरी केन्द्रों और मुख्य घाटों के साथ बेहतर स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था करना।

(x) ड्राइवरों की शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार और ड्राइविंग लाइसेंसों पर अधिक कड़ा नियंत्रण।

(xi) प्रत्येक सड़क पर उचित सड़क चिह्नों की व्यवस्था करना ताकि उचित लेन का अनुशासन लागू किया जा सके।

(xii) पैदल यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं बरकरार रखना और उन्हें उपलब्ध कराना।

(xiii) व्यवस्थित आधार पर सड़क प्रकाश प्रणाली का सुधार करना।

[अनुवाद]

खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिक

5653. प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत में कार्य कर रहे भारतीयों के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) जी हां,

(ख) हमारे मिशनों द्वारा एकत्र सूचना के आधार पर ब्यौरा इस प्रकार है :-

संयुक्त अरब अमीरात: लगभग 5,00,000 भारतीय मियादी संविदाओं के आधार पर अधिकांश: कार्यबल के रूप में कार्यरत हैं। इनकी अधिकांश संख्या दुबई (2,00,000) आबुधाबी (1,00,000) और शारजहा (75,000) अमीरातों में है। लगभग 40% निर्माण तथा सेवा उद्योगों में हैं, 30% लिपिकीय कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं और 20% व्यावसायिक हैं और 10% व्यापारी हैं।

सउदी अरब: सउदी अरब में लगभग 10,50,000 भारतीय राष्ट्रिक रह रहे हैं जिनमें से 8,50,000 कामगारों (कुशल, अर्द्ध-कुशल और अकुशलों के रूप में नियोजित हैं तथा शेष 2,00,000 व्यावसायिक तथा उनके परिवार के सदस्य हैं।

ओमान: ओमान में 3,01,000 भारतीय राष्ट्रिक हैं, इनमें से अधिकांश कुशल, अर्द्ध कुशल और अकुशल कार्यों में कार्यरत हैं; लगभग 8% व्यावसायिक कार्यों में लगे हुए हैं।

कुवैत: कुवैत में लगभग 1,72,000 भारतीय राष्ट्रिक हैं।

बिसरा लाइम स्टोन कम्पनी

5654. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिसरा लाइम स्टोन कम्पनी लिमिटेड बीरमिलपुर को बन्द करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने वहां के श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस कम्पनी का आधुनिकीकरण करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) : जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) : सरकार कम्पनी के वर्तमान संयंत्र और मशीनरी के परिवर्धन संशोधन और प्रतिस्थापन करने के लिए उसे वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

आन्ध्र प्रदेश में भूकम्प प्रवण क्षेत्र

5655. डा॰ के॰ वी॰ आर॰ चौधरी : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग ने आंध्र प्रदेश में भूकम्प प्रवण क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन क्षेत्रों में भूकम्प आने की स्थिति में कम से कम नुकसान हो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में डाकघर के भवन

5656. श्री राम टहल चौधरी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में उप-डाकघरों के लिए विभागीय भवनों के निर्माण के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन भवनों का निर्माण कब तक हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) : जी हां। उन उप-डाकघरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है, जिनके लिए विभागीय भवन बनाए जाने हैं।

(ग) सभी पूर्वापेक्षित औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

विवरण

वे उप डाकघर निम्नलिखित हैं जहां विभागीय भवनों का निर्माण किया जाना है :

1. गुलजारबाग
2. पाटलिपुत्र
3. भागलपुर शहर
4. बौंसी

5. हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र
6. मिर्जापुर
7. मनीग्राछी
8. जमुई
9. चौसा
10. मझौलिया
11. रामगढ़वा
12. अदापुर
13. बनमन्खी
14. मनिहारी
15. नवाबगंज
16. घास
17. गोविन्दपुर
18. चकुलिया
19. डेहरी-ऑन-सोन
20. गनवान
21. जशमुन्दी
22. हिरनपुर
23. कोटला पोहार
24. बरहरवा
25. चन्दवा

कर्नाटक में राजमार्ग के लिए एशियाई विकास बैंक की सहायता

5657. श्री जी माडे गौडा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर-मैसूर के बीच चार सड़कों वाले राजमार्ग के निर्माण के लिए एशियाई विकास बैंक से सहायता के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है,

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है,

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किए हैं,

(घ) क्या गत 20 वर्षों से सरकार ने कर्नाटक में किसी भी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त प्रस्ताव के लिए शीघ्र ही एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गहरे सागर में संयुक्त उद्यम संबंधी समिति

5658. श्री प्रकाश वी॰ पाटिल : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए संयुक्त उद्यमों का आकलन करने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1993-94 के दौरान समिति ने कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी;

(ग) क्या समिति को भंग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) गहन समुद्री मत्स्यन में संयुक्त उद्यम प्रस्तावों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है।

(ख) औद्योगिक लाइसेंसिंग के अंतर्गत अभी आने वाले क्षेत्रों के प्रस्तावों सहित विदेशी इक्विटी निवेश वाले सभी प्रस्तावों, विदेशी इक्विटी बढ़ाने के प्रस्तावों और 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों के प्रस्तावों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा कार्रवाई की जाती है। समिति द्वारा 1993-94 के दौरान गहन समुद्री मत्स्यन में संयुक्त उद्यम के नौ प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वेश्वरैया संयंत्र

5659. श्री के॰ जी॰ शिवप्पा :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए कोई व्यापक योजना कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गयी है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) : अभी विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड (वी. आई. एस. एल.) के आधुनिकीकरण की कोई वृहत योजना नहीं है। तथापि, वी. आई. एस. एल. प्रबंधन ने इस्पात मंत्रालय, "सेल" तथा कर्नाटक सरकार के बीच हुई संयुक्त बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार आधुनिकीकरण-एवं-क्षमता उपयोग-वर्धन योजना के संबंध में हाल ही में एक आन्तरिक समिति का गठन किया है।

खराब पड़े टेलीफोन

5660. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 फरवरी, 1994 के "स्टेट्समैन" में "लाइक्लेस टेलीफोन एंड मर्सीलेस कट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) :–समाचार के अनुसार 9 टेलीफोन नम्बर खराब पड़े बताए गए थे। एक टेलीफोन कनेक्शन, बकाया बिलों का भुगतान न होने के कारण काट दिया गया था जब कि शेष सभी टेलीफोन ठीक कर दिए गए हैं और उपभोक्ता इनसे संतुष्ट हैं।

[हिन्दी]

बिहार को बिजली की रायल्टी

5661. श्री प्रेम चन्द राम : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार से रायल्टी की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू) : (क) : जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

भारतीय सड़क निर्माण निगम में प्रोन्नति

5662. श्री ललित उरांव :

श्री कड़िया मुण्डा :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या ए बी/14017/22/89-स्थापना (आर, आर दिनांक 15 मई, 1989 अथवा भारतीय सड़क निर्माण निगम द्वारा यथानुमोदित कार्यसूची मद 119/16 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर लागू होता है;

(ख) अर्हता अवधि के पूरा होने के ठीक बाद कितने सामान्य कर्मचारियों को प्रोन्नति दी गई और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने पात्र कर्मचारियों को 1991 से 1993 तक प्रोन्नति नहीं दी गई और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश के अनुरूप की गई कुल शिकायतों में से 1991 से 1993 तक एम ओ एस टी/आई आर सी सी द्वारा निबटाई गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो दिये गये लाभ का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ): ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर उपमार्ग

5663. श्री दिलीप भाई संघानी : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर किन-किन स्थानों पर उपमार्ग बनाए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर किसी भी स्थान पर सब-वे बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कुछ परियोजनाओं के व्यवहार्यता अध्ययन से पता चला है कि कुछ स्थानों पर पशुओं/पैदल यात्रियों के लिए फाटकों की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश में पंचायतों को टेलीफोन

5664. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिले-वार कितने ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है;

(ख) इस समय जिले-वार कितने ग्राम पंचायतों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है

(ग) क्या शेष पंचायतों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) : टेलीफोन सुविधा प्राप्त तथा टेलीफोन सुविधा रहित पंचायत ग्रामों के जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : जी हां।

सरकार की नीति के अंतर्गत 31 मार्च, 1995 तक सभी पंचायत ग्रामों में उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन सुविधा प्रदान की जाएगी बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। तथापि, 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में बिना टेलीफोन सुविधा के शेष पंचायत ग्रामों की संख्या 56,145 है, यह संख्या काफी बड़ी है। अतः न्यूनतम समय में शेष पंचायत ग्रामों में उक्त सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों एवं प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए पृथक कार्य योजना तैयार की जा रही है।

31.3.1994 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सुविधा प्राप्त तथा टेलीफोन सुविधा रहित पंचायत ग्रामों के जिला-वार ब्यौरे

क्र. सं०	जिले का नाम	कुल पंचायत ग्राम	टेलीफोन सुविधा प्राप्त पंचायत ग्राम	टेलीफोन सुविधा रहित पंचायत ग्राम
1	2	3	4	5
1.	आगरा	797	640	157
2.	अलीगढ़	1498	612	386
3.	इलाहाबाद	2366	637	1729
4.	अल्मोड़ा	1360	282	1073
5.	आजमगढ़	2400	328	2072
6.	बहराइच	1631	276	1355
7.	बलिया	1077	410	667
8.	बांदा	807	170	637
9.	बरेली	1324	272	1052
10.	बाराबंकी	1556	313	1243
11.	बस्ती	2220	303	1917

1	2	3	4	5
12.	बिजनौर	1127	308	819
13.	बदायूं	1415	167	1248
14.	बुलंदशहर	1233	397	836
15.	चमोली	632	174	453
16.	देहरादून	252	159	93
17.	देवरिया	2602	389	2213
18.	एटा	1200	229	971
19.	इटावा	1129	336	793
20.	फैजाबाद	1840	315	1525
21.	फरुखाबाद	1177	253	924
22.	फतेहपुर	1035	128	907
23.	फिरोजाबाद	645	97	548
24.	गाजियाबाद	608	494	114
25.	गोंडा	2213	394	1819
26.	गाजीपुर	1287	198	1089
27.	गोरखपुर	1260	234	1026
28.	हमीरपुर	691	139	552
29.	हरदोई	1483	230	1253
30.	हरिद्वार	327	145	182
31.	जालौन	669	134	535
32.	जौनपुर	2052	336	1716
33.	झांसी	602	141	461
34.	कानपुर शहर	192	69	123
35.	कानपुर देहात	1317	323	944
36.	लखीमपुर	1213	327	386
37..	ललितपुर	448	83	365
38.	लखनऊ	646	415	231

1	2	3	4	5
39.	महराजगंज	1400	119	1281
40.	मैनपुरी	647	186	461
41.	मथुरा	714	277	437
42.	मऊ नाथ भंजन	703	295	408
43.	मेरठ	786	786	-
44.	मिर्जापुर	973	130	843
45.	मुरादाबाद	1822	322	1500
46.	मुजफ्फरनगर	762	527	235
47.	नैनीताल	779	383	396
48.	पौड़ी	1214	187	1027
49.	पीलीभीत	736	74	662
50.	पिथौरागढ़	827	175	652
51.	प्रतापगढ़	1530	156	1374
52.	रायबरेली	1334	234	1100
53.	रामपुर	696	119	577
54.	सहारनपुर	934	445	489
55.	साहजहांपुर	1409	139	1270
56.	सिद्धार्थनगर	1491	117	1374
57.	सीतापुर	1556	209	1347
58.	सोनभद्र	586	108	478
59.	सुल्तानपुर	1738	475	1263
60.	टेहरी	822	139	683
61.	उन्नाव	1420	400	1020
62.	उत्तर काशी	337	47	290
63.	वाराणसी	2194	640	1554
	जोड़	73,741	17,596	56145

महाराष्ट्र में नए टेलीफोन एक्सचेंज

5665. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित स्थानों और क्षमता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) (i) छोटे आकार की एक्सचेंजों को लगाने के स्थान तथा उनकी क्षमता का निर्णय किसी स्थान पर 10 उपभोक्ताओं की यत्त पंजीकृत योग के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1994-95 के दौरान करीब 95 नए आकार की एक्सचेंजों की स्थापना का अनंतिम प्रस्ताव है।

(ii) संलग्न विवरण में बड़ी एक्सचेंजों के स्थानों और उनकी क्षमता का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) उत्तरोत्तर रूप से 31 मार्च, 1995 तक।

विवरण

महाराष्ट्र में वर्ष 1994-95 के दौरान स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित, नई दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता सहित स्थानों का ब्यौरा।

क्र० सं०	स्थान का नाम	क्षमता लाइनों में	एक्सचेंज की किस्म
1	2	3	4
1.	नागपुर	10000	सीमैंस
2.	नागपुर	10000	सीमैंस
3.	पुणे	20000	फैटेक्स
4.	पुणे	10000	फैटेक्स
5.	पुणे	10000	फैटेक्स
6.	नासिक	10000	ओसीबी-आईटीआई
7.	शोलापुर	4000	ई-10 बी आरएलयू
8.	मारगांव	5000	ई-10 बी मुख्य
9.	नासिक	5500	ई-10 बी मुख्य

1	2	3	4
10.	अमरावती	5000	ई-10 बी आरएलयू
11.	औरंगाबाद	5000	ई-10 बी आरएलयू
12.	बम्बई	16000	ओसीबी-मोदी
13.	बम्बई	65000	ओसीबी-मोदी
14.	बम्बई	50000	ओसीबी-आईटीआई
15.	सिटी। मुख्य	12000	ई-10 बी मुख्य
16.	गौरे गांव मुख्य	3000	ई-10 बी मुख्य
17.	इसोर	10000	ई-10 बी आरएल यू
18.	पोवाई	8000	ई-10 बी आरएलयू
19.	माज़गांव	7000	ई-10 बी
20.	चैम्बूर-II	7000	ई-10 बी आरएलयू
21.	गाम देवी	6000	ई-10 बी आरएलयू
22.	वर्ली/बाईकुला/जेनवेल	6000	ई-10 बी
23.	सिटी-IV	9000	ई-10 बी आरएलयू

[अनुवाद]

"इस्को" द्वारा इस्पात उत्पादन

5666. श्री सुधीर गिरि : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान "इस्को" के इस्पात उत्पादन में वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ख) 1994-95 के लिए क्या उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) "इस्को" के बर्नपुर इस्पात वर्क्स के आधुनिकीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान इंडियन आंयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) में विक्रेय इस्पात के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। वास्तव में विक्रेय इस्पात का उत्पादन पिछले वर्ष 1992-93 की अपेक्षा 16 प्रतिशत कम हुआ। 1993-94 में इस्को में 3,33,200 टन विक्रेय इस्पात का उत्पादन किया जबकि 1992-93 में 3,98,000 टन उत्पादन किया गया था।

(ख) इस्को के बर्नपुर कारखाने का वर्ष 1994-95 के लिए विक्रेय इस्पात का उत्पादन लक्ष्य 2,87,000 टन निर्धारित किया गया है।

(ग) सरकार ने "इस्को" के बर्नपुर इस्पात कारखाने के शीघ्र आधुनिकीकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "इस्को" के साम्या और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य के लिए सरकार का एक विधेयक लाने का प्रस्ताव था ताकि सरकार, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को इस्को में उसके शेयरों को निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित करने की अनुमति देने के लिए शक्तियां प्राप्त कर सके। यह विधेयक उद्योग में संबंधित स्थायी संसदीय समिति के पास विचाराधीन था जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत कर दी है।

फिल्मों में हिंसा

5667. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में फिल्म प्रमाणीकरण बोर्डों को अत्यधिक हिंसा के दृश्यों को दिखाने वाली फिल्म को प्रमाणपत्र न देने का निर्देश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश को कार्यान्वित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं ;

(ग) क्या निजी कंपनियों द्वारा छोटे परदे पर भय और हिंसा दिखाने को नियंत्रित करने हेतु कोई प्रयास किए जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) सरकार को उन समाचारों की जानकारी है जिनमें यह कहा गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में से एक निर्णय से सेंसर बोर्ड को कामुकता एवं हिंसा वाली फिल्मों को पास न करने तथा यह सुनिश्चित करने को कहा है कि केवल ऐसी फिल्मों को स्वीकृत किया जाए जिनसे जीवन-मूल्यों पर प्रभाव न पड़ता हो।

(ख) भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु आशयित सभी फिल्मों की सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत सरकार द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में जांच की जानी अपेक्षित है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, प्रमाणन हेतु फिल्मों की जांच करते समय बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को सुनिश्चित करेगा :-

(1) हिंसा जैसी समाज-विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहराई जाएं ;

(2) मूलतः मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिंसा, क्रूरता और आंतक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य तथा ऐसे दृश्य न दिखाए जाएँ जिनसे लोग संवेदनहीन या अमानवीय हो सकते हों और

(3) अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को चोट न पहुंचाई जाए।

प्रमाणपत्र हेतु किसी आवेदक को जो बोर्ड के किसी निर्णय से असहमत हो, फिल्म प्रमाणन

अपीली अधिकरण में अपील करने का अधिकार है। इसके अलावा, किसी फिल्म के मामले में उसके द्वारा किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है क्योंकि "चित्रपट संबंधी स्वतन्त्रता", "अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता" के अन्तर्गत आती है और इस संबंध में केवल तर्कसंगत प्रतिबन्ध ही लागू किए जा सकते हैं।

(ग) और (घ) : दूरदर्शन पर टेलीकास्ट की जाने वाली फिल्मों का पूर्वावलोकन किया जाता है और प्रतिष्ठित बाहरी सदस्यों की एक समिति द्वारा उनका चयन किया जाता है दूरदर्शन कार्यक्रम भी पूर्वावलोकन के बाद टेलीकास्ट किए जाते हैं। कार्यक्रमों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और जहां आवश्यक हो, उपयुक्त परिवर्तन किए जाते हैं।

क्रिकेट मैचों का प्रसारण

5668. श्री लाईता उम्ब्रे : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रानिक मीडिया से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का प्रसारण करने हेतु एक नीति बनाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) और (ख) : जी, हां। दूरदर्शन के पास प्रसारण अधिकार उपलब्ध नहीं थे।

(ग) और (घ) : दूरदर्शन कई वर्षों से ऐसे प्रसारण करता आ रहा है और भविष्य में भी ऐसे प्रसारण करता रहेगा बशर्ते कि प्रसारण अधिकार, संसाधन और तकनीकी सुविधा उपलब्ध हो।

बिहार में खनन कार्य

5669. श्री चित्त बसु : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सोने एवं तांबे की उन सभी खानों का ब्यौरा क्या है जहां सरकार ने 1957 से खनन कार्य बंद कर दिया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन खानों में फिर से कार्य आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण

5670. डा॰ साक्षीजी : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों का निर्माण किया जाना था;

(ख) गत तीन वर्षों से कितने पुलों पर मरम्मत कार्य चल रहा है; और

(ग) इन पर कितना व्यय हुआ है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) तीन।

(ख) और (ग) : सोलह पिछले तीन वर्षों में 47.86 लाख रु॰ आबंटित किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

दक्षेस

5671. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) ने वह उद्देश्य प्राप्त कर लिया है जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भारत एशिया और प्रशांत देशों के किसी नये आर्थिक गठबंधन का गठन करने पर विचार कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) और (ख) सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। सार्क चार्टर के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(i) दक्षिण एशिया के लोगों के हित कल्याण का संवर्धन तथा उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना ;

(ii) क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास को तेज करना और सभी व्यक्तियों को सम्मान से रहने का अवसर प्रदान करना तथा उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करना ;

(iii) दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्म-निर्भरता का संवर्धन तथा सुदृढ़ करना ;

(iv) आपसी सद्भाव, समझ बूझ और एक-दूसरे की समस्याओं को समझने में योगदान करना ;

(v) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग तथा आपसी सहायता को बढ़ाना ;

(vi) अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग मजबूत करना ;

(vii) सामान्य हित के मसलों पर अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर आपस में पारस्परिक सहयोग को मजबूत करना;

(viii) समान लक्ष्यों और उद्देश्यों वाले अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना ;

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सार्क सदस्य देशों के बीच सहयोग की एक सतत प्रक्रिया है तथा समय-समय पर आयोजित सार्क की विभिन्न बैठकों में सहयोग के नये क्षेत्रों का बराबर पता लगाया जाता है। सार्क ने अपने कार्यकाल के आठ वर्षों के दौरान सदस्य देशों के बीच विभिन्न चुनिन्दा तकनीकी क्षेत्रों में जानकारी तथा सद्भावना बढ़ाने में मदद की है। सार्क की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

(i) सार्क खाद्यान्न सुरक्षित भंडार की स्थापना।

(ii) आतंकवाद के उन्मूलन से संबद्ध सार्क क्षेत्रीय अभिसमय पर हस्ताक्षर।

(iii) स्वापकों तथा मन:प्रभावी पदार्थों की रोकथाम से संबद्ध सार्क अभिसमय पर हस्ताक्षर।

(iv) सार्क क्षेत्रीय संस्थाओं की स्थापना, जैसे, सार्क कृषि सूचना केन्द्र, सार्क क्षय रोग केन्द्र, सार्क मौसम विज्ञान अनुसंधान केन्द्र तथा सार्क प्रलेखन केन्द्र।

(v) क्षेत्रीय अध्ययनों को तय करने तथा उनका विकास करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1991 में सार्क क्षेत्रीय परियोजना कोष की स्थापना इस कोष का प्रयोग केवल व्यवहार्यता पूर्व/व्यवहार्यता अध्ययनों के लिए ही किया जाएगा।

(vi) अप्रैल, 1993 में ढाका में आयोजित सातवें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान इस क्षेत्र में आर्थिक सहायोग का विस्तार करने के उद्देश्य से सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था में संबद्ध रूपरेखा करार संपन्न हुआ।

(vii गरीबी उन्मूलन से संबद्ध मसलों पर सदस्य राज्यों के बीच सहयोग।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनैक्शन काटना

5672. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन बिलों का भुगतान न करने पर बिना पूर्व नोटिस के टेलीफोन कनैक्शन नहीं काटने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) विभाग बकाया टेलीफोन बिलों के भुगतान के लिए उपभोक्ता को टेलीफोन द्वारा सूचना देता है। टेलीफोन कनेक्शन काटने की तारीख से पूर्व विभाग बिल के भुगतान के लिए उपभोक्ता को सात दिन का समय देते हुए एक रजिस्टर्ड नोटिस भी जारी करता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(अनुवाद)

दिल्ली में टेलीफोन कनैक्शन

5673. श्री मोहन रावले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1994 के दौरान विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत दिल्ली में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों से कितने टेलीफोनों की मंजूरी दी गई;

(ख) प्रतीक्षा सूची की स्वीकृति की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ग) क्या टेलीफोन एक्सचेंजों के अधिकारी यह तर्क देकर कि वे नये कनैक्शन लगाने में व्यस्त हैं, सार्वजनिक शिकायतों पर ध्यान नहीं देते हैं जिसके परिणामस्वरूप टेलीफोन कई दिनों तक खराब रहते हैं;

(घ) मार्च, 1994 के दौरान पश्चिम बिहार और राजौरी गार्डन टेलीफोन एक्सचेंजों के अंतर्गत कितने टेलीफोन खराब रहे और ये टेलीफोन कितने समय तक के लिए खराब रहे;

(ङ) इसके क्या कारण हैं;

(च) सार्वजनिक शिकायतों पर शीघ्र ध्यान देने के लिए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या सरकार का विचार ऐसे उपभोक्ताओं, जिनके टेलीफोन एक सप्ताह से अधिक समय तक खराब पड़े रहे, को बिलों में राहत देने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) दिल्ली के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों से विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मार्च, 1994 में रिलीज की गई टेलीफोनों की संख्या निम्नलिखित है :-

ओ वाई टी/सामान्य	479
ओ वाई टी/विशेष	27
विशेष	38
सामान्य	12560
जोड़	13104

(ख) 1.4.94 को स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची की निकासी की नवीनतम स्थिति संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ग) जी नहीं।

(घ) मार्च, 1994 के दौरान राजौरी गार्डन एक्सचेंज में 20683 दोष तथा पश्चिम विहार एक्सचेंज में 3815 दोष रिकार्ड किए गए हैं। इन दोषों में से अधिकांश की मरम्मत 24 घंटे के भीतर कर दी गई तथा शेष दोषों की मरम्मत अगले दिन कर दी गई। राजौरी गार्डन में सिर्फ 177 दोषों की मरम्मत में 7 दिन से ज्यादा लगे।

(ङ) अधिकांश दोषों की मरम्मत में विलम्ब का कारण केबल फॉल्ट था। राजौरी गार्डन एक्सचेंज क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम द्वारा खुदाई की जा रही थी जिसमें मुख्यतया तीतारपुर क्षेत्र में सब-वे के निर्माण के कारण खुदाई की गई।

(च) किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई भी चूक ध्यान में नहीं आयी।

(छ) जी हां।

(ज) यदि किसी उपभोक्ता का टेलीफोन लगातार 7 से अधिक दिनों तक खराब रहता है, तो बिल में छूट दी जाती है। 177 मामलों में छूट देने पर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

म. टे. नि. लि., नई दिल्ली: 01.04. 1994 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या तथा निकासी की तारीख का ब्यौरा

स्तर	एक्सचेंज	कनेक्शन जारी किए गए ओवाई टी-एस	प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की सूची	कनेक्शन जारी किए गए ओवाई टी सामान्य	प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की सं.	कनेक्शन जारी किए गए एसएस	प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की सं.	कनेक्शन जारी किए गए विशेष	प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की सं.	कनेक्शन जारी किए गए सामान्य	प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की सं.	जोड़
केन्द्रीय												
31, 34, 35, 374, 373	मयूर	चालू	-	चालू	-	चालू	-	चालू	-	15.3.94	111	111
461/3/9, 69, 462/3	जेबी	चालू	-	चालू	-	चालू	-	चालू	-	05.1.90	5325	5325
331/2, 371/2/3/4/5	केबी एन	चालू	-	चालू	-	चालू	-	चालू	-	15.3.94	160	160
38,378	आरपी	चालू	-	चालू	-	चालू	-	चालू	-	15.3.94	26	26
301,379	एसबी एन	30.9.92	107	30.9.92	66	चालू	-	30.9.92	11	30.3.88	511	695
436 (लोधी रोड)	सीबी	चालू	-	चालू	-	चालू	-	चालू	-	31.12.93	14	14
पूर्वी												
325, 326, 327, 328	डीबी	चालू	-	चालू	-	चालू	-	चालू	-	15.3.94	280	280
751/2/3, 777, 73/52	आईडी	चालू	-	चालू	-	चालू	-	चालू	-	6.3.90	12390	12390
220/1/2/3/4	एल एक्सचेंज	चालू	-	चालू	-	चालू	-	चालू	-	12.5.89	34273	34273
241/2/5											*	
226, 227	वई बी आर	चालू	-	चालू	-	चालू	-	चालू	-	15.3.91	6803	6803
228, 229	एच एच आर	चालू	-	चालू	-	चालू	-	चालू	-	30.9.92	3948	3948
225	एम बी आर	चालू	-	चालू	-	चालू	-	चालू	-	31.3.89	5163	5163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60, 67, 687/3, 611	सी एच वाई	23.3.94	6	23.3.94	33	चालू	-	23.3.94	10	17.9.92	3303	3352
65, 66, 685, 686,	एसके	23.3.94	2	23.3.94	41	चालू	-	23.3.94	1	9.5.89	12035	12083
6857												
641/2/3/4/5	एन पी	1.11.92	187	1.11.92	3001	चालू	-	1.11.92	359	8.10.89	29671	33218
6/7/8												
689	वी के वे	31.10.93	6	9.12.92	276	चालू	-	19.8.93	13	12.2.90	4039	4334
63, 682/3/4/7	ओकेएच	28.2.93	-43	28.2.93	650	चालू	-	1.1.93	152	14.4.88	14627	15472
(ओखला)												
680	सीपीआर	23.3.94	-	23.3.94	2	चालू	-	23.3.94	1	24.8.90	1297	1300
681	टी के एच	30.6.91	33	30.6.91	295	चालू	-	30.6.91	50	7.12.87	1011	1389
एशियाड	एशियाड	30.9.92	1	30.9.92	3	चालू	-	30.9.92	-	31.3.88	-	4
उत्तरी												
720	एएलवी	चालू	-	चालू	-	चालू	-	चालू	-	14.10.91	733	733
729	बीडीएल	चालू	-	चालू	-	चालू	-	चालू	-	19.12.89	3135	3135
23, 251/2,291/	टीएच	चालू	-	चालू	-	चालू	-	चालू	-	31.7.91	6682	6682
2/3/												
741,742,714,711	एसके	चालू	-	चालू	-	चालू	-	चालू	-	31.5.91	15405	15405
2/3, 721/2/3/4/5												
728	एस आर एस	15.3.94	1	15.3.94	1	चालू	-	15.3.94	2	9.4.90	1731	1735
718/9,7102/3/4/5	केवीएल	चालू	-	चालू	-	चालू	-	चालू	-	27.3.91	2643	2643
726 (रोहिणी सेक्टर (ix)	आर एच एस	चालू	-	चालू	-	चालू	-	चालू	-	17.8.92	1331	1331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
727 (रोहिणी से. III)	(आर एच एन-I	चालू	चालू	-	चालू	-	चालू	–	चालू	30.6.88	12760	12760
716, 717												
पश्चिमी												
550, 555, 559,	केकेपी	चालू	-	चालू	-	चालू	-	चालू	–	31.12.90	14533	14533
552/553												
321	कैट	15.3.94	26	15.3.94	47	चालू	-	15.3.94	35	5.7.88	1930	2039
571/2/3/4												
85756/7/8/9,	केबी	चालू		चालू	-	चालू	-	चालू	-	1.2.93	2359	2359
5751/2/3/4/5												
5562/6/7	एन जे एफ	चालू	-	चालू	-	चालू	-	चालू	-	27.1.89	2331	2331
547	एन जी एल	30.9.92	7	30.9.92	284	चालू	-	30.9.92	43	14.1.88	5831	6165
50, 53, 59, 541/2/	आरबी	चालू	-	चालू	-	चालू	-	चालू	–	31.3.88	30324	30324
3/4/5/6/7/8												
570	एस पी आर	चालू	-	चालू	-	चालू	-	चालू	-	30.12.90	1292	1292
558, 5572/3	बी पी आर	चालू	-	चालू	-	चालू	-	चालू	–	19.11.90	4709	4709
3295	पी आई एस	30.11.93	–	30.11.93	–	चालू	-	30.11.93	30.11.93	–	2	2
5452	के आई टी सी	30.11.93	-	30.11.93	7	चालू	30.11.93	चालू	-	30.11.93	30	37
5363	एनएमसल	30.6.92	2	30.6.92	56	चालू	30.6.92	30.6.92	6	31.3.88	252	316
540	एनएनबी	चालू	-	चालू	-	चालू	चालू	चालू	-	4.10.90	2030	2030

सी आर एफ से नियतन

5674. श्री अन्ना जोशी : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा नियत, वितरित और प्राप्त सी आर एफ शेयरों का वर्ष वार ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या इन निधियों के वितरण/आवंटन में कोई विसंगतियां हुई हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सुधार के क्या उपाय किए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत गत पांच वर्षों के दौरान राज्यों के लिए किया गया राज्यवार एवं वर्ष वार आबंटन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(लाख रू.)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	4.49	5.00	50.00	33.00	50.00
2.	असम	31.50	-	25.00	60.00	40.00
3.	बिहार	-	-	20.00	100.00	40.00
4.	दिल्ली	6.00	5.40	5.70	12.00	100.00
5.	गोवा	-	-	-	1.00	5.00
6.	गुजरात	100.00	150.00	60.00	70.00	80.00
7.	हरियाणा	15.00	50.00	10.00	39.00	35.00
8.	हिमाचल प्रदेश	6.00	9.81	-	-	15.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	10.00	-	20.00	50.00	15.00
10.	कर्नाटक	6.024	7.00	45.00	80.00	50.00
11.	केरल	135.016×	150.00	40.00	20.00	55.00
12.	मध्य प्रदेश	30.00	50.00	60.00	50.00	45.00
13.	महाराष्ट्र	19.01	4.50	90.00	100.00	110.00

1	2	3	4	5	6	7
14.	मणिपुर	5.00	10.50	1.00	-	10.00
15.	मेघालय	-	-	20.00	25.00	10.00
16.	मिजोरम	-	-	10.00	25.00	--
17.	नागालैंड	1.96	1.96	-	-	10.00
18.	उड़ीसा	-	-	30.00	7.00	40.00
19.	राजस्थान	161.00	207.00	-	25.00	5.00
20.	तमिलनाडु	10.00	-	60.00	50.00	80.00
21.	त्रिपुरा	-	-	5.00	11.00	5.00
22.	उत्तर प्रदेश	315.00	250.00	-	79.50	100.00
23.	पश्चिम बंगाल	50.00	5.00	34.00	40.00	20.00
24.	सिक्किम	-	-	-	-	20.00
25.	पंजाब	-	-	-	-	60.00

× इसमें कोचीन पत्तन न्यास के लिए केन्द्रीय हिस्से के तौर पर 35.016 लाख रु० शामिल हैं।

पासपोर्ट का नवीकरण

5675. श्री अनंतराव देशमुख : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पासपोर्ट का नवीकरण केवल उसे जारी करने वाले सबसे पहले अधिकारी से ही कराने हेतु कोई निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जनता तथा अनिवासी भारतीयों की ओर से इन निदेशों पर पुनर्विचार करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कुछ अनिवासी भारतीयों ने अभ्यावेदन भेजे थे और ये अभ्यावेदन संगत हिदायतों की गलत व्याख्या पर आधारित थे क्योंकि यह गलत अर्थ निकाला गया था कि उन्हें अपने पासपोर्टों के नवीकरण के लिये या तो मूल पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी के पास जाने के लिए भारत वापस जाना होगा, अथवा उन्हें नवीकरण के लिए अपने पासपोर्ट मूल पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी के पास वापस भेजने होंगे।

(घ) हमारे मिशनों को कहा गया है कि वे भारतीय समुदाय को स्थिति स्पष्ट करते हुए यह बता दें कि उन्हें अपने पासपोर्टों के नवीकरण के लिए न तो भारत वापस आने की जरूरत है और न ही अपने पासपोर्ट भारत वापस भेजने की।

जी-15 शिखर सम्मेलन पर खर्चे

5676. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में हुए जी-15 शिखर सम्मेलन पर सरकार ने मद-वार कितनी धनराशि खर्च की ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : नई दिल्ली में 28 से 30 मार्च, 1994 तक सम्पन्न हुए जी-15 शिखर सम्मेलन पर भारत सरकार ने 1,27,26,091 रुपये खर्च किए। यह खर्च उन बिलों पर आधारित है जो 23 अप्रैल, 1994 तक प्राप्त हो चुके हैं। जिन पर इस तारीख तक कार्यवाही की जा चुकी है।

क्र. सं.	मद	खर्च (रुपयों में)
1.	हवाई अड्डे पर किए गए प्रबन्ध	1,36,744
2.	मौर्य शेरटन होटल में भोजन तथा प्रवास प्रभार आदि	53,29,413
3.	रिट्रीट व्यय (राष्ट्रपति भवन) पर हुआ	50,600
4.	वाहनों को किराये पर लेना	14,91,690
5.	कार्मिकों और उपस्करों कार्यालय को किराये पर लेना	28,45,005
6.	संचार	2,73,093
7.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को किया गया भुगतान	43,970
8.	लेखन-सामग्री और उपहारों की खरीद	3,86,531
9.	मार्ग नियंत्रण	72,433
10.	आसूचना ब्यूरो/पुलिस को दिया गया भुगतान	1,61,750
11.	विज्ञान भवन में किए गए प्रबन्ध	2,38,598
12.	विज्ञान भवन में आई टी डी सी द्वारा खान-पान व्यवस्था पर व्यय	7,92,244
13.	मीडिया केन्द्र की स्थापना	8,92,980
14.	विविध	11,040
	कुल जोड़	1,27,26,091

टिप्पणी : कुछ और बिल जिनकी रकम पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होगी, प्राप्त होने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

विद्युत वित्त निगम द्वारा अर्जित लाभ

5677. श्री बीर सिंह महतो : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार विद्युत वित्त निगम द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू) : वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान विद्युत वित्त निगम द्वारा अर्जित किया गया लाभ निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु॰ में)

	1990-1991	1991-92	1992-93 (अनंतिम)
कर-पूर्व लाभ	100.08	156.94	206.74
कर पश्च लाभ	73.18	108.21	143.45

[अनुवाद]

राजस्थान में दूरदर्शन कार्यक्रम

5678. प्रो.रासा सिंह रावत: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में दूरदर्शन के कार्यक्रम साफ नहीं दिखाई देते ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास राजस्थान में टी. वी. ट्रांसमीटर लगाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव): (क) और (ख): जहां दूरदर्शन के सैटेलाइट सिग्नल्स देश भर मे उपलब्ध हैं; वहीं स्थलीय प्रसारण राजस्थान के सभी जिलों को पूर्णत: या अंशत: उपलब्ध हैं। क्षेत्रीय दशानुसार राज्य का अनुमानित 38.8% क्षेत्र तथा 61. 6% आबादी दूरदर्शन के भू-भागीय प्रसारण द्वारा लाभान्वित हैं।

(ग) : जी हां।

(घ) : राज्य में 7 उच्च शक्ति, 21 अल्प शक्ति तथा 10 अति अल्प शक्ति के टी. वी. ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/लगाए जाने हेतु परिकल्पित हैं।

[हिन्दी]

दूरदर्शन अहमदाबाद

5679. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन अहमदाबाद को समाचार वाचकों के विरुद्ध कई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार इस पर क्या कारवाई कर रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) से (ग): दर्शकों से समय-समय पर समाचार वाचन की गति, गलत उच्चारण, गलत विराम आदि से संबंधित शिकायतें मिलती रहती हैं और आवश्यक होने पर दूरदर्शन द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

भद्रक, उड़ीसा में सिविल निर्माण कार्य

5680. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के भद्रक डाकडिवीजन में बहुत से सिविल निर्माण कार्य शुरू किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(घ) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हाँ

(ख) (i) बंत उप-डाकघर के लिए विभागीय भवन का निर्माण।

(ii) भद्रक हैट पोस्ट आफिस के अहाते में 6 टाइप-III क्वार्टरों का निर्माण।

(ग) इस प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित परियोजना के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान विनिर्दिष्ट धनराशि निम्नानुसार है :-

(i) बंत उप-डाकघर भवन-6 लाख रुपये।

(ii) भद्रक हैड पोस्ट आफिस के अहाते में 6, टाइप-III क्वार्टरों का निर्माण-7 लाख रुपए।

(घ) इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने की संभावित समय सीमा जुलाई, 1994 है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन क्षमता

5681. श्री खेलन राम जांगडे:

श्री विजये एन॰ पाटील :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है और इस समय विद्युत परियोजनाओं की औसत उत्पादन क्षमता कितनी है और

(ख) देश के विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु योजना का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 31.3.94 की स्थिति के अनुसार देश में विद्युत उत्पादन की कुल अभिष्ठापित क्षमता 76718.21 मे. वा. थी। वर्ष 1993-94 के दौरान देश में ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 61.0 प्रतिशत था। जल विद्युत और गैस केन्द्रों का विद्युत उत्पादन जल, गैस और प्रणाली भार की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) देश में अधिष्ठापित क्षमता के ईष्टतम समुपयोजन हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में, पुरानी इकाइयों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, बिजली बोर्डों द्वारा संयंत्र उत्थापन कार्यक्रम बनाने में उन्हें सहायता प्रदान करना, कोयला की उपेक्षित मात्रा और गुणवता की आपूर्ति कराना, प्रचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और परक्षेपण एवं वितरण प्रणाली के सशक्त बनाना इत्यादि शामिल हैं।

[अनुवाद]

परमाणु अप्रसार

5682. श्री रवि राय : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 1.4.94 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित एक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि अमरीका दक्षिण एशिया में परमाणु अप्रसार संबंधी कार्य को आगे बढ़ाने हेतु भारत से पाकिस्तान की भांति किन्तु उनसे पृथक वचन लेने का प्रयास करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,; और

(ग) अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता द्वारा दिए गए उक्त वक्तव्य पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीका के विदेश उप सचिव श्री स्ट्रोब टालबोट ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान यह कहा कि पाकिस्तान द्वारा अपने विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर सत्यपनीय रोक लगाने के बदले में प्रेसलर संशोधन में एक बार छूट देकर पाकिस्तान को एफ-16 विमान के अन्तरण करने से सम्बद्ध अमरीकी प्रस्ताव दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय प्रस्ताव है। तथापि, अमरीका की सरकार यह चाहेगी कि नाभिकीय क्षमताओं पर रोक की अवधारणा का अन्य देशों तक भी विस्तार हो।

(ग) सरकार की बराबर यह स्थिति रही है कि भारत ऐसे अ-प्रसार उपायों का समर्थन करेगा जो सार्वभौमिक, व्यापक, भेदभाव रहित और सत्यपनीय हो। पाकिस्तान को एफ-16 विमानों के प्रस्तावित अन्तरण को लेकर भारत की गहरी चिन्ता से श्री टालबोट को अवगत करा दिया है। यह भी बता दिया गया है कि पाकिस्तान को एफ-16 विमानों के अन्तरण की वजह से यह जरूरी हो जाएगा कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं का पुनर्मूल्यांकन करे और अपनी सुरक्षा की हिफाजत के पर्याप्त उपाय करे।

उत्तर प्रदेश में पुल का निर्माण

5683. श्री राम निहोर राय: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर में चुनार में गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ग) इस पुल का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) भारत सरकार मूलत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिम्मेदार है। सभी अन्य सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं। प्रश्नगत पुल किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र द्वारा प्रयोजित किसी स्कीम के अंतर्गत ऐसे पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय सड़क निर्माण निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का कल्याण

5684. श्री कड़िया मुण्डा: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सड़क निर्माण निगम द्वारा कार्य सूची विषय-क्रम संख्या 119/16 के पारित होने के बाद अनर्ह घोषित किये गये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की वर्गवार/पद-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय (ए आई आर 1994 उच्चतम न्यायालय 55) तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के आदेशों को देखे हुए कार्य सूची विषय-क्रम लागू होता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अर्ह व्यक्तियों को पूर्व-प्रभाव के लाभ कब तक मिलने की संभावना है;

(ङ) भारतीय सड़क निर्माण निगम के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ ने गत तीन वर्षों के दौरान अब तक कितनी शिकायतें भेजी हैं; और

(च) इन अभ्यावेदनों के आधार पर दिये गये लाभों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (च): ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को ऋण

5685 : श्री धर्ममण्णा मोण्डय्या सादुल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक प्रमुख औद्योगिक गृह ने महानगरों में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को आधार भूत सुविधाओं, पट्टे सम्बन्धी और वित्तीय सेवाओं के लिए ऋण दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ग) इस प्रयोजनार्थ मार्च, 1994 तक कितना ऋण दिया गया था और 1994-95 और 1995-96 के दौरान कितना ऋण दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) : महानगर टेलीफोन निगम लि॰ (एम॰ टी॰ एन॰ एल) ने निम्नलिखित आपूर्ति-कर्ताओं में भारतीय मुद्रा में पट्टा वित्त पोषण आधार पर डिजिटल स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंज स्विचन उपस्कर प्राप्त करने के लिए समझौता किया है:

फर्म का नाम	पट्टा वित्त पोषण की राशि (रुपयों में)
एम॰ टी॰ एन॰ एल॰ के साथ किए गए उपपट्टा करार के आधार पर 1,00,000 लाइनों के उपस्कर के लिए मैसर्ज अल्काझील मोदी नेटवर्क सिस्टम लि॰.	46, 72, 99, 964.00
एम. टी. एन. एल. के साथ किए गए पट्टे के सीधे करार के आधार पर 50,000 लाइनों के उपस्कर के लिए मैसर्ज एरिकस्सन टेलीकम्यूनिकेशनस प्रा॰ लि॰.	22, 21, 68, 662.00
एम. टी. एन. एल. के साथ किए गए पट्टे के सीधे करार के आधार पर 70,000 लाइनों के उपस्कर के लिए मैसर्ज फ्यूजिस्यू इण्डिया टेलीकॉम लि॰	30, 03, 06, 408.00
पट्टा वित्त पोषण की कुल राशि	98, 97, 75, 034.00 (मात्र अठानवे करोड़, सतानवे लाख पचहत्तर हजार चौंतीस रुपए)

(ग) अप्रैल, 1986 से मार्च, 1994 तक एम टी एन एल द्वारा वित्तीय संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आदि बाण्डों के जरिए कुल 5,578.84 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की गई है। (मात्र पांच हजार पांच सौ अठहतर दशमलव चौरासी करोड़ रुपये)

एम टी एन एल के अभी तक 10 सीरीज में कुल 5578.846 करोड़ रु॰ के बाण्ड जारी किए है जिसमें से 4767 करोड़ रु॰ दूरसंचार विभाग (भारत सरकार) के लिए प्राप्त किए गए। शेष 811.846 करोड़ रु॰ की राशि एम टी एन एल ने अपने पास रखी है।

ऋण लेने संबंधी भावी योजनाओं के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में सांसदों के कोटे से टेलीफोम कनैक्शन

5686. प्रो॰ एम॰ कामसन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी से अप्रैल, 1994 के दौरान देश के विभिन्न दूरसंचार कार्यालयों से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेट में सांसदों के कोटे से टेलीफोन कनैक्शनों के बिना बारी के मंजूरी के आदेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन में से अब तक कितने टेलीफोन कनैक्शन जारी किये गये हैं;

(घ) शेष कनेक्शन जारी न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त कनैक्शन कब तक जारी किये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) 1.1.1994 से 25.4.1994 को अवधि के बीच महानगर टेलीफोन निगम लि॰ दिल्ली और महानगर टेलीफोन निगम लि॰ बंबई में क्रमशः 2260 और 251 मंजूरियां प्राप्त हुई हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित मंजूरियों में से महानगर टेलीफोन निगम लि॰ दिल्ली और महानगर टेलीफोन निगम लि॰ बंबई में अब तक क्रमशः 1141 और 147 मंजूरियां निपटाई जा चुकी हैं।

(घ) महानगर टेलीफोन निगम लि॰ दिल्ली और महानगर टेलीफोन निगम लि॰ बंबई में क्रमशः 1119 और 104 मंजूरियों को निम्नलिखित कारणों से नहीं निपटाया जा सका है :–

(i) पंजीकरण विवरणी का उपलब्ध न होना।

(ii) मंजूरी आदेश में प्राप्त विवरणों का वास्तविक पंजीकरण विवरणों से भिन्न होना।

(iii) मंजूरी आदेश का पता वास्तविक पते से भिन्न होना।

(iv) ग्राहकों से पते में परिवर्तन के बारे में अनुरोध पत्र का प्राप्त होना।

(v) नामों/पार्टी/फर्मों आदि में विवाद।

(ङ) आवेदकों द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी कर दिए जाने के तत्काल पश्चात् कनेक्शन दे दिए जाएंगे।

कर्नाटक री-रौलिंग यूनिट

5687. श्री सी॰ पी॰ मुदाल गिरियप्पा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल के अभाव में कर्नाटक री रौलिंग यूनिटें अनेक विकट समस्याओं का सामना कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन यूनिटों को अर्थक्षम बनाने और उचित मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) कर्नाटक में पुनर्बेलन इकाइयों के समक्ष आ रही कच्ची सामग्री की कमी के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) पुनर्बेलन उद्योग की पुनर्बेलन योग्य सामग्री की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त क्षमता है। पोत भंजन उद्योग से पुनर्बेलन योग्य स्क्रैप की उपलब्धता भी बढ़ गयी है। अर्ध तैयार माल को निर्बाध रूप से आयात करने की भी अनुमति है और आयात शुल्क भी घटाकर 30% कर दिया गया है।

खनन पट्टों में संशोधन

5688. श्री हाराधन राय : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम, 1957 के लागू होने से पहले दिए गये खनन पट्टों में संशोधन करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) प्रस्तावित संशोधन कब तक कर दिए जाएंगे ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) खान पट्टा नियंत्रक को ऐसे 21 खनन पट्टों के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इन 21 खनन पट्टों में से 8 पट्टे मुख्य खनिजों के बारे में हैं और 13 गौण खनिजों के हैं।

खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का 25) के लागू होने पर 8 मुख्य खनिजों के पट्टों में परिवर्तन की कार्रवाई खनन पट्टा नियंत्रक द्वारा की जा रही है। खनन पट्टे (शर्तों में सुधार) नियम, 1956 में भी संशोधन किया जा रहा है ताकि गौण खनिज पट्टों में भी अपेक्षित परिवर्तन किये जा सकें।

पशुओं पर निर्दयता के दृश्यों पर सेंसर

5689. प्रो. राम कापसे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें यह अनुरोध किया गया है कि फिल्मों में पशुओं पर निर्दयता दिखाने वाले दृश्यों को प्रदर्शित करने की स्वीकृति न दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को कोई निदेश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में बोर्ड ने क्या कारवाई की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्र सरकार ने चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5-ख के अंतर्गत फिल्मों के प्रमाणन के लिए मार्ग-निर्देश जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई है कि बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि जानवरों के प्रति क्रूरता या उनके दुरुपयोग के दृश्य अनावश्यक रूप से न दिखाए जाएं।

(ग) बोर्ड इन मार्गनिर्देशों के अनुसार फिल्मों की जांच करता है और इस बात पर विचार करता है कि किसी फिल्म में क्या दिखाया गया है तथा दर्शकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी फिल्म को प्रमाणपत्र प्रदान करने से पहले इन मार्ग-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले दृश्यों को हटा दिया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

5691. प्रो. प्रेम धूमल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि उत्तरी क्षेत्र में आवेदन करते ही टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिये जाऐंगे;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में प्रतीक्षा सूची का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटा लिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ग) जी नहीं, तथापि दूरसंचार विभाग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) बनाई है जिसमें निम्नलिखित परिकल्पना की गई है :

-ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना।

-बड़े टेलीफोन प्रणालियों में प्रतीक्षा अवधि को दो वर्ष तक सीमित करना।

-तदनुसार हिमाचल प्रदेश के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 1992-97 के दौरान 56400 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत 1992-94 की अवधि के दौरान 18039 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। तथापि लीजिंग आधार पर उपस्करों की खरीद के लिए निधि एकत्र करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसी निधियों के उपलब्ध हो जाने पर अतिरिक्त लाइनें संस्थापित की जायेंगी ताकि अगले वर्ष तक मांग होने पर टेलीफोन उपलब्ध करा दिए जा सकें।

(ख) 31.3.94 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची के जिलेवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

1.	विलासपुर	–781	2.	चम्बा		392
3.	हमीरपुर	–2251	4.	कांगड़ा	–	3249
5.	किन्नूर	131	6.	कुल्लू	–	1531
7.	लाहुल और स्फीर्ति	36	8.	मण्डी	–	2565
9.	सिरमौर	162	10.	शिमला	–	4077
11.	सोलन	2054	12.	ऊना	–	1187

(ग) ऊपर (क) के साथ उत्तर दे दिया गया है।

[हिन्दी]

हिसार में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु इसानवर्ग कम्पनी के साथ समझौता

5692. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इसान वर्ग कंपनी के सहयोग से हिसार में ताप विद्युत संयंत्र करने हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने का है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी, नहीं। विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन निजी संप्रवर्तकों को सौंपा जाना राज्य सरकार की सक्षमता के अधीन है।

[अनुवाद]

पारादीप में पोत निर्माण और मरम्मत कारखाना

5693. श्री के॰ प्रधानी: क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप, उड़ीसा में पोत निर्माण और मरम्मत कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह काराखाना निजी क्षेत्र के सहयोग से स्थापित किया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो इस कारखाने की क्षमता कितनी होगी और इसमें गैर-सरकारी क्षेत्र की कौन-कौन सी कंपनियां भाग लेंगी; और

(ङ) यह कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ङ): एक निजी कम्पनी ने उड़ीसा में पारादीप में जहाज मरम्मत सुविधाएं स्थापित करने की इच्छा व्यक्त

की है। ये प्रस्ताव केवल प्राथमिक स्तर पर है। सरकार को कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

बिहार में शाखा डाकघर

5694. श्री तेज नारायण सिंह :

श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत दो वर्षों के दौरान बिहार के विभिन्न डाक डिवीजन में पृथक-पृथक कितने शाखा डाकघरों को खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है और वास्तव में कितने डाकघर खोले गये और 1994-95 के दौरान कितने डाकघर खोलने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : बिहार के विभिन्न डाक मंडलों में, पिछले दो वर्षों के दौरान मंजूर किए गए और वास्तव में खोले गए शाखा डाकघरों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। वर्ष 1994-95 के दौरान, बिहार के साथ-साथ अन्य राज्यों में खोले जाने वाले प्रस्तावित शाखा डाकघरों की संख्या को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।-

विवरण

क्र० सं०	डाक मंडल का नाम	वर्ष 1992-93 के दौरान मंजूर किए गए और खोले गए शाखा डाकघर	वर्ष 1993-94 के दौरान मंजूर किए गए और खोले गए शाखा डाकघर
1	2	3	4
1.	औरंबाबाद	1	1
2.	वेगूसराय	2	2
3.	भागलपुर	1	2
4.	भोजपुर	1	4
5.	चम्पारन	–	2
6.	धनबाद	–	1
7.	दरभंगा	1	2
8.	गया	2	6
9.	गिरिडिह	1	1
10.	हजारीबाग	–	2
11.	मधुबनी	1	1

1	2	3	4
12.	मुंगर	1	3
13.	मुजफ्फरपुर	1	5
14.	नालंदा	1	1
15.	पलामू	–	3
16.	पटना	–	2
17.	पूर्णिया	1	4
18.	रांची	21	16
19.	रोहतास	1	2
20.	सहरसा	3	[illegible]
21.	समस्तीपुर	1	2
22.	संथाल परगना	14	7
23.	सारन	3	3
24.	सिंहभूम	10	7
25.	सीतामढ़ी	2	2
26.	सिवान	–	2
27.	वैशाली	1	2
	योग	70	90

असम में डाकघरों के भवन

5695. श्री प्रबीन डेका : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कितने डाकघर किराये के मकानों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) उन भवनों के लिए प्रति-वर्ष कुल कितने किराये का भुगतान किया जा रहा है;

(ग) क्या ऐसे डाकघरों के लिए सरकारी भवनों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 436 (चार सौ छत्तीस)

(ख) रु० 25, 664,500/- प्रति वर्ष।

(ग) जी हां।

(घ) सैंतालीस (47) परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिनमें सात (7) परियोजनाओं का काम चल रहा है।

शरजाह कप क्रिकेट मैच का प्रसारण

5696. श्री के० एच० मुनियप्पा :

श्री वी० कृष्णा राव :

श्री के० पी० शिवप्पा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरजाह कप, 1994 क्रिकेट मैच का दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारण करने की निरंतर मांग की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो क्रिकेट मैचों का प्रसारण न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) दूरदर्शन ने इस टूर्नामेंट में खेले गए मैचों के मुख्य अंशों का प्रसारण किया जबकि आकाशवाणी ने अपने समाचार बुलेटिनों में परिणामों की सूचना दी।

दोहरी शुल्क पद्धति को समाप्त करना

5697. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विद्युत क्षेत्र में दोहरी शुल्क प्रणाली को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय लेने का क्या कारण है;

(ग) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया में भारत की भूमिका

5698. श्री संत राम सिंगला : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया में भारत की कोई भूमिका है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) भारत मध्यपूर्व शान्ति प्रक्रिया के बहुपक्षीय संगम में भाग लेता है तथा क्षेत्रीय मसलों से सम्बद्ध पांच कार्यकारी दलों की मई, 1992 से अप्रैल, 1994 के बीच विभिन्न जगहों पर अब तक हुई सभी बैठकों में उसने भाग लिया, यथा आर्थिक विकास एवं सहयोग, शरणार्थी, शस्त्र नियंत्रण एवं

क्षेत्रीय सुरक्षा, जल संसाधन और पर्यावरण। भारतीय प्रतिनिधि मण्डलों ने सम्बद्ध क्षेत्रों में अपने अनुभव को उजागर करते हुए अपनी बात कही।

पोलेंड के साथ आतंकवाद के संबंध में समझौता

5699. श्री वाई॰ एस॰ राजशेखर रेड्डी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवाद, अपराध आदि रोकने हेतु पोलेंड के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां। जनवरी, 1994 में पोलेंड ने आतंकवाद, अपराध, स्वापकों के गैरकानूनी व्यापार आदि की रोकथाम के लिए एक द्विपक्षीय करार सम्पन्न करने का प्रस्ताव रखा था। पोलेंड पक्ष की ओर से दिए गए प्रारूप की जांच की गई और भारतीय पक्ष की ओर से एक अन्य प्रारूप (समझौता ज्ञापन) का प्रस्ताव किया गया। हमारे इस प्रस्ताव पर पोलेंड की प्रतिक्रिया अभी प्राप्त होनी है।

(ख) जिस करार पर बातचीत चल रही है उम्मीद है कि उससे अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, स्वापकों तथा मन: प्रभावी पदार्थों के गैर-कानूनी उत्पादन, खपत तथा व्यापार, संगठित अपराध, जाल-साजी, तस्करी आदि के खिलाफ संघर्ष में द्विपक्षीय सहयोग की व्यवस्था होगी। पोलेंड की ओर से टिप्पणियां मिलने के बाद और आगे बातचीत की जाएगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

5700. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और इसके घाट क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की अलग-अलग कुल लम्बाई कितनी है,

(ख) क्या धनराशि का आवंटन राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 12 पर किए गए नये निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 2946 कि॰ मी॰ है। रा. रा. 3, 6, 7, 12, 16, 26, 27 और 43 के खंडों के कुछ भाग घाट क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं।

(ख) जी हां, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में रा. रा.-12 के लिए 213.24 लाख रु० के तीन नए विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है।

[अनुवाद]

पारपत्र कार्यालय से आमदनी

5701. प्रो० के० वी० थामस : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारपत्र शुल्क में वृद्धि के बाद से पारपत्र कार्यालयों से होने वाली आमदनी में बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शुल्क में वृद्धि के बाद पारपत्रों के लिए प्राप्त आवेदनों और जारी किए गए पारपत्रों का प्रतिशत क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) और (ख) पासपोर्ट शुल्क में 10 जुलाई, 1993 से संशोधन किया गया था। शुल्क में संशोधन होने से पूर्व तथा उसके बाद की अवधि में प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों तथा जारी किए गए पासपोर्टों का ब्यौरा इस प्रकार है:

	जनवरी-9 जुलाई, 1993	**12 जुलाई-दिसंबर, 1993**
प्राप्त आवेदन	लगभग 12.57 लाख	लगभग 9.30 लाख
जारी किए पासपोर्ट	लगभग 13.91 लाख	लगभग 13.18 लाख

(ग) शुल्क में संशोधन के बाद प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों की तुलना में जारी किए गए पासपोर्टों का प्रतिशत 141.72 है।

कूरियर सेवाएं

5702. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रों/पार्सलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए देशभर में भारी संख्या में गैर-सरकारी एक्सप्रेस कूरियर सेवाएं आरम्भ हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसी कितनी कूरियर सेवाएं हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप डाक सेवाओं को कितने राजस्व की हानि हुई है; और

(घ) सरकार इन कूरियर सेवाओं की चुनौती का सामना करने हेतु डाक सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) सरकार इस बात में अवगत है कि देश में कुछ निजी स्वामित्व वाली एक्सप्रेस कुरियर सेवायें कार्य कर रही हैं। तथापि, ऐसे कुरिअर्स

की संख्या विषयक जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि देश में कुरिअर सेवाओं को लाइसेंस देने या उनका पंजीकरण करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) कुरिअर्स सेवाओं की वजह से राजस्व-हानि का पता लगाना/निर्धारण करना संभव नहीं है।

(घ) कुरिअर्स सेवाओं की चुनौती से निपटने के लिए, सरकार द्वारा डाक सेवा में सुधार लाने के लिए, 1986 में ई एम एस स्पीड पोस्ट की शुरूआत सहित अनेक कदम उठाए गए हैं। अंतर्महानगरीय पत्रों का 48 घंटों के भीतर वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसमें ऐसे पत्रों के संग्रहण, छंटाई तथा वितरण के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इस योजना में नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलूर और हैदराबाद को शामिल किया गया है। नई दिल्ली तथा अन्य राज्यों की राजधानियों के बीच भी पत्रों के लिए इसी प्रकार के विशेष प्रबंध, चरणबद्ध ढंग से, करने का प्रस्ताव है।

उपस्करों का उत्पादन

5703. श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर रावबाड्डे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निविदा देने वालों के लिए देश में स्विच लाइन उपस्कर के उत्पादन की अनिवार्यता की कोई पूर्व निर्धारित शर्त है,

(ख) क्या हाल ही में बड़े स्विचों की निविदा में जिसके लिए दूरसंचार विभाग द्वारा क्रयादेश दिया जा रहा है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देश में उनका उत्पादन करने की बजाय तैयार रूप में उनका आयात कर रही हैं,

(ग) क्या यह निविदा मानदंडों का उल्लंघन है और इससे विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) ऐसी मदें जो स्वदेशी स्रोतों से उपलब्ध हैं, उनकी निविदाओं के लिए पात्रता की यह शर्त है कि बोली लगाने हेतु कंपनियां पात्र हैं जो निविदा उपस्कर के विनिर्माण के लिए पंजीकृत हैं और यदि उनका विदेशी कंपनियों से सहयोग है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय रिर्जव बैंक की अनुमति होनी चाहिए। इन मदों के लिए विभाग का टाईप अनुमोदन भी होना चाहिए विश्वनीय निविदाओं के मामले में अथवा उन मामलों में जहां आयात आवश्यक समझे जाते हैं, ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है।

(ख) निविदा में सिर्फ वे विक्रेता ही शामिल हो सकते थे जो भारत में स्विचन उपस्कर के विनिर्माण के लिए पंजीकृत थे और जिनके पास इसके विनिर्माण हेतु भारतीय रिर्जव बैंक की अनुमति थी। यह निविदा भारतीय मुद्रा में थी। निविदा में एकमात्र शर्त यह थी कि भारत में उपस्कर के विनिर्माण हेतु भारतीय रिर्जव बैंक की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।

(ग) यह निविदा मानदण्डों का कोई उल्लंघन नहीं है क्योंकि निविदा में यह शर्त थी कि उपस्कर के विनिर्माण के लिए कंपनियों का पंजीकरण भारत में होना चाहिए। जहां तक दूरसंचार विभाग का संबंध है कोई विदेशी मुद्रा बाहर नहीं जा रही है क्योंकि निविदा भारतीय मुद्रा में थी।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए किसी कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग

5704. डा॰ (श्रीमती) के॰ एस॰ सौन्द्रम : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और वर्तमान राजमार्गों की मरम्मत हेतु प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई और उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों ने इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की मांग की थी; और

(ख) केन्द्र सरकार ने राज्य में वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव हेतु अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के मूल और मरम्मत कार्यों के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार को प्रदत्त तथा उसके द्वारा मांगी गई निधियां नीचे दर्शाई गई हैं :-

वर्ष	मूल कार्य		अनुरक्षण कार्य	
	मांगी गई राशि (लाख रु॰)	आंबटित राशि (लाख रु॰)	मांगी गई राशि	आबंटित राशि
1991-92	2049.00	1422.00	1189.96	979.91
1992-93	2245.00	1600.00	1379.07	1134.69
1993-94	4848.20	3200.00	2650.934	1643.67

(ख) अनुरक्षण हेतु अधिक आंबटन के लिए प्रयास किए गए और राज्य को अतिरिक्त निधियां आंबटित की गई।

उड़ीसा में नए खनिज भंडार

5705. डा॰ कृपासिन्धु भोई : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग ने मालूड और गोपालपुर के बीच उड़ीसा में समुद्र की तलहटी में खनिजों के विशाल भंडारों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खनिज भंडारों के दोहन हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा तटीय उड़ीसा के गोपालपुर मालूद क्षेत्र में प्राथमिक जांच के परिणामस्वरूप, नियरशेल्फ डोमेइन क्षेत्र में इलेमेनाइट के 17.28 मि॰ टन, 6.8 मि॰ टन सिलिमेनाइट, 4.86 मि॰ टन गारनेट व 1.62 मि॰ टन जिरकान, स्टाइल व मोनाजाइट (कम्बाइन्ड) के अनुमानित संसाधनों का आकलन किया गया है। आगे कार्य जारी है।

(ग) भंडारों का विदोहन आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सड़क निधि से धन का आबंटन

5706. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार गांवों में सड़कों के निर्माण तथा उन्हें सम्पर्क मार्गों और छोटे पुलों के माध्यम से मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सड़क निधि से धन उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और 1989-90 से राजस्थान को केन्द्रीय सड़क निधि से प्रतिवर्ष कितनी राशि दी गई है; और

(ग) क्या अब तक राजस्थान को इस निधि से केवल आंशिक रूप से धनराशि उपलब्ध कराई गई है और राज्य को शेष राशि कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) केन्द्रीय सड़क निधि के तहत राज्यों को राज्य-सड़कों तथा गांवों की सड़कों के लिए निधियां आबंटित की जाती हैं। 1989-90 से किया गया निधियों का राज्य-वार आबंटन, संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) केन्द्रीय सड़क निधि के तहत राज्यों को अनुमोदित कार्यों के प्रति निधियां, राज्य के लिए अनुमोदित स्कीमों की कुल लागत, पहले जारी की गई कुल निधियों, राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित आवश्यकता और बजटगत प्रावधान को ध्यान में रखकर, आबंटित की जाती हैं। तथापि, 1989-90 से अब तक राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि के तहत उनके भाग के रूप में 398 लाख रु॰ जारी किए जा चुके हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	4.49	5.00	50.00	33.00	50.00
2.	असम	31.50	-	25.00	60.00	40.00
3.	बिहार	-	-	20.00	100.00	40.00
4.	दिल्ली	6.00	5.40	5.70	12.00	100.00
5.	गोवा	-	-	-	1.00	5.00
6.	गुजरात	100.00	150.00	60.00	70.00	80.00
7.	हरियाणा	15.00	50.00	10.00	39.00	35.00
8.	हिमाचल प्रदेश	6.00	9.81	-	-	15.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	10.00	-	20.00	50.00	15.00
10.	कर्नाटक	6.024	7.00	45.00	80.00	50.00
11.	केरल	135.016×	150.00	40.00	20.00	55.00
12.	मध्य प्रदेश	30.00	50.00	60.00	50.00	45.00
13.	महाराष्ट्र	19.01	4.50	90.00	100.00	110.00
14.	मणिपुर	5.00	10.50	1.00	-	10.00
15.	मेघालय	-	-	20.00	25.00	10.00
16.	मिजोरम	-	-	10.00	35.00	-
17.	नागालैंड	1.96	1.96	-	-	10.00
18.	उड़ीसा	-	-	30.00	7.00	40.00
19.	राजस्थान	161.00	207.00	-	25.00	5.00
20.	तमिलनाडु	10.00	-	60.00	50.00	80.00
21.	त्रिपुरा	-	-	5.00	11.00	5.00
22.	उत्तर प्रदेश	315.00	250.00	-	79.50	100.00
23.	पश्चिम बंगाल	50.00	5.00	34.00	40.00	20.00
24.	सिक्किम	-	-	-	-	20.00
25.	पंजाब	-	-	-	-	60.00

* केन्द्रीय भाग के रूप में कोचीन पत्तन न्यास के लिए 35.016 लाख रु० सहित।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 7 को चौड़ा करना

5707. श्री भीम सिंह पटेल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 07 के जबलपुर, मेहर, रीवा, मंगवाना, हनुमाना, बनारस सड़क मार्ग को चौड़ा कर चार लाइनों का बनाने और इस मार्ग पर अवस्थित क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) संसाधनों के अभाव के कारण, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 7 को चौड़ा करके 4 लेनों का बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नर्मदा नदी पर तिलवाड़ा घाट पुल की मरम्मत के लिए 68,000/- रु॰ का बाढ़ क्षति मरम्मत प्राक्कलन अप्रैल, 1994 में मंजूर किया गया है।

[अनुवाद]

5708. डा॰ राजागोपालन श्रीधरण : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मनी की मेसर्स सीमेन्स लिमिटेड को देश में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने की अनुमति दी गई है,

(ख) इन विद्युत परियोजनाओं को किन-किन स्थानों पर स्थापित करने की योजना है; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार और गैर-सरकारी क्षेत्र की इक्वीटी भागीदारी का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडु): (क) से (ग) मै॰ सीमेन्स लिमिटेड गुजरात में 615 मे॰ वा॰ वाली गैस आधारित विद्युत परियोजना और तमिलनाडु में 1500 मे॰ वा॰ वाली एक लिग्नाइड आधारित परियोजना में ईक्विटी भागीदार है। गुजरात में परियोजना के लिए सी ई ए द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदन कर दिया गया है, और इस समय ईक्विटी भागीदारी का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

विदेशी	(करोड़ रुपए)
सीमेन्स॰ एन॰ आर॰ आई और अन्य	217
घरेलू	
(क) भारतीय प्रर्वत्तक	
(टोरेन्ट और जी॰ पी॰ सी॰ एल॰) 269	
(ख) भारतीय जनता, आई॰ एफ॰ आई॰ आदि 171	440
जोड	657

तमिलनाडू में परियोजना के मामले में परियोजना प्रस्तावकों को खनन तथा विद्युत परियोजना संघटकों के संबंध में निवेश सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर फिल्मों का प्रसारण

5709. श्री जंगबीर सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन पर वर्ष 1993-94 के दौरान प्रसारित की गयी हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की अलग-अलग संख्या क्या है ; और

(ख) क्षेत्रीय भाषाओं की प्रसारित की गयी फिल्मों में हरियाणवीं फिल्मों का प्रतिशत क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) वर्ष 1993 और 1994 (31.3.94 तक) के दौरान हिन्दी क्षेत्रीय भाषा/बोलियों में दिल्ली दूरदर्शन पर प्रसारित फिल्मों की संख्या निम्न प्रकार से है :-

भाषा	1993	1994 (31.3.94 तक)
हिन्दी	202	72
अन्य	52	15

(ख) हरियाणवीं फिल्मों की प्रतिशतता निम्न प्रकार से है :-

1993	2.77%
1994	15.38%

[अनुवाद]

कालीकट उपमार्ग

5710. श्री के॰ मुरलीधरन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट उपमार्ग के निर्माण हेतु चल रहे कार्य की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(ख) इस परियोजना के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) कालीकट बाईपास का कार्य चार चरणों में शुरू किया जा रहा है। चरण I में भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है। चरण I में 17.34 करोड़ रु॰ की लागत से निर्माण कार्य के लिए जुलाई, 93 में मंजूरी दे दी गई है और यह कार्य एजेंसी नियत हो जाने के बाद शुरू होगा। शेष तीन चरणों में, फरवरी, 1990 और मार्च, 1991 में स्वीकृत भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में काफी समय लगता है, कार्य की गति धीमी नहीं है।

मेघालय में दूरदर्शन ट्रांसमीटर/आकाशवाणी केन्द्र

5711. श्री पीटर जी॰ मरबनिआंग : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेघालय में इस समय टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर/आकाशवाणी केन्द्र कहां-कहां कार्यरत हैं, उनकी क्षमता कितनी है और उनका प्रसारण क्षेत्र कितना है;

(ख) राज्य में उच्च शक्ति के टी. वी. ट्रांसमीटर लगाने के लिए कौन-कौन से स्थान निर्धारित किए गए हैं और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) ट्रांसमीटर लगाने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और वे कहां-कहां लगाये जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) यद्यपि मेघालय में इस समय अतिरिक्त उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने के लिए अनुमोदित स्कीम नहीं हैं, तथापि राज्य के बागमारा में एक अति अल्प शक्ति (10 वा॰) ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन है। वर्तमान संकेतों के अनुसार बागमारा में चालू वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध में ट्रांसमीटर चालू यिक जाने की आशा है जो कि तैयार आवास की उपलब्धता तथा आर्डर पर समय से उपकरणों की आपूर्ति पर निर्भर करता है।

विवरण

मेघालय राज्य में वर्तमान में कार्यरत टी॰ वी॰ ट्रांसमीटरों/ आकाशवाणी केन्द्रों को दर्शाते हुए विस्तृत ब्यौरे।

क्र॰ सं॰	ट्रांसमीटर	शक्ति	कवर किए गए अनुमानित क्षेत्र (100 वर्ग कि॰ मी॰ में)
1	2	3	4
	दूरदर्शन		
1.	तुरा	10 कि॰ वा॰	19.7
2.	शिलांग	1 कि॰ वा॰	11.8
3.	जोवई	100 वा॰	2.0
4.	विलियम नगर	100 वा॰	2.0
5.	नोंड. गस्टोइन	10 वा॰	0.2

1	2	3	4
	आकाशवाणी		
6.	शिलांग	100 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰	22.2
7.		50 कि॰ वा शा॰ वे॰	सम्पूर्ण मेघालय और उत्तर पूर्व
8.	तुरा	2×10 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰	5.6

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

5712. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों का जिलावार ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या 1993-94 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और ये टेलीफोन एक्सचेंज किन-किन जिलों में स्थापित किए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित की गई टेलीफोन एक्सचेंजों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) (i) लक्ष्य केवल अधिक क्षमता वाली एक्सचेंजों के लिए निर्धारित किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 93-94 के दौरान ऐसी एक्सचेंजें स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं किया गया था और केवल उनको बदलने/उनका उन्नयन करने का प्रस्ताव किया गया था।

(ii) कम क्षमता वाली एक्सचेंजों के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि किसी स्थान पर ऐसे एक्सचेंजों की संस्थापना वहां कम से कम 10 दत्त पंजीकृत मांगों पर निर्भर करती है। वर्ष 1993-94 के दौरान अनन्तिम रूप से 187 एक्सचेंजों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था। जिलावार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। तथापि वर्ष 1993-94 के दौरान संस्थापित एक्सचेंजों की वास्तविक संख्या 383 है।

विवरण

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों के जिलेवार ब्यौरे

जिला	1992-93 के दौरान स्थापित किए गए एक्सचेंजों की संख्या	1993-94 के दौरान स्थापित किए जाने वाले एक्सचेंजों की संख्या	जिला	1992-93 के दौरान स्थापित किए गए एक्सचेंजों की संख्या	1993-94 के दौरान स्थापित किए जाने वाले एक्सचेंजों की संख्या
1. रायगढ़	8	3	24. मुरैना	10	1
2. बस्तर	15	4	25. नरसिंहपुर	4	3
3. बेतूल	9	2	26. पन्ना	3	1
4. भिंड	6	2	27. रायगढ़	12	4
5. भोपाल	3	3	28. रायपुर	11	6
6. विलासपुर	21	8	29. रायसेन	9	4
7. छत्तरपुर	3	2	30. राजगढ़	6	2
8. छिंदवाड़ा	8	4	31. राजनंदगांव	6	5
9. दमोह	-	1	32. रतलाम	8	4
10. दतिया	4	2	33. रीवा	6	4
11. देवास	11	3	34. सागर	5	2
12. धार	14	10	35. सरगूजा	5	2
13. दुर्ग	7	5	36. सतना	4	3
14. गुना	12	6	37. सिहोर	8	1
15. ग्वालियर	7	7	38. सिवनी	5	3
16. होशंगाबाद	30	15	39. शहडोल	4	2
17. इन्दौर	11	7	40. शाजापुर	13	4
18. जबलपुर	12	6	41. शिवपुरी	6	2
19. झाबुआ	7	2	42. सीधी	5	4
20. खंडवा	17	8	43. टीकमगढ़	3	1
21. खरगौन	19	5	44. उज्जैन	8	5
22. मांडला	5	2	45. विदिशा	11	5
23. मंदसौर	14	12	जोड़	395	187

विज्ञापनों के लिए आचार संहिता

5713. श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञापनों में अंग प्रदर्शन को रोकने के लिए कोई आचार संहिता है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजना के लिए कोई आचार संहिता तैयार करने का है;

(ग) क्या सरकार को ऐसे अंग प्रदर्शनों के कारण युवकों पर होने वाले विपरीत प्रभाव की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) जी, हां। दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन संबंधी संहिता के अंतर्गत विज्ञापनदाता द्वारा ये सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि स्त्री-चरित्र का चित्रण सुरुचिपूर्ण एवं कलात्मक हो और सुरुचिपूर्णता एवं शालीनता संबंधी सुस्थापित मानकों के अनुसार हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : जी हां, इस बारे में विभिन्न मंचों पर व्यक्त की गई चिन्ता से सरकार भी सहमत है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धनराशि

5714. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से विभिन्न राज्यों मे राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण गति को जारी रखने के लिए चालू वर्ष में अतिरिक्त धनराशि आबंटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) चालू वर्ष के लिए विभिन्न राज्यो हेतु निधियों के अंतिम आवंटन के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि अनुदान मांगे अभी संसद द्वारा अनुमोदित की जानी हैं, यद्यपि कुछ राज्य बढ़ी हुई निधियों के लिए अनुरोध करते रहे हैं।

[हिन्दी]

समुद्र तलीय संसाधनों का मूल्यांकन

5715. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कितनी गहराई तक खनिज पदार्थों की खोज की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान समुद्र तलीय खोज के माध्यम से कितनी मात्रा में "नोडयूल" का निष्कर्षण किया गया;

(ग) क्या केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी संस्थान, दुर्गापुर ने समुद्र तलीय खनन और तेल अन्वेषण हेतु "रिमोटली आपरेटेड व्हीकूल" नामक उपकरण का विकास किया है, और

(घ) यदि हां, तो इस व्हीकूल की संरचना कार्यकरण एवं उपयोगिता का ब्यौरा क्या है

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) अरब सागर और बंगाल की खाड़ी मे 4300 मी. पानी की गहराई तक समुद्र सतह मानचित्रण और खनिज पदार्थों की खोज की गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्द महासागर से प्रयोगात्मक उद्देश्यों के लिए लगभग 12 5 टन नोड्यूल निकाला गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय यांत्रिक इन्जीनियरी संस्थान, दुर्गापुर (सीएमईआरआई) 200 मी. पानी की गहराई तक काम करने के लिए रिमोटली आपरेटेड व्हीकल नामक उपकरण का विकास कर रहा है। इसकी पहली प्रोटोटाइप का 5 मि. की गहराई की उथली सतह (शैलो बेसिन) में परीक्षण किया जा रहा है। व्हील का प्राथमिक रूप मे ऑफ शोरस्ट्रक्चर पाइपलाइन और मैपिंग आदि का स्वस्थानिक जाच में उपयोग किया जाएगा।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, मनकापुर

5717. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार का इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के मनकापुर (गोंडा) एकक का विस्तार करने का कोई विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक लागू किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) आई. टी. आई. लि. मनकापुर यूनिट मे अल्काटेल फ्रांस के सहयोग से 5,00,000 लाइनों की क्षमता की डिजिटल उपभोक्ता इन्टरफेस यूनिट (सीएसएन) का विनिर्माण कर रही है। इस परियोजना

के अंतर्गत 31.41 करोड़ रु० की लागत से मौजूदा ई-10 बी का उन्नयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मनकापुर यूनिट में ओसीबी/सीएसएन परियोजना के लिए अपेक्षित मैटल पार्ट्स क्वायल, ट्रांसफार्मरों तथा कनेक्टरों की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से 10.85 करोड़ रु० का अतिरिक्त निवेश मंजूर किया गया है।

(ग) फरवरी, 1994 से सीएसएन का उत्पादन कार्य प्रारंभ हो गया है तथा संघटक परियोजना का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है और इसके 1994 के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(घ) उपर्युक्त भाग (क), (ख) तथा (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वीडन के राजा की यात्रा

5718. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन के राजा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत बनाने हेतु भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो शिष्टमंडल के साथ किन-किन मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श किया गया और उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां। स्वीडन नरेश 10-18 अक्तूबर, 1993 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे।

(ख) स्वीडन नरेश के साथ आए स्वीडन के विदेश मंत्री तथा भारत के विदेश मंत्री के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल के स्तर की बातचीत के दौरान यूरोप तथा दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय घटनाओं, निरस्त्रीकरण मसलों, आतंकवाद और मानवाधिकारों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। इस बातचीत के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की हित चिंताओं को तथा दृष्टिकोणों को अपेक्षाकृत और अच्छी तरह समझा स्वीडन नरेश के साथ में आए हुए उच्चस्तरीय स्वीडन के व्यापार प्रतिनिधिमंडल और उनके भारतीय समकक्षों के बीच हुए क्रिया-कलाप के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की संभावनाएं भी बेहतर बनी।

पाकिस्तान के साथ संबंधों में अमरीकी मध्यस्थता

5719. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंध बनाने में समझौता करने के लिए कुछ अच्छे अधिकारी देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) और (ख) अमरीका की सरकार ने इस बात का समर्थन किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद मतभेदों को शिमला

समझौते के अनुसार द्विपक्षीय आधार पर हल किया जाना चाहिए। यदि दोनों पक्ष इस संबंध में अमरीका की सहायता चाहते हों तो अमरीका सहायता करने के लिए तैयार है।

सरकार ने यह कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसले हैं उन्हें शिमला समझौते के अनुसार द्विपक्षीय बातचीत के जरिए शान्तिपूर्ण तरीके से हल किया जा सकता है। सरकार बराबर इन मामलों के अन्तर्राष्ट्रीयकरण को अथवा तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को नामंजूर करती रही हैं।

अभ्रक का उत्पादन और निर्यात

5720. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अच्छी किस्म के अभ्रक का 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के लिए वर्षवार पोत पर्यन्त नि:शुल्क औसत निर्यात का मूल्य कितना था;

(ख) क्या सरकार द्वारा अभ्रक की घरेलू खपत और उसके निर्यात में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अभ्रक की कितनी खानों को बन्द कर दिया गया है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किये गये अभ्रक और इसके उत्पादों की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	निर्यात		
	मात्रा (मिलियन टन)	मूल्य (हजार रु०)	यूनिट मूल्य/टन (लाख रु०)
1991-92	34,882	5,54,995	15.91
1992-93	27,743	3,83,475,	13.82
1993-94*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(स्रोत : डीजीसीआई एवं एस, कलकत्ता)

* वर्ष 1993-94 के निर्यात आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय खान ब्यूरो की सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में बन्द की गई अभ्रक खानों की संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	बन्द/निष्क्रिय खानों की संख्या
1991-92	55
1992-93	57
1993-94	62

माल-ढुलाई केन्द्रों को समुद्र पत्तनों से जोड़ना

5721. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष प्रत्येक बड़े पत्तनों द्वारा कितने माल की ढुलाई की गई;

(ख) बड़े और छोटे पत्तनों द्वारा इस समय देश का कितना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है;

(ग) क्या भारतीय नौवहन उद्योग ने हाल ही में निर्यात तथा तटीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए देश में माल ढुलाई केन्द्रों को समुद्र पत्तनों से जोड़ने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में नौवहन उद्योग से कोई से कोई सूचना ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हा, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान महापत्तनों द्वारा हैंडल किए गए देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा अनन्तिम रूप से 131 मिलियन टन होने का अनुमान है। लघु पत्तन, राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महापत्तनों द्वारा हैंडल किए गए कार्गो की मात्रा इस प्रकार है:-

(मिलियन-टन)

पत्तन	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4
कलकत्ता	4.2	5.2	5.2
हल्दिया	11.8	13.2	13.3
पारादीप	7.3	7.6	8.3
विशाखापत्तनम	21.5	22.8	25.6
मद्रास	25.0	25.3	26.5
तूतीकोरिन	5.9	6.2	6.7
कोचीन	7.5	8.0	7.6

1	2	3	4
न्यू मंगलौर	8.3	7.1	8.6
मुरगांव	15.1	16.3	18.7
जे एल नेहरू	2.8	3.0	3.4
बम्बई	27.2	29.0	31.1
कांडला	21.0	22.9	24.5
योग:	157.6	166.6	179.5

उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों को विज्ञापन

5722. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 7 दिसंबर, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2208 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटे समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के मानदण्ड 1992 के दौरान अथवा उसके बाद ऊंचे कर दिए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को पर्वतीय अल्प विकसित सीमा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के छोटे समाचार पत्रों के लिए विज्ञापनों की प्राप्ति हेतु अपेक्षित संख्या में प्रतियों का बेचे जाना आवश्यक होने संबंधी कठिनाइयों की जानकारी है ;

(घ) क्या सरकार का विचार इन मानदण्डों की समीक्षा करने तथा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के संबंध में इन्हें पुन: 1992 के पूर्व दिनों जैसा बनाने का है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार विशेष मामले के तौर पर इन क्षेत्रों में विज्ञापन को दरों में वृद्धि करने का है ; और

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के अनुक्रम में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के साथ समाचार पत्रों को सूचीबद्ध करने के लिए न्यूनतम परिचालन मानदंड को 1000 स:शुल्क प्रतियों से 2000 स:शुल्क प्रतियां तक संशोधित किया गया था।

(ग) और (घ) जी हां। पहाड़ी और अल्प विकसित सीमा क्षेत्रों में छोटे समाचार पत्रों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, विज्ञापन नीति संबधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उन समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को पहले से ही छूट दी गई है जो पिछड़े, सीमावर्ती अथवा दूरदराज के क्षेत्रो में अथवा जनजातीय भाषा में प्रकाशित होते हैं अथवा मुख्य रूप से जनजातीय पाठकों के लिए होते हैं अथवा जो जम्मू तथा

कश्मीर से प्रकाशित होते हैं। ऐसे मामले में न्यूनतम परिचालन मानदण्ड 500 स:शुल्क प्रतियां प्रति अंक है।

(ङ) और (च) विज्ञापन दर फार्मूला सभी प्रकाशनों पर उनके प्रकाशन क्षेत्र का ध्यान किए बिना समान रूप से लागू होता है।

[हिन्दी]

ठेका श्रमिक प्रणाली

5723. श्री लाल बाबू राय : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में उनके मंत्रालय के अधीन निगमित कार्यालयों में परियोजना का कार्य अब भी ठेका श्रमिक प्रणाली के अंतर्गत किया जा रहा है ;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनमें कार्य ठेकेदारों के माध्यम से किये जा रहे हैं;

(ग) किन-किन राज्यों में ठेका श्रमिक प्रणाली अब समाप्त कर दी गयी है ;

(घ) क्या सरकार की श्रमिकों को ठेका प्रणाली से मुक्त कराने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-अमेरिका संबंधों के बारे में ज्ञापन

5724. डा॰ खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत-अमेरिका संबंधों के बारे में भारत-अमेरिकी गठजोड़ के शिष्ट मंडल द्वारा व्हाइट हाउस को दिये गये ज्ञापन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या अमेरिका के प्रशासन ने ज्ञापन का उत्तर दिया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) सरकार को "इंडो अमेरिकन कोलिएशन" के उस प्रस्ताव की जानकारी है जो ह्वाइट हाउस को एक संदेश पेश करने से सम्बन्धित है।

(ख) से (घ) ऐसा प्रतीत होता है कि अन्ततोगत्वा यह संदेश प्रस्तुत नहीं किया गया।

झींगा मछली उत्पादन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सहयोग

5725. श्री महेश कनोडिया :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झींगा मछली की विश्व में बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसके उत्पादन में वृद्धि करने संबंधी कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सहयोग लेने का कोई विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से देश के झींगा मछली उत्पादकों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) जी, हां। खारे पानी की मछलियों के फार्मों के समन्वित विकास पर केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक स्कीम के अंतर्गत 37 तटवर्ती जिलों में खारे पानी की मछली के उत्पादन के लिए किसानों की विकास एजेंसियां स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा अक्वाकलचर के माध्यम से श्रिम्प उत्पादन को बढ़ाने की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) और (ग) फिलहाल भारत में प्रांन फार्मिंग में प्रत्यक्ष रूप से कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी शामिल नहीं है। परंतु कुछ भारतीय निजी उद्यमियों द्वारा कुछ बहुराष्ट्रीय फर्मों से तकनीकी सहायता प्राप्त की गयी है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ध्वज का उल्टा फहराया जाना

5726. डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय :

श्री बृज भूषण शरण सिंह :

श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में वेलिंग्टन में आयोजित एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहराया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई भारतीय अधिकारी दोषी पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) 30 मार्च, 1994 को वेलिंगटन में एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के आयोजन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहरा दिया गया था। जब भारतीय हाई कमीशन के तथा भारतीय क्रिकेट टीम के साथ आए कर्मचारियों ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया तो वेलिंगटन क्रिकेट संघ के अधिकारियों ने इस गलती को सुधारने के लिए तुरंत कार्रवाई की।

यह एक वास्तविक गलती थी जिसके लिए वेलिंगटन क्रिकेट संघ ने अपनी जन संबोधन प्रणाली तथा साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से तत्काल क्षमा याचना की।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम में बाक्साइट के भंडार

5727. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री हरि सिंह चावड़ा :

श्री के. प्रधानी :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में बाक्साइट के भंडारों पर आधारित प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना करने के लिये 1993-94 में कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) विशेष रूप से उड़ीसा के कोटापुर जिले सहित देश में बाक्साइट के भंडारों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और उनका मूल्य कितना है;

(ग) क्या देश में बाक्साइट तेजी से खाली होते जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाये हैं; और

(ङ) क्या नई उदारीकरण की नीति के अन्तर्गत निजी क्षेत्र को बाक्साइट के भंडारों का पता लगाने की अनुमति दी गई है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) :

(क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में बोनाई में कमशक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना

5728. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले के बोनाई में कम शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने के

कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह ट्रांसमीटर कब से कार्य शुरू कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) और (ख) सुन्दरगढ़ जिले के बोनाई में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की परिकल्पना है। सक्षम अधिकारी द्वारा स्कीम अनुमोदित किए जाने के बाद इस प्रकृति की परियोजना के कार्यान्वयन में लगने वाला सामान्य समय लगभग 2 वर्ष है। तथापि, विकासाधीन जन जातीय क्षेत्र होने के कारण इस ट्रांसमीटर को शीघ्र स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

इस्पात के तार का आयात

5729. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी प्रकार की मिश्रित इस्पात तार छड़ों और गैर बल्क तारछड़ों का आयात किसी माध्यम विशेष से करने की प्रणाली समाप्त करने और कार्बन इस्पात तारों और कतिपय प्रकार की मिश्रित इस्पात तारों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :

(क) से (ग) वर्तमान निर्यात-आयात नीति के अनुसार, तार छड़ों सहित सभी इस्पात मदों को निर्बाध रूप से आयात करने की छूट है तथा इस्पात के किसी भी मद के आयात को सारणीबद्ध नहीं किया गया है। अभी इस्पात के किसी भी मद पर आयात संबंधी पाबंदी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग

5730. श्री छेदी पासवान : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करके एक लेन से दो लेन का बनाने के लिए मूल मापदंड यह है कि जब दैनिक यातायात 1,000 पी सी यू (यात्री कार यूमिट) से अधिक हो जाए तथा दो लेन से चार लेन का बनाने के लिए दैनिक यातायात 15,000 पी सी यू से अधिक होना चाहिए।

[अनुवाद]

ईंधन के संरक्षण के लिए विज्ञापन

5731. डा॰ के॰ वी॰ आर॰ चौधरी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में ईंधन के संरक्षण के लिए विज्ञापनों पर कितना व्यय हुआ;

(ख) वर्ष 1994-95 में इस उद्देश्य से कितनी धनराशि का नियतन किया गया है;

(ग) क्या इन विज्ञापनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू) : (क) विद्युत मंत्रालय की ओर से ऊर्जा प्रबंध केन्द्र (ई॰ एम॰ सी॰) ऊर्जा संरक्षण हेतु जागरूकता अभियानों का आयोजन करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्जा संरक्षण हेतु आयोजित किए गये जागरूकता अभियानों पर ई.एम. सी. द्वारा किया गया व्यय निम्नलिखित है:-

1991-92	101.53 लाख रुपये
1992-93	105.71 लाख रुपये
1993-94	20.30 लाख रुपये

(ख) वर्ष 1994-95 के लिए जागरूकता और प्रचार-प्रसार कार्यक्रम समेत उर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के लिए 16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ): 1992 में भारतीय बाजार अनुसंधान ब्यूरो (आईएमआरबी) ने ई॰ एम॰ सी॰ द्वारा चार प्रमुख महानगरों यथा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों का मूल्यांकन किया और अभियान को काफी प्रभावशाली एवं लाभदायक पाया।

राउरकेला इस्पात संयंत्र

5732. श्री ए॰ वेंकटेश नायक : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र ने इस्पात के पाइपों के निर्यात से प्रतिवर्ष कितनी धनराशि अर्जित की; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान पाइपों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार किया है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर॰ एस॰ पी॰) से पाइपों का कोई निर्यात नहीं हुआ।

(ख) इस्पात की मदों जिनमें पाइप भी शामिल हैं, का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मांग, मूल्य, गुणता आदि जैसी स्थितियों पर निर्भर करता है। अब सरकार ने लोहे और इस्पात की सभी मदों का निर्बाध रूप से निर्यात करने की अनुमति दे दी है। व्यापार नीति प्रावधानों का उदारीकरण जिसमें निर्यात

के लिए कच्चे माल के शुल्क रहित आयात का प्रावधान, व्यापार और चालू खाते के संबंध में रुपए की परिवर्तनीयता आदि से इन मदों के निर्यात में सहायता मिलेगी। 'सेल' ने अपनी विपणन नीति जिसमें निर्यात भी शामिल है, का पुनराभिविन्यास करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

गुजरात में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन

5733. श्री छीतू भाई ग्रामीत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कार्यरत लंबी दूरी की सार्वजनिक टेलीफोनों की अद्यतन संख्या क्या है,

(ख) 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान ऐसे कितने टेलीफोन केन्द्र खोले गये,

(ग) 1993-94 के लिये निर्धारित लक्ष्य क्या है, और

(घ) इस संबंध में क्या उपलब्धि हुयी है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 1 अप्रैल, 1994 की स्थिति के अनुसार, कार्यरत लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या 4179 है।

(ख) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान खोले गए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों की स्थिति इस प्रकार है :-

वर्ष	खोले गए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन
1991-92	456
1992-93	749
1993-94	2060

(ग) वर्ष 1993-94 के लिए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए अलग-से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। परन्तु 1993-94 के दौरान 4500 ग्राम पंचायतों को टेलीफोन प्रदान करने का लक्ष्य था।

(घ) 1993-94 के दौरान, 3370 ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई थी, जिसमें से लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों के 2060 कनेक्शन थे।

विज्ञापन की बकाया राशि

5734. श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री एस. बी. सिदनाल :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री तारा सिंह :

श्रीमती वसुंधरा राजे :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक विज्ञापन के लिए दूरदर्शन का करोड़ों रुपया विज्ञापन एजेन्सियों, सरकारी क्षेत्र के एककों और सरकारी विभागों पर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन बकाया ऋणों को वसूल करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। 31.3.94 के अनुसार, 1992-93 तक की अवधि के लिए 12.81 करोड़ रु॰ की धनराशि बकाया थी।

(ग) दूरदर्शन बकाया राशि के समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए बैंक गारण्टी को भुनाने/पथभ्रष्ट एजेंसियों के अप्रत्यायन, मध्यस्थता और कानूनी कार्रवाई सहित सभी संविदात्मक प्रावधानों का सहारा ले रहा है।

गुजरात में आकाशवाणी/दूरदर्शन का प्रसारण क्षेत्र

5735. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में दूरदर्शन और आकाशवाणी से कितने व्यक्ति लाभान्वित होते हैं ;

(ख) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान राज्य के आदिवासी क्षेत्रों को भी यह सुविधा प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) राज्य की प्रतिशत आबादी को इसका लाभ प्रदान करने के लिए तैयार की गई योजनाओ का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) सम्पूर्ण गुजरात राज्य आकाशवाणी ट्रांसमीशन द्वारा कवर किया जाता है। दूरदर्शन ट्रांसमिशन राज्य की 77% जनसंख्या को उपलब्ध है।

(ख) और (ग) जी, हां। आठवीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण, जनजातीय और दूरदराज क्षेत्रो सहित गुजरात राज्य में 4 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 16 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और 2 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है; जैसा कि सलग्न विवरण में दिया गया है। टी. वी. कवरेज का और अधिक विस्तार साधनों की उपलब्धता और पारम्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

यद्यपि गुजरात राज्य, आकाशवाणी द्वारा पूर्ण रूप से कवर होता है, गुजरात राज्य में रेडियो कवरेज को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए वदोदरा में एक स्थानीय रेडियो केंद्र, जूनागढ़ में एक रिले केंद्र और अहमदाबाद में एक 2×5 कि॰ वा॰ एफ॰ एम॰ ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं।

विवरण

क्र॰ सं॰	स्कीम	स्थान
1.	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर्स	भुज
		बदोदरा
		सूरत
		पालीताना
2.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर्स	खम्बात
		मोरबी
		धारगधरा
		महुवा
		नकतरना
		रापर
		मागरोल
		ईदर
		पालीताना
		दीसा
		राजुला
		मजेला
		खम्बालिया
		अमोद
		झगड़िया
		मागरोल (सूरत)
3.	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर्स	नेतरग
		देवगढ़

[हिन्दी]

पंजाबी में समाचार

5736. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री बृज भूषण शरण सिंह :

श्री सत्यदेव सिंह :

प्रो॰ प्रेम धूमल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन पर पंजाबी में समाचार बुलेटिन प्रसारित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब से शुरू किया जाएगा और इसकी अवधि क्या होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, जालंधर पंजाबी में समाचार बुलेटिन पहले से ही टेलीकास्ट कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फल और सब्जियों का परीक्षण

5737. श्री गुमान मल सोढ़ा : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाने वाले फलों और सब्जियों के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में बहुत अधिक हैं;

(ख) इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ग) फलों और सब्जियों के उत्पादन में हमारे देश का कौन सा स्थान है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) और (ख) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में कुछ फलों और सब्जियों की कीमतें तुलनात्मक रूप से अनुकूल हैं किन्तु कुछ दूसरे फलों और सब्जियों की कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में अधिक हैं।

(ग) भारत विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे-बड़ा उत्पादक देश है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव

5738. डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फिल्मों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) कलकत्ता में आयोजित 25 वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किन–किन भारतीय फिल्मों का चयन किया गया तथा दिखाया गया; और

(ग) महोत्सव की मुख्य विशेषताएं क्या थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के लिए फिल्मों का चयन करने हेतु मानदण्ड संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ख) 10-20 जनवरी, 1994 तक कलकत्ता में हुए भारत के 25 वे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शन हेतु चयन की गई भारतीय फिल्मों के ब्यौरे विवरण II में दिए गए हैं।

(ग) भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 94 की मुख्य विशेषताएं विवरण III में दी गई हैं।

विवरण I

(i) भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के लिए फिल्मों का चयन करने हेतु मापदण्ड।

(क) विदेशी फिल्में :

भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों हेतु विदेशी फिल्मों का चयन, काफी पहले से स्थापित मार्गनिर्देशों के अनुसार किया जाता है, जिनमें से अधिकतर विश्व के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों से मेल खाते हैं। मौटे तौर पर ये निम्न प्रकार से हैं :

1. फिल्मों का चयन समारोह के समग्र उद्देश्य को दृष्टि में रखकर किया जाता है जैसा कि प्रत्येक वर्ष इसके विनियमों में उल्लेख होता है, जो इस प्रकार है :

"समारोह का उद्देश्य विश्व की चलचित्रिकियों के लिए उनकी फिल्म कला की विशिष्टता को प्रदर्शित करने हेतु एक समान मंच उपलब्ध करवाना; विभिन्न राष्ट्रों को सामाजिक और सांस्कृतिक प्रकृतियों के संदर्भ में उनकी फिल्म संस्कृतियों को समझने और उनका मूल्यांकन करने में योगदान देना; और विश्व के विभिन्न लोगों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देना है"।

2. "विश्व सिनेमा" के प्रमुख सरकारी खंड में उच्च गुणवत्ता वाली फीचर फिल्मों जिन्होंने अन्य अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया हो अथवा पुरस्कार प्राप्त किया हो वे उत्कृष्ट स्तर की हों, को ही प्रदर्शन हेतु स्वीकार किया जा सकता है। आमतौर पर वे फिल्में जो समारोह के समय दो वर्षों से अधिक पुरानी न हों, स्वीकार कर ली जाती हैं, हालांकि इस मानदण्ड को कुछ विशिष्ट मामलों में छूट दी जा सकती है। यह भी आम बात है कि केवल उन्हीं फिल्मों को शामिल किया जाए जो समारोह से पूर्व भारत में वाणिज्यिक तौर पर प्रदर्शित न हुई हों अथवा जिनको थियेटर में सार्वजनिक तौर पर न दिखाया गया हो।

3. ऐसी सभी विदेशी फिल्में जो अंग्रेजों के अलावा किसी अन्य भाषा की हैं, के लिए अंग्रेजी में उप-शीर्षक होना आवश्यक है।

4. समारोह में शामिल फिल्मों पर कोई सेंसरशिप लागू नहीं होती।

5. इसके अतिरिक्त फोकस, सिंहावलोकन, श्रद्धांजलि आदि के लिए फिल्मों के विशेष पैकेज का चयन, सलाहकार समिति/आयोजन समिति के सुझावों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तीसरी दुनिया के देशों के सिनेमा को प्रकाश में लाने की प्रथा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक समारोह के फोकस खंड में एशिया, अफ्रीका अथवा लेटिन अमेरिका से किसी देश के सिनेमा पर ध्यान केंद्रित किए जाने का ख्याल रखा जाता है। समय-समय पर गुणवत्ता वाली फिल्मों के शीर्षक-आधारित अथवा वार्षिकोत्सव संबंधी पैकेजों के साथ विभिन्न देशों से विश्व के प्रमुख फिल्म निर्माताओं पर प्रकाश डालने वाले सिंहावलोकन अथवा श्रद्धांजलियों की व्यवस्था की जाती है।

(ख) भारतीय फिल्में

भारतीय पेनोरमा फिल्मों का चयन :

भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिष्ठित फिल्म विभूतियों और कलाकारों की ज्यूरी द्वारा भारतीय पेनोरमा फिल्मों का चयन किया जाता है। कलात्मक, शिक्षाप्रद तथा सौन्दर्यपरक फिल्मों का, यचन किया जाता है। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित और पूर्व वर्ष के। सितम्बर तथा जिस वर्ष में भारतीय पेनोरमा फिल्मों का यचन किया जा रहा है, उस वर्ष के 31 अगस्त के बीच निर्मित अधिकतम 21 गैर-फीचर फिल्में और आमतौर पर अंग्रेजी उप-शीर्षक वाली 21 फीचर फिल्में प्रदर्शन की पात्र हैं। भारतीय पेनोरमा विनियमों के उपबंधों के अनुसार भी किसी एक वर्ष में चयनित फिल्मों की संख्या किसी भी वर्ग में निर्धारित अधिकतम स्वीकृत सीमा से कम रहने पर, निदेशक, फिल्म समारोह निदेशालय ऐसी फिल्मों हेतु अखिल भारतीय पैनल (वह पैनल जिसने फिल्मों का मूल रूप से चयन किया है) को विचारार्थ सिफारिश कर सकते हैं, जो उसके/उसकी निर्णयानुसार विशिष्ट योग्यता वाली हैं, बेशक यह निर्धारित तिथि के बाद 4 महीनों के भीतर प्रमाणित की गई हों।

2. भारतीय मुख्य धारा सिनेमा खंड हेतु फिल्मों का चयन :

इस खंड में फीचर फिल्मों की सिफारिश भारतीय फिल्म फैडरेशन द्वारा की जाती है।

3. भारतीय सिंहावलोकन खंड हेतु फिल्मों का चयन :

विवरण II

भारतीय फिल्मों का विवरण

निम्नलिखित खण्डों में भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन किया गया :

(क) भारतीय पैनोरमा

फीचर फिल्में

1. आबर्तन/डॉ॰ भबेन्द्रनाथ सैकिया/असमिया
2. अन्तरीन/मृणाल सेन/बंगला

3. भगवद गीता/जी. वी. अय्यर/संस्कृत
4. चिन्नारी मुथा/टी. एस. नागभरन/कन्नड़
5. देइवथिते विक्रुथिकाल/लेनिन राजेन्द्रन/मलयालम
6. गोवरी/शिप्रसाद/मलयालम
7. इलायुम मुल्लुम/के. पी. ससी/मलयालम
8. कभी हां कभी ना/कुन्दन शाह/हिन्दी
9. लावण्य प्रीति/ए. के. बीर/उड़ीया
10. मगरिब/पी. टी. कुन्हिमोहम्मद/मलयालम
11. पतंग/गौतम घोष/हिन्दी
12. सम्बल वंगमा/के. इबोहल शर्मा/मणिपुरी
13. शिल्पी/नब्युन्दु चटर्जी/बंगला
14. सूरज का सातवां घोड़ा/श्याम बेनेगल/हिन्दी
15. सुन्या थेके सुरु/अशोक विश्वनाथन/बंगला
16. उत्तोरण/सन्दीप रे/बंगला
17. विधेयन/अदूर गोपालकृष्णन/मलयालम
18. वो छोकरी/शुभंकर घोष/हिन्दी

गैर-फीचर फिल्में

1. ए हाउस एंड ए होम/संजय काक/अंग्रेजी
2. अनुभव/सुरेश कुमार/भाषाविहीन
3. अनुकम्पन/बालका घोष/हिन्दी
4. बाजार सीताराम/नीना गुप्ता/अंग्रेजी
5. कलर्स ऑफ एब्सेंस/अरुण खोपकर
6. फियरलेस : दि हंटरवाली स्टोरी/रियादी विन्सी वाडिया/अंग्रेजी
7. फ्रीडम/शैला परालकर/भाषाविहीन
8. हैदराबाद:ए प्लेस इन दि हार्ट/ज़फर हई/अंग्रेजी
9. इन सर्च ऑफ इंडियन थियेटर/अभिजीत चट्टोपाध्याय/अंग्रेजी
10. लाई हराओबा/अरिबम श्याम शर्मा/अंग्रेजी
11. मोक्ष/पंकज बुटालिया/बंगला

12. ऑन दि वाइल्ट ट्रेल/राजीव मेहरोत्रा/अंग्रेजी
13. ऑर्डनरी लव/आनन्द सुब्रमणियन/हिन्दी
14. राष्ट्रीय दरियाई उदयन/नीरव पारेख/गुजराती
15. सण्डे/पंकज आडवाणी/हिन्दी
16. दि सेकण्ड पेज/संजीवन लाल/हिन्दी
17. दि स्प्लेण्डर ऑफ गढ़वाल एण्ड रूप कुण्ड/विक्टर बनर्जी/अंग्रेजी
18. ट्रेजडी ऑफ एन इंडियन फॉर्मर/मुरली नायर/केवल संगीत
19. बांगला-ए गारो फेस्टीवल/बप्पा रे/अंग्रेजी योगदाता

(ख) भारतीय सिंहावलोकन

स्वर्गीय विजय भट्ट की फिल्में :

1. बैजू बावरा
2. राम राज्य
3. गूंज उठी शहनाई
4. हरियाली और रास्ता

स्वर्गीय उत्पल दत्त की फिल्में :

1. भुवन शोम
2. आगन्तुक
3. झोर
4. पदमा नादि माझी
5. दत्ता

(ग) मुख्यधारा सिनेमा

1. वाल्टर वेट्रिवेल (तमिल)
2. यजमान (तमिल)
3. अरनमनाकिली (तमिल)
4. अल्लारी प्रियादु (तेलुगु)
5. आकाश थूथु (मलयालम)
6. रंजीता (कन्नड़)
7. तोमार राकते आमार सोहाग (बंगला)

8. स्वेत पाथारेर थाला (बंगला)
9. हम हैं राही प्यार के (हिन्दी)
10. खल नायक (हिन्दी)
11. राजू बन गया जेण्टलमैन (हिन्दी)
12. जपटलेला (मराठी)

विवरण III

कलकत्ता में हुए भारत के 25वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कुल 157 फीचर फिल्में और 23 लघु अथवा गैर-फीचर फिल्में प्रदर्शित की गई थी। 118 फीचर फिल्में और 4 लघु फिल्में, विदेशी फिल्में थीं, जबकि भारतीय सिनेमा से 39 फीचर फिल्में और 19 लघु/गैर-फीचर फिल्में थी। समारोह में 40 देशों ने भाग लिया। चार देशों अर्थात् इज़राइल, आरमिनिया, एस्टोनिया और लिथुआनिया ने समारोह में पहली बार भाग लिया।

समारोह में प्रदर्शित अधिकतर विदेशी फिल्मों में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भी भाग लिया हुआ था जो कि एक ऐसा तथ्य है जो उनकी उत्कृष्टता के स्तर को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, महान विदेशी फिल्म प्रतिभाओं जैसे इटली के फिल्म निर्माता माइकलेएंगलों अंटियोनी, आस्कर पुरस्कार प्राप्त डच निदेशक फ्रांच रेड मेकर्स और उनकी पत्नी लिली, स्वीडिश निदेशक इंगमर वर्गमेन, अभिनेत्री ग्रेटा गारवो और महान इटेलियन फिल्म निर्माता फेडरिको फैलिनी और भारत से दो प्रसिद्ध फिल्म प्रतिभाओं, अर्थात् उत्पल दत्त और विजय भट्ट जिनका हाल ही में देहान्त हुआ है, के सिंहावलोकन तथा श्रद्धांजलियों को भी शामिल किया गया था।

हाल के श्रेष्ठ भारतीय सिनेमा को भारतीय पैनोरमा खंड में दिखाया गया तथा कुछ अत्यधिक लोकप्रिय भारतीय फिल्मों को भारतीय सिनेमा के मुख्यधारा खंड में दिखाया गया। समारोह के दौरान, कुल मिलाकर 10 थियेटरों में 408 फिल्म प्रदर्शन हुए। समारोह में 2800 प्रेस तथा फिल्म प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उनमें से 84 विदेशी प्रतिनिधि थे। एंटोनियोनी और फ्रांस तथा लिली रेड मेकर्स के अलावा, समारोह में बड़ी संख्या में विदेशी फिल्म विभूतियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया।

दिल्ली से फिरोजाबाद के लिए पल्स रेट

5739. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से फिरोजाबाद के लिए एस. टी. डी. की "प्लस रेट" 8/16/32 है जबकि फिरोजाबाद से दिल्ली की पल्स रेट 4/8/16 है;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दोनों स्थानों के बीच समान "प्लस रेट" सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) अभी दो स्थानों के बीच पल्स दर का निर्धारण एक्स वाई समन्वय के जरिए गणना करके दो स्थानों के बीच अरीय (एरियल) दूरी के आधार पर किया जाता है।

1992 में जब से ग्रामों में एस टी डी सेवाओं का विस्तार हुआ, एल. डी. सी. सी. की अवधारणा का सृजन किया गया जिसमें दूरी की गणना एल डी सी सी के एक मुख्यालय से दूसरे मुख्यालय के आधार पर की गई।

पहले फिरोजाबाद में दिल्ली-फिरोजाबाद के बीच की दूरी के आधार पर प्रभार लिए जाते थे। संशोधित स्कीम में आगरा एस एस ए के लिए आगरा नोडल प्वाइंट बन गया तथा दिल्ली से लिए जाने वाले प्रभार आगरा-दिल्ली के बीच के आधार पर लिए जाते थे।

दो स्थानों पर पल्स दर लागू करने में समय का अंतर रहा जिसके परिणामस्वरूप शिकायत हुई। अब इस अनियमितता को दूर कर दिया गया है।

ऊर्जा संरक्षण योजना

5740. **प्रो॰ (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ऊर्जा संरक्षण हेतु कोई मानक अपनाए हैं;

(ख) क्या ऊर्जा संरक्षण योजना कार्यान्वयन में कोई प्रगति हुई है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान संरक्षित की गई ऊर्जा का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू) : (क) (ख) और (ग) जबकि कोई विशेष मानक निर्धारित नहीं किए गये हैं, विभिन्न विभाग/मंत्रालय ऊर्जा संरक्षण करने की आवश्यकता के संबंध में सचेत है। अर्थ व्यवस्था के ऊर्जा गहनता क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठकों में ऊर्जा संरक्षण से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया जाता है और महत्वपूर्ण बचतें सुनिश्चित करने के लिए अर्थोपाय किये जाते हैं। तथापि, इस चरण में प्रत्याशित ऊर्जा बचतों का एक समग्र मूल्यांकन करना अधिक जल्दबाजी होगी।

इस्पात का निर्यात

5741. **श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति** :

श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :

श्री एस॰ बी॰ सिदनाल :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान कितना इस्पात आयात और निर्यात किया गया तथा 1993-94 के दौरान कितना आयात और निर्यात होने का अनुमान है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने उत्पाद शुल्क में कमी करने के बारे में वित्त मंत्रालय को कोई सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान आयात और निर्यात किए गए इस्पात की मात्रा निम्नलिखित प्रकार थी :-

(दस लाख टन)

वर्ष	आयात	निर्यात
1991-92	1.04	0.39
1992-93	1.11	0.89
1993-94	0.98	1.61
(अनन्तिम)		

अब इस्पात को निर्बाध रूप से आयात करने की छूट है। इस्पात का आयात, मात्रा और गुणवत्ता दोनों प्रकार से, स्वदेशी उपलब्धता को पूरा करने के लिए आयातकर्त्ताओं की विशेष आवश्यकता पर निर्भर करता है। मुख्य उत्पादकों और गौण उत्पादकों, दोनों द्वारा ही इस्पात का निर्यात किया जाता है। मुख्य उत्पादकों ने वर्ष 1994-95 के दौरान इस्पात के अपने निर्यात का अंतरिम प्रक्षेपण 15.2 लाख टन आंका है।

(ख) और (ग) लोहा तथा इस्पात उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने के विरुद्ध इस्पात उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे विद्युत चाप भट्टी इकाइयों, प्रेरण भट्टी इकाइयों, पुनर्बेलन उद्योगों आदि से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। इन प्रतिवेदनों पर सरकार विचार कर रही है।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन एक्सचेंज

5742. श्री प्रेम चन्द राय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992-93 के दौरान बिहार में एसटीडी सुविधायुक्त इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें किन-किन स्थानों पर स्थापित किया गया था और इस संबंध में अभी तक क्या उपलब्धि रही है; और

(ग) राज्य में निकट भविष्य में एक्सचेंज स्थापित करने के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी नहीं। एसटीडी सुविधा युक्त इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। किसी एक्सचेंज में एसटीडी सुविधा तभी सुलभ होती है जब एक्सचेंज को एसटीडी नेटवर्क से जोड़ने

के लिए उपयुक्त संचारण प्रणाली संस्थापित की गई हो। तथापि, 1993-94 के दौरान 90 ऐसे एक्सचेंज स्थापित किए गए थे जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। बिहार में अभी तक ऐसे कुल 308 एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1992-93 के दौरान एसटीडी सुविधा युक्त स्थापित इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों का नाम :-

क्रं० सं०	स्थान का नाम	क्रं० सं०	स्थान का नाम	क्रं० सं०	स्थान का नाम
1.	बगजमादा	25.	पिरो	49.	करनौल
2	चक्रधरपुर	26.	कोयलवाड	50.	कुरहानी
3.	घाटसिला	27.	बिरौल	51.	महनार
4.	जादूगोरा	28.	फूलपरस	52.	रिगा
5.	झिंकपानी	29.	बेनीपुर	53.	सोनबर्सा
6.	मघटाबुरू	30.	दलसिंहसराय	54.	तुर्की
7.	नोओमुण्डी	31.	जयनगर	55.	वैशाली
8.	मरायकेला	32.	कापन	56.	बिहारीगंज
9.	नौगचिया	33.	लकमिनिया	57.	पिपरा
10.	कहलागांव	34.	महेशखुट	58.	राघोपुर
11.	अरवाल	35.	मंझौल	59.	त्रिवेणीगंज
12.	भरथौली	36.	ताजपुर	60.	उड़किशमगंज
13.	चरकी	37.	बाघमारा	61.	बंजारी
14.	पौदनगर	38.	बलियापुर	62.	विक्रमगंज
15.	देव	39.	बालीडिह	63.	बड़चिकिया
16.	दोभी	40.	चन्द्रपुरा	64.	बाघा
17.	गोह	41.	गोमिया	65.	नरकटियागंज
18.	काको	42.	गोविंदपुर	66.	विक्रम
19.	राझौली	43.	कन्द्रा	67.	हिल्सा
20.	शेरघाटी	44.	कटरास	68.	कंकेरबाग
21.	टेकरी	45.	लोयाबद	69.	मसौरही
22.	बहादुरगंज	46.	बोचाहा	70.	पाटलीपुत्र
23.	बरसोई	47.	देवरला	71.	पतालनगर
24.	सनौली	48.	देसरी	72.	पटना सिटी

क्रं॰ सं॰	स्थान का नाम	क्रं॰ सं॰	स्थान का नाम	क्रं॰ सं॰	स्थान का नाम
73.	राजेन्द्रनगर	79.	शेखपुरा	85.	तमर
74.	सिमरा	80.	एच. खडगपुर	86.	सिमडेगा
75.	बखतियारपुर	81.	राजमहल	87.	इशरीबाजार
76.	पुनपुन	82.	जापला	88.	कुजू
77.	जमालपुर	83.	लाटेहर	89.	मधुबन
78.	लखीसराय	84.	इटकी	90.	रहधनवाड़

[अनुवाद]

विद्युत क्रय समझौता

5743. श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :

श्री बौल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बिजली बोर्ड केन्द्रीय सरकार से विद्युत क्षेत्र में निजी भागीदारी सरल बनाने और शीघ्र सम्पादित करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अपनाये जाने वाले विद्युत क्रय समझौते हेतु दिशा निर्देश निर्धारित करने का आग्रह करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अपनाये जाने वाले विद्युत क्रय समझौते के दिशा निर्देशों/आदर्श मानदण्डों को अन्तिम रूप दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन दिशा निर्देशों की कब तक घोषणा कर दी जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू) : (क) से (ङ) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा उत्पादन कंपनियों से विद्युत के क्रय के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के निर्धारण के वास्ते भारत सरकार ने 19.1.1994 यथा संशोधित दिनांक 31.3.1992 को टैरिफ अधिसूचना जारी की थी। किसी उत्पादन कंपनी द्वारा राज्य बिजली बोर्ड को, विद्युत के वृहत मात्रा में क्रय से संबंधित विद्युत क्रय करार एक ऐसा मामला है जिसको अंतिमरूप कंपनी और राज्य बिजली बोर्ड द्वारा दिया जाता है।

[हिन्दी]

बिहार और उत्तर प्रदेश में पार्सलों की चोरी

5744. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **संचार** मंत्री 20 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या

2600 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस संबंध में जानकारी एकत्रित कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) अतारांकित प्रश्न सं० 2600, दिनांक 20 दिसम्बर, 1993 के विषय में जानकारी एकत्र कर ली गई है तथा आश्वासन 3.3.94 को पूरा कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में खनिजों की खोज

5745. श्री दत्ता मेघे : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने महाराष्ट्र में खनिजों एवं धातुओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर सर्वेक्षण किया गया तथा खनिजों और धातुओं का अनुमानतः कितना भंडार पाया गया; और

(ग) इन भंडारों के दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पिछले तीन वर्षों में, महाराष्ट्र में नागपुर के कुछ भागों व भंडार व थाणे जिलों में स्वर्ण, ताम्र, टंगस्टन, मैंगनीज व प्लेटीनम ग्रुप के एलीमेंटस (पीजीई) के अन्वेषण के संबंध में सर्वेक्षण किया है। प्राथमिक जांच के दौरान 2.3 से 8.4 ग्राम/टन औसत स्वर्ण स्तर के लगभग 1.37 लाख टन स्वर्ण अयस्क के एक स्रोत व 1.99% क्षमता वाले 1.5 लाख टन ताम्र अयस्क के अस्थायी स्रोत का पता चला है।

(ग) भंडारों का विदोहन तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के रुग्ण एकक

5746. श्री राजेश कुमार : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अपने लम्बे समय से रुग्ण पड़े एककों को बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अन्तर्गत लाभ में चल रहे एककों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31.3.93 की स्थिति के अनुसार, सेल की अधीनस्थ लाभ कमाने वाली इकाइयां इस प्रकार हैं :-

क्र० सं०	इकाई का नाम	31.3.93 की स्थिति के अनुसार संचयी लाभ (करोड़ रुपए में)
1.	भिलाई इस्पात संयंत्र	1014
2.	राउरकेला इस्पात संयंत्र	318
3.	बोकारो इस्पात संयंत्र	1644

उत्तर प्रदेश में सड़कें चौड़ी करना

5747. डा० साक्षी जी : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं जिन्हें चौड़ा करने का कार्य गत दो वर्षों से चल रहा है; और

(ख) अब तक कितना कार्य पूरा हुआ है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) उत्तर प्रदेश में रा. रा.-2 का हरियाणा सीमा से मथुरा तक का खंड।

(ख) 31.3.94 तक लगभग 12% कार्य पूरा हुआ है।

[अनुवाद]

मध्य एशिया के गणराज्यों के साथ संबंध

5748. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य एशिया के गणराज्यों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन देशों के साथ व्यापार समझौते सहित किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां।

(ख) सरकार मध्य एशियाई गणराज्यों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय यात्राओं के आदान-प्रदान के जरिए तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर मुलाकातों के जरिए वार्ता को जारी रखने का विचार रखती है। अशमाबात (तुर्कमेनिस्तान) में हाल ही में भारतीय मिशन खोलने के पश्चात सरकार की योजना

शेष दो मध्य एशियाई राजधानियों अर्थात दुशान्बे (ताजिकिस्तान) और बिशकेक (किर्गिजस्तान) में हमारे आवासी मिशन खोलने की है। उजबेकिस्तान और कजाखस्तान के साथ संयुक्त आयोगों के दूसरे सत्रों के आयोजन का भी प्रस्ताव है। भारत-किर्गिज संयुक्त आयोग का प्रथम सत्र शीघ्र ही नई दिल्ली में होने की उम्मीद है। अशमाबात (तुर्कमेनिस्तान) और दुशान्बे (ताजिकिस्तान) में हमारे मिशन खुलने के साथ ही हमें यह भी उम्मीद है कि इन देशों के साथ संयुक्त आयोग गठित हो जाऐंगे।

(ग) जी हां।

(घ) (i) उजबेकिस्तान : भारत और उजबेकिस्तान के बीच सम्पन्न करारों/प्रोतोकोलों समझौता ज्ञापनों में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की बात की गई है : आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, संस्कृति, कला, शिक्षा, राजनयिक और कोंसली सम्बन्ध, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग, खेल-कूद पर अन्तर सरकारी आयोग की स्थापना, भारत द्वारा 10 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की व्यवस्था, दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डाक तथा उससे संबंधित मामले, पर्यटन, प्रचार माध्यम, वायु सेवाएं, दोहरे कराधान का परिहार, दूर संचार, भारत-उजबेक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा अन्तर-राज्य संबंधों के सिद्धान्त।

(ii) कजाखिस्तान : भारत और कजाखिस्तान के बीच सम्पन्न करारों/प्रोतोकोलों/समझौता ज्ञापनों में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की बात कही गई है : अन्तर-सरकारी संबंधों के बुनियादी सिद्धान्तों और दिशाओं से सम्बद्ध घोषणा, व्यापार, आर्थिक संबंध, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति एवं कला, शिक्षा, प्रचार माध्यम, खेलकूद व्यापार, आर्थिक और वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक सहयोग से सम्बद्ध अन्तर-सरकारी आयोग, भारत द्वारा 10 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की व्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच सहयोग, वायु सेवाएं, राजनयिक और कोंसली संबंध।

(iii) किर्गीजस्तान : भारत और किर्गीजस्तान के बीच सम्पन्न करारों/प्रोतोकोलों/समझौता ज्ञापनों में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की बात कही गई है : सहयोग के सिद्धान्तों और दिशाओं से सम्बद्ध घोषणा। व्यापार, आर्थिक संबंध, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति, कला, शिक्षा, विज्ञान, प्रचार-माध्यमों और खेलकूद, व्यापार, आर्थिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहयोग से सम्बद्ध अन्तर-सरकारी आयोग, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, दोनों विदेश मंत्रालयों के बीच सहयोग, राजनयिक और कोंसली सम्बन्ध और वायु सेवाएं।

(iv) तुर्कमेनिस्तान : भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच सम्पन्न करारों/प्रोतोकोलों में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की बात कही गई है : सहयोग के सिद्धान्तों और दिशाओं से सम्बद्ध घोषणा, व्यापार, आर्थिक, संस्कृति, कला, शिक्षा, विज्ञान, पर्यटन, खेलकूद, प्रचार-माध्यम, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, वायु सेवाएं, राजनयिक और कोंसली सम्बन्ध।

(v) तजाकिस्तान : भारत और तजाकिस्तान के बीच सम्पन्न करारों/प्रोतोकोलों/समझौता ज्ञापनों

में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की बात कही गई है : सहयोग के सिद्धान्तों व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, संस्कृति, कला, शिक्षा, विज्ञान प्रचार-माध्यम, खेलकूद, राष्ट्रीय बैंकों के बीच सहयोग दोनों विदेश मंत्रालयों के बीच सहयोग और वायु सेवाएं।

सीमावर्ती क्षेत्रों में टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर

5749. श्री मनोरंजन भक्त :

श्री मोहन रावले :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पड़ोसी देशों द्वारा भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर स्थापित करने के अतिरिक्त कोई अन्य कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न फॉमिटों/भाषाओं में तथ्यात्मक रूप से सही सूचना प्रस्तुत करने का दूरदर्शन का सतत् प्रयास रहता है, ताकि वह इन क्षेत्रों में बसे दर्शकों की रुचि बरकरार रख सके और हमारे राष्ट्रीय हितों की विरोधी ताकतों के भ्रांत/गुमराह/कुन दावों का उच्छेदन कर सके।

पाकिस्तान के दुष्प्रचार के प्रतिकार के लिए उच्चाधिकार प्राप्त शिष्टमंडल

5750. श्री मोहन रावले : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों ने अब तक कश्मीर के संबंध में भारत के रूख का समर्थन किया है और कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का विरोध किया है;

(ख) भारत तथा विशेष रूप से कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के दुष्प्रचार के प्रतिकार के लिए सरकार ने किन-किन देशों को अपने एकाधिकार प्राप्त शिष्टमंडल भेजे हैं; और

(ग) इन शिष्टमंडलों की उन देशों की यात्रा के क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) से (ग) अन्य देशों के साथ मंत्री स्तरीय, अधिकारी-स्तरीय तथा राजनयिक स्तरीय सामान्य विचार-विमर्शों के दौरान सरकार जम्मू-कश्मीर की स्थिति तथा सीमा-पार से आने वाले आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन से संबंधित वास्तविक तथ्यों की ज़ानकारी देती रही है। सरकार पाकिस्तान के साथ मतभेदों को शान्तिपूर्ण तरीके से तथा शिमला समझौते की रूपरेखा के भीतर द्विपक्षीय बातचीत के जरिए हल करने के लिए वचनबद्ध है। पाकिस्तान तथा अन्य देशों को इस बात से अवगत करा दिया गया है।

भारत की स्थिति को समझा गया है और इस बात का समर्थन किया गया है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत की प्रक्रिया ही इन दोनों देशों के बीच मौजूद सभी मतभेदों जिनमें

जम्मू-कश्मीर का मसला भी शामिल है, के समाधान के लिए सर्वोत्तम तरीका है।

पायलट प्रिन्ट जमा कराने हेतु निर्धारित समय सीमा में वृद्धि

5751. श्री अनंतराव देशमुख : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन को निर्माताओं से प्रायोजित धारावाहिकों के पायलट प्रिन्ट जमा कराने हेतु समय सीमा बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) दूरदर्शन की जानकारी में लाई गई उन समस्याओं का ब्यौरा क्या है जिनका सामना निर्माताओं को पायलट प्रिन्ट जमा कराते समय करना पड़ता है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन ने तीन माह बढ़ाने की अनुमति दी है।

(ग) निर्माताओं द्वारा समय सीमा को बढ़ाने की मांग विभिन्न कारणों से की गई थी, जैसे कि तकनीकी कर्मियों की अनुपलब्धता, स्वीकृत प्रकरणों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध, स्थानीय अधिकारियों से अनुमति न मिलना आदि।

(घ) दूरदर्शन ऐसे प्रत्येक मामले में गुणावगुणों के आधार पर ऐसे अनुरोधों पर निर्णय लेता है।

[हिन्दी]

फ्रांस के साथ संबंध

5752. प्रो॰ रासा सिंह रावत : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्रांस के साथ अपने संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या फ्रांस ने किन्हीं क्षेत्रों/विकास कार्यों में सहायता/सहयोग का प्रस्ताव रखा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) सरकार फ्रांस के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। उच्च-स्तरीय यात्राओं के नियमित आदान-प्रदान से द्विपक्षीय संबंधों को गति मिली है। भारतीय पक्ष की ओर से इनमें निम्नलिखित यात्रा में शामिल हैं; प्रधान मंत्री (सितम्बर, 92); शहरी विकास मंत्री (अक्तूबर, 92) कृषि मंत्री (फरवरी, 94); तथा विदेश मंत्री (फरवरी, 94); और फ्रांस पक्ष की ओर से इनमें निम्नलिखित यात्रायें शामिल हैं : अनुसंधान और अन्तरिक्ष मंत्री (अक्तूबर, 92); डाक तथा दूर संचार मंत्री (नवम्बर, 92); रक्षा मंत्री (दिसम्बर,

92); व्यापार राज्य मंत्री (नवम्बर, 93) तथा विदेश मंत्री (अप्रैल, 94)। पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक तथा वाणिज्य संबंधों में भी पर्याप्त विस्तार हुआ है। फ्रांस के साथ व्यापार 1988-89 में 1242.35 करोड़ रुपये था जबकि 1992-93 में बढ़कर 3053.67 करोड़ रुपये हो गया है। भारत-फ्रांस संयुक्त आयोग की मंत्री-स्तरीय बैठक इस वर्ष के अन्त में होनी निश्चित हुई है और उम्मीद है कि एक उच्च-स्तरीय फ्रांसिसी व्यवसायिक प्रतिनिधिमण्डल भी 1994 के अन्त में भारत आयेगा। 1990 के दौरान भारत में फ्रांस के प्रत्यक्ष पूंजीनिवेश अनुमोदन 88.8 मिलियन रुपये के थे जबकि ये 1993 में बढ़कर 1283.09 मिलियन रुपये तक पहुंच गए। सरकार ने फ्रांस के इस अनुरोध पर भी सहमति व्यक्त की है कि भारत में फ्रांस के पूंजीनिवेश की ओर बढ़ावा देने के लिए एक द्विपक्षीय पूंजीनिवेश संरक्षण करार सम्पन्न किया जाय। उन्नत अनुसंधान के संवर्धन के लिए भारत तथा फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित भारत-फ्रांस केन्द्र की स्थापना नई दिल्ली में की जा चुकी है; इस केन्द्र के तत्वाधान में विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोगी अनुसंधान परियोजनायें चल रही हैं। आतंकवाद तथा औषध-द्रव्यों के गैर-कानूनी व्यापार के संबंध में द्विपक्षीय बातचीत शुरू की गई है और पारस्परिक हित के विभिन्न कोंसली करारों को सम्पन्न करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। 1993-95 के वर्षों के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का इस समय सक्रिय रूप से क्रियान्वयन हो रहा है।

(ख) और (ग) 1967 से फ्रांस-भारत को द्विपक्षीय सहायता देता रहा है जिसका मुख्य रूप से उपयोग फ्रांसिसी परियोजना निर्यातों के लिए किया जाता रहा है। फ्रांस की सरकार ने 1994 के लिए एक वित्तीय प्रोतोकोल सम्पन्न करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है जिसके लिए उपयुक्त परियोजनायें तय की जानी हैं।

कथित अत्याचारों पर बी० बी० सी1431 द्वारा टी० वी० रिपोर्ट का प्रसारण

5753. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 मार्च, 94 के मुम्बई से प्रकाशित होने वाले गुजराती दैनिक "जन्मभूमि" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि बी. बी. सी. ने अपनी एक शृंखला "डाक्यूमेंट फ्रांम एब्रोड" के अंतर्गत भारत में बनी एक फिल्म प्रसारित की थी जिसमें भारतीय महिलाओं पर कथित रूप से किये जा रहे अत्याचारों के बारे में रिपोर्ट थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन रिपोर्टों को देखते हुए स्वीडन की सरकार भारत को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रोकने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी, हां। यह खबर 10.3.94 को छपी थी।

(ख) सम्भवत: इस खबर का संबंध भारत के भागों में लिंग-भेद पर बी. बी. सी. की शृंखला "एसाइनमेंट" के तहत बी. बी. सी. कार्यक्रम लेट हर डाई से है जिसका प्रसारण बी. बी. सी. की वर्ड सर्विस पर किया गया था।

(ग) स्वीडन की सरकार ने ऐसी खबरों की वजह से भारत को वित्तीय सहायता बन्द करने के किसी निर्णय की सूचना नहीं दी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डायरेक्ट रिडयुस्ड आयरन प्रौद्योगिकी

5754. श्रीमती शीला गौतम : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात संयंत्रों में इस्पात को पिघलाने की प्रक्रिया में डायरेक्ट रिड्युस्ट आयरन का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) : सरकारी क्षेत्र के एकीकृत इस्पात संयंत्र "कोक-आयरन ओर-सिन्टर-ब्लास्ट फर्नेश-बेसिक आक्सीजन फर्नेश/ओपन हर्थ फर्नेश प्रोसेस" प्रक्रिया के आधार पर स्थापित किए गए हैं इसमें इस्पात बनाने के लिए मोल्टेम आयरन (तप्त धातु) का उपयोग किया जाता है। ये संयंत्र पर्याप्त मात्रा में प्रत्यक्ष अपचयित लोहे जो सामान्यत: विद्युत इस्पात उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं, का उपयोग करने के लिए रूपांकित नहीं किए गए हैं।

तथापि, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र जिसकी 100 प्रतिशत सतत् ढलाई प्रौद्योगिकी है, अपने इस्पात गलनशाला के कन्वर्टरों में प्रशीतकों के रूप में प्रत्यक्ष अपचयित लोहे का थोड़ी मात्रा में उपयोग करता है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र द्वारा प्रतिवर्ष अधिकतम 60,000 टन प्रत्यक्ष अपचयित लोहे का उपयोग किया जा सकता है।

गुजरात में शाखा डाकघर

5755. श्री एम॰ जे॰ राठवा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में, विशेष रूप से राज्य के छोटा उदयपुर क्षेत्र में इस समय कितने शाखा डाकघर कार्यरत हैं; और

(ख) 1994-95 के दौरान राज्य में जिलावार कितने शाखा डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) गुजरात और छोटा-उदयपुर में कार्य कर रहे शाखा डाकघरों की संख्या क्रमश: 7499 और 67 है।

(ख) शाखा डाकघरों के लिए सर्किलवार लक्ष्य को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में उप-डाकघर

5756. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान उड़ीसा के भद्रक डाक डिवीजन में उप-डाकघर मंजूर किए गये;

(ख) यदि हां, तो ये डाकघर विशेषत: डूंगेर में कहां-कहां खोले जायेंगे;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ये डाकघर कब तक मंजूर किए जायेंगे और खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डाकघर खोलने से संबंधित विभागीय मानदंडों की पूर्ति व संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही डाकघर खोले जाते हैं/उनका दर्जा बढ़ाया जाता है। डुंगेर अतिरिक्त विभागीय शाखा-डाकघर का विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने पर इसलिए विचार नहीं किया जा सका क्योंकि यह विभागीय मानदंडों की पूर्ति नहीं करता था।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चकमा शरणार्थी

5757. श्री सुधीर गिरि : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वास्तव में बंगला देश वापस लौट गये चकमा शरणार्थियों का मौका-मुआयना करने के लिये एक दल को बंगलादेश भेजने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह दल बंगलादेश की यात्रा कब करेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) और (ख) ग्यारह आदिवासी शरणार्थी नेताओं के एक दल ने 25-29 अप्रैल, 1994 तक बंगलादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा किया है उनके इस दौरे का उद्देश्य उन शरणार्थियों के पुनर्वास का मौके पर अध्ययन करना था जो फरवरी, 1994 में बंगला देश लौट गए थे। त्रिपुरा सरकार के तीन अधिकारी इस दल के साथ गए थे।

[हिन्दी]

शैक्षिक कार्यक्रमों के लिये पृथक चैनल

5758. श्री महेश कनोडिया :

श्री राम सिंह कस्वां :

श्री बृज भूषण शरण सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शैक्षिक कार्यक्रमों के लिये एक पृथक चैनल बनाने का है ताकि छात्र अपने अध्ययन के दौरान इस चैनल का भरपूर लाभ उठा सकें ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) संसाधनों एवं जनशक्ति संबंधी बाध्यताओं सहित विभिन्न कारणों से।

[अनुवाद]

बादलपुर में दूरदर्शन ट्रांसमीटर

5759. श्री राम कापसे : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को थाणे जिले में बादलपुर के निवासियों से वहां एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह ट्रांसमीटर कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) महाराष्ट्र के थाणे जिले में बादलपुर में एक टी० वी० ट्रांसमीटर की स्थापना करने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) इस क्षेत्र में टी० वी० सेवा में सुधार करने के विचार से बादलपुर में एक ट्रांसपोंजर की स्थापना करने की संभाव्यता का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। सक्षम प्राधिकारी के द्वारा परियोजना के औपचारिक रूप से अनुमोदन किए जाने के पश्चात इस प्रकृति की परियोजना का कार्यान्वयन करने में लगभग 2 वर्ष का सामान्य समय लगता है।

भारतीय जनसंचार संस्थान

5760. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के दक्षिणी भाग में भारतीय जनसंचार संस्थान केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्र के लिए किस स्थान का चयन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) केरल के कोट्टायम में संस्थान की शाखा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

बिहार में केन्द्रीय सड़क क्षेत्र के अन्तर्गत परियोजनाएं

5761. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

श्री तेज नारायण सिंह :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में केन्द्रीय सड़क क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही/की जाने वाली बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, ये परियोजनाएं कितनी धनराशि की हैं और उनको पूरा करने हेतु क्या तिथि निर्धारित की गई है, और

(ख) बिहार, पश्चिम बंगाल सीमावर्ती राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को चार लेनों वाला बनाने की परियोजना में क्या प्रगति हुई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को बरवा अड्डा से बाराकर तक चार लेनों का बनाने का कार्य एशियाई विकास बैंक-III ऋण सहायता में शामिल किया गया है। कार्य पूरा करने की लक्षित तारीख के बारे में अभी बता पाना संभव नहीं है।

कुवैत के साथ सम्बन्ध

5762. श्री के॰ प्रधानी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत भारत के साथ अपने सम्बन्ध और मजबूत करने का बहुत इच्छुक है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कुवैत के साथ अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) कुवैत ने भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने में दिलचस्पी दिखाई है और हम भी यही चाहते हैं।

(ख) इसी लक्ष्य के अनुरूप उच्च-स्तरीय वार्ता के माध्यम से पारस्परिक समझ-बूझ का दायरा विस्तृत करने के इरादे से अक्सर एक-दूसरे के देश की यात्रायें की गई हैं। अन्य बातों के अलावा संयुक्त आर्थिक सहयोग पर एक करार और दोहरे कराधान के परिहार के संबंध में एक अन्य करार के माध्यम से आर्थिक संबंध मजबूत किए गए हैं। हाल ही में 11-16 अप्रैल तक कुवैत से एक उच्च-स्तरीय आर्थिक प्रतिनिधि मण्डल भारत की यात्रा पर आया था जिसमें बहुत से विषयों के लोग शामिल थे और जिसका उद्देश्य बहुत से क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में बड़े पैमाने पर वृद्धि करने की सम्भावनाओं का पता लगाना था।

[हिन्दी]

इस्पात का उत्पादन और खपत

5763. श्री बीर सिंह महतो : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इस्पात की कुल मांग और सप्लाई का ब्यौरा क्या था; और

(ख) इसकी प्रति व्यक्ति खपत कितनी है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंकी गई कुल मांग तथा मुख्य और गौण उत्पादकों, दोनों का परिसज्जित इस्पात का उत्पादन निम्नलिखित है :–

(दस लाख टन)

वर्ष	आंकी गई मांग	उत्पादन
1991-92	16.35	14.33
1992-93	17.76	15.20
1993-94 (अनन्तिम)	18.95	15.13

(ख) भारत में, 1992 में, कच्चे इस्पात के प्रति व्यक्ति खपत 21.7 कि०ग्रा०* थी।

*स्रोत : स्टेटिस्टीकल ईयर बुक, 1993,

आई. आई. एस. आई, ब्रूसेल्स।

[अनुवाद]

विभिन्न दूरदर्शन धारावाहिकों द्वारा पारितोषिक देना

5764. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेट्रो चैनल पर विभिन्न कार्यक्रमों में सफल घोषित पुरस्कार विजेताओं को पारितोषिक समय पर नहीं दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मेट्रो चैनल पर समय खंड के आवंटी सामान्य जनता को धोखा दे रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) इस संबंध में दूरदर्शन को दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। दूरदर्शन द्वारा संबंधित निर्माताओं को शिकायत कर्त्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए कहा गया है।

असम में सड़कों के किनारे की सुख-सुविधाएं

5765. श्री प्रवीण डेका : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 और 52 के किनारे स्थित यात्री विश्राम गृहों के उन्नयन आदि का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तस्करी कार्यों के लिए डी॰टी॰सी॰ बसों का उपयोग

5766. श्री गुरुदास कामत : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी॰ टी॰ सी॰ की अंतर-राज्य बस सेवाओं का उपयोग कथित रूप से तस्करी के लिए किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, दिनांक 10.3.1994 को टनकपुर-दिल्ली रूट पर चल रही दि॰ प॰ नि॰ की बस सं॰ डीएचपी-2689 में कथित रूप से कम्प्यूटर के पुर्जों के साथ यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को सीमा शुल्क अधिकारियों ने बानबसा के पास गिरफ्तार किया था।

(ग) दिनांक 10.3.1994 को बस सं॰ डी एच पी 2689 के साथ ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को दि॰ प॰ नि॰ ने, यात्री के साथ कथित सांठगांठ के कारण निलंबित कर दिया है। दि. प. नि. ने अपने निरीक्षण स्टाफ को ये अनुदेश भी जारी किए हैं कि वे अन्तर-राज्यीय रूटों पर जाने वाली बसों की जांच करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

5767. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित पूरी होने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्धारित समयावधि में कौन-कौन सी परियोजनाएं पूरी हुई थीं और कौन-कौन सी परियोजनाएं अभी भी अधूरी पड़ी हैं;

(ग) कौन-कौन सी परियोजनाएं अभी तक शुरू नहीं हुई हैं;

(घ) इन परियोजनाओं के लिए आंवटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

शिवाजी पर दूरदर्शन धारावाहिक

5768. श्री सुधीर सावंत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिवाजी के जीवन पर आधारित दूरदर्शन धारावाहिक प्रसारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन प्राइम टाइम पर महान देशभक्तों पर धारावाहिकों का प्रसारण नहीं कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देशभक्तों पर बनाये गये उन धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें 1994-95 के दौरान प्राइम टाइम पर प्रसारित करने की योजना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सी० देव) : (क) और (ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आजकल महादजी सिंधिया और अकबर पर धारावाहिक प्रसारित किए जा रहे हैं।

दूरदर्शन द्वारा फिल्मों की खरीद

5769. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दूरदर्शन द्वारा खरीदे गये चलचित्रों के नाम क्या हैं, और इनके आपूर्तिकारों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त प्रत्येक फिल्म के लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया गया इनके लिए किन-किन तारीखों को आवेदन देने और दूरदर्शन पर प्रसारण को क्या तारीख थीं;

(ग) दूरदर्शन के लिए फिल्म खरीदने संबंधी सरकार की नीति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने चालू/अगले वर्ष के लिए हिन्दी, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं की अच्छी

फिल्मों को खरीदने के लिए व्यवसायियों की कोई समिति गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अगले वर्ष के दौरान कुल कितनी फिल्में खरीदने का विचार है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गयी है;

(च) क्या सरकार को इस मामले में पक्षपात और अनियमितताओं के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) इस अवधि के दौरान दूरदर्शन द्वारा कोई चलचित्र फिल्म नहीं खरीदी गई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरदर्शन द्वारा फिल्मों की खरीद के लिए कोई सरकारी नीति नहीं है।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

नए चैनल

5770. श्री एस० एम० लालजान बाशा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में दूरदर्शन के नए 21 चैनल शुरू करने का है;

(ख) क्या वर्तमान पांच चैनलों से घटिया किस्म के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है; और

(ग) दूरदर्शन चैनलों की संख्या बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां। कई एक ऐसे प्रस्ताव हैं, जिन पर इन्सैट 2 बी के पांच ट्रांसपोंडरों पर दूरदर्शन प्रयोग कर रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दूरदर्शन ने अपने विशाल दर्शक वर्ग की विविध रुचियों की आवश्यक पूर्ति हेतु कार्यक्रम जुटाने के उद्देश्य से ये नए चैनल बढ़ाए थे।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या

5771. प्रो० के० वी० थामस : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग निरंतर होती रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) पिछली बार 1980 में संवर्ग शक्ति में संशोधन किए जाने के बाद से कार्यभार में लगभग 160 प्रतिशत की वृद्धि को देखते हुए अमले की संख्या में आनुपातिक वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस की गई है। 1992 में 400 अतिरिक्त पद बनाये गए थे। तथापि, इससे पासपोर्ट कार्यालयों की अतिरिक्त अमले की आवश्यकता पूर्णत: पूरी नहीं होती। शीघ्र ही और अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव करने की बात सोची जा रही है।

स्विचिंग उपकरण का आयात

5772. श्री बी॰ शोभनाद्रीश्वर रावबाइडे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन विभाग ने 1991-92 के दौरान एक बार आयात करने के आधार पर स्विचिंग उपकरण की दो लाख लाइनों का आयात करने के लिए निविदा आमंत्रित की थी;

(ख) क्या इस निविदा के विरुद्ध सीधे भुगतान के आधार पर और पट्टे पर/स्थगित भुगतान के आधार पर लगभग दस लाख लाइनों का आदेश दिया है;

(ग) क्या इन लाइनों के आयात में किन्हीं मानदण्डों का उल्लंघन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) दूरसंचार विभाग ने स्विचन उपस्कर की 2 लाख लाइनों का आयात करने के लिए निविदा आमंत्रित नहीं की थी। उपस्कर के विनिर्माण के लिए भारत में पंजीकृत कम्पनियों से स्विचन उपस्कर की 2 लाख लाइनें प्राप्त करने के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी और यह निविदा भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से आमंत्रित की गई थी जिसकी राशि का भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना था।

(ख) स्विचन उपस्कर के आयात के लिए कोई आर्डर नहीं दिए गए थे। उपर्युक्त (क) में दिए अनुसार निविदा के अंतर्गत सीधी खरीद के आधार पर 4.4 लाख लाइनों के आर्डर दिए गए हैं। उपस्कर पट्टे के उद्देश्य से आमंत्रित सीमित निविदा के अंतर्गत प्राप्त किया गया था न कि 2 लाख लाइनों की निविदा के अंतर्गत।

(ग) उपर्युक्त प्रापण से निविदा मानदण्डों का उल्लंघन नहीं होता। निविदा स्विचन उपस्कर की 2 लाख लाइनों के लिए आमंत्रित की गई थी और विक्रेताओं ने उपस्कर की इस मात्रा के लिए निविदा भरी थी। वाणिज्यक आपूर्ति के लिए चुने गए किसी भी विक्रेता को 2 लाख लाइनों से अधिक से आर्डर नहीं दिए गए। सीधे दिए गए आर्डर प्रति विक्रेता लगभग 1.0 लाख लाइनों के थे। अत: निविदा मानदण्डों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया।

(घ) निविदा मानदण्डों का उल्लंघन करने का कोई निर्णय नहीं किया गया।

मद्रास दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम

5773. डा॰ (श्रीमती) के॰ एस॰ सौन्द्रम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम संतोषजनक नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में सड़कों का आधुनिकीकरण

5774. डा॰ कृपासिन्धु भोई : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विश्व बैंक की सहायता से किन-किन राजकीय सड़कों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया जायेगा;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में कितनी सहायता राशि दी गयी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) सांविधानिक दृष्टि से केन्द्र सरकार मूलतः, देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है और शेष सभी सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं। तथापि, 58.35 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत से उड़ीसा में राज्य सड़कों पर छः क्षतिग्रस्त पुलों के पुनः निर्माण संबंधी कार्य को दूसरी विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में शामिल कर लिया गया है जिसके लिए ऋण संबंधी समझौते में लगभग 12.9 मिलियन अमरिकी डालर की सहायता का प्रावधान है।

पत्तनों में संचालन सम्बन्धी खामियां

5775. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तनों में संचालन संबंधी खामियां पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई नीति तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त नीति को कब तक लागू किया जाएगा;

(ङ) क्या महत्वपूर्ण पत्तनों पर माल की ढुलाई का कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं हो रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में उठाए जाने वाली सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) पत्तन प्रचालानों का सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। प्रचालन संबंधी दोष जब भी सामने आते हैं, उन्हें दूर करने के लिए विभिन्न पत्तनों द्वारा उपाय किए जाते हैं। पत्तन कर्मिकों के कौशल को उन्नत करके, आधुनिक उपकरणों की स्थापना करके तथा श्रमिक एवं अन्य प्रयोक्ताओं में बेहतर समन्वय द्वारा विभिन्न पत्तनों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं।

(ङ) जी नहीं। पिछले वित्त वर्ष अर्थात् 1993-94 के दौरान सभी महापत्तनों ने निर्धारित लक्ष्य से लगभग 5.6 प्रतिशत अधिक कार्गो हैंडल किया था।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एस० टी० डी० सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र पर कमीशन

5776. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक काल पर एस. टी. डी. और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र धारकों को कितना प्रतिशत कमीशन दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन धारकों को एस. टी. डी. काल पर दो रुपये सेवा शुल्क लेने की अनुमति देने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) एस टी डी/पी सी ओ फ्रेंचाइज धारक एक महीने की अवधि में की गई कुल कालों में से 10,000 कॉल यूनिटों तक 20 पैसे प्रति काल यूनिट, 10,000 से 20,000 कॉल यूनिटों तक के लिए 15 पै० प्रति कॉल यूनिट और 20,000 कॉल यूनिटों से अधिक कॉल यूनिटों के लिए 10 पैसे प्रति कॉल यूनिट की दर से कमीशन के हकदार हैं। स्थानीय पी सी ओ फ्रेंचाइज धारक 40 पैसे प्रति स्थानीय कॉल की दर से कमीशन के हकदार हैं।

(ख) फ्रेंचाइज धारक को 18.1.94 से प्रति एस टी डी/आई एस डी कॉल के लिए अधिकतम 2 रु०/- सेवा प्रभार वसूल करने की अनुमति दी गई है। स्थानीय कॉल के मामले में कोई सेवा प्रभार नहीं लिया जा सकता है।

(ग) पी सी ओ धारक को सेवा प्रभार की अनुमति अतिरिक्त राजस्व के रूप में बेरोजगार शिक्षित युवकों को दी गई है क्योंकि बूथ तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने में एक पी सी ओ धारक को काफी निवेश करना पड़ता है।

[अनुवाद]

कुमार धबी फायर ब्रिक्स सिलिका का बंद होना

5777. श्री ललित उरांव : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंद पड़ी कुमार धबी फायर ब्रिक्स सिलिका (के॰ एफ॰ एस॰) को पुन: चालू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) कुमार धबी फायर क्ले एण्ड सिलिका वर्क्स (के॰ एफ॰ एस॰ डब्ल्यू॰) लिमिटेड घाटे में चल रही कम्पनी है जिसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) को रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (एस. आई. सी. ए.) अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत भेज दिया गया है। के. एफ. एस. डब्ल्यू. के भविष्य के बारे में निर्णय बी. आई. एफ. आर. द्वारा लिया जाएगा।

औषधों के अवैध व्यापार के संबंध में पड़ोसी देशों के साथ समझौता

5778. डा॰ आर॰ श्रीधरण : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधियों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए श्रीलंका एवं अन्य पड़ोसी देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) और (ख) देशवार सूचना नीचे लिखे अनुसार है :

श्रीलंका

सरकार ने नशीली दवाइयों के व्यापार को रोकने के संबंध में श्रीलंका के साथ कोई करार संपन्न नहीं किया है। तथापि, दोनों देशों के संबंधित प्राधिकारी इस क्षेत्र में निरंतर निकट सहयोग रख रहे हैं। हाल ही में नई दिल्ली में तस्करी विरोधी तथा संबद्ध मामलों पर आयोजित भारत-श्रीलंका वार्ताओं के पिछले दौर में, दोनों पक्ष इस बुराई पर काबू पाने के लिए पारस्परिक सहयोग को तेज करने के लिए सहमत हुए हैं।

म्यांमा

स्वापक औषध द्रव्यों तथा मन: प्रभावी पदार्थों की मांग को कम करने तथा उनके अवैध व्यापार को रोकने और तत्संबंधी मामलों पर पारस्परिक सहयोग से सम्बद्ध एक करार पर भारत तथा म्यांमा ने 30 मार्च, 1993 को हस्ताक्षर किए इस करार को सम्पन्न करने का उद्देश्य औषध द्रव्यों के गैर-कानूनी व्यापार का उन्मूलन करने के तरीके के रूप में म्यांमा की सरकार के साथ आसूचना तथा सूचना का आदान-प्रदान करने के माध्यमों का विकास करना तथा इस संबंध में सहयोग करना है।

पाकिस्तान

भारत-पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर से होने वाले औषध-द्रव्यों के अवैध व्यापार तथा तस्करी से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए 20-21 दिसम्बर, 1986 को लाहौर में भारत तथा पाकिस्तान के गृह सचिवों के बीच हुई बैठक में लिए गए एक निर्णय के अनुसरण में औषध

द्रव्यों के अवैध व्यापार तथा तस्करी पर काबू पाने के लिए भारत-पाकिस्तान की एक समिति गठित की गई थी। इस समिति की पांच बैठकें हो चुकी हैं।

नेपाल

जी नहीं। सरकार ने नेपाल के साथ ऐसा कोई करार सम्पन्न नहीं किया है।

भूटान

जी नहीं। सरकार ने भूटान के साथ ऐसा कोई करार सम्पन्न नहीं किया है।

चीन

जी नहीं। सरकार ने चीन के साथ ऐसा कोई करार सम्पन्न नहीं किया है।

कोझिकोड, केरल में उच्च शक्ति वाले टेलीविजन ट्रॉसमीटर

5779. श्री के० मुरलीधरन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोझिकोड, केरल में उच्च शक्ति वाले टेलीविजन ट्रांसमीटर की स्थापना का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) जबकि कालीकट में एक किलोवाट की कम शक्ति पर उच्च शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर (अंतरिम स्थापनों) को शीघ्र ही चालू किया जाना है, 10 कि० वा० की पूर्ण विकिरणकारी शक्ति संबंधी स्थायी स्थापना, स्थल पर सिविल कार्यों के प्रारम्भ होने के बाद 3-4 साल में किए जाने की आशा है।

मेघालय में टेलीफोन कनेक्शन

5780. श्री पीटर जी मरबनिआंग : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिलांग में अनेक लोग टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन लोगों को टेलीफोन कनैक्शन उपलब्ध कराने जाने संबंधी सम्भावनाएं क्या हैं; और

(घ) शहर में शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन आवंटित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 31.12.93 की स्थिति के अनुसार केवल 733 आवेदन-पत्र विचारधीन पड़े थे।

(ख) और (ग) : 28 फरवरी, 1994 तक पंजीकृत सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए संज्ञापन पत्र (एडवाइस नोट) जारी किए जा चुके हैं।

(घ) ज्यादा से ज्यादा गैर-व्यवहार्य क्षेत्रों को व्यवहार्य बनाने के लिए भूमिगत केबिल बिछाने का कार्य और लाइन कंस्ट्रेरों की संस्थापना का कार्य चल रहा है।

राजस्थान में आकाशवाणी/दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र

5781. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रसारण क्षेत्र कितना-कितना था;

(ख) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान राज्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण क्षेत्र में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) 31.12. 1993 की स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य आकाशवाणी द्वारा 90% क्षेत्रवाद तथा 98% जनसंख्यावार कवर किया गया। इस अवधि के दौरान दूरदर्शन कवरेज 38.8% क्षेत्रवार और 61.6% जनसंख्यावार था।

(ख) और (ग) जी, हां। जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सभी स्कीमें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और उनकी प्रगति का बारीकी से मानीटरन किया जा रहा है।

विवरण

क्र० सं०	स्कीम		पूरा होने की लक्ष्यतिथि
1	2		3
I. आकाशवाणी			
1.	बहुउद्देश्यीय स्टूडियोज़ के साथ माउण्ड आबू में 2×3 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर		मार्च, 1995
2.	जोधपुर में 1 कि० वा० मी० वे० के स्थान पर 2×3 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर		–तथैव–
3.	उदयपुर में 10 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर के स्थान पर 20 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर		–तथैव–
II. दूरदर्शन			
1.	बाड़मेर	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	1994-95
2.	जैसलमेर	–तथैव–	–तथैव–
3.	बारां	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	–तथैव–
4.	बड़ीसादरी	–तथैव–	–तथैव–
5.	भदरा	–तथैव–	–तथैव–

1	2		3
6.	गंगापुर (सवाई माधोपुर जिला)	–अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	1994-95
7.	हिंडौन	–तथैव–	–तथैव–
8.	रतनगढ़	–तथैव–	–तथैव–
9.	रावतसर	–तथैव–	–तथैव–
10.	श्रीडूंगरगढ़	–तथैव–	–तथैव–
11.	सुजानगढ़	–तथैव–	–तथैव–
12.	मकराना	–तथैव–	–तथैव–
13.	करौली	–तथैव–	–तथैव–
14.	फलौदी	–तथैव–	–तथैव–
15.	राजगढ़ (चुरू जिला)	–तथैव–	–तथैव–
16.	माण्उट आबू	–तथैव–	–तथैव–
17.	प्रतापगढ़	–तथैव–	–तथैव–
18.	नोहर	–तथैव–	–तथैव–
19.	बसवा	–तथैव–	–तथैव–
20.	[illegible]	–तथैव–	–तथैव–
21.	शाहपुरा	–तथैव–	–तथैव–
22.	अमेट अति	–तथैव–	–तथैव–
23.	चौमहला	–तथैव–	–तथैव–
24.	देवगढ़	–तथैव–	–तथैव–
25.	फतेहपुर	–तथैव–	–तथैव–
26.	गंगापुर (भीलवाड़ा जिला)	–तथैव–	–तथैव–
27.	कुम्भलगढ़	–तथैव–	–तथैव–
28.	लक्ष्मणगढ़	–तथैव–	–तथैव–
29.	भीम	–तथैव–	–तथैव–
30.	राजगढ़ (अलवर जिला)	–तथैव–	–तथैव–
31.	लालसोट	–तथैव–	–तथैव–
32.	चिरावा	–तथैव–	–तथैव–
33.	नीमज	–तथैव–	–तथैव–

उपरोक्त के अलावा अनूपगढ़, जोधपुर, अजमेर, नाथद्वारा और बीकानेर में भी 5 अतिरिक्त उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापना के लिए परिकल्पित हैं बशर्ते कि स्कीमें अनुमोदित हों।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में ग्रामीण डाकघरों का कार्यकरण

5782. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय कुल कितने डाकघर हैं और उनमें से कितने डाकघरों के पास विभागीय भवन नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार को इन डाकघरों के असंतोषजनक कार्यकरण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं को सुधारने और राज्य में विभागीय भवनों का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, 31.3.94 की स्थिति के अनुसार, डाकघरों की कुल संख्या निम्नानुसार है :–

विभागीय डाकघर	432
अतिरिक्त विभागीय डाकघर	10136
कुल :	10568

432 विभागीय डाकघरों में से 415 डाकघर बिना विभागीय भवनों के हैं। अतिरिक्त विभागीय डाकघरों के लिए विभाग कोई स्थान उपलब्ध नहीं कराता।

(ख) और (ग) सेवा में कमियों के संबंध में यदा-कदा शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। तथापि, आम तौर पर ऐसे डाकघरों की असंतोषजनक कार्यप्रणाली की ओर संकेत करने वाली कोई बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

प्रतीक्षा-सूची के लोगों को टेलीफोन कनेक्शन देना

5783. श्री अन्ना जोशी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आश्वासन दिया है कि प्रतीक्षा-सूची के लोगों को दिसम्बर, 1994 तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिया जायेगा और दूरसंचार/डाक भाड़े में भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, और

(ख) यदि हां, तो आश्वासन को पूरा करने के लिए सरकार की क्या योजनायें हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) जी नहीं।

8वीं योजना (1992-97) के उद्देश्यों के अनुसार इस योजना अवधि के अन्त तक बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा अवधि को घटा कर दो वर्ष करना तथा ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना है। तदनुसार, उक्त उद्देश्यों

की पूर्ति के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। तथापि, लीजिंग आधार पर उपस्करों की खरीद के लिए निधियां एकत्र करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यदि ये निधियां उपलब्ध हो जाती हैं तो योजना में परिकल्पित समय से पूर्व ही बकाया प्रतीक्षा सूची निपटा दी जाएगी।

तथापि, फिलहाल दूरसंचार/डाक शुल्क दर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

टेलीफोन के लिए स्थान परिवर्तन

5784. प्रो॰ एम॰ कामसन :

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन कनैक्शनों के लगने के पहले और बाद में नाम और स्थान में परिवर्तन हेतु टेलीफोन कनेक्शनों के लिए पंजीकृत व्यक्तियों को अनुपति देने के कुछ मानदंड निश्चित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गैर-ओ वाई टी, ओ वाईटी और विशेष श्रेणी में अलग-अलग की जाने वाली औपचारिकताओं का उनके लिए तय प्रभारों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवासीय स्थलों पर व्यापारिक टेलीफोन कनेक्शन देने के संबंध में भी कुछ मानदंड तय किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी के मामले में अलग अलग जमा की जाने वाली प्रभार राशि के साथ अन्य औपचारिकताओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या परिसर में एक से अधिक टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के संबंध में कोई मानदंड तय किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो श्रेणी वार पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं और उसके लिए जमा किये जाने वाले प्रभारों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण I और -II में दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

टेलीफोन रिलीज किए जाने के पूर्व नाम और स्थान में परिवर्तन

नाम में परिवर्तन की अनुमति निम्नलिखित स्थितियों में दी जाती है :

(क) व्यक्ति में परिवर्तन के बिना नाम में परिवर्तन

(i) विवाहोपरांत आवेदक के नाम में परिवर्तन।

(ii) आवेदक, फर्म, कंपनी, समिति, संस्था, संगठन के नाम में परिवर्तन।

व्यक्ति में परिवर्तन के बिना व्यक्ति के नाम में परिवर्तन की अनुमति गैर ओ वाई टी, ओ वाइ टी और विशेष श्रेणियों में पंजीकृत आवेदकों के लिए है।

(ख) व्यक्ति के परिवर्तन होने पर नाम में परिवर्तन

(i) यदि किसी ऐसे आवेदक की मृत्यु हो जाती है जिसका नाम गैर-ओ वाइ टी अथवा ओ वाइ टी श्रेणी में पंजीकृत है, तो मृतक की वसीयत के अनुसार उसके नाम में परिवर्तन की अनुमति दे दी जाती है तथा वसीयत के अभाव में यह अनुमति उसके कानूनी वारिस अथवा नजदीकी संबंधियों को दी जाती है, किन्तु विशेष श्रेणी के मामले में, नाम में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाती है। आवेदक नाम में परिवर्तन हेतु, क्षेत्र के सक्षम टेलीफोन प्राधिकारी के नाम विहित फॉर्म में नाम परिवर्तन के समर्थन में संगत कागजात संलग्न करते हुए आवेदन कर सकते हैं। यदि कागजात सही पाए गए, तो टेलीफोन प्राधिकारी 50/- रु० (पचास रुपये मात्र) का एक मांग-पत्र जारी करेगा। भुगतान की प्रमाण प्राप्ति के बाद मामले पर कार्रवाई की जाती है तथा आवेदक को विधिवत् रूप से अनुमोदन की सूचना दी जाती है।

टेलीफोन रिलीज किए जाने से पूर्व संस्थापना के स्थान में परिवर्तन के लिए, आवेदक सादे कागज पर क्षेत्र के टेलीफोन प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है। सिंगल एक्सचेंज अथवा मल्टी एक्सचेंज प्रणाली में एक ही एक्सचेंज के अंतर्गत स्थान परिवर्तन के लिए प्रभार नहीं देना पड़ता है।

विवरण II

टेलीफोन की संस्थापना के बाद नाम और स्थान में परिवर्तन

टेलीफोन स्थानांतरण की नीति :

मल्टी एक्सचेंज में, एक एक्सचेंज से दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन स्थानांतरित करने की अनुमति सामान्यत: प्रदान कर दी जानी चाहिए। यदि टेलीफोन स्थानांतरण के लिए प्रार्थना पत्र की तारीख उस एक्सचेंज की विशिष्ट श्रेणी की तारीख रिलीज अवधि तक के भीतर की हो अथवा जिस टेलीफोन को शिफ्ट किया जाना हो, वह तीन वर्ष की अवधि तक काम कर चुका हो अर्थात इसमें से जो भी पहले हो। टेलीफोन स्थानांतरण के मामलों में यह पद्धति अखिल भारतीय आधार पर एक शहर से दूसरे शहर में टेलीफोन शिफ्ट के मामले में लागू होगी।

एकल एक्सचेंज टेलीफोन प्रणाली अथवा मल्टी एक्सचेंज प्रणाली के अंतर्गत उसी एक्सचेंज में टेलीफोन शिफ्ट के आदेश उपभोक्ता से आवदेन पत्र प्राप्त होने पर तुरन्त कर दिया जाए जब तक कि उस क्षेत्र में ऐसा करना अव्यवहार्य हो।

स्थानान्तरण की पद्धति :

1. उपभोक्ता संबंधित टेलीफोन प्राधिकारी को इसके लिए निर्धारित आवेदन पत्र में अपना आवेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा।

2. जहां कहीं व्यवहार्य हो, टेलीफोन का स्थानांतरण आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर कर दिया जाएगा। जिन मामलों में सामान्य अवधि से अधिक समय लगने की संभावना है उन मामलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

3. जिन मामलों में यह पाया जाता है कि बिल की राशि विभागीय गलती जैसे सुरक्षित अभिरक्षा के मामलों में 40 प्रतिशत किराया राशि का बिल जारी न करना, बिल में गलती से अधिक राशि दर्शाना आदि के कारण बकाया है तो टेलीफोन को तत्काल स्थानांतरित करके उसे चालू किया जाएगा।

4. यदि टेलीफोन निर्धारित अवधि के भीतर तत्काल स्थानांतरित न किया जा सकता हो या विभागीय नीति के अंतर्गत इसकी अनुमति न हो या इसे केवल पेयर की कमी के कारण स्थानांतरित न किया जा सकता हो तो पार्टी को समय पर सूचना दी जानी चाहिए और आवेदक से यह जानकारी ली जाएगी कि क्या मूल स्थान पर लगे टेलीफोन को नए स्थान पर स्थानांतरित करने तक बंद रखा जाए।

5. किसी उपभोक्ता के नाम से कार्य कर रहे टेलीफोन को किसी व्यापारिक फर्म या कम्पनी के नाम सभी स्थानांतरित किया जाएगा जब उपभोक्ता उसका एकमात्र मालिक/साझेदार/डायरेक्टर हों।

6. टेलीफोन स्थानांतरित किया जा सकता है या नहीं, यह पता लगने के बाद संज्ञापन पत्र (एडवाइस नोट) जारी किया जाएगा। यदि टेलीफोन स्थानांतरित करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो तो, उसे तत्काल स्थानांतरित किया जाएगा।

7. मल्टी एक्सचेंज प्रणाली में एक एक्चेंज क्षेत्र से दूसरे एक्सचेंज क्षेत्र में स्थानांतरित करने के मामले में दो संज्ञापन पत्र एक मौजूदा टेलीफोन को वैध करने तथा दूसरा शिफ्ट किए जाने पर नया टेलीफोन खोलने के लिए जारी किए जाऐंगे। तकनीकी रूप से व्यवहार्य होने पर स्थानांतरण का काम तत्काल किया जाएगा।

8. टेलीफोन स्थानांतरित करने संबंधी अनुरोध की सदाशयता की जांच वास्तव में टेलीफोन स्थानांतरित किए जाने के समय ही की जानी चाहिए।

9. यदि उपभोक्ता चाहे तो वह अपने साथ मूल स्थान पर लगे टेलीफोन उपकरण को नए स्थान पर ले जा सकता है। उपभोक्ता को आवेदन पत्र में इस विकल्प का उल्लेख करना होगा।

10. किसी व्यक्ति के नाम टेलीफोन स्थानांतरित किए जाने से पूर्व मौजूदा बकाया बिलों की अदायगी की मांग किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तथापि किसी कार्यालय कंपनी या संगठन के मामले में टेलीफोन स्थानांतरित किए जाने से पूर्व बकाया बिल का भुगतान किया जाना आवश्यक है।

11. विभागीय कारणों से टेलीफोन शिफ्ट करने की 15 दिन की अवधि से अधिक का विलंब होने के कारण जिस अवधि तक टेलीफोन बंद रहता है उस अवधि का यथा अनुपात किराया वापिस किया जाता है।

स्थानांतरण से पूर्व आवेदन-पत्र वापिस लेना :

संज्ञापन-पत्र जारी होने के बाद परन्तु वास्तविक रूप से टेलीफोन स्थानांतरित होने से पहले यदि उपभोक्ता इसके स्थानांतरण का अपना आवेदन पत्र वापिस लेता है तो उसे जिला इंजीनियर द्वारा नियत उस तारीख तक किये गये वास्तविक व्यय का भुगतान करना पड़ेगा।

स्थानांतरणाधीन टेलीफोन बंद करना :

उपभोक्ता के अनुरोध पर यदि कोई टेलीफोन बंद किया जाता है और नियमों के अंतर्गत टेलीफोन स्थानांतरण के योग्य होने की अवधि तक सुरक्षा अभिरक्षा में रखा जाता है तो टेलीफोन बंद रहने की अवधि से स्थानांतरित किए जाने की तारीख तक इसका पूरा प्रभार लिया जाएगा। तथापि, स्थानांतरण के लिए पात्र हो जाने पर यदि टेलीफोन 15 दिन के भीतर शिफ्ट नहीं हो पाया हो तो उपर्युक्त (ii) के अनुसार यथानुपात किराए में छूट प्रदान की जाए।

तीसरी पार्टी को टेलीफोन का स्थानांतरण करने पर शिफ्टिंग :

टेलीफोन शिफ्ट करने की पात्रता निर्धारित्त करने के लिए टेलीफोन कनेक्शन के स्थानांतरण के मूल आवेदन पत्र की तारीख को ध्यान में रखा जाएगा और जिस एक्सचेंज क्षेत्र में टेलीफोन स्थानांतरण की मांग की गई है उस क्षेत्र में टेलीफ़ोन के कार्य करने की अवधि के साथ-साथ टेलफोन स्थानांतरण होने तक की अवधि को भी शामिल किया जाएगा।

अखिल भारतीय स्तर पर टेलीफोनों का स्थानांतरण :

उपभोक्ता से निर्धारित फार्म में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वर्तमान टेलीफोन के टेलीफोन प्राधिकारी उस टेलीफोन को बंद हुआ मानेंगे तथा उपभोक्ता को इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र जारी करेंगे। इस प्रमाण-पत्र के आधार पर उपभोक्ता नए स्थान पर संबंधित टेलीफोन प्राधिकारियों को टेलीफोन कनैक्शन के लिए आवेदन करेगा और उसके साथ यह प्रमाण पत्र संलग्न करेगा और उसे टेलीफोन क्नैक्शन प्रदान कर दिया जाएगा। ओ. वाई. टी. श्रेणी में रियायत देने के मामले में उपभोक्ता को प्रमाण-पत्र के साथ जमा की शेष राशि लौटा दी जाएगी। इस शेष राशि को उपभोक्ता नए स्थान पर जमा कराएगा और उपभोक्ता को ओ. वाई. टी. उपभोक्ता माना जाता रहेगा।

टेलीफोन का स्थानांतरण :

कोई भी टेलीफोन किसी अन्य व्यक्ति के नाम, दूरसंचार जिला इंजीनियर अथवा दूरसंचार जिला प्रमुख अथवा इस प्रयोजन के लिए जिला प्रमुखों द्वारा नामित मंडल इंजीनियर की स्वीकृति के तहत स्थानांतरित किया जा सकता है।

विभिन्न परिस्थितियों में स्थानांतरण :

(क) उपभोक्ता के जीवनकाल में :–"उपभोक्ता के जीवन काल में उसके निकट संबंधियों अर्थात पिता, माता, पत्नी, पति, पुत्र अथवा पुत्री, चचेरे भाई और बहन को छोड़कर सौतेले भाई और सौतेली बहन सहित, भाई तथा बहन के नाम टेलीफोन कनेक्शन के स्थानांतरण की मंजूरी प्रदान की जा सकती है, चाहे वह मूल रूप से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त किया गया हो। टेलीफोन ने

एक वर्ष से कम समय तक कार्य न किया हो। यदि टेलीफोन विशेष अथवा प्राथमिकता कनेक्शन है तो मूल किराएदार को उस श्रेणी में अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए कोई नया कनेक्शन नहीं दिया जा सकता।

(ख) उपभोक्ता की मृत्यु : उस व्यक्ति के नाम पर जिसके नाम पर मृतक को इच्छा के अनुसार जायदाद की वसीयत की गई है। यदि जायदाद को वसीयत एक से अधिक व्यक्तियों के नाम की गई है, तो उस स्थिति में टेलीफोन का स्थानांतरण अन्य लोगों की आपसी सहमति से एक व्यक्ति के नाम किया जा सकता है। वसीयत न होने की स्थिति में टेलीफोन मृतक की विधवा/विधुर के नाम, अन्यथा कानूनी वारिस अथवा उत्तराधिकारी के नाम पर स्थानांतरित किया जा सकता है। एक से अधिक कानूनी वारिस अथवा उत्तराधिकारी होने की स्थिति में, सभी वारिसों अथवा उत्तराधिकारियों की आपसी सहमति से उनमें से एक, व्यक्ति के नाम टेलीफोन स्थानांतरित किया जा सकता है।

(ग) उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन : किन्ही कारणों से उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन होने के कारण।

(घ) कंपनी अथवा फर्म के नाम में परिवर्तन : फर्म, कंपनी, संख्या, संगठन, एसोसिएशन अथवा समरूप निकाय के नाम अथवा संरचना में कोई परिवर्तन होने पर किसी फर्म अथवा कंपनी अथवा किसी संस्था या संगठन अथवा एसोसिएशन या कोई समरूप निकाय के नाम टेलीफोन का स्थानांतरण किया जा सकता है।

(ङ) लघु उद्योगों की श्रेणी में आने वाले फोनों का स्थानांतरण : लघु उद्योग के मामले में विशेष श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किए गए टेलीफोन के स्थानांतरण की अनुमति तभी दी जा सकती है जबकि किराएदार इसे ओ. वाई. टी. श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए ओ. वाई. टी. की अपेक्षित धनराशि जमा कराने के लिए तैयार हो। ऐसा उसी स्थिति में किया जा सकता है जबकि उस टेलीफोन के संस्थापन की मूल तिथि उस सीमा के अंतर्गत आती हो जिसके अंतर्गत ओ. वाई. टी. में टेलीफोन दिए जा रहे हों। विशेष श्रेणी के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किए गये टेलीफोन के मामले में नियमानुसार स्थानांतरण नहीं हो सकता।

विशेष श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण के मामले में टेलीफोन के स्थानांतरण की अनुमति नहीं है।

स्थानांतरण

(च) किराएदार द्वारा मकान मालिक के टेलीफोन का प्रयोग : प्राधिकारी द्वारा किसी भवन के मकान मालिक द्वारा लिए गए टेलीफोन का, उसी भवन में रह रहे किराएदार द्वारा प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। यह नियम विशेष श्रेणी के अंतर्गत आने वाले टेलीफोन कनैक्शनों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के टेलीफोन कनेक्शनों पर लागू होगा। इस संबंध में कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। इसके लिए 500/- रुपये अनुमति शुल्क लिया जाएगा। प्रत्येक नए किराएदार का अनुरोध पृथक रूप से और नए सिरे से विनियमित किया जाएगा। यह व्यवस्था निवास स्थान पर लगे टेलीफोन कनेक्शनों के लिए ही है।

स्थानांतरणों को संचालित करने वाली सामान्य शर्तें

(क) स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र स्थानांतरण करने वाले व्यक्ति और ज़िस व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरण किया जाता है, दोनों ही व्यक्तियों के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किराएदार के मामले में आवेदन पत्र पर उस व्यक्ति के ही हस्ताक्षर होंगे जिसके नाम टेलीफोन का स्थानांतरण किया जाना है।

(ख) प्रार्थना पत्र के साथ प्रमाण पत्र होने चाहिए जिसके अनुसार दूर संचार विभाग के भविष्य के दावों की क्षतिपूर्ति होगी एवं सभी पहले के बकाया धन आदि का भुगतान की व्यवस्था की जाएगी जिस व्यक्ति के नाम पर टेलीफोन का स्थानांतरण हो उसे स्थानांतरण की तारीख से पहले की अवधि से संबंधित कोई भी लम्बित बकाया देय राशि सहित, सभी प्रकार की बकाया राशि का भुगतान करने का आश्वासन देना चाहिए।

(ग) (i) यदि टेलीफोन कनेक्शन ओ. वाई. टी. सामान्य अथवा गैर-ओ वाई टी सामान्य श्रेणी के अंतर्गत मंजूर किया गया हो, तो वह टेलीफोन संस्थापन की तारीख से कम से कम एक वर्ष तक अवश्य कार्यरत रहा हो, यदि मंजूरी "तत्काल योजना" के अंतर्गत दी गई हो, तो टेलीफोन संस्थापन की तारीख से तीन वर्ष तक अवश्य कार्यरत रहा हो।

(ii) स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र स्थानांतरण चाहने की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जाना है। सक्षम प्राधिकारियों के पास गुणावगुण आधार पर प्रत्येक मामले में एक वर्ष की इस सीमा को शिथिल करने के विशेषाधिकार हैं।

(घ) स्थानांतरण शुल्क का भुगतान भारतीय तार नियमावली के नियम 434 (3) में निर्धारित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा अर्थात स्थानांतरण के प्रत्येक चरण के लिए मौजूदा शुल्क 100/- रुपये है।

(ङ) सभी स्थानांतरण उसी परिसर में किए जायेंगे। कोई भी उपेक्षित शिफ्टिंग स्थानातरण हो जाने के बाद स्थानांतरण कर्ता द्वारा अलग में करवाई जाएगी और इस प्रकार के अनुरोध पर सामान्य तौर पर की जाने वाली शिफ्टिंग पर लागू नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शुल्क-निर्धारण की निश्चित तारीख संस्थापना की तारीख होगी न कि स्थानांतरण की तारीख।

(च) किसी व्यक्ति के नाम पर लगे टेलीफोन का स्थानांतरण उस फर्म के नाम किया जा सकता है जिसका कि वह एक मात्र स्वामी है और इसी प्रकार उस फर्म के नाम लगे टेलीफोन को उसके मालिक के नाम स्थानांतरित किया जा सकता है।

(छ) स्थानांतरण सभी उपांगों सहित अनंमत्य है।

(ज) दलालों/एजेंसियों द्वारा समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों को अपवाद स्वरूप नहीं लिया जा सकता। विभाग केवल स्थानांतरणकर्ता और जिसके नाम स्थानांतरण किया जाना है उस व्यक्ति के साथ ही बातचीत करेगा और दलालों और एजेंसियों के साथ कोई बात नहीं करेगा।

(झ) प्रत्येक स्थानांतरण के लिए पंजीकरण से संबंधित स्थानांतरण शुल्क 50/-रू. है और पंजीकरण का स्थानांतरण चालू कनेक्शनों के स्थानांतरण से संबंधित मार्गनिर्देशों के अनुसार ही किया जाता है।

(ट) ओवाईटी श्रेणी में गैर-ओवाईटी सामान्य श्रेणी में पंजीकरण का स्थानांतरण करने की अनुमति नहीं है। इसके लिए आवेदक अपना पंजीकरण शुल्क वापस ले सकता है और गैर-ओवाईटी श्रेणी में पंजीकरण करवा सकता है।

(ठ) ओ वाई टी सामान्य श्रेणी से ओ वाई टी विशेष श्रेणी में पंजीकरण के स्थानांतरण की अनुमति, मूल पंजीकरण की तारीख से अथवा विशेष श्रेणी के अधीन पंजीकरण के लिए पात्रता की तारीख से, जो भी बाद में हो दी जा सकती है।

(ड) गैर-ओ वाई टी विशेष अथवा गैर ओ वाई टी सामान्य श्रेणी से ओ वाई टी श्रेणी में पंजीकरण के स्थानांतरण की अनुमति केवल निर्धारित जमा राशि के बीच के अंतर की प्राप्ति की तारीख से दी जा सकती है।

(ढ) गैर ओ वाई टी सामान्य श्रेणी से गैर ओ वाई टी विशेष श्रेणी में पंजीकरण के स्थानांतरण की अनुमति दी जा सकती है यदि शर्त पूरी की जाती हैं। इसी प्रकार गैर ओ वाई टी सामान्य श्रेणी को जरूरत पड़ने पर गैर ओ वाई टी विशेष श्रेणी द्वारा दी जा सकती है।

स्थानांतरणों पर और आगे प्रतिबंध

एक बार इन नियमों के अधीन एक टेलीफोन स्थानांतरित किया गया है, तो

(i) किराएदार जिसके नाम स्थानांतरण होना है कि मृत्यु,

(ii) किराएदार (जिसके नाम स्थानांतरण होना है) के नाम परिवर्तन,

(iii) संरचनात्मक परिवर्तनों आदि के कारण टेलीफोन का स्थानांतरण (किसी एक व्यक्ति के नाम अथवा इसके विपरीत स्वामित्व में परिवर्तन के कारण स्थानांतरण के मामले को छोड़कर) और

(iv) सरकार तथा संबद्ध संगठनों के बीच टेलीफोनों के स्थानांतरण के मामलों को छोड़कर, 5 वर्ष के आगे की अवधि के लिए टेलीफोन के स्थानांतरण संबंधी किसी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

तीसरी पार्टी को स्थानांतरण :

उपभोक्ता के टेलीफोन की संस्थापना के एक वर्ष के बाद किसी भी व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी के नाम अपना टेलीफोन स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी। ओवाईटी सामान्य और गैर ओवाईटी सामान्य श्रेणी के अंतर्गत स्वीकृत टेलीफोन को ही तीसरी पार्टीयों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी।

स्थानांतरण करने वाले के नाम जमा शेष राशि उसे, स्थानांतरण की तारीख तक की बकाया राशि की कटौती के बाद, वापस कर दी जाएगी। जिसके नाम टेलीफोन स्थानांतरित किया जाना है, वह उसे टेलीफोन स्थानांतरित करने के बाद भी पुरानी बकाया राशि का भुगतान करने का दायी होगा।

जिसके नाम टेलीफोन स्थानांतरित किया जाना है उसे निम्नलिखित राशियां अदा करनी होंगी :

(i) 8,500/-रु०, जहां किसी एक्सचेंज में कुल लाइनें 1000 से अधिक न हो।

(ii) 10,500/-रु०, 1000 लाइनों से अधिक किन्तु 10,000 लाइनों से अधिक नहीं।

(iii) 15,500/-रु० 10,000 लाइनों से अधिक।

इसमें से 500/-रु० स्थानांतरण शुल्क के तौर पर और 8000/-रु०, 10,000/-रु० तथा 15,000/-रु० ओवाईटी जमा राशि के तौर विनियोजित किए जाएंगे और स्थानांतरण की तारीख से उस कनेक्शन को नया ओवाईटी कनेक्शन माना जाएगा।

यदि विभाग को यह पता लगता है कि टेलीफोन किसी तीसरी पार्टी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है तो पार्टी को यह विकल्प दिया जाएगा कि वह तीसरी पार्टी को स्थानांतरण के तौर पर प्रयोगकर्ता को टेलीफोन स्थानांतरित करें।

स्थानांतरण केवल "साइट" पर ही किया जाता है। टेलीफोन शिफ्ट करने की पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजन से आरंभिक आवेदन की तारीख का मानदंड अपनाया जाएगा और उस एक्सचेंज क्षेत्र में शुरू से कार्य करने की अवधि से ही शुल्क का आकलन किया जाता है।

पांच वर्षों की अवधि से आगे की अवधि के लिए स्थानांतरण के किसी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की सेवाएं

5785. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा अपने प्रयोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाएं बहुत ही असंतोषजनक, अक्षम और तकलीफदेह हैं, जिस कारण टेलीफोन अक्सर खराब रहते हैं, उन्हें तत्काल और सन्तोषजनक ढंग से नहीं देखा जाता है और यदि अन्य क्षेत्रों से टेलीफोन की शिकायत करनी होती है, तो शिकायत नम्बर निरन्तर व्यस्त मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि शिकायत नम्बर लम्बे समय तक व्यस्थ नहीं रहें;

(घ) इस सेवा को अधिक प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) पिछले बारह महीनों के दौरान प्रति माह महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को असंतोषजनक सेवा के संबंध में कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(च) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं। दिल्ली में एम० टी० एन० एल० द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं संतोषजनक हैं। टेलीफोनों के दोषपूर्ण होने संबंधी शिकायतों पर नियमित रूप से ध्यान दिया जाता है। दोष मरम्मत की गुणवत्ता पर भी निगरानी रखी जाती है ताकि दोषों की पुनरावृत्ति न हो। तथापि, कर्मचारियों में असंतोष, केबलों की चोरी आदि होने के कारण दोष

मरम्मत सेवा पर प्रभाव पड़ा है।

संम्भवत: कई बार, काल करने वाले व्यक्ति को वह टेलीफोन नम्बर वास्तव में व्यस्त मिलता है। जिस नम्बर की शिकायत की गई है। तथापि, इस संबंध में सतृत पर्यवेक्षण किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परियात पद्धति को निरन्तर मानीटर किया जाता है तथा जहां आवश्यक हो, शिकायत सर्किटों में वृद्धि किए जाने के उपाय किए जाते हैं।

(घ) सेवाओं में और सुधार करने हेतु विभिन्न उपायों जैसे डक्टों में भूमिगत केबल बिछाना, जंक्शन प्राइमरी एवं सकैण्डरी केबिलों का दाबीकरण, व्यापक स्तर पर पी सी एम प्रणालियां शामिल करना, तथा नेटवर्क में पुराने एवं अप्रचलित उपस्करों को चरणवद्ध तरीके से बदलने के साथ-साथ सभी एक्सचेंजों में उत्तरोत्तर रूप से दोष मरम्मत सेवा का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

(ङ) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) प्रत्येक शिकायत की समुचित जांच की जाती है तथा सुधारात्मक कार्रवाई करके उपभोक्ता को इसकी सूचना दी जाती है।

विवरण

प्राप्त लिखित शिकायतों का माह वार विवरण

माह	प्राप्त शिकायतों की संख्या
अप्रैल – 93	304
मई – 93	343
जून – 93	314
जुलाई – 93	359
अगस्त – 93	1191
सितंबर – 93	1667
अक्तूबर –93	709
नवम्बर – 93	318
दिसम्बर– 93	91
जनवरी – 94	160
फरवरी – 94	164
मार्च – 94	67

[हिन्दी]

डाक तथा संचार सुविधाओं का विस्तार

5786. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी औद्योगिक नीति के अंतर्गत उद्योग लगाने में उद्यमियों की सहायता करने के लिए सरकार का विचार वर्तमान डाक तथा तार/संचार सेवाओं का विस्तार करने हेतु कोई नई योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) :

डाकघर :

सरकार का उद्देश्य उन क्षेत्रों में डाकघर सुलभ कराने का है, जहाँ ऐसी सुविधा मौजूद नहीं है, बशर्ते कि इस संबंध में विभागीय मानदंडों की पूर्ति होती हो तथा संसाधन उपलब्ध हों। शहरी क्षेत्रों में नवविकसित परियोजना क्षेत्रों, औद्योगिक इलाकों, औद्योगिक नगर-क्षेत्रों, शहरों आदि की बाहरी सीमाओं में बस गई कालोनियों में विभागीय उप-डाकघर तदनुसार खोले जाते हैं।

दूरसंचार सेवायें :

जी हाँ। सरकार का प्रस्ताव उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को आधारभूत सहायता सुलभ कराने के प्रयोजन से दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए, नई योजनायें आरंभ करने का है। आठवीं योजना के लक्ष्यों के अनुसार, औद्योगिक विकास केन्द्रों को दूरसंचार सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने के लिए, इन पर विशेष ध्यान देने की घोषणा की गई है।

[अनुवाद]

कोयले पर आधारित विद्युत परियोजनाओं का निजीकरण

5787. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के निजीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह प्रस्ताव इस समय किस चरण में विचाराधीन है; और

(घ) इसके कब तक कार्यान्वयन होने की आशा है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां। तलचेर ताप विद्युत केन्द्र (4610 मे. वा.) के संबंध में उड़ीसा सरकार और सीईए, यूएसए इंक. के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) इस प्रकार के निर्णय संबंधित राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा लिए जाते हैं। समझौता ज्ञापन में यह उल्लिखित है कि यह प्रस्ताव इसलिए प्रस्तुत किया गया ताकि ताप विद्युत केन्द्र की विश्वसनीयता और संयंत्र भार अनुपात को बढ़ाया जाए और विद्युत केन्द्र से अतिरिक्त उत्पादन क्षमता

और उससे संबंधित ऊर्जा को उचित लागत पर जल्दी से जल्दी अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाए।

(ग) और (घ) समझौता ज्ञापन इसलिए संपन्न किया गया है ताकि सीईए, यूएसए इंक., द्वारा ताप विद्युत केन्द्र से संबंधित ओ. एंड एम. प्रबंधन की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता, अधिग्रहण, स्वामित्व, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के बारे में और अधिक जांच पड़ताल के लिए एक ढांचा तैयार किया जा सके।

इंदौर बाईपास

5788. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से "चार-लेनों वाली इंदौर खंड" और इन्दौर बाईपास का निर्माण किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुमानित वित्तीय सहायता और अद्यतन अनुमानित लागत क्या है;

(घ) क्या निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है; और

(ङ) यदि हां, तो 31 मार्च, 1994 तक उस पर कितना व्यय किया गया तथा परियोजना चालू करने वाली एजेंसी का नाम क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 102.97 करोड रु० की अनुमानित लागत से इंदौरा बाईपास के निर्माण तथा रा. रा. 3 पर इंदौर-देवास खंड को चार लेनों का बनाने के लिए मंजूरी दे दी गयी है। ऋण समझौते में इन कार्यों के लिए लगभग 33.5 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता का प्रावधान है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तांबे का उत्पादन एवं आयात

5789. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने तांबे का वर्ष-वार आयात किया गया;

(ख) आठवीं पंच-वर्षीय योजना में तांबे के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ग) आठवीं योजना के अंत में अनुमानित उत्पादन कितना होगा;

(घ) आयातित तांबा एवं स्वदेशी तांबे की लागत में कितना अंतर है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार पर्याप्त व्यापार और शुल्क की व्यवस्था करके घरेलू उत्पादकों की रक्षा करने का है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) हिन्दुस्तान कापर लि०, जो केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम है, एक मात्र इकाई है, जिसके पास खनन एवं तांबा सान्द्र से शुद्ध तांबा उत्पादित करने के लिए स्मेल्टिंग क्षमता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा कोई भी तांबे के सान्द्र का आयात नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 1996-97 के लिए लक्ष्य और उसी वर्ष में हिन्दुस्तान कापर लि॰ का अनुमानित तांबे का उत्पादन 45,000 टन है।

(घ) इस समय देशी तांबा सान्द्र की तुलना में आयातित तांबा सान्द्र सस्ता है।

(ङ) इस समय, हिन्दुस्तान कापर लि॰ के पक्ष में सुरक्षात्मक शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दूरदर्शन पर हिंसा और अश्लीलता के दृश्य दिखाना

5790. श्री सनत कुमार मंडल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अप्रैल, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" नई दिल्ली में "स्क्रीन बायोलेंस डिस्टॉर्टस चाइल्ट माइन्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रिपोर्ट का अध्ययन उसमें उल्लेखित प्रख्यात मनोवैज्ञानिक, प्रो॰ एलिजाबेथ नेवेंन से कराया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार का विचार दूरदर्शन के पर्दे पर हिंसा और अश्लीलता के दृश्यों के प्रसारण को रोकने के लिएं क्या कदम उठाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) से (ग) सरकार को कथित समाचार की जानकारी है। उक्त समाचार के अनुसार, प्रतिष्ठित ब्रिटिश बाल मनोचिकित्सकों ने निष्कर्ष निकाला है कि वीडियो फिल्मों तथा टेलीविजन पर प्रदर्शित हिंसा और युवाओं में अक्रामकता की भावना के बीच स्पष्ट संबंध है।

भारत में इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु आशयित सभी फिल्मों की केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में जांच की जानी अपेक्षित है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, प्रमाणन हेतु फिल्मों की जांच करते समय बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को सुनिश्चित करेगा :

(1) हिंसा जैसी समाज-विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहराई जाए,

(2) ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें बच्चों को हिंसा का शिकार या अपराधकर्ता के रूप में अथवा हिंसा के बलात दर्शक के रूप में शरीक होते दिखाया गया हो या बच्चों का किसी प्रकार दुरुपयोग किया गया हो, और

(3) मूलत: मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिंसा, क्रूरता तथा आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य और ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनसे लोग संवेदनहीन या अमाननीय हो सकते हों।

दूरदर्शन कार्यक्रम पूर्वावलोकन के बाद टेलीकास्ट किए जाते हैं। कार्यक्रमों की नियमित रूप से समीक्षा भी की जाती है और जहां आवश्यक होता है, उपयुक्त परिवर्तन किए जाते हैं।

(घ) फिल्मों के दर्शकों पर प्रभाव के बारे में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन किए जाने का निर्णय किया गया है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में कार्य योजना ग्रुप

5791. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने हाल ही में अपने कार्य में विविधता लाने हेतु एक पृथक कार्य योजना ग्रुप गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में गतिविधियों, उत्पादों एवं कार्यों में विविधता लाने के क्या कारण हैं, कार्य योजना कंपनी की संरचना एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रत्येक इस्पात संयंत्र में ऐसे कार्य योजना ग्रुपों को गठित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा इसके संयंत्रों के उक्त कार्य योजना ग्रुप कब तक कार्य आरम्भ कर देंगे ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) "सेल" ने निगमित स्तर पर "बिजनेस प्लानिंग ग्रुप" गठित किया है। "बिजनेस प्ला निंग ग्रुप" का प्रमुख कार्य नीति संबंधी मुद्दों और "सेल" के सभी क्षेत्रों और कारोबार को शामिल करते हुए कारोबार नीति तैयार करना है जिसमें विविधीकरण नीति भी शामिल है, होगा। "बिजनेस प्लानिंग ग्रुप" एक बहु आयामी संघटन होगा। इस्पात के कारोबार में व्यापक एकीकृत नीति तैयार करने के अतिरिक्त "बिजनेस प्लानिंग ग्रुप" विविधिकरण के अवसरों का भी विश्लेषण करेगा। विविधिकरण के मानदण्ड-नीचे दिए गए हैं :-

1. इसे 'सेल' की विद्यमान श्रम-शक्ति का उपयोग करने के लिए सक्षम होना चाहिए और अपने संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए।

2. इसे 'सेल' के मौजूदा कारोबार से संबद्ध होना चाहिए।

3. प्रचालनों के आकार में सामंजस्य होना चाहिए।

4. इसे कारोबार में लाभप्रद होना चाहिए।

(ग) से (ङ) यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक संयंत्र में एक बिजनेस प्लानिंग विभाग बनाया जाए जिसका उत्तरदायित्व उत्तरवर्ती अवधि के लिए बिजनेस प्लानिंग करना होगा। इसके अतिरिक्त, विभाग विभिन्न उत्पाद बाजार नीति बनाने के लिए उत्तदायी होगा और प्रौद्योगिकी योजना, निवेश-योजना और नीति योजना में प्रबंध निदेशक की सहायता करेगा।

भ्रष्टाचार के आरोप

5792. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को 1 जनवरी, 1993 से 15 फरवरी, 1994 तक की अवधि के दौरान कुछ वाहन मालिकों तथा उनकी यूनियनों/एसोसियेशनों से परिवहन प्राधिकरण के कुछ निरीक्षकों द्वारा भ्रष्टाचार, मनमानी और लूटपाट किये जाने की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में की गई जांच का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) 1.1.93 से 15.2.94 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के परिवहन विभाग को 13 शिकायतें प्राप्त हुई और उनकी जांच की गई। एक मामले में संबंधित व्यक्ति को निलंबित किया गया और एक शिकायत निराधार पाई गई। शेष शिकायतों की जांच की जा रही है।

कश्मीर के बारे में फ्रांस के रक्षा मंत्री का वक्तव्य

5793. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कश्मीर के बारे में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर फ्रांसीसी रक्षा मंत्री के विचारों के बारे में 16 जनवरी, 1994 के पाकिस्तानी समाचार पत्र "न्यूज" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस विषय पर फ्रांस सरकार से उनके विचारों की पुष्टि कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) इस समाचार में फ्रांस के रक्षा मंत्री के जो विचार बताये गए हैं वे कश्मीर के संबंध में फ्रांस सरकार के रवैये को परिलक्षित नहीं करते।

(ग) जी, हां।

(घ) फ्रांस की सरकार इस बात का समर्थन करती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मसले द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाये जाने चाहिएं।

राउरकेला में आकाशवाणी केन्द्र

5794. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में राउरकेला स्थित आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुयी है और उसे शुरू करने के लिए निर्धारित तिथि क्या है; और

(ख) आकाशवाणी के इस केन्द्र को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) उड़ीसा के राउरकेला में स्थित स्थानीय रेडियो केन्द्र पूर्णता के अंतिम चरण में है और इसके जून, 1994 में तकनीकी रूप से तैयार हो जाने की संभावना है।

(ख) स्थायी विद्युत आपूर्ति की अनुपलब्धता के कारण देरी हुई है।

लघु उद्योग के उत्पाद

5795. डा॰ के॰ वी॰ आर॰ चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों से लघु उद्योगों के उत्पादों के विज्ञापनों पर रोक लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस प्रकार की रोक को आवश्यक नहीं समझा गया है।

[हिन्दी]

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज में अनियमितताएं

5796. डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री ने 16 फरवरी, 1994 को लिखे एक पत्र द्वारा माडर्न फूड इंडस्ट्रीज में अनियमितताएं फैलने का आरोप लगाया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा किसी उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा जांच कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में आकाशवाणी केन्द्र

5797. श्री सोमजीभाई डामोर :

श्री एन॰ जे॰ राठवा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजनावधि के दौरान गुजरात में नए आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य में ऐसे कितने केन्द्रों का निर्माण कार्य पूरा होने के करीब है;

(ग) प्रस्तावित केन्द्रों की आवृत्ति और प्रसारण क्षेत्र कितना है तथा इससे कुल कितने क्षेत्र में रेडियो कार्यक्रम सुने जा सकेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) से (ग) जी, हां। आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु हाथ में ली गई गुजरात में नए आकाशवाणी केन्द्रों को स्थापित करने से संबंधित स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन सभी स्कीमों को आठवीं योजना अवधि के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु हाथ में ली गई गुजरात में नए आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जाने से संबंधित स्कीमों का ब्यौरा।

क्र॰ सं॰	स्थान	स्कीम	आवृत्तियां	क्षेत्र (वर्ग कि॰ मी॰ में)
1.	जूनागढ़	2×3 कि॰ वा॰ एफ॰ एम॰ ट्रांसमीटर	101.7 मेघाहार्ट्ज	60
2.	बडोदरा	2×3 कि॰ वा॰ एफ॰ एम॰ ट्रांसमीटर	102.7 –तथैव–	60
3.	अहमदाबाद	2×3 कि॰ वा॰ एफ॰ एम॰ ट्रांसमीटर	103.1 –तथैव–	65

भारतीय मिशनों में राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग

5798. प्रो॰ (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में स्थित हमारे मिशनों में राजभाषा नीति लागू करने के कोई मानदंड तय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हिन्दी की शिक्षा प्रदान करने के लिए इन मिशनों में हिन्दी शिक्षा शास्त्रियों/शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन मिशनों में राजभाषा के रूप में हिन्दी को अपनाया गया है ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) हमारी राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए हमारे मिशनों के संबंध में अलग से कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं। भारत सरकार में आमतौर से जिन मानदण्डों का अनुपालन किया जाता है वे ही स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप मिशनों के संबंध में लागू होते हैं।

(ख) जार्ज टाउन, पारामारिबो, पोर्ट आफ स्पेन, पोर्ट लुई, लन्दन और काठमाण्डु जैसे मिशनों में हिन्दी अधिकारी भेजे जाते हैं जहां हिन्दी के प्रचार-प्रसार के अवसर विद्यमान हैं।

(ग) मिशन चूंकि भारत सरकार के ही कार्यालय हैं अत: वे राजभाषा हिन्दी के संबंध में सरकार की सामान्य नीति की परिधि में आते हैं।

विशाखापत्तनम पत्तन

5799. श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापतनम पत्तन द्वारा 1993-94 में आरंभ की गई परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 1993-94 के दौरान आवंटित धनराशि पत्तन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी;

(घ) 1994-95 के दौरान इस उद्देश्य से कितनी धनराशि आवंटित की गई अथवा करने का विचार है;

(ङ) क्या पत्तन अधिकारियों ने पत्तन की पुनर्गठन योजना को पूरा करने हेतु और अधिक धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) 1993-94 में केवल एक परियोजना, अर्थात एक 30 टन बी पी टग की खरीद का लक्ष्य था। अब इसे अगस्त, 1994 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

(ग) जी नहीं। इसे अपर्याप्त पाया गया था।

(घ) वर्ष 1994-95 में योजना स्कीमों के लिए 40 करोड़ रु॰ का आबंटन किया गया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में तार

5800. श्री प्रेम चन्द राम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पर्वतीय क्षेत्रों, विशेष रूप से हरूआ, वर्सालीगंज, राजौली तथा गोविंदपुर में बाहर से आने वाले और बाहर को जाने वाले तारों के आगम तथा निर्गम में प्राय: विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और सरकार ने उन क्षेत्रों में तार भेजने अथवा वहां तार प्राप्त करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की है;

(ग) क्या कई स्थानों पर तार डाक से भेजे जाते हैं और यदि हां, तो उत्तरांचल के आठ जिलों में ऐसे डाकघरों की जिला-वार संख्या क्या है; और

(घ) सरकार ने इस क्षेत्रों में तारों को समय पर प्रेषण सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं। इन क्षेत्रों से/को तार भेजने में सामान्यत: देर नहीं होती।

(ख) यह लक्ष्य है कि कम से कम विलंब से तार संप्रेषित कर दिए जाएं और बुकिंग से लेकर डेलिवरी तक, दिन के 12 घंटों के आधार पर विलंब की मानीटरिंग की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उत्तरांचल के आठ जिलों में तारों का समय पर प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए, विभाग शीघ्र ही नौ इलेक्ट्रॉनिक की बोर्डों की संस्थापना करेगा जिन्हें स्टोर और फॉरवर्ड मेसेज नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त, उन स्थानों पर दूरसंचार केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया गया है जहां दैनिक औसत परियात 50 तार या इससे अधिक हैं।

महाराष्ट्र में डाक और तार घर

5801. श्री दत्ता मेघे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय डाक और तार घरों एवं दूरभाष केन्दों की जिलावार पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन कार्यालयों की मौजूदा संख्या सार्वजनिक आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य में डाक और तारघरों एवं दूरभाष केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :

(क) **डाक और तारघर**

महाराष्ट्र में डाकघरों और तारघरों की वर्तमान संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(क) और (ख) **टेलीफोन एक्सचेंज :**

जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) **डाकघर**

डाकघर वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत औचित्य पाए जाने पर उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

तारघर :

तारघरों की वर्तमान संख्या आवश्यकता के अनुसार है।

(ग) **टेलीफोन एक्सचेंज :**

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल को वर्ष 1994-95 के दौरान, स्थापित करने के लिए आबंटित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या नीचे दी गई है :-

क्रम सं०	टेलीफोन एक्सचेंज का वर्ग	आबंटित यूनिटों की संख्या
1.	64 पी एमआईएलटी	100
2.	128 पी सी डॉट	50
3.	256 पी सी डॉट	100
4.	512 पी सी डॉट	30
5.	1000 एल सी डॉट	26
6.	1200 एल सी डॉट	6

विवरण

महाराष्ट्र में डाकघरों और तारघरों की जिलेवार संख्या का ब्यौरा।

क्रम सं०	जिला	डाकघरों की सं०	तारघरों की संख्या
1	2	3	4
1.	अहमदनगर	642	90
2.	अकोला	393	70
3.	औरंगाबाद	358	42
4.	अमरावती	446	73
5.	बीड़	319	27
6.	भंडारा	299	57
7.	बम्बई	274	81
8.	बुलधाना	346	150 (158)
9.	चन्द्रपुर	300	120
10.	धुले	451	45
11.	गढ़चिरौली	217	67
12.	जालना	165	15
13.	जलगांव	512	213
14.	कोल्हापुर	537	86
15.	लतूर	286	26
16.	नागपुर	340	82
17.	नान्देड़	455	111
18.	नासिक	662	82

1	2	3	4
19.	उस्मानाबाद	273	30
20.	परभनी	302	106
21.	पुणे	786	236
22.	रायगढ़	320	118
23.	रत्नागिरी	337	69
24.	सांगली	423	99
25.	सतारा	654	186
26.	सिंधुदुर्ग	353	134
27.	शोलापुर	531	109
28.	थाणे	434	106
29.	वर्धा	185	110
30.	यवतमाल	369	122

भारतीय शास्त्रीय संगीत

5802. श्री राजेश कुमार :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) आकाशवाणी ने अपनी स्थापना से ही शास्त्रीय संगीत सहित भारतीय संगीत को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभायी है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, इसके द्वारा प्रतिदिन लगभग 191 घंटे शास्त्रीय संगीत का प्रसारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, शास्त्रीय संगीत को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से आकाशवाणी केन्द्र संगीत पाठ, संगीत पत्रिका तथा संगीत मूल्यांकन कार्यक्रम भी प्रसारित करते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मालदीव के राष्ट्रपति की यात्रा

5803. डा० साक्षीजी : क्या **विदेशी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालदीव के राष्ट्रपति हाल ही में भारत की यात्रा पर आये थे;

(ख) यदि हां, तो उनके और भारतीय नेताओं के बीच किन-किन मुद्दों पर बातचीत हुई तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या उनकी यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी समझौता-वार मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) जी हां। मालदीव के राष्ट्रपति 21-24 मार्च, 1994 तक भारत यात्रा पर आये थे।

(ख) राष्ट्रपति गयूम तथा हमारे नेताओं के बीच बातचीत का उद्देश्य विविध क्षेत्रों में हाल ही के द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करना था जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा पर्यावरण, तकनीकी सहायता तथा औषध द्रव्यों के गैर-कानूनी व्यापार को रोकना और भावी सहयोग के लिए क्षेत्र तय करना शामिल था। उन्होंने द्विपक्षीय सम्बन्धों की स्थितिपर संतोष व्यक्ति किया तथा कहा कि वे भविष्य में इसे और अधिक सुदृढ़ करने के लिए कृत संकल्प हैं। उन्होंने क्षेत्रीय घटनाओं पर भी बातचीत की जिसमें सार्क से सबंद्ध मसले भी शामिल हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों के पूंजीगत आधार का पुनर्गठन

5804. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों के पूंजीगत आधार का पुनर्गठन करने हेतु केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 12-क में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार, यदि वह ऐसा करना उचित समझती है, राज्य बिजली बोर्डों को 10 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी, जो भी राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, के साथ एक निगमित निकाय के रूप में अधिसूचित कर सकती है। इसमें आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार विधान मंडल के अनुमोदन से उपर्युक्त पूंजी की अधिकतम राशि को उस सीमा तक, जैसा सरकार उचित समझे, समय-समय पर बढ़ा सकती है।

राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय निष्पादन को सुधारने की दृष्टि से सरकार द्वारा दो कार्यदल, एक विद्युत मंत्रालय द्वारा और दूसरा राज्य बिजली बोर्डों के वित्त पोषण को मजबूत बनाने के अर्थोपायों का सुझाव देने के लिए योजना आयोग द्वारा स्थापित किए गए थे। ईक्विटी भागीदारी की शुरूआत इन कार्यदलों की मुख्य सिफारिशों में से एक थी। सरकार ने इन कार्यदलों की सिफारिशों को स्वीकार

कर लिया था। राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों से इन कार्यदलों की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में कार्रवाई आरंभ करने के लिए अनुरोध किया गया है।

विद्युत क्षेत्र में भारतीय/विदेशी कम्पनियां

5805. **श्री मनोरंजन भक्त :**

डा० सुधीर राय :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेशकों के स्वामित्व वाले विद्युत संयंत्रों को न्यायसंगत ठहराने के लिए अधिष्ठापित क्षमता को अतिशयोक्तिपूर्ण बताया जा रहा है;

(ख) क्या राज्य विद्युत बोर्डों को वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने हेतु उनमें कोई उद्देश्यपूर्ण सुधार नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के अभाव में विदेशी निवेशक भारतीय उपभोक्ताओं से पूंजीगत संसाधनों उपकरणों और ईंधन आदि का बहुत अधिक किराया ले रहे हैं; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) अनेक राज्य बिजली बोर्डों द्वारा वाणिज्यिक व्यवहार्यता में सुधार हेतु कार्रवाई की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आई० एस० डी०/एस० टी० डी०/पी० सी० ओ० बूथों के लिए दिशा निर्देश

5806. **श्री मोहन रावले :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मुंबई में आई० एस० डी०/एस० टी० डी०/पी० सी० ओ० बूथ आवंटित करने हेतु दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है कि कोई आई० एस० डी०/एस० टी० डी०/पी० सी० ओ० बूथ अनधिकृत और अवैध रूप से तो कार्य नहीं कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी हां। दिशा-निर्देशों के ब्यौरों का कड़ाई से पालन किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

आई॰ एस॰ डी॰/एस॰ टी॰ डी॰/पी॰ सी॰ ओ॰ के आबंटन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

I. सामान्य

1. पात्रता

आई॰ एस॰ डी॰/एस॰ टी॰ डी॰/पी॰ सी॰ ओ॰ के आबंटन हेतु आवेदन करने के लिए केवर शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति पात्र हैं। उम्मीदवार को अपने स्थानीय संसद सदस्य/विधान सभ सदस्य/तहसीलदार और इससे ऊपर के स्तर के राजस्व प्राधिकारियों/रोजगार अधिकारी/जिल परिषद/पंचायत के अध्यक्ष अथवा ग्राम प्रधान अथवा मान्यता प्राप्त सामाजिक संगठनों जैसे रोटरं क्लब/लायन्स क्लब इत्यादि के सचिव, जिनके अधिकार-क्षेत्र में आवेदक के रहता हो, से अपने बेरोजगा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदकों की निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए

(i) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए : 8वीं अथवा मिडिल स्कूल उत्तीर्ण और उससे अधिक।

(ii) शहरी क्षेत्रों के लिए : कम से कम मैट्रिक अथवा हाई स्कूल उत्तीर्ण और उससे अधिक

आवेदन, बेरोजगार प्रमाण पत्र सहित और एस॰ टी॰ डी॰/पी॰ सी॰ ओ॰ के प्रचालन के लि दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तों पर सहमति देनी होगी।

2. वास्तविक व्यक्तियों का चयन

नीचे दी गई श्रेणियों के सदस्यों से गठित समिति, उपयुक्त जांच-पड़ताल और वास्तविक व्यक्तिय का सत्यापन करने के बाद एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ आबंटन के लिए आवेदकों का चयन करेगी संभावित धोखा धड़ी से बचने के लिए, एक सहपत्र सहित बेरोजगार प्रमाणपत्र की फोटोप्रति पंजीकृ डाक द्वारा जारी करने वाले प्राधिकारी को भेजी जाए, जिसमें इसे सत्यापित करने का अनुरोध किया जाए। समिति निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हुए, उपलब्ध संख्या में पी सी ओ आबंटित करेगी :-

(क) नेत्रहीन व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्ति

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक

(ग) भूतपूर्व सैनिक/युद्ध में मारे गए सैनिकों को विधवाएं

(घ) दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा उनके आश्रित व्यक्ति

(ङ) स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित

(च) धर्मार्थ संस्थाएं/अस्पताल

समिति को एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ के आबंटन का पूर्ण प्राधिकार होगा और नए पी॰ सी॰ ओ॰ के लिए स्थान का निर्णय भी वही लेगी।

समिति का गठन

(क) नए एस॰ टी॰ डी॰ पे-फोनों के आबंटन के लिए समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(i) गौण स्विचन क्षेत्र के प्रमुख अध्यक्ष

(ii) विभाग के वित्त और लेखा स्कंध से एक अधिकारी जो लेखा अधिकारी इत्यादि के रूप में गौण स्विचन क्षेत्र के प्रमुख के अधीन कार्य कर रहा हो सदस्य

(iii) मंत्रालय द्वारा तीन गैर-सरकारी सदस्यों को दो वर्ष की कार्यकाल अवधि के लिए नामित किया जाएगा।

3. आबंटन की प्रक्रिया

समिति एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ के आबंटन के लिए पात्र व्यक्तियों के आवेदनों की छंटाई और चयन के लिए आबंटन से संबंधित कार्य की मात्रा पर निर्भर करते हुए महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

4. एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ आबंटियों को ऋण की सुविधा

एस एस ए प्रमुख आबंटियों को एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ के आबंटन से संबंधित एक प्रमाण पत्र जारी करेगा ताकि वह अनुसूचित बैंकों से ऋण आदि ले सके। इस संबंध में एस एस ए प्रमुख सभी संभव सहायता भी प्रदान करेगा।

5. व्यवस्था की सीमा

एक्सचेंज लाइनों को कुल क्षमता का 5 प्रतिशत तक पी सी ओ (एस॰ टी॰ डी॰ और स्थानीय) के आबंटन हेतु सुरक्षित रखी जानी है।

6. एक्सचेंज की किस्म जहां से एस॰ टी॰ डी पी॰ सी॰ ओ॰ को जोड़ा जाना है

एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ सामान्यतया केवल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से ही जोड़े जाने चाहिए। ऐसे स्थान जहां इलेक्ट्रो-मेकेनिकल एक्सचेंजों द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है, में एक नया 128 पोर्ट सी-डॉट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज या 16 के एच जेड होम मीटरिंग क्षमता सहित उच्चतर क्षमता का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज खोला जा सकता है और सभी एस॰ टी॰ डी॰ पे-फोन्स इस इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से जोड़ दिए गए इन मूल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ पर कार्य कर रहे कॉल लागर्स 16 किलो हर्ट्ज साइकल प्लस पर प्रचालित की जानी चाहिए।

7. सामान्य शर्तें

(i) एक आवेदक को केवल एक एस टी डी पे-फोन प्रदान किया जाए। तथापि, मौजूदा बल्क फ्रेंचाइजी अपने मौजूदा करार को निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार प्रचालन करेंगे।

(ii) सभी एस॰ टी॰ डी॰ पे-फोन इस तरह संस्थापित किए जाएं ताकि उनका रुख सड़क/गली की ओर हो जिससे जनता वहां आसानी से पहुंच सके।

(iii) ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन कम से कम प्रात: 6.00 बजे से 11.00 बजे तक खुले होने चाहिए।

(iv) आबंटी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला टर्मिनल उपस्कर इंटरफेस अनुमोदित होना चाहिए और इन्हें स्थानीय रूप से प्रोग्राम करने योग्य नहीं होना चाहिए। हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लि॰ अथवा अन्य विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित ऐसे साधारण काल लागर्स/चार्ज इंडीकेटरों का उपयोग किया जाना चाहिए जिन्हें विभाग द्वारा इंटरफेस अनुमोदन प्राप्त हैं। स्टाप वाच के प्रयोग को अनुमति नहीं दी जाएगी (अनुमोदित चार्ज इंडीकेटरों की सूची अलग से परिचालित की जा रही है।)

(v) एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ आबंटी एक महीने की अवधि में कॉल की गई काल यूनिटों में से 10,000 काल यूनिटों तक 20 पै॰ प्रति काल यूनिट, 10,000 से 20,000 काल यूनिटों तक 15 पैसे प्रति काल यूनिट और 20,000 से अधिक काल यूनिटों के लिए 10 पैसे प्रति काल यूनिट की दर से कमीशन का हकदार होगा।

(vi) प्रतिभूति जमा नकद और एक किस्त में अथवा बैंक गारंटी के रूप में जमा की जानी चाहिए।

(vii) एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ आबंटी द्वारा 200 कि॰ मी॰ के अंतर्गत आने वाले सभी स्थानों के लिए पल्स की दरें प्रमुख रूप से दर्शायी जानी चाहिए।

(viii) एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ के आबंटन के लिए आवेदकों को विहित फार्म में आवेदन करना चाहिए।

(ix) जब आवेदक को एक एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ ओ॰ आबंटित किया जाता है तो उसे दूरसंचार प्राधिकारी के साथ विहित फार्म में करार पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

(x) सभी एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ पर इनकमिंग कॉल सुविधा की अनुमति दी जाएगी।

(xi) स्थानीय क्षेत्र के अन्दर एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ को शिफ्टिंग अनुत्य है। सी पी एक्सचेंज लाइनों के लिए लागू सामान्य शिफ्टिंग प्रभारें वसूली जायेंगी।

(xii) यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर आकस्मिक जांच की जानी चाहिए कि आबंटिती ग्राहकों से दूरसंचार विभाग द्वारा दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रभार लेता है।

(xiii) सार्वजनिक टेलीफोन के लिए आवेदन करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत और उनसे सम्बद्ध नियम टेलीफोन निर्देशिका के वाणिज्यिक सूचना वाले पृष्ठों पर प्रकाशित किए जाने चाहिए।

(xiv) यदि पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त न हों तो समय-समय पर स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाएं।

II. ग्रामीण

सामान्य शर्तों के अतिरिक्त, ग्रामीण एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ का प्रचालन करते समय निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए ग्रामीण एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ को 512 लाइनों अथवा उससे कम की कुल क्षमता वाली एक्सचेंज प्रणाली में काम करने वाले एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ के रूप में परिभाषित किया गया है :

1. ग्रामीण एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ के मामले में प्रति पी॰ सी॰ ओ॰ प्रतिमाह गारंटीशुदा न्यूनतम राजस्व रु॰ 100/- निर्धारित किया गया है।

2. छह महीनों के गारंटी शुदा राजस्व अथवा मासिक औसत राजस्व जो भी अधिक हो के आधार पर पी॰ सी॰ ओ॰ के आबंटिती को 600/-रु॰ प्रतिभूति राशि के रूप में ग्रामीण एस॰ टी॰ डी॰ जमा करने होते हैं। औसत राजस्व की गणना पिछले छह महीनों के राजस्व के आधार पर की जाती है।

3. एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ के प्रभार वसूल करने के लिए साप्तहिक बिल प्रणाली का पालन किया जाएगा।

III. गैर-ग्रामीण (शहरी)

ऊपर उल्लिखित सामान्य शर्तों के अतिरिक्त गैर-ग्रामीण (शहरी) क्षेत्रें में एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ स्कीम के संबंध में नीचे दिए गए मार्गदर्शो सिद्धांतों का अनुपालन किया जाना चाहिए :

1. लगभग प्रत्येक 100 निवास/व्यापार परिसरों के लिए कम से कम एक एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ उपलब्ध कराया जाए।

2. **एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ के स्थान**

पी॰ सी॰ ओ॰ के आबंटन के लिए स्थान का चयन करते समय, पी॰ सी॰ ओ॰ बूथों के लिए सुविधाजनक स्थान चुनने के लिए गौण स्विचन क्षेत्र (एस एस ए) का प्रमुख पी॰ सी॰ ओ॰ बूथ के लिए सुगम स्थान प्रदान करने के लिए स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका, सार्वजनिक संस्थानों से परामर्श लेगा। पी॰ सी॰ ओ॰ बूथों के लिए स्थान का चयन करते समय नीचे दिए गए महत्त्वपूर्ण स्थानों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए :

- कामर्सियल हाऊसिंग सोसाइटी
- पुनर्वास कालोनियां
- सरकारी कालोनियां
- रक्षा कर्मचारियों के फैमिली क्वार्टर
- छात्रावास
- बस अड्डे
- पर्यटन केन्द्र
- हवाई अड्डे
- तीर्थ स्थल
- रेलवे स्टेशन
- धर्मार्थ संस्थाएं
- अस्पताल
- शैक्षिक संस्थान, सार्वजनिक पुस्तकालय इत्यादि।

4. गैर-ग्रामीण (शहरी) एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ के मामले में विभाग को प्रति पी॰ सी॰ ओ॰ प्रतिमाह गारंटी शुदा न्यूनतम राजस्व रु॰ 1600/- निर्धारित किया गया है।

5. प्रतिभूति जमाराशि 5000/- रु॰ अथवा औसत मासिक राजस्व, जो भी अधिक हो के बराबर होगी। औसत मासिक राजस्व की गणना पिछले छह महीनों के राजस्व के आधार पर की जाएगी।

6. एस॰ टी॰ डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ प्रभारों को वसूल करने के लिए पाक्षिक बिल प्रणाली का पालन किया जाएगा। यदि प्रभार अधिक हों, तो स्थानीय दूरसंचार प्राधिकारियों द्वारा साप्ताहिक बिल बनाए जाएं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विज्ञापन

5807. श्री अनंतराव देशमुख : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समाचारपत्रों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विज्ञापनों और सरकार के विज्ञापनों के लिए अलग-अलग दरों का अनुसरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से भेजने के लिए निर्देश दिए गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) से (घ) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से भेजे गए सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विज्ञापनों पर समान दरें लागू होती हैं। तथापि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के जरिये अपने विज्ञापन जारी करने की बाध्यता नहीं है। वे अपनी आवश्यकतानुसार स्वेच्छा से अपने प्रचार-अभियान चलाने के लिए स्वतंत्र हैं।

वाणिज्यिक रूप से गैर-प्रतियोगी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विज्ञापनों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की दरों पर जारी करने की वांछनीयता पर बल देते हुए सरकार समय-समय पर लोक उद्यम ब्यूरो को लिखती आ रही है।

गुजरात में टेलीफोनों को अंतरित करना

5808. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या **संचार राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेषरूप से छोटा उदयपुर में कितने डाकघरों में टेलीफोन की सुविधा नहीं है और कितने डाकघरों में टेलीफोनों को पंचायत भवनों में अंतरित कर दिया गया है;

(ख) क्या ऐसे टेलीफोनों को अंतरित किये जाने में कोई अनियमितता बरते जाने की जानकारी मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है;

(घ) कितनी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा है और कितनी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा नहीं है;

(ङ) 1990-91 और 1991-92 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि खर्च की गई,; और

(च) राज्य के सभी डाकघरों और पंचायत भवनों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जायेंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) (i) गुजरात में टेलीफोन सुविधा रहित डाक-घरों की संख्या 5983 है।

(ii) छोटा उदयपुर में टेलीफोन सुविधा रहित डाकघरों की संख्या 40 है।

(iii) छोटा उदयपुर के किसी भी डाकघर से टेलीफोन पंचायत भवन में शिफ्ट नहीं किए

(ख) जी नहीं, सरकार को अभी तक ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं मिली है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 01.04.1994 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन सुविधा युक्त पंचायत ग्रामों की संख्या 9078 है और टेलीफोन सुविधा रहित पंचायत ग्रामों की संख्या 4343 हैं।

(ङ) ब्यौरे इस प्रकार से हैं :-

वर्ष	**खर्च की गई अनुमानित धनराशि (करोड़ रु० में)**
1990-91	17.55
1991-92	15.76

(च) डाक-घर/पंचायत भवन केवल ऐसे स्थान हैं। जहां पर सार्वजनिक लगाने का सुझाव दिया जाता है, अतः सभी डाक-घरों पंचायत भवनों में सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 31.03.1995 तक सभी पंचायत ग्रामों को यह सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

खाद्य प्रसंस्करण एककों की संस्थापित क्षमता में वृद्धि

5809. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण एककों की संस्थापित क्षमता में गत दो वर्षों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लघु और मध्यम उद्यमियों का खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने के लिए राज सहायता दी जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) और (ख) : खाद्य प्रसंस्करण यूनिट संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं और ऐसे सभी यूनिटों के बारे में राज्यवार सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। परंतु उपलब्ध सूचना के अनुसार खाद्यान्न मिलिंग,

फल सब्जी प्रसंस्करण, मांस-पाल्ट्री प्रसंस्करण और मात्स्यिकी के क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापित क्षमता निरंतर बढ़ रही है।

(ग) और (घ) मंत्रालय की विकासात्मक योजना स्कीमों के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं को स्थापना करने या उनका विस्तार करने के लिए राज्य सरकार के संगठनों/सहकारिताओं/स्वैच्छिक एजेंसियों/संयुक्त क्षेत्र आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है।

पे-फोन और कार्डों के लिये निविदा

5810. श्री राम कापसे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दो वर्ष पूर्व "पे-फोनों" तथा "कार्ड फोनों" को सप्लाई के लिये जारी की गई विश्व निविदा रद्द कर दी है,

(ख) यदि हां, तो कितने आवेदन प्राप्त हुए थे; और

(ग) निविदाएं दद्द करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) पे-फोनों और कार्डों की सप्लाई के लिए व्यापक टेंडर आमंत्रित नहीं किए गए थे। तथापि, देश में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से इनकी खरीद करने के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे।

(ख) दस।

(ग) पुनरीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया था कि फ्रेंचाइजी आधार पर कार्ड पे-फोनों की सेवाएं प्राप्त की जाएं और इस प्रकार टेंडर रद्द कर दिया गया था।

असम में टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर

5811. श्री प्रवीन डेका : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का 1994-95 के दौरान असम में किन-किन स्थानों पर नये टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर लगाने का विचार है;

(ख) राज्य में लगाये जाने वाले प्रत्येक टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर की कितनी क्षमता होगी; और

(ग) ये ट्रांसमीटर कब तक लगा दिये जायेंगे और कब तक कार्य करने लगेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) से (ग) असम के बोंगईगांव, हाफलोंग, नार्थ लखीमपुर, सोनारी, लम्डिग, होजाई तथा तिनसुकिया में प्रत्येक में एक-एक अर्थात सात अल्प शक्ति (100 वाट) टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर तथा डिग्बोई में एक अति अल्प शक्ति (10 वाट) ट्रांसमीटर कार्यान्वयंनाधीन है। 1994-95 के दौरान इन ट्रांसमीटरों का चरणों में चालू होना तय किया गया है, जो आधारभूत ढांचे की उपलब्धि तथा उपकरण की सामयिक सप्लाई पर निर्भर होगा। तेजपुर में एक उच्च शक्ति (1 कि॰ वा॰) टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर लगाया जाना भी पारिकल्पित है। इस आकार की परियोजना का पूरा करने में लगभग 3-4 वर्ष का सामान्य समय लगता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश और राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

5812. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को भेजी गई राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास संबंधी परियोजनाओं का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उसके लिये राज्यवार कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या दोनों राज्यों में कुछ स्वीकृत परियोजनाओं के निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाये जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए संघ सरकार को प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

	1991-92	1992-93	1993-94
मध्य प्रदेश	43	33	15
राजस्थान	54	28	17

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित प्रस्तावों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

राशि

(लाख रू.)

	1991-92		1992-93		1993-94	
	प्रस्तावों की सं०	स्वीकृत राशि	प्रस्तावों की सं०	स्वीकृत राशि	प्रस्तावों की सं०	स्वीकृत राशि
मध्य प्रदेश	×20	×10904.50	××13	××11699.77	02	189.31

× इसमें 10484.0 लाख रु० के प्रशासनिक रूप से अनुमोदित तथा 1992-93 के दौरान स्वीकृत 11499.24 लाख रु० के तीन कार्य भी शामिल हैं।

×× इसमें 1991-92 में प्रशासनिक रूप से अनुमोदित तीन कार्य शामिल हैं।

राजस्थान प्रदेश	28	11224.76	11	2106.78	03	78.25

(ग) से (ङ) भूमि अधिग्रहण के कार्य में धीमी प्रगति, ठेका संबंधी समस्याओं, इत्यादि के कारण

कुछ परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है। निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन गति में तेजी लाने के लिए इन समस्याओं के समाधान हेतु जारी कार्यों पर आवधिक निगरानी रखी जाती है।

[अनुवाद]

गोवा में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये धनराशि

5813. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में गोवा में वाहनों के यातायात में अत्यधिक वृद्धि हुई है जबकि राज्य में वर्तमान सड़क नेटवर्क इस यातायात के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना अवधि के दौरान यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाएंगे और

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के बाई पास सड़कों का निर्माण, विकास, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण और मरम्मत के लिये आवंटित राशि तथा गोवा द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किये गये अन्य प्रस्तावों का ब्यौरा क्या-क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों, जिनमें गोवा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं, पर वाहन यातायात में वृद्धि होती रही है। मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों को, इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध निधियों के अनुरूप यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में सुधार कार्यों के लिये 56.10 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है जिसमें बाईपास, सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ बनाना तथा पुलों का निर्माण शामिल है।

एल्यूमिना का उत्पादन और निर्यात

5814. श्री के० प्रधानी : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुट जिले में दामनजोड़ी संयंत्र में उत्पादित एल्यूमिना की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक मांग है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उच्च ग्रेड के एल्यूमिना के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस संबंध में 1994-95 के लिये बनाये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० द्वारा उड़ीसा के कोरापुट जिले के दामनजोड़ी स्थित एल्यूमिना संयंत्र में उत्पादित एल्यूमिना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तथा विश्व बाजार में स्वीकार्य है।

(ख) कम्पनी ने अपनी एल्यूमिना क्षमता को 0.8 मि० टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1.35 मि० टन प्रतिवर्ष करने की योजना बनाई है।

(ग) वर्ष 1994-95 में, एल्यूमिना उत्पादन लक्ष्य 0.8 मि॰ टन रखा गया है जोकि इसकी निर्धारित क्षमता है तथा वर्ष के दौरान एल्यूमिना निर्यात लक्ष्य 4 लाख टन रखा गया है।

दृश्य श्रव्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन

5815. श्री ब्रह्मानंद मंडल :

श्री तेजनारायण सिंह

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान तथा 1993-94 के दौरान दृश्य श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा देश में विभिन्न समाचार पत्रों को कुल कितने विज्ञापन दिये गये और इनमें से कितने विज्ञापन बिहार से प्रकाशित समाचार पत्रों को दिये गये; और

(ख) इस अवधि के दौरान कुल कितनी धनराशि के विज्ञापन दिये गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) और (ख) सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	जारी किए गए कुल विज्ञापनों की संख्या	बिहार राज्य के प्रकाशनों को जारी किए गए विज्ञापनों की कुल संख्या	जारी किए गए विज्ञापनों का कुल मूल्य (रुपयों में)
1992-93	1,84,260 विज्ञापन सामग्री	5,017 विज्ञापन सामग्री	29,86,27,428.00
1993-94 (1.4.93 से 28.2.94 तक)	1,81,843 विज्ञापन सामग्री	5,416 विज्ञापन सामग्री	27,23,20,964.00

दूरदर्शन पर विज्ञापन दिखाने के लिये विदेशी बैंकों को अनुमति

5816. श्री एस॰ एम॰ लालजान वाशा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन का विचार विदेशी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने सेवाओं के विज्ञापन दिखाने की अनुमति देकर विज्ञापन के माध्यम से राजस्व बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) "दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापनार्थ संहिता" को निम्नलिखित से संबधित विज्ञापनों के प्रदर्शन की मंजूरी हेतु हाल ही में संशोधित किया गया है :

(i) जवाहरात या बहुमूल्य रत्न

(ii) वैवाहिक एजेंसियां

(iii) ज्योतिषी/अंक विद्

(iv) एस॰ ई॰ बी॰ आई॰ द्वारा अनुमोदित म्युच्युअल फंड्स

(v) खिजाब

(vi) विदेशी उत्पाद

(vii) वित्तीय सेवाओं समेत विदेशी बैंक।

दूरसंचार विभाग द्वारा सामान सूची प्रबंधन

5817. श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूर-संचार विभाग द्वारा किस प्रकार की सामान सूची प्रबंधन प्रणालियां अपनायी जा रही

(ख) दूर-संचार विभाग द्वारा उपकरणों को खरीदने के बाद उन्हें स्थापित करने में औसतन कितना समय लगता है;

(ग) क्या, अलेपी (केरल) में दो बर्षों से अधिक समय से ई 10-बी एक्सचेंज यथावत पड़ा है और उसे स्थापित नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दूर-संचार विभाग के पास 2000 करोड़ रुपये से अधिक के सामान की सूची है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) भंडार दूरसंचार सर्किलों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सामान सूची प्रबंधन दूरसंचार सर्किल स्तर के साथ-साथ सर्किलों के अधीन यूनिट स्तरों पर किया जाता है।

(ख) उपकरण की प्राप्ति तथा उन्हें स्थापित करने के लिए औसत समय उपकरण की किस्त पर निर्भर करता है।

1. पुरानी प्रौद्योगिकी की एक्सचेंज के लिए यह 12-18 माह है।

2. नई प्रौद्योगिकी की एक्सचेंज के लिए यह लगभग 6-80 माह है।

3. पारेषण उपकरण यत: माइक्रोबेव प्रणाली, आप्टीकल फाइवर प्रणाली आदि के लिए यह 6-12 माह है।

(ग) जी नहीं, एल्लेपी (केरल) में कोई ई-10 बी एक्सचेंज चालू करने के लिए लम्बित नहीं पड़ा है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी नहीं।

[हिन्दी]

औद्योगिक क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं

5818. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री राजेश कुमार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात/उत्तर प्रदेश और बिहार के सभी औद्योगिकी क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, इन राज्यों के शेष औद्योगिक क्षेत्रों में भी सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों को छोड़कर, सभी औद्योगिक स्थानों पर दूरसंचार सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं।

(ख) ब्यौरा निम्नानुसार है :-

राज्य	कुल औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या	दूरसंचार सुविधा वाले औद्योगिक क्षेत्रों की स.
गुजरात	104	104
उत्तर प्रदेश	99	94
बिहार	19	19

(ग) उत्तर प्रदेश में शेष 5 औद्योगिक क्षेत्रों में वर्ष 1994-95 के दौरान दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है।

अमरीका की हल्के लड़ाकू विमान देने की पेशकश

5819. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत को परमाणु प्रसार संधि में शामिल होने के लिए हल्के लड़ाकू विमान देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर दूरदर्शन

5820. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर दूरदर्शन प्रत्येक रविवार को "स्वतंत्रता के वीर सिपाही" नामक कार्यक्रम

का प्रसारण करता है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के लिए पात्रों का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(ग) क्या 6 फरवरी, 1994 को प्रसारित स्वतंत्रता के सिपाहियों के साथ अधूरी भेंटवार्ता दिखाई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) ताम्र पत्र पाने वालों तथा राज्य सरकार और स्वतंत्रता सेनानियों के लिये संघ द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में से भागीदारों को चुना जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में बाक्साइड के खान

5821. श्री ललित उरांव : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गुमला, लोहरदग्गा और पलामू जिलों में खाम से बाक्साइट प्राप्त किया जाता है और बिहार के बाहर के उद्योगों को इसकी आपूर्ति की जाती है;

(ख) क्या इस संबंध में बिहार सरकार के साथ समझौता किए जाने के बावजूद भी राज्य में प्राइवेट कंपनियों द्वारा उद्योग नहीं लगाए जाने के संबंध में सरकार को संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में निजी पार्टियों द्वारा राज्य में बाक्साइट भंडारों पर आधारित एल्यूमिना/एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने के लिए संसद सदस्यों से कुछ प्रतिवेदन प्राप्त किये हैं। बिहार सरकार ने एक निजी कम्पनी को एक खनन पट्टा दिया है और यह समझा जा रहा है कि बिहार राज्य में बाक्साइड आधारित उद्योग स्थापित करने, के बारे में बातचीत की हुई है।

(ग) यह मामला बिहार सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

बिहार में टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर

5822. श्री छेदी पासवान :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में अल्प शक्ति के कुछ टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन ट्रांसमीटरों से बिहार का कुल कितना क्षेत्र लाभान्वित होता है; और

(घ) सरकार ने अल्प शक्ति के टी॰ वी॰ ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में परिवर्तित करने के क्या प्रयास किए हैं जिससे कि पूरे बिहार को उनका लाभ मिल सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) से (घ) बिहार के सभी टेलीविजन ट्रांसमीटरों के कार्यशील होने की सूचना है। दूरदर्शन ट्रांसमिशन, बिहार के लगभग 92.3% क्षेत्र को कवर करता है। राज्य की कवरेज में सुधार करने के लिए 4 स्टूडियो केन्द्र, 2 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 12 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित हैं। जमशेदपुर तथा बेतिया में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों की स्थापना करने पर विचार किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के चालू होने पर राज्य की कवरेज बढ़कर क्षेत्रवार 96.3% तक तथा 95.4% तक बढ़ जाएगी।

[अनुवाद]

केरल में एस॰ टी॰ डी॰/पी॰ सी॰ ओ॰

'5823. **प्रो॰ के॰ वी॰ थामस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1994 तक की स्थिति के अनुसार केरल में एस॰ टी॰ डी॰/पी॰ सी॰ ओ॰ के आवंटन हेतु लंबित पड़े आवेदन पत्रों की संख्या कितनी थी; और

(ख) ये पी॰ सी॰ ओ॰ उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 31.1.1994 की स्थिति के अनुसार केरल में एस॰ टी॰ डी॰/पी॰ सी॰ ओ॰ के लिए 8990 आवेदन पत्र लंबित हैं।

(ख) एस॰ टी॰ डी॰/पी॰ सी॰ ओ॰ आवंटन समिति की बैठकें लम्बित आवेदन पत्रों के निपटान के लिए आवधिक रूप से आयोजित की जाती हैं। एक्सचेंजों की क्षमता का विस्तार करने के लिए योजनाबद्ध प्रस्तावों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और विभिन्न एक्सचेंजों से एस॰ टी॰ डी॰, पी॰ टी॰ की तकनीकी व्यवहार्यता को सरल बनाने के लिए एस॰ टी॰ डी॰ जंक्शनों में वृद्धि की जा रही है।

शिलांग के गुवाहाटी तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना

5824. **श्री पीटर जी॰ मरबनिआंग** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिलांग से गुवाहाटी तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शिलांग से गुवाहाटी तक का राष्ट्रीय राजमार्ग पहले ही दो लेन का है और वह वर्तमान यातायात के लिए पर्याप्त है।

देश की विद्युत नीति

5825. श्री सुल्तान ओवेसी :

श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :

श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स :

श्री गुरूदास कामत:

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उसके द्वारा अपनाई गई नई विद्युत नीति की पुनरीक्षा के संबंध में संसद सदस्यों और अन्य सार्वजनिक मंचों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और क्या सरकार ने अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों की पुनरीक्षा की है, और

(ग) उस पर क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री॰ पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं,

(ख) और (ग) प्रचार-माध्यमों और अन्य मंचों के माध्यम से निजी विद्युत नीति पर व्यापक रूप से चर्चा हो चुकी है। विभिन्न मंचों पर नीति के संबंध में उठाये गये मुद्दों का विद्युत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समाधान किया गया है। हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा "निजी विद्युत विकास की विधिक और नीति संरचना-तथ्य और स्पष्टीकरण" नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई है, जिसमें नीति के संबंध में उठाये गये सभी मुद्दों का समाधान किया गया है। इस पुस्तिका का व्यापक रूप से प्रचार-प्रचार किया गया है और संसद सदस्यों के बीच भी परिचालित की गई है।

नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना

5826. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 1500 मेगावाट की नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना को उपकरणों की सप्लाई करने के लिए फ्रांस की अन्तर्राष्ट्रीय कंपनी सीगलेक को जारी किये गये आशय पत्र को रद्द कर दिया है;

(ख) क्या यह ठेका कुछ माह पूर्व ही दिया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो ठेका रद्द करने में क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू) : (क) से (घ) नाथपा झाकरी विद्युत निगम लि॰ (एनजेपीसी) द्वारा हिमाचल प्रदेश में (1500 मे॰ वा॰) की नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना को विद्युत यांत्रिकी उपकरणों के पैकेज की आपूर्ति करने के संबंध में सितंबर, 1993 में सेगलेक सहित मैसर्स सीगलेक, फ्रांस, नेरपिक, फ्रांस, एलस्थीम, ज्यमोंट, फ्रांस, सीगलेक पावर, इंस्ट्रयूमेंटेशन एंड कंट्रौल, यू॰के॰, नेपरिक प्रोजेक्ट्स लि॰ यू॰ के॰ और जी॰ ई॰ सी॰ एलस्थौमलार्ज मैशिन्स प्रोजेक्ट्स लि॰, यू॰ के॰ संघ को एक आशय पत्र जारी किया गया था। निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने के कारण एनजेपीसी ने इस आशय पत्र को बाद में रद्द कर दिया था। तत्पश्चात, एनजेपीसी द्वारा ए॰ बी॰ बी॰ क्राफ्टवर्क एकटिएंगसेल्शाफ्ट, जर्मनी सहित इयूकोना संघ, कंवेरनर एजर्जो ए॰ एस॰ नार्वे, सिमन्स एकटिएंगसेल्शाफ्ट, जर्मनी और मूल्जर-इशरवयेस लि॰, स्विटजरलैंड और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि॰, भारत की शामिल है, के साथ सरकार के अनुमोदन के शर्ताधीन 24 मार्च, 1994 को एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए।

दिल्ली दूरदर्शन के लिए टेलीप्रोम्पटर सुविधा

5827. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन को टेलीप्रोम्टर सुविधा उपलब्ध करायी गई है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा उपलब्ध कराने पर कितना खर्च आता है;

(ग) क्या सरकार का विचार बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र को भी यह सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) से (घ) जी, हां। जबकि दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली में 11.60 लाख रुपये की कुल लागत पर टेलीप्रोम्पटर सुविधा पहले ही उपलब्ध करा दी गई है, इसी प्रकार की सुविधा दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर में भी शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश और गुजरात में टेलीफोन सलाहकार समितियां

5828. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :

श्री फूल चन्द्र वर्मा :

श्री एन॰ जे॰ राठवा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और गुजरात में किन-किन क्षेत्रों में टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन किया गया है;

(ख) दोनों राज्यों के किन-किन क्षेत्रों में अभी तक इन समितियों का गठन नहीं किया गया है;

(ग) क्या इन समितियों के गठन के समय स्थानीय प्रतिनिधियों से भी परामर्श किया जाना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अनुबंध

निम्नलिखित क्षेत्रों में टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन कर लिया गया है :

मध्य प्रदेश	गुजरात
1. इन्दौर	1. अहमदाबाद
2. जबलपुर	2. भुज
3. भोपाल	3. बुलसॉर
4. रायपुर	4. जामनगर
	5. राजकोट
	6. सूरत
	7. बड़ौदा

निम्नलिखित क्षेत्रों में टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन नहीं किया गया है :

मध्य प्रदेश	गुजरात
1. म० प्र० सर्किल टेलीफोन सलाहकार समिति	1. गुजरात सर्किल टेलीफोन सलाहकार समिति
	2. भावनगर
	3. जूनागढ़
	4. मेहसाणा
	5. नाडियाड

समाचार पत्रों को अखबारी कागज का आबंटन

5829. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि:

(क) भारत के समाचार पत्र रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा संकलित रिकार्ड के अनुसार देश में 1993-94 (जनवरी, 1994 तक) के अन्त तक राष्ट्रीय स्तर के कितने समाचार पत्र थे;

(ख) सरकार ने राष्ट्रीय समाचार पत्रों को रियायतों दरों पर कितना मासिक अखबारी कागज आवंटित किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय समाचार पत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए रियायती दरों पर अधिक अखबारी कागज आवंटित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) देश के समाचार पत्रों के बारे में आंकड़े संकलित करते समय भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा समाचार पत्रों का ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया जाता है।

(ख) सरकार द्वारा किसी भी समाचारपत्र को रियायती दरों पर अखबारी कागज आवंटित नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारत-पाक वार्ता के संबंध में अमरीकी प्रस्ताव

5830. श्री गुरूदास कामत : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत की यात्रा पर आए अमरीकी अधिकारी ने कश्मीर के संबंध में भारत-पाक वार्ता कराने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उत्पादन क्षमता और इसकी आपूर्ति

5831. श्री के॰ मुरलीधरन : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) दक्षिणी राज्यों में विद्युत-आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में कितनी अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता पैदा की जायेगी; और

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन-कौन सी नयी परियोजनाएं शुरू किये जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू) : (क) देश में दक्षिणी राज्यों सहित विद्युत की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में (1) नई उत्पादन क्षमता को चालू किए जाने में तेजी लाना, (2) लघु गैस्टेशन परियोजनाओं की कार्यान्वित करना, (3) विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाना, (4) परिषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना, (5) मांग प्रबंध तथा ऊर्जा संरक्षण उपायों का कार्यान्वयन; और (6) विद्युत की अधिकता वाले क्षेत्रों के विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में ऊर्जा के हस्तातंरण का प्रबंध करना शामिल है।

(ख) आठवीं योजना के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में (केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं सहित) 4428.6 मेगावाट की अतिरिक्त ऊर्जा क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) आठवीं योजना में दक्षिणी क्षेत्र में जिन विद्युत परियोजनाओं से लाभ प्राप्त किए जाने की परिकल्पना की गई है, उसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों (1992-93 और 1993-94) के दौरान चालू रोल्ड की गई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

आठवीं योजना में क्षमता अभिवृद्धि

दक्षिणी क्षेत्र

	परियोजना	ता॰ वि॰	ज॰ वि॰	न्यूक्लीय	गैस	
	1	2	3	4	5	
राज्य : कर्नाटक						
राज्य क्षेत्र	वाराही (मणि डैम)	0.00	9.00	0.00	0.00,	
	घाटप्रभा	0.00	16.00	0.00	0.00	
	मल्लारपुर	0.00	9.00	0.00	0.00	
	सारावती टेल रेस	0.00	240.00	0.00	0.00	
	कालीनदी-2	0.00	270.00	0.00	0.00	
	वृन्दावन	0.00	12.00	0.00	0.00	
	भद्रा	0.00	6.00	0.00	0.00	
	शिवपुरी	0.00	18.00	0.00	0.00	
	रायचूर यूनिट-4	210.00	0.00	0.00	0.00	
	डीजल सैट्स	0.00	0.00	0.00	78.00	011
	डीजी सैट बंगलौर	0.00	0.00	0.00	120.00	
	क्षेत्र जोड़	210.00	580.00	0.00	206.00	
केन्द्रीय क्षेत्र						
	कैगा	0.00	0.00	440.00	0.00	
	क्षेत्रा जोड़	0.00	0.00	440.00	0.00	
	राज्य जोड़	210.00	580.00	206.00		
राज्य : केरल						
राज्य क्षेत्र	कल्लाडा	0.00	15.00	0.00	0.00	
	मुवाधूपुझा	0.00	7.00	0.00	0.00	
	लोअर पैरियार	0.00	180.00	0.00	0.00	
	कक्कड़	0.00	50.00	0.00	0.00	

1		2	3	4	5
	पेप्पारा	0.00	3.00	0.00	0.00
	पोरिंएगलकुथू	0.00	16.00	0.00	0.00
	क्षेत्र जोड़	0.00	271.00	0.00	0.00
	राज्य जोड़	0.00	271.00	0.00	0.00
राज्य : पांडिचेरी					
राज्य क्षेत्र	कैरैकल जीटी	0.00	0.00	0.00	22.50
	क्षेत्र जोड़	0.00	0.00	0.00	22.50
	राज्य जोड़	0.00	0.00	0.00	22.50
राज्य : तमिलनाडू					
राज्य क्षेत्र	लोवर भवानी आरबीसी	0.00	8.00	0.00	0.00
	साथानुर डाम	0.00	7.50	0.00	0.00
	नार्थ मद्रास	630.00	0.00	0.00	0.00
	बेसिन ब्रिज जीटी	0.00	0.00	0.00	120.00
	क्षेत्र जोड़	630.00	15.50	0.00	120.00
केन्द्रीय क्षेत्र	नेवली-II एक्टे.	420.00	0.00	0.00	0.00
	नेवली जेरो यूनिट	210.00	0.00	0.00	0.00
	क्षेत्र जोड़	630.00	0.00	0.00	0.00
	राज्य क्षेत्र	1260.00	15.50	0.00	120.00
राज्य : आन्ध्र प्रदेश					
राज्य क्षेत्र	पेन्ना अहोबिलम	0.00	20.00	0.00	0.00
	अपर सिलेरू	0.00	120.00	0.00	0.00
	गुन्टूर केनाल	0.00	8.60	0.00	0.00
	श्रीसैलम एलबीपीएच	0.00	300.00	0.00	0.00
	मुददानूर	420.00	0.00	0.00	0.00
	विजयवाड़ा-III	420.00	0.00	0.00	0.00
	सिंगूर	0.00	15.00	0.00	0.00
	क्षेत्र जोड़	840.00	463.60	0.00	0.00
	राज्य जोड़	840.00	463.00	0.00	0.00
	दक्षिणी क्षेत्र जोड़	2310.00	1330.10	440.00	348.50

विवरण II

1992-93 और 93-94 के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में चालू/रोल्ड की गई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं० परियोजना/राज्य का नाम	प्रकार	क्षमता
1992-93		
1 वराही-1, कर्नाटक	हाइड्रो	4.5
2. वराही-2, कनार्टक	हाइड्रो	4.5
3. घाटप्रभा यू-2 कर्नाटक	हाइड्रो	16
4. बंगलौर डीजी सेट यू-6, कर्नाटक	ताप वि.	21.32
5. शिवपुर यू-1, कर्नाटक	हाइड्रो	9
6. शिवपुरी यू-2, कर्नाटक	हाइड्रो	9
7. नेवली चरण-11 यू-6, तमिलनाडु	तमाप वि.	210
1993-94		
1. पेन्ना अहोबिलम यू-1, आन्ध्र प्रदेश	हाइड्रो	10
2. पेन्ना अहोबिलम यू-2, आन्ध्र प्रदेश	हाइड्रो	10
3. अप्पर सिलेरू यू-1, आन्ध्र प्रदेश	हाइड्रो	60
4. मालापुर यूनिट-1, कर्नाटक	हाइड्रो	4.5
5. मालापुर यूनिट-2, कर्नाटक	हाइड्रो	4.5
6. कल्लाडा यूनिट-2 केरल	हाइड्रो	7.5
7. येलाहांका डीजी-1, कर्नाटक	ता. वि.	21.32
8. येलाहांका डीजी-2, कर्नाटक	ता. वि.	21.32
9. येलाहांका डीजी-3, कर्नाटक	ता. वि.	21.32
10. येलाहांका डीजी-4, कर्नाटक	ता. वि.	21.32
11. येलाहांका डीजी-5, कर्नाटक	ता. वि.	21.32
12. नेवैली यूनिट-7, तमिलनाडु	ता. वि.	210.00
13. रायलसीमा यूनिट-1, आंध्र प्रदेश	ता. वि.	210.00
14. विजयावाड़ा-5, आंध्र प्रदेश	ता. वि.	210.00

म्यांमार के साथ शिक्षा संबंधी आदान-प्रदान कार्यक्रम

5832. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **विदेशी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यांमार के साथ शिक्षा संबंधी आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्यापकों, प्रोफेसरों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत और म्यांमा के बीच अध्यापकों, प्रोफेसरों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों के शैक्षिक आदान-प्रदान का कोई औपचारिक कार्यक्रम अभी तो मौजूद नहीं है, तथापि, इस प्रकार के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने का सवाल सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

हज प्रकोष्ठ

5833. श्री राजवीर सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विशेष हज प्रकोष्ठ का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कौन-कौन सदस्य हैं और इसके द्वारा भारत और विदेशों में गत तीन वर्षों के दौरान तीर्थ यात्रियों को प्रदत्त सहायता/सुविधाओं के साथ-साथ कितना अंशदान किया गया है;

(ग) क्या हज यात्रियों के साथ इस वर्ष भेद-भाव बरता जा रहा है जैसे कि एअर इण्डिया उनके लिए विमानों की व्यवस्था नहीं कर रहा है; और

(घ) इस सेल द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के प्रभार और हज यात्रियों द्वारा अपनी यात्रा पर वास्तव में खर्च की जा रही राशि में कितना अंतर है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) जी हाँ। विदेश मंत्रालय में एक हज सैल है।

(ख) हज सैल में एक विशेष कार्य अधिकारी, एक अनुभाग अधिकारी, दो सहायक और एक लिपिक है। हज मौसम के दौरान इसकी कर्मचारी संख्या और सुविधाओं में वृद्धि की जाती है। हज सैल का प्रभारी एक संयुक्त सचिव है तथा उसके क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण सचिव द्वारा तथा मंत्रीस्तर पर होता है।

भारत सरकार में हज सैल समस्त हज व्यवस्थाओं के समन्वय के लिए नोडल बिन्दु के रूप में कार्य करता है। यह हाजियों के लिए इन्तजामात करने हेतु केन्द्रीय और राज्य हज समितियों, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे नागर विमानन, भूतल परिवहन, गृह तथा वित्त, और सउदी अरब में स्थित हमारे मिशनों से सम्पर्क करता है।

हाजियों को दी जाने वाली सहायता और सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल है :–

हज कोटे का निर्धारण, विदेशी मुद्रा जारी करना, हाजियों को विमान/समुद्री जहाज से लाना ले जाना, सउदी अरब के दो पवित्र नगरों में प्रवास की व्यवस्था, रवानगी से पूर्व उत्प्रवास/स्वास्थ्य

सम्बन्धी औपचारिकताएं, हज सद्भावना शिष्टमंडल से सम्बद्ध कार्य, भवन को किराये पर लेने वाला प्रतिनिधि मंडल/भवन का चयन करने वाला दल भेजना, सऊदी अरब में चिकित्सा प्रशासनिक टुकड़ियाँ भेजना, हाजियों के उपयोग के लिए दवाइयाँ भेजना, विभिन्न राज्यों से खुद्दाम-उल-हुज्जाज भेजना, तथा सुविधाओं और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इंतजाम की समीक्षा करना।

(ग) जी नहीं।

हाजियों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है। एअर इंडिया द्वारा चार्टर विमानों की व्यवस्था की जाती है जो क्षमता सम्बन्धी दिक्कतों की वजह से अपनी उड़ान व्यवस्था को प्रभावित किये बिना उनके लिए अपने यहाँ से ऐसी व्यवस्था करने में असमर्थ है। ये चार्टर सेवायें स्वीकार्य अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों के स्तर की होती हैं।

(घ) पूरी चार्टर लागत हाजियों पर नहीं डाली जाती है। हज 1994 के लिए, चार्टर लागत 17 000/-रु॰ प्रति हाजी है जबकि हज किराया 12,000/-रु॰ तय किया गया है। समुद्री जहाज से जाने वाले हाजियों के लिए परिचालन लागत और हज समुद्री जहाज किराये का अन्तर (जो यात्रा श्रेणी के आधार पर 3725/-रु॰ से 8750/-रु॰ है) सरकार द्वारा वहन किया जाता है और अनुमान है कि इस वर्ष यह रकम 5.95 करोड़ रुपये होगी। इसके अतिरिक्त एम॰ वी॰ निकोबार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सेवा से हटाये जाने के परिणामत: उसके स्थान पर व्यवस्था करने पर भी 8.64 करोड़ रुपये का खर्च होने की उम्मीद है।

चण्डीगढ़	
दादरा और नगर हवेली	सिलवासा
दमन और दीव	
दिल्ली	
लक्षद्वीप	
पाण्डिचेरी	कराइकल

टिप्पणी :–

उपर्युक्त ट्रांसमीटरों को चालू किया जाना भवनों तथा टॉवरों के समय पर निर्माण किये जाने, अल्प शक्ति तथा अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों हेतु तैयार आवास की उपलब्धता, निर्माताओं द्वारा उपस्कर की समय पर आपूर्ति, आधारभूत सुविधाओं तथा अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

देश में दूरदर्शन/आकाशवाणी ट्रांसमीटर

5834. डा॰ मुमताज अन्सारी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज तक कुल कितने दूरदर्शन तथा रेडियो ट्रांसमीटर लगाये गये हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान किन-किन स्थानों पर दूरदर्शन तथा रेडियो ट्रांसमीटर लगाये जाने का विचार है;

(ग) उन ट्रांसमीटरों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध अनियमितता और ठीक ढंग से काम न करने संबंधी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) जैसा कि विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जैसा कि विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) ट्रांसमीटरों का अनुरक्षण एवं मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है। ट्रांसमीटरों के ठीक तरह से काम न करने के बारे में समय-समय पर प्राप्त शिकायतों पर उचित रूप से ध्यान दिया जाता है।

विवरण-I

अब तक देश में स्थापित आकाशवाणी/टी॰ वी॰ ट्रांसमीटरों के स्थान

1. आकाशवाणी : ट्रांसमीटरों की कुल संख्या (171)

क्र॰ सं॰	स्थान	राज्य
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
2.	आदिलाबाद	
3.	विजयवाड़ा	
4.	विशाखापत्तनम	
5.	कुड्डापा	
6.	कोट्टागुडम	
7.	वारंगल	
8.	निजामाबाद	
9.	तिरूपति (अंतरिम स्थापना)	
10.	अनन्तपुर	
11.	कुरनूल	
12.	मरकापुरम (अंतरिम स्थापना)	
13.	पासीघाट	अरुणाचल प्रदेश
14.	तवांग	

1	2	3
15	तेजू	
16	ईटानगर (अंतरिम स्थापना)	
17.	गुवाहाटी	असम
18.	सिलचर	
19.	डिब्रूगढ़	
20.	जोरहाट	
21.	हाफलोंग	
22.	नौगोंग	
23.	पटना	बिहार
24.	रांची	
25.	भागलपुर	
26.	दरभंगा	
27.	जमशेदपुर	
28.	सासाराम	
29	पुर्णिया	
30	चाईबासा	
31.	हजारीबाग	
32.	डाल्टनगंज	
33.	पणजी	गोवा
34.	अहमदाबाद	गुजरात
35.	वडोदरा	
36.	भुज	
37.	राजकोट	
38.	गोधरा	
39.	सूरत	
40.	आहवा	
41.	रोहतक	हरियाणा

1	2	3
42.	कुरुक्षेत्र (अंतरिम स्थापना)	
43.	शिमला	हिमांचल प्रदेश
44.	कसौली	
45.	हमीरपुर	
46.	धर्मशाला	
47.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
48.	जम्मू	
49.	लेह	
50.	कथुआ	
51.	बंगलौर	कर्नाटक
52.	भद्रावती	
53.	धारवाड़	
54.	गुलबर्गा	
55.	मंगलोर/उडिपी	
56.	मैसूर	
57.	चित्रदुर्ग	
58.	हसन	
59.	हासपेट	
60.	मरकारा	
61.	रायचूर	
62.	कारवार	
63.	एलेप्पी	केरल
64.	कालीकट	
65.	त्रिचूर	
66.	त्रिवेन्द्रम	
67.	कोचीन	
68.	कन्नानोर	

1	2	3
69.	इदुक्की	
70.	अम्बिकापुर	मध्य प्रदेश
71.	भोपाल	
72.	छत्तरपुर	
73.	ग्वालियर	
74.	इन्दौर	
75.	जबलपुर	
76.	जगदलपुर	
77.	रायपुर	
78.	रीवा	
79.	खण्डवा	
80.	बिलासपुर	
81.	बैतुल	
82.	शिवपुरी	
83.	छिंदवाड़ा	
84.	रायगढ़	
85.	शहडोल	
86.	बालाघाट	
87.	गुना	
88.	सागर	
89.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
90.	बम्बई	
91.	जलगांव	
92.	नागपुर	
93.	परभणी	
94.	पुणे	

1	2	3
95.	रत्नागिरि	
96.	सांगली	
97.	शोलापुर	
98.	बीड़	
99.	अहमदनगर	
100.	नादेड़	
101.	अकोला	
102.	कोल्हापुर	
103.	यवतमाल	
104.	सतारा	
105.	चन्द्रपुर	
106.	धूले	
107.	इम्फाल	मणिपुर
108.	शिलांग	मेघालय
109.	तुरा (अंतरिम स्थापना)	
110.	ऐजवल	मिजोरम
111.	कोहिमा	नागालैण्ड
112.	कटक	उड़ीसा
113.	जैपोर	
114.	सम्बलपुर	
115.	कयोन्झर	
116.	बारीपाड़ा	
117.	बहरामपुर	
118.	बोलंगिर	
119.	भवानीपटना	
120.	जालंधर	पंजाब

1	2	3
121.	भटिण्डा	
122.	पटियाला	
123.	जयपुर	राजस्थान
124.	कोटा	
125.	अजमेर	
126.	बीकानेर	
127.	उदयपुर	
128.	जोधपुर	
129.	अलवर	
130.	सूरतगढ़	
131.	नागौर	
132.	बांसवाड़ा	
133.	चित्तौड़गढ़ (अंतरिम स्थापना)	
134.	बाड़मेर	
135.	सवाई माधोपुर (अंतरिम स्थापना)	
136.	चुरू	
137.	झालावाड़	
138.	जैसलमेर	
139.	गंगटोक (अंतरिम स्थापना)	सिक्किम
140.	कोयम्बतूर	तमिलनाडु
141.	मद्रास	
142.	मदुराई	
143.	तिरूचिरापल्ली	
144.	तिरूनेलवेल्ली	
145.	नागरकोईल	
146.	अगरतला	त्रिपुरा

1	2	3
147.	बेलोनिया	
148.	कैलाशहर	
149.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
150.	अल्मोड़ा	
151.	इलाहाबाद	
152.	वाराणसी	
153.	रामपुर	
154.	कानपुर	
155.	मथुरा	
156.	गोरखपुर	
157.	नजीबाबाद	
158.	आगरा	
159.	फैजाबाद	
160.	बरेली	
161.	झांसी	
162.	ओबरा	
163.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
164.	कुर्सियांग	
165.	सिलीगुड़ी	
166.	मुर्शिदाबाद	
167.	पोर्ट ब्लेअर (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)	संघ शासित क्षेत्र
168.	चंडीगढ़	
169.	दिल्ली	
170.	पांडिचेरी	
171.	कावारती (लक्षद्वीप तथा मिनीकाय द्वीपसमूह)	

II. दूरदर्शन : ट्रांसमीटरों की कुल संख्या 567 और 11 (मुख्य चैनल के आलावा)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उ० श० ट्रां०	अ० श० ट्रां०	अ० अ० श० ट्रां०	ट्रांसपोजर
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	अन्नतपुर	आदिलाबाद		विजयवाड़ा
	हैदराबाद	अदोनी		विशाखापत्तनम
	तिरूपति	अमलापुरम		
	विजयवाड़ा	आत्माकुर		
	विशाखापत्तनम	भद्राचलम		
		भीमादोलु		
		चित्तूर		
		कुड्डापा		
		गढ़वाल		
		गिद्दलूर		
		गुनटाकल		
		जगतियाल		
		काकीनाड़ा		
		करीमनगर		
		खमाम		
		कोठागुडम		
		कुरनूल		
		मेहबूबनगर		
		नालगोंडा		
		नन्दयाल		
		नेल्लोर		
		निजामाबाद		
		ओंगले		
		प्रोद्दयूत्तूर		

1	2	3	4	5
		राजामुंदरी		
		रामागुंडम		
		सिद्दीपेट		
		सिरकाकुलम		
		वारंगल		
		येल्लान्दु		
		हैदराबाद (डी. डी. 2)		
अरूणाचल प्रदेश	ईटानगर	पासीघाट	अलोंग	
		तेजू	अनिनी	
			बसार	
			बोमडिल्ला	
			चांगलेंग	
			दापोरिजो	
			दीरंग	
			हायूलियंग	
			खोंसा	
			मिजो	
			नमसाई	
			रागा	
			रोईंग	
			सेप्पा	
			तवांग	
			जीरो	
असम	डिब्रूगढ़	धुबरी		गुवाहाटी
	गुवाहाटी	दीफू		हाफलोंग
	सिलचर	गोलपाड़ा		
		गोलाघाट		

1	2	3	4	5
		जोरहाट		
		कोकराझार		
		नागौंन		
		नजीरा		
		तेजपुर		
बिहार	डाल्टनगंज	बेगुसराई		रामगढ़ हिल
	कटिहार	बेत्तिया		
	मुजफ्फरपुर	भागलपुर		
	पटना	बोकारो		
	राँची	बक्सर		
		चाईबासा		
		दरभंगा		
		देवघर		
		धनबाद		
		डुमका		
		फारबेसगंज		
		गया		
		घाटशिला		
		गिरिद्रीह		
		गोपालगंज		
		जमशेदपुर		
		जमुई		
		खगरिया		
		मधेपुरा		
		मधुबनी		
		मोतीहारी		
		मुंगेर		

1	2	3	4	5
		सहरुसा		
		सासाराम		
		सीतामढ़ी		
		सिवन		
गोवा	पणजी			
गुजरात	अहमदाबाद	आहवा	काकरापार	
	भुज (अंतरिम)	अम्बाजी		
	द्वारका	अमरेली		
	राजकोट	भाब्बर		
		भरूच		
		भावनगर		
		छोटा उदयपुर		
		देदीयापाड़ा		
		धोराजी		
		दोहाड़		
		गोधरा		
		जामनगर		
		जूनागढ़		
		केवड्रिया कालोनी		
		कोसम्बा		
		मेंहसाना		
		नवसारी		
		पालनपुर		
		पाटन		
		पोरबन्दर		
		सोनगढ़		
		सूरत		

1	2	3	4	5
		सुरेन्द्रनगर		
		थसड		
		वडोदरा		
		वल्लसाड		
		वेरावल		
हरियाणा		भिवानी		
		हिसार		
		जिन्द		
		नारनौल		
		सिरसा		
हिमाचल प्रदेश	कसौली	बिलासपुर	चम्बा	राजगढ़
		धर्मशाला	हमीरपुर	सोलन
		कुल्लू	कल्पा	
		मनाली	केलोंग	
		मण्डी	ऊना	
		शिमला		
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	कारगिल	भदरवाह	सूरानकोट
	पुंछ	लेह	दासकित	
	श्रीनगर		डोडा	
			दरस	
			किलोतरन	
			किश्तवार	
			कुपवाड़ा	
			नीमा	
			पदम	
			पहलगाम	

1	2	3	4	5
			राजौरी	
			रामबन	
			शंकू	
			तिमसोगम	
			उदमपुर	
कर्नाटक	बंगलौर	आयानी		
	धारवाड़	बागलकोट		
	गुलबर्गा	बन्तवाल		
	शिमोगा	बेलगाम		
		बेल्लेरी		
		बीदर		
		बिजापुर		
		चिकमगलूर		
		चिकोडी		
		चित्रदुर्ग		
		दावनगेरे		
		गदाग बेतागिरि		
		हसन		
		हासपेट		
		कारवार		
		कोलार गोल्ड फिल्ड		
		मंडया		
		मंगलौर		
		मेडिकेरी		
		मैसूर		
		रायचूर		
		रानीबेन्नूर		

1	2	3	4	5
		संदूर		
		सिर्सी		
		तिप्तूर		
		उदीपि		
केरल	कोचीन	कालीकट		
	त्रिवेन्द्रम	कन्नानोर		
		चांगानाचेरी		
		इदुक्की		
		कालपेट्टा		
		कसारगोड		
		कयामकुलम		
		मल्लापुरम		
		पालघाट		
		पतनमथिट्टा		
		शोरानूर		
		तेलीचेरी		
		त्रिचूर		
मध्य प्रदेश	भोपाल	अम्बिकापुर	सिंगरौली	
	ग्वालियर	बैलादिल्ला		
	इन्दौर	बालाघाट		
	जबलपुर	बैतूल		
	जगदलपुर	भिंड		
	रायपुर	बिलासपुर		
		बुरहानपुर		
		चन्देरी		
		छतरपुर		
		छिंदवाड़ा		

1	2	3	4	5
		दमोह		
		डुंगरगढ़		
		गुना		
		हारदा		
		ईटारसी		
		जावरा		
		झाबुआ		
		कंकेर		
		खण्डवा		
		खारगांव		
		कोरबा		
		कुरासिया		
		कुरवई		
		मलांजखण्ड		
		मंडला		
		मंदसौर		
		मनिन्दरगढ़		
		मुरवाड़ा		
		नागदा		
		नरसिम्हापुर		
		नीमच		
		पंचमढ़ी		
		पन्ना		
		रायगढ़		
		राजगढ़		
		राजहरा झरंनदिली		
		रतलाम		

1	2	3	4	5
		रीवा		
		सागर		
		सतना		
		शिवनी		
		शहडोल		
		शाजापुर		
		शिवपुर		
		शिवपुरी		
		सिधी		
		सिंगरौली		
		टिकमगढ़		
महाराष्ट्र	अम्बाजोगई	अचलपुर		औरंगाबाद
	औरंगाबाद	अकोट		
	बम्बई (चैनल-1)	अहमदनगर		
	बम्बई (चैनल-2)	अकोला		
	नागपुर	अम्लर्नर		
	पुणे	अमरावती		
		बार्सि		
		भुसावल		
		बीड़		
		बुलढाणा		
		चन्द्रपुर		
		धूले		
		दीगलूर		
		गढ़चिरौली		
		गोंदिया		
		हिंगोली		

1	2	3	4	5
		ईचलकरंजी		
		जलगांव		
		जालना		
		कराड़		
		खामगांव		
		किनवत		
		कोल्हापुर		
		मेलगांव		
		मनमाड़		
		नादेड		
		नन्दुरबार		
		नाशिक		
		उस्मानाबाद		
		पंढरपुर		
		परभणी		
		ुसद		
		रत्नागिरि		
		सांगली		
		सतारा		
		शहादा		
		शोलापुर		
		वर्धा		
		वाशिम		
		़ावतमाल		
मणिपुर	इम्फाल	उखरूल	चंदेल	
			सेनापति	
			तमेंगलोंग	

1	2	3	4	5
मेघालय	शिलांग	जोवाई	नौंगस्टोईन	
	तुरा	विलियमनगर		
मिजोरम	आईजवल		लुंगलेई	
			सैहा	
नागालैण्ड	कोहिमा	दीमापुर	मोन	सोहिमा
		तुयेनसेंग	वोखा	
			जुनेहबोटो	
उड़ीसा	भवानीपटना	आनन्दपुर	सुनावेड़ो	
	कटक	अंगुल		
	सम्बलपुर	बालनगिर		
	कटक (डी.डी.2)	बालेश्वर		
		बलियापल		
		बारगढ़		
		बारीपाड़ा		
		बेहरामपुर		
		भद्रक		
		भन्जानगर		
		भूबन		
		बराजराजनगर		
		देवगढ़		
		धैनकनाल		
		जैपोर		
		जोडा		
		कामाखया नगर		
		क्यूंझरगढ़		
		कोरापुट		
		मल्कानगिरि		

1	2	3	4	5
		नवरंगपुर		
		पदमपुर		
		पदमापुरम		
		पारलाखेमुन्दी		
		फलबनी		
		पुरी		
		रायगाढ़		
		राऊरकेला		
		सुन्दरगढ़		
पंजाब	अमृतसर	फाजिल्का		तलवाड़ा
	भटिण्डा	फिरोजपुर		
	जालंधर	गुदासपुर		
		पठानकोट		
राजस्थान	बूंदी	अजमेर	रावतभाटा	जमुआ
	जयपुर	अलवर		रामगढ़
		अनूपगढ़		लालसोट
		बांसवाड़ा		
		बाड़मेर		
		बेवार		
		भिलवाड़ा		
		बीकानेर		
		चित्तौड़गढ़		
		चुरू		
		दींग		
		डुंगरपुर		

1	2	3	4	5
		गंगानगर		
		हनुमानगढ़		
		जैसलमेर		
		जालोर		
		झालावाड़		
		झुंझुनू		
		जोधपुर		
		करनपुर		
		खेतरी		
		कोटपुतली		
		नागौर		
		नाथद्वारा		
		पाली		
		पिलानी		
		रायसिंहनगर		
		सलुमबेर		
		सरदारशहर		
		सवाईमाधोपुर		
		सीकर		
		सिरोही		
		सूरतगढ़		
		टौंक		
		उदयपुर		
		वल्लभनगर		
सिक्किम		गंगटोक	गयालसिंग	
			मंगन	
			नामची	

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	कोडईकनाल	कोयम्बतूर	डिडींगुल	
	मद्रास (चैनल-1)	कुन्नूर	कांजीपुरम	
	मद्रास (चैनल-2)	कोर्टलाम	उढग मडलम	
		कुड्डालौर		
		धर्मापुरी		
		कुम्बाकोणम		
		ममूरम		
		नागापत्तिनम		
		नागरकोईल		
		नेवेल्ली		
		रामेश्वरम		
		सालेम		
		तंजावूर		
		टिन्डीवनम		
		तिरूचेन्दूर		
		तिरूचिरापल्ली		
		तिरूनेलवेली		
		तिरूपत्तूर		
		तिरूवेन्नामलाई		
		तूतीकोरिन		
		वेनियामबादी		
		वेल्लोर		
		विल्लुपुरम		
त्रिपुरा	अगरतला			बेलोनिया
उत्तर प्रदेश	आगरा	अकबरपुर	अल्मोड़ा	चुर्क
	इलाहाबाद	अलीगढ़	भटियारी	मसूरी
	बरेली	आजमगढ़	धारचुला	न्यू टेहरी

1	2	3	4	5
	गोरखपुर	बहराईच	गोपेश्वर	श्रीनगर
	कानपुर	बलिया	हल्द्वानी	
	लखनऊ	बलरामपुर	कौसानी	
	मसूरी	बान्दा	मनकापुर	
	वाराणसी	बस्ती	मुंनसियारी	
		देवरिया	रानीखेत	
		ईटावा	उत्तरकाशी	
		फैजाबाद		
		फरूखाबाद		
		फतेहपुर		
		गौरीगंज		
		गोंडा		
		हरदोई		
		हरिद्वार		
		जगदीशपु.		
		झांसी		
		काशीपुर		
		लखीमपुर		
		लालगंज		
		ललितपुर		
		मैनपुरी		
		मथुरा		
		मऊ		
		मुरादाबाद		
		नैनीताल		
		ओबरा		
		ओरई		

1	2	3	4	5
		पौड़ी		
		पीलीभीत		
		पिथौरागढ़		
		पुरनपुर		
		राय बरेली		
		रामपुर		
		रासग		
		सम्बल		
		शहजहांपुर		
		सीतापुर		
		सुल्तानपुर		
		टनकपुर		
		टिरवा		
		लखनऊ (डी.डी. 2)		
पश्चिम बंगाल	आसनसोल	अलीपुदूअर	ईगरा	
	कलकत्ता (चैनल-1)	बलूरघाट	झालदा	
	कलकत्ता (चैनल-2)	बारधामन		
	कुर्सियांग	कोंटई		
	मुर्शिदाबाद	दार्जिलिंग		
		झारग्राम		
		कालिमपोंग		
		खरंगपुर		
		कृष्णानगर		
		मालदा		
		मेदिनीपुर		
		पुरूलिया		
		शांतिनिकेतन		

1	2	3	4	5
अंडमान और		कार निकोबार	कम्पबेल बे	
निकोबार द्वीपसमूह		पोर्ट ब्लेअर	दिग्लीपुर	
			हुटबे	
			मायाबुन्देर	
			नानकावरी	
			रानघाट	
चंडीगढ़		चंडीगढ़		
दादरा और नगर			सिलवासा	
हवेली				
दमन और द्वीप		दमन	दीव	
दिल्ली	दिल्ली (चैनल-1)	दिल्ली (डी.डी. 4)		
	दिल्ली (चैनल-2)	दिल्ली (डी. डी. 5)		
	दिल्ली (डी. डी. 3)	दिल्ली (डी. डी. 6)		
लक्षद्वीप			अगत्ती	
			अमिनी	
			अन्द्रोत	
			चीटलेट	
			कदमात	
			कल्पेनी	
			कावारत्ती	
			किलटन	
			मिनीकॉय	
पांडिचेरी		पांडिचेरी	कराईकल	
			माहे	
			यनम	

1	2	3	4	5	6
ट्रांसमीटर (मुख्य चैनल के अलावा)					
दिल्ली	2	3	0	0	5
महाराष्ट्र	1	0	0	0	1
पश्चिम बंगाल	1	0	0	0	1
तमिलनाडु	1	0	0	0	1
उड़ीसा	1	0	0	0	1
उत्तर प्रदेश	0	1	0	0	1
आंध्र प्रदेश	0	1	0	0	1
	6	3	0	0	11

19.04.1994 की स्थिति के अनुसार राज्यवार टेलीविजन ट्रांसमीटर

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	उ०श०ट्रा०	अ०श०ट्रा०	अ०अ०श०ट्रा०	ट्रांस०	जोड़
01.	असम	3	9	0	2	14
02.	आंध्रप्रदेश	5	30	0	2	37
03.	अरुणाचल प्रदेश	1	2	16	0	19
04.	बिहार	5	26	0	1	32
05.	गोवा	1	0	0	0	1
06.	गुजरात	4	27	1	0	32
07.	हरियाणा	0	5	0	0	5
08.	हिमाचल प्रदेश	1	6	5	2	14
09.	जम्मू और कश्मीर	3	2	15	1	21
10.	केरल	2	13	0	0	15
11.	कर्नाटक	4	26	0	0	30
12.	मध्यप्रदेश	6	48	0	1	55
13.	मेघालय	2	2	1	0	5
14.	महाराष्ट्र	5	40	0	1	46
15.	मणिपुर	1	1	3	0	5
16.	मिजोरम	1	0	2	0	3

1		2	3	4		5
17.	नागालैंड	1	2	3	1	7
18.	उड़ीसा	3	29	0	1	33
19.	पंजाब	3	4	0	1	8
20.	राजस्थान	2	36	1	2	41
21.	सिक्किम	0	1	3	0	4
22.	तमिलनाडु	2	23	0	3	28
23.	त्रिपुरा	1	0	0	1	2
24.	उत्तर प्रदेश	8	43	10	4	65
25.	पश्चिम बंगाल	4	13	2	0	19
26.	दिल्ली	1	0	0	0	1
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	2	6	0	8
28.	दमन और दीव	0	1	1	0	2
29.	पांडिचेरी	0	1	3	3	4
30.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	0	0	9	0	9
31.	चंडीगढ़	0	1	0	0	1
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	1	0	1
	जोड़	69	393	82	23	517

विवरण-2

देश के उन स्थानों को दर्शाने वाला विवरण जहां चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रेडियो/टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है

I. आकाशवाणी

क्र॰सं॰	स्थान	राज्य
1.	जीरो	अरुणाचल प्रदेश
2.	दिफू	असम
3.	तेजपुर	–तथैव–
4.	कोकराझार	–तथैव–

5.	धुबरी	–तथैव–
6.	धनबाद	बिहार
7.	जूनागढ़	गुजरात
8.	हिसार	हरियाणा
9.	किन्नौर	हिमाचल प्रदेश
10.	कुल्लू	–तथैव–
11.	भद्रवाह	जम्मू और कश्मीर
12.	कारगिल	–तथैव–
13.	पुँछ	–तथैव–
14.	बीजापुर	कर्नाटक
15.	नासिक	महाराष्ट्र
16.	उस्मानाबाद	–तथैव–
17.	चुराचांदपुर	मणिपुर
18.	जोवाई	मेघालय
19.	लुंगलेह	मिजोरम
20.	सैहा	मिजोरम
21.	मोकोकचुंग	नागालैण्ड
22.	राउरकेला	उड़ीसा–
23.	पुरी	–तथैव–
24.	झरोंदा	–तथैव–
25.	माउण्ड आबू	राजस्थान
26.	उटकमण्ड	तमिलनाडु
27.	कोडाइकनाल	–तथैव–
28.	तूतीकोरिन	–तथैव–
29.	लोंगथराई	त्रिपुरा
30.	चमोली	उत्तर प्रदेश
31.	पिथौरागढ़	–तथैव–
32.	उत्तरकाशी	–तथैव–

33.	पौड़ी/श्रीनगर	–तथैव–
34.	मसूरी	–तथैव–
35.	अलीगढ़	–तथैव–
36.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल
37.	माल्दा	–तथैव–
38.	दार्जिलिंग	–तथैव
39.	दमन	दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र
40.	कराइकल	पाण्डिचेरी

अनुबन्ध-2

II.–दूरदर्शन

राज्य/संघशासित क्षेत्र	उ० श० ट्रांसमीटर	अ० श० ट्रां०/अति अ० श० ट्रां०
आन्ध्र प्रदेश	कुरनूल	अल्लागड्डा
	नांदयाल	भीमावरम
		हिंदुपुर
		कादिरी
		कवाली
		कुप्पम
		मदनापल्ली
		मेडक
		नागर कुरनूल
		निर्मल
		तंदुर
		बेलमपल्ली
		मरकापुर
		कामारेड्डी
		मनदासा
		यमनगन्नूर
		तम्बलापल्ली

	एल.आर. पल्ली
	विज़ाग
	मथीरा
	पसरा
	पडेरू
	वनापर्थी
	कांरगल
	कोसगी
	पेडनांडिपाडु
	श्रीसैलम
	पार्वतीपुरम
	इच्छापुरम
	संतापिल्ली
अरुणाचल प्रदेश	मियाओ
	पिपु दिगु
	योमचा
	ताली
	मिनयोंग
	कालातांग
असम	बोंगाईगांव
	हाफ्लांग
	नॉर्थ लखीमपुर
	सोनारी
	लुमडिंग
	होजाई
	तिनसुकिया
	डिगबोई
बिहार	औरंगाबाद

	गोड्डा
	गुमला
	हज़ारीबाग
	लोहारदगा
	नवादा
	रक्सौल
	सुपौल
	नौआमुंडी
	कोडरमा
	फूलपारस
	सराइकेला
	सिमदेगा
गोवा	
गुजरात	धारंगधरा
	इदर
	खंबात
	महुवा
	मांगरोल (जिला जूनागढ़)
	मोर्वी
	नखतरना
	रापर
	दीसा
	पालिताना
	रजुला
	संजेली/संत रामपुर
हरियाणा	रेवाड़ी
	मेहम

हिमाचल प्रदेश	शिमला	सुजानपुर
		सुंदर नगर
		रामपुर
		डलहौजी
		आजहु फोर्ट
		डलाश
		खारा पत्थर
		पालमपुर
		शिवबादर
		भारथी
		जोगिंदरनगर/चतरभुज
		जहालमा
		बैजनाथ/मझेरन
		भरमौर
		सरकाघाट
		डायर
		दसलानी/दासनी
		होली
		परवानू
		बांदला
		वीर
		कनडाघाट
जम्मू और कश्मीर	लेह	रियासी
		थानामण्डी
		कठुआ
		कटरा
		पुंछ
		सूरनकोट

		टिथवाल
		उरी
		बुड्ढल
		कालाकोट
		बारामूला
		डावर
		साम्बा
कर्नाटक		गंगावती
		गोकाक
		जमखड़ी
		मुडीगेरे
		पावागाडा
		रामादुर्ग
		कुम्टा
		भाटकाल
		हरपनहल्ली
		बसव कल्याण
		सागर
		हनगोंड
		अरसीकेरे
		हट्टीहाल
		सकलेशपुर
केरल	कालीकट (अंतरिम)	काननगढ़
		थोडुपुझा
		चेंगन्नूर
		मुन्नार
		कंजिरापल्ली

मध्यप्रदेश	दतिया
	गाडरवारा
	कुकड़ेश्वर
	सिरोंज
	अशोकनगर
	खुरई
	मैहर
	बिजयपुर
	लाहर
	भांडेर
	कैलारस
	सक्ती
	अली राजपुर
	परासिया
	सिंगरौली
	कोंडागांव
	बुधनी
	जशपुरनगर
	पाखनजोर
महाराष्ट्र	अकलुज
	चिपलुन
	हिंगरघाट
	कंकौली
	संगमनेर
	उमरगा
	शिरपुर
	मेहेकर
	मोर्शी

		वनी
		देवरूख
		चिखली
		खामगांव/म्हासले
		अदयाल टेकडी
		जुन्नार
		करजाट
		खेड
		राजापुर
		चिकलधारा
मणिपुर	चुराचांदपुर	मोरेह
		कांगपोकपी
मेघालय		बाघमारा
मिज़ोरम	लुंगलेई	सैहा
		चम्फई
नागालैंड	मोकोकचुंग	फेक
		सताखा
उड़ीसा		बौध
		लुथेरपुंक
		नयागढ़
		नुआपारा
		पल्लाहारा
		रायरंगपुर
		रेधाखोल
		सोनेपुर
		तालचेर
		पारादीप

		हिंडोल
		अथ मल्लिक
		मोहाना
		कुचिण्डा
		बानापुर
		राज रानापुर
		बालीगुरहा
		तुशारा
		भुवनेश्वर
		नरसिंहपुर
		खांडपारा
		दसरथपुर
		कबिसूर्यनगर
		दुर्गापुर
		टांगी
		धुआमल रामपुर
		बोनाई
		पटनागढ़
		जी. उदयगिरि
		औल
पंजाब		
राजस्थान	बाड़मेर (अंतरिम)	चिरावा
	जैसलमेर	बारां
		बड़ी सादरी
		भद्रा
		गंगापुर
		हिंडौन

		रतनगढ़
		रावतसर
		श्रीडूंगरगढ़
		सुजानगढ़
		मकराना
		करौली
		फलोदी
		राजगढ़ (जिला चूरू)
		माउंट आबू
		प्रतापगढ़
		नोहर
		बसावा
		नोखा
		शहपुरा
		निमज
		अमेट
		चौमहला
		देवगढ़
		फतेहपुर
		गंगापुर
		कुम्भलगढ़
		लक्ष्मणगढ़
		भीम
		राजगढ़ (जिला अलवर)
		लालासोट
सिक्किम	गंगतोक	सिंगतम
		रांगपो
		जोरेथांग

तमिलनाडु	रामेश्वरम (अंतरिम)	अरानी
		अरकोट
		गुडियातम
		पट्टुकोट्टई
		राजामलमय
		शंकरन कोविल
		अत्तूर
		उदगमण्डलम
		पुड्डुकोट्टई
		कृष्णागिरि
		उदुमालपेट
		मेट्टुपालयम
		वलपराई
		वेल्लीयुर
		वरूझापदी
त्रिपुरा		कैलाशहर
		तेलियामुरा
		धर्मनगर
उत्तर प्रदेश	मऊ	अल्मोड़ा
		औरैया
		चंपावत
		गंज डुडवारा
		हल्द्वानी
		कोटद्वार
		महोबा
		मऊ गनीपुर

मुहम्मदाबाद

नौगढ़

न्यू टेहरी

सिकन्दरपुर

रुदौली

कासगंज

कर्णप्रयाग

नानपारा

एटा

लालगंज (जिला रायबरेली)

बागेश्वर

चमोली

चौखुटिया

डीडीहाट

जोशीमठ

देवप्रयाग

लैंसडाउन

प्रतापनगर

बिन्सर

बासोट/भिक्यासेन

कल्जीखाल

साहिया

गज्जा

फतेह पर्वत

खैत पर्वत

राजगढ़ी

सिराकोटा वैकुण्ठम

पश्चिम बंगाल	फरक्का
	रानाघाट
	कमरहाटी/रायना
	कालना
अंडमान और निकोबार	ग्रेट निकोबार
द्वीप समूह	हवेलॉक
	कटचाल
	बारातंग
चण्डीगढ़	
दादरा और नगर हवेली	सिलवासा
दमन और दीव	
दिल्ली	
लक्षद्वीप	
पाण्डिचेरी	कराइकल

टिप्पणी :–

उपर्युक्त ट्रांसमीटरों को चालू किया जाना भवनों तथा टॉवरों के समय पर निर्माण किये जाने, अल्प शक्ति तथा अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों हेतु तैयार आवास की उपलब्धता, निर्माताओं द्वारा उपस्कर की समय पर आपूर्ति, आधारभूत सुविधाओं तथा अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

भुवनेश्वर दूरदर्शन केन्द्र

5835. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवस्थापित भुवनेश्वर दूरदर्शन केन्द्र पर पुराने उपकरण अधिष्ठापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भुवनेश्वर दूरदर्शन केन्द्र में कुप्रबंध और अनियमितताओं में वृद्धि हो रही है; और

(घ) इस दूरदर्शन केन्द्र का पुनर्गठन करने और उसे प्रभावशील बनाने तथा भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सभी केन्द्रों की कार्य पद्धति में सुधार करने तथा उनकी कार्य पद्धति को और अधिक प्रभावशाली तथा भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए दूरदर्शन का सतत् प्रयास रहता है।

दूरदर्शन केन्द्रों से गायब हुए चेक

5836. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दूरदर्शन के कुछ अधिकारी फिल्म निर्देशकों के लिए बनाये गये चेकों को चुराने में लिप्त पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने देने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) से (ङ) जनवरी, 1992 में दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा जारी किए गए चेकों को कुछ व्यक्तियों द्वारा तथाकथित रूप से भुनाए जाने की शिकायत सरकार की जानकारी में आई है। दूरदर्शन द्वारा संबंधित पुलिस अधिकारी के पास 2 अप्रैल, 92 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भी जांच और रिपोर्ट हेतु यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है, जिसके प्राप्त होने पर यदि आगे कुछ कार्रवाई करनी अपेक्षित होती है तो उस पर विचार किया जाएगा।

भारतीय वाणिज्यिक पोतों की संख्या

5837. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वाणिज्यिक पोतों की कुल कितनी संख्या है और उनके द्वारा कुल कितने माल की ढुलाई की जाती है;

(ख) तटीय नौवहन के लिए कितने पोत हैं और उनकी कितनी भार वहन क्षमता का उपयोग किया जाता है; और

(ग) भारतीय पोतों द्वारा 50 प्रतिशत विदेशी व्यापार के परिवहन के आधार एक आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश की अनुमानित भारवहन क्षमता कितनी हो जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) 1.4.94 की स्थिति के अनुसार भारतीय वाणिज्यिक मेरीन में पोतों की कुल संख्या 442 थी जिनकी कुल टनेज 6.28 मिलियन जी आर टी है। इसमें 0.644 मिलियन जी आर टी टनेज के ऐसे 204 जहाज भी शामिल हैं जो तटीय नौवहन के लिए पंजीकृत हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में, योजना के अंत तक, 7 मिलियन जी आर टी का लक्ष्य परिकल्पित किया गया है। भारतीय जहाजों द्वारा 50 प्रतिशत विदेशी व्यापार के परिवहन के आधार पर टनेज के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का कार्य-निष्पादन

5838. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को कुल कितना घाटा हुआ है;

(ख) लगातार घाटा होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय नौवहन निगम तीन बड़े पोत लेने में असफल रहा था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इसके परिणामस्वरूप इस शिपयार्ड में तीनों पोतों की बिक्री की घोषणा की है; और

(च) यदि हां, तो इच्छुक क्रेताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 31.3.93 तक हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० को 569.12 करोड़ रु० का संचित घाटा हुआ है।

(ख) यह घाटा निम्नलिखित कारणों से हुआ :-

(i) लागत-मूल्य अन्तर।

(ii) कम उत्पादकता।

(iii) जहाजों को पूरा करने में नियत समय से अधिक समय लगना।

(iv) कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए बैंकों इत्यादि से प्राप्त ऋण पर ब्याज का भारी बोझ।

(v) कमजोर आर्डर-बुक स्थिति।

(vi) देश में उत्पादित सामग्री और पुर्जों का अपेक्षाकृत अधिक मूल्य।

(ग) जी नहीं। भारतीय नौवहन निगम ने पहले ही एक बल्क कैरियर की डिलीवरी ले ली है जबकि अन्य दो अभी निमार्णाधीन हैं।

(घ) से (च) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

जी-15 देशों का व्यापार समूह

5839. श्री रमेश चेन्नितला : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी-15 देशों का कोई विशेष व्यापार समूह स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, मार्च, 1994 में नई दिल्ली में सम्पन्न जी-15 के चतुर्थ शिखर-सम्मेलन ने व्यापार, पूंजीनिवेश और प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया जिससे यह अपेक्षा की गई है कि यह इन क्षेत्रों में परा-क्षेत्रीय प्रबन्धों को तैयार करने की दिशा में कार्य करेगी।

मानवाधिकार, 1993 पर अमरीकी रिपोर्ट

5840. श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री एस॰ बी॰ सिदनाल :

श्री बी॰ एन॰ रेड्डी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने 1993 के दौरान मानवाधिकार पर दो रिपोर्ट प्रकाशित की हैं जिनमें एक भारत और दूसरा पाकिस्तान के संबंध में है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन रिपोर्टों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस मामले को अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेट्री के साथ उठाया गया था जो हाल ही में भारत आए थे; और

(ङ) यदि हां, तो अमरीकी अधिकारियों ने क्या स्पष्टीकरण दिया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) पहली फरवरी, 1994 को अमरीका के विदेश विभाग ने 1993 की मानवाधिकार पर देश-वार वार्षिक रिपोर्टें प्रकाशित की थी जिसमें भारत और पाकिस्तान से संबंधित खण्ड भी हैं। यह अमरीका के कानून के अन्तर्गत अनिवार्य है।

(ख) जी हां।

(ग) भारत से संबंधित रिपोर्ट में कश्मीर और पंजाब में मानवाधिकारों के कथित हनन के बारे में ध्यान आकृष्ट किया गया है और कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा प्रतिशोधात्मक हत्याओं, पंजाब पुलिस "प्रहार दल" हिरासत संबंधी दुरुपयोग और बिना मुकदमा चलाये लोगों को बन्दी बनाने से संबंधित विशेष सुरक्षा कानूनों के दुरुपयोग का विशेष रूप से उल्लेख है। इस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि न्यायाधीशों, गवाहों और उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध उग्रवादियों द्वारा धमकियों के कारण 1993 में कश्मीर या पंजाब में किसी आतंकवादी को दोषी नहीं ठहराया गया।

इस रिपोर्ट में कश्मीरी उग्रवादी दलों द्वारा, मानवाधिकारों के हनन का भी उल्लेख है और इसमें उदाहरण भी शामिल हैं जिनमें इस बात का उल्लेख है कि कश्मीर में उग्रवादी उन समाचार पत्रों

को धमकी देते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाते हैं और यहां तक कि उनके परिसरों को जला देते हैं जो उनके प्रकाशनों को छपाने से इन्कार करते हैं।

इस रिपोर्ट में मानवाधिकारों की सुरक्षा से संबंद्ध कानूनी प्रावधानों और अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के साथ सरकार की बातचीत, पुलिस और सैनिक कार्मिकों के साथ मानवाधिकार प्रशिक्षण और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना पर विशेष रूप से गौर किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिलाओं को प्रदान किए गए संवैधानिक और कानूनी अधिकारों पर भी गौर किया गया है परन्तु इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इनका प्रवर्तन अपर्याप्त है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत सरकार गैर-सरकारी संगठनों द्वारा जेलों की स्वतंत्र रूप से निगरानी करने की अनुमति नहीं देती। इसमें भारतीय समाज में जातीयता, धर्म और जाति संबंधी भेदभाव के संबंध में खण्ड भी शामिल हैं।

भारत सरकार की बराबर यह नीति रही है कि अमरीका के विदेश विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया न की जाय।

पाकिस्तान के संबंध में विदेश विभाग की रिपोर्ट में इन बातों का जिक्र है– उत्तरी क्षेत्रों के लोगों के लिए निर्वाचक संबंधी प्रतिनिधित्व का अभाव, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को पेश आ रही समस्याएं मनमानी नजरबंदियां, गिरफ्तारी, यातना और बंदियों और नजरबंद व्यक्तियों को अन्य प्रकार से यातनाएं देना, उन धार्मिक कट्टर पंथियों द्वारा गैर-मुसलमानों के साथ भेदभाव और उन पर अत्याचार करना जो भेदभाव मूलक कानून को अपनी इन गतिविधियों का आधार बनाते हैं तथा पाकिस्तान की सरकार द्वारा इन गतिविधियों पर काबू पाने के लिए कोई कार्रवाई न करना। इस रिपोर्ट में इस बात पर गौर किया गया है कि परम्परागत सामाजिक और कानूनी प्रतिबंधों में महिलाओं को अधीनस्थ स्थिति में रखा है कामगारों के अधिकारों पर पर्याप्त प्रतिबन्धों का लागू रहना, कार्य के लिए बच्चों और बंधुआ मजदूरों का व्यापक प्रयोग।

(घ) और (ङ) अमरीका की सहायक सचिव को उनकी भारत यात्रा के दौरान इस बात से अवगत करा दिया गया था कि अमरीका से जारी होने वाले कतिपय वक्तव्यों से जम्मू एवं कश्मीर की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अमरीका की सहायक सचिव ने कहा कि अमरीका की सरकार मानवाधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका तथा भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों, कश्मीर में पारदर्शिता की भारतीय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और राजनयिकों को जम्मू-कश्मीर की यात्रा के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई इजाजत की सराहना करती है।

भारत-अर्जेन्टीना सहयोग

5841. डा॰ के॰ वी॰ आर॰ चौधरी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अर्जेन्टीना के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन विशिष्ट क्षेत्रों में भारत-अर्जेन्टीना संयुक्त सहयोग स्थापित करने और इसका विस्तार करने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 1994 में अर्जेन्टीना गणराज्य के राष्ट्रपति डा॰ कार्लोस साउल मेनेम की भारत यात्रा के दौरान राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने तथा उसका विस्तार करने की दिशा में व्यापक विचार-विमर्श हुआ। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशिष्ट उपायों के रूप में वार्षिक द्विपक्षीय परामर्शों और राजनयिक एवं सरकारी पासपोर्टों पर वीजा समाप्त करने से सम्बद्ध करार सम्पन्न किए गए। भारत के एक्जिम बैंक और अर्जेन्टीना में इसके समकक्ष संगठन ने भी यह वचन दिया कि वे द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए सहयोग करेंगे। इस बात पर भी सहमति हुई कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए।

एशियन परिवहन विकास संस्थान का अध्ययन

5842. श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियन परिवहन विकास संस्थान ने देश के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने अध्ययन में की गई सिफारिशों की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम की आय और व्यय

5843. श्री दत्ता मेघे : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अर्जित आय तथा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा निगम का कार्य-निष्पादन और बसों की दशा सुधारने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 1993-94 के दौरान दि॰ प॰ नि॰ द्वारा अर्जित की गई आय और किया गया व्यय इस प्रकार था :-

	(अनन्तिम)
	लाख रु०
आय	15480.16
व्यय	23931.29

(ख) सरकार, दि० प० नि० की कार्य प्रणाली में सुधार के प्रयोजन से इसके कार्य निष्पादन पर लगातार निगरानी रख रही है। ईंधन-क्षमता और टायर की आयु में वृद्धि, रख-रखाव की बेहतर पद्धति द्वारा खराबियों की संख्या में कमी तथा खर्च में किफायत जैसे कुछ उपाय शुरू किए गए हैं। राजस्व की चोरी को रोकना एक अन्य उपाय है जो दि० प० नि० द्वारा प्रभावी जांच द्वारा किया जाता है। दि० प० नि० के राजस्व में वृद्धि के लिए स्क्रैप का शीघ्र निपटान करने, मार्गों को युक्तिसंगत बनाने जैसे दूसरे उपाय किए जा रहे हैं।

दि० प० नि० के बेड़े के आकार को 3500 बसों का करके इसे युक्तिसंगत बनाना तथा रा० प० प्रा० दिल्ली द्वारा घाटे वाले मार्गों (रूटों) पर निजी प्रचालकों को परमिट दिए जाने के बाद इन मार्गों से दि० प० नि० की बसें हटाना, उस अंत संबद्ध पैकेज में दिए गए प्रस्तावों में शामिल है जिसे दि० प० नि० की दीर्घकालीन व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए इसकी पुनर्स्थापना हेतु सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

बेलारूस के साथ सम्बन्ध

5844. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्विपक्षीय संबंधो की नींव डालने के लिए भारत और बेलारूस ने हाल ही में किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन समझौतों में खाद्य प्रसंस्करण और रक्षा क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम लगाना सम्मिलित है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी प्रमुख बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां। 12-15 मई, 1993 तक बेलारूस के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान निम्नलिखित करार सम्पन्न हुए:

(1) सहयोग के सिद्धान्तों और दिशाओं के संबंध में घोषणा।

(2) सरकारी कर्मचारियों की वीजा-मुक्त यात्रा के संबंध में करार।

(3) पर्यटन सहयोग पर करार।

(4) संस्कृति, कला, शिक्षा, समाचार-तंत्र, खेल-कूद तथा पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग के संबंध में करार।

(5) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग संबंधी करार।

(6) व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के संबंध में करार।

(7) रक्षा संबंधी तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

(ख) जी हां।

(ग) व्यापार और आर्थिक सहयोग संबंधी करार के अनुच्छेद 1x में यह कहा गया है कि "दोनों संविदाकारी पक्ष आपास में पूंजी निवेश और प्रौद्योगिक सहयोग को अन्य बातों के साथ-साथ अपने घरेलू बाजारों तथा ही तीसरे देशों के बाजारों के लिए भी अपने प्रदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के माध्यम से बढ़ावा देंगे"। बेलारूस के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान जो विचार-विमर्श हुआ उसमें बेलारूस की ओर से ठोस सहयोग के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों का पता लगाया : बेलारूस में संयुक्त उद्यमों की स्थापना विशेषकर भेषजों, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण तथा लघु उद्योगों के क्षेत्र में। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन में आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग के संवर्द्धन का प्रावधान है।

पाकिस्तान का कश्मीर में तथ्यान्वेषी मिशन भेजने का प्रस्ताव

5845. श्री श्रवण कुमार पटेल :

डा॰ मुमताज अंसारी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने कश्मीर में तथ्यान्वेषी मिशन भेजने का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने हाल ही में जेनेवा में मानवाधिकार आयोग की हुई बैठक में कश्मीर में मानवाधिकारों के संबंध में प्रस्ताव रखने का प्रयास किया था; और

(घ) यदि हां, तो यह किस सन्दर्भ में था और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) से (घ)

पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के हाल ही के 50 वें सत्र में जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों के तथाकथित उल्लंघन के बारे में एक संकल्प रखा था जिसमें तथ्यों का पता लगाने वाले मिशन को भेजने की मांग की गई थी।

भारत ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति के संबंध में विशेषकर पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद की सहायता देकर तथा उसे दुष्प्रेरित करके भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने तथा शिमला समझौते का उल्लंघन करने के बारे में वास्तविक तथ्यों की ओर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बहुत से उपाय किए। विदेश मंत्री ने मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्य राज्यों के विदेश मंत्रियों को पत्र लिखा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य राज्यों के दूतों को

जम्मू-कश्मीर की स्थिति से विभिन्न स्तरों पर अवगत कराया गया तथा पाकिस्तान के सभी आरोपों का प्रभावी ढंग से प्रतिकार करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सत्र के दौरान उत्तर के अपने अधिकार का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त, भारत के मामले को रखने के लिए हमारे राजनयिक मिशनों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का ठोस समर्थन भी जुटाया गया। तथा यह प्रक्रिया भारत की पारदर्शिता की नीति द्वारा सुदृढ़ हुई जिसमें यूरोपीय समुदाय ट्राइका सहित दूतों के दो जत्थों द्वारा जम्मू-कश्मीर की यात्रायें भी शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा किए गए इन उपायों के परिणामत: पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सत्र के दौरान इस हद तक अलग-थलग पड़ गया कि उसने उक्त संकल्प स्वेच्छा से और बिना शर्त वापिस ले लिया।

विनिर्णय बोर्ड

5846. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवा नियोजकों और ग्राहकों के बीच के विवादों को निपटाने के लिए विनिर्णय बोर्ड की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्राहकों को व्यवसायी तथा गैर-व्यवसायी संवर्गों में बांटने का निर्णय भी लिया गया है ताकि पहले संवर्ग से अधिक और दूसरे से कम शुल्क लिया जाये; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने उपभोक्ताओं को व्यवसायी तथा गैर-व्यवसायी श्रेणियों में बांटने का निर्णय लिया है। फिर भी, दोनों श्रेणियों से भिन्न-भिन्न शुल्क वसूल करने का अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

विदेशी डाकघर

5847. श्री काशीराम राणा :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और विदेशी डाकघर खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, दो "एक्सपोर्ट एक्सटेंशन विंडो" खोली गई हैं, एक सूरत में और एक कानपुर में, ताकि विदेश भेजे जाने वाले पार्सलों के सीमाशुल्क संबंधी निपटान को सुविधाजनक बनाया जा सके।

राजस्थान में आई० एस० डी०/एस० टी०/डी० पी० सी० ओ०

5848. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान राजस्थान में बेरोजगार युवकों को कितने आई० एस० डी०/एस० टी० डी०/पी० सी० ओ० आवंटित किए गए; और

(ख) 1994-95 में कितने आवंटित किए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) राजस्थान में 1993-94 के दौरान बेरोजगार युवकों को 938 आई० एस० डी०/एस० टी० डी०/पी० सी० ओ० आंवटित किए जा चुके हैं।

(ख) 1994-95 के दौरान लगभग 2500 एस० टी० डी०/आई० एस० डी०/पी० सी० ओ० आवंटित किए जाने की योजना है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विरुद्ध अमरीकी प्रतिबंध

5849. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विरुद्ध प्रतिबन्ध वापस लेने के लिए कुछ पूर्व शर्तें लगाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान कतिपय रिपोर्टों की ओर आकर्षित किया गया है कि अमेरिका को रूस द्वारा भारत को क्रायोजनिक इंजन बेचने पर कोई आपत्ति नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को क्रायोजनिक इंजनों की बिक्री के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और ग्लावकॉसमोस ने एक नया समझौता किया है;

(च) यदि हां, तो ग्लावकॉसमोस से कितने इंजन हासिल करने का प्रस्ताव है; और

(छ) ऐसे इंजनों को स्वदेश में कब तक विकसित किए जाने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीकी संरकार ने भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के खिलाफ निम्नलिखित शर्तों

पर व्यापार प्रतिबन्ध हटाने का प्रस्ताव किया है :-

–रूस से उत्पादन उपस्कर या प्रौद्योगिकी के किन्हीं भावी आयातों को त्यागना;

–रूस को यह आश्वासन देना कि संविदा के अन्तर्गत प्राप्त क्रायोजेनिक स्टेजिज का प्रयोग केवल भू-स्थैतिक उपग्रह लांच वहिकल पर उपग्रहों को छोड़ने के लिए ही किया जाएगा, और

–नीतिगत मामले के रूप में इस वचनबद्धता की पुष्टि करना कि एम टी सी आर, दिशा निर्देशों के अनुरूप मिसाइल नियंत्रणों का क्रियान्वयन और प्रवर्तन किया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) अमरिकी सरकार ने यह कहा है कि वे भारत-रूसी करार की इस बात से सहमत है कि कुछ ही इंजनों की बिक्री की जाए न कि प्रौद्योगिकी की।

(ङ) जी नहीं।

(च) ग्लावकोसमोस से सात इंजन करने का प्रस्ताव है।

(छ) उम्मीद है कि वर्तमान योजना के अनुसार, स्वदेश निर्मित प्रथम क्रायोस्टेज 1998-99 में बनकर तैयार हो जाएगा।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादतपुर) : महोदय, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स तथा फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री (एम॰ आई॰ सी॰ सी॰ आई॰) द्वारा हाल ही में आयोजित एक संगोष्ठी में योजना आयोग के एक सदस्य ने वक्तव्य दिया था कि भारत के पूर्वी भागों पर नई आर्थिक नीति का बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा गया था। मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यहां उल्लखित सभी राज्यों में इस समय वस्तुतः गैर-कांग्रेसो (आई) सरकारें हैं। यह कहा गया है कि इस नीति के परिणामस्वरूप पूर्वी क्षेत्र के संगठित क्षेत्र में लगभग 70 प्रतिशत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यह भी कहा गया है कि पूर्वी क्षेत्र के सरकारी क्षेत्र में नियुक्त 2.2 मिलियन लोगों में से कम से कम चार लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस समय अविलंब मामलों पर चर्चा की जानी चाहिए। यह दीर्घावधि सतत नीति का मामला है। हमने अभी बजट पर चर्चा की है। यदि मैं आपको बोलने का अवसर देता हूं तो आपको उसका उचित उपयोग करना चाहिए। अभी-अभी हमने बजट पर चर्चा पूरी की है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : यह बजट में चर्चा करने का मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर यह क्या है ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र के कामकाजी

लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में एक वक्तव्य चाहती हूं कि क्या उन्होंने पूर्वी क्षेत्र पर नई आर्थिक नीति के प्रभावों का मूल्यांकन किया है और क्या उन्होंने योजना आयोग के सदस्य द्वारा दिये गए इस वक्तव्य पर ध्यान दिया है। और यदि हां, तो उन्हें इन पूर्वी राज्यों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, अब वित्त विधेयक पर चर्चा की जाएगी। उस विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर (खंडवा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश से समस्त एन टी सी की मिलों में कर्मचारियों और मजदूरों को तनख्वाह दिया जाना बंद हो गया है जिसके कारण मजदूर काफी परेशान हैं, उनमें आक्रोश और अशांति का वातावरण बना हुआ है। पूरे प्रदेश में एक भी एन टी सी की मिल ऐसी नहीं है जहां स्थिति संतोषजनक मानी जा सके। एक भी मिल में कॉटन नहीं है जिससे कि मजदूर अपना काम कर सकें और मिल को चलाया जा सके। समस्त मिलें बंद पड़ी हुई हैं तथा मजदूरों और अधिकारियों को वेतन भी नहीं मिल रहा है। मिलों की ओर लाखों रुपये के बिजली के बिल बकाया हैं और मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा उनको बिजली काटने के नोटिस दिये जा रहे हैं। लगभग वैसी ही स्थित पेपर मिलों की भी है। नेपानगर न्यूजप्रिंट पेपर मिल और कॉटन मिलों में 3 दिनों से बिजली कटी हुई है, जिसके कारण हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं तथा भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। दोनों तरह की मिलों में मजदूरों को काम न मिलने की वजह से उनमें असंतोष का वातावरण बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या की ओर ध्यान देकर इन मिलों को पर्याप्त मात्रा में सहायता राशि उपलब्ध कराये और एन टी सी की मिलों और कागज मिल में इस प्रकार की व्यवस्था करें ताकि बंद होने से उन्हें बचाया जा सके और साथ-साथ मजदूरों को भी काम मिल सके। नेपानगर न्यूजप्रिंट मिल से उत्पादन का अम्बार लगा हुआ है क्योंकि विदेशों से आने वाला न्यूजप्रिंट उससे सस्ता है।

12.04 म॰ प॰

प्रधान मंत्री के अमरीका के आगामी दौरे के बारे में

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैंने आपको एडजर्नमेंट नोटिस दिया था और मुझे पता लगा है कि आपने उसे स्वीकार नहीं किया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे नोटिस पर फिर से विचार करें। जीरो-ऑवर में हम उस विषय को नहीं उठाना चाहते थे, जिस विषय पर हमने एडजर्नमेंट नोटिस दिया है, क्योंकि अमेरिका की कुल नीति इस वक्त हम लोगों के मामले में ऐसी हो गयी है,

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस पर कल चर्चा की गई थी और सरकार ने एक विस्तृत वक्तव्य दिया था।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : स्टेटमेंट की बात अपनी जगह पर है लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की अमेरिका विजिट के बारे में कई किस्म की खबरें सुनने में आ रही है। पहले वे स्टेट की विजिट पर जा रहे थे लेकिन अब बिजिनैस विजिट पर जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि वह बिजिनैस विजिट क्या है जिसके बारे में विदेश मंत्रालय अनेक किस्म की खबरें छपवाने का काम कर रहा है। कुल मिलाकर बड़े बे-आबरू हम लोग हो रहे हैं, समूची दुनिया के सामने हम इस बात पर बहुत ही चिन्तित हैं और हम हाउस में इस विषय पर बाकायदा बहस चाहेंगे।

चूंकि यहां हम इस मुद्दे को उठाएंगे ओर कहेंगे कि प्रधान मंत्री को नहीं जाना चाहिए। मेरी राय में प्रधान मंत्री को इस हालत में अमरीका नहीं जाना चाहिए। मेरी राय में अमरीका "अग्नि" मिसाइल को लेकर जिस प्रकार की बातें कह रहा है, वह बिलकुल ठीक नहीं है। अमरीका के स्पोक्समैन कह रहे हैं कि साउथ एशिया को भारत अपने अग्नि मिसाइल के कार्यक्रम के चलते डी-एस्टेबिलाईज करने का काम कर रहा है। यानी हमारे देश की सुरक्षा का मामला भी हमारे हाथ में नहीं रहा। अमरीका के कहने पर अग्नि का मामला आपने बन्द कर दिया। सरकार अगर कदम-कदम पर इस प्रकार झुकती चली जाए और इस पर हम सदन में जीरो आवर में खड़े होकर आवाज उठाएं और कोई बात आगे नहीं बढ़े, तो अध्यक्ष जी हमें बहुत परेशानी होती है।

अध्यक्ष जी, आज 301 की बात है। 2 रोज पहले हमारे एम्बैसेडर कहते हैं कि मिकी कैंट हमसे बोले और उन्होंने कहा कि अभी 301 की बात नहीं है, 2 महीने के बाद देखा जाएगा। यानी प्रधान मंत्री जब वहां से लौट आएंगे, तब तक 301 पर उन्होंने रोक लगा दी। उनके ऊपर दबाव डालने के वास्ते, जिसे कहा जाता है डैमोक्लिस स्वोर्ड, आपके माथे पर रख दी जाए, तो वहां भी इस प्रकार से आपको ब्लैक मेल करने का काम हो जाएगा। इस प्रकार से हम हरेक क्षेत्र मे देख रहे हैं कि हमारी सरकार झुक रही है। लंदन में बातचीत के बारे में सदन में यह बात आई है, यह बात मैं जानता हूं। आप भी जानते हैं अध्यक्ष जी कि कितनी बुरी तरह से हम लोग दुनियां के सामने बेइज्जत हो गए। पार्लियामेंट में कहा गया कि कोई बात नही है।.....**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा (गुवाहटी) : यह रोजमर्रा की बातें हैं

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : रूटीन टाक्स नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं इन लोगों से विवाद नहीं करना

चाहता हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है, ...**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय यह क्या हो रहा है .....**(व्यवधान)**....

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें यदि आप उत्तर देना चाहते हैं मैं आपको अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, यह जो लंदन में बातचीत हुई, इसके ऊपर हम लोग बेआबरू हो गए। यह संसद के अंदर कहा गया जैसे कि कुछ नहीं हो रहा है फिर हमारे जो लंदन में हाईकमिश्नर हैं वे बम्बई से बोले कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे मामले बहुत होते हैं, फिर यह बताया गया कि कुछ बातचीत हो रही है और अन्त में अमरीका के लोगों ने कहा कि नहीं बहुत गम्भीर बाते हो रही हैं। फिसाइल हम लोगों का प्रोजैक्ट है। फिसाइल प्रोजैक्ट के बारे में हम हिन्दुस्तान से क्या चाहते हैं, इस पर हमारी बातचीत हो रही है और यह गुप्त बातचीत हो रही है हिन्दुस्तान की सुरक्षा के विषय पर अमरीका के साथ।

इसलिए अध्यक्ष जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेहरबानी करके मेरे एडजर्नमेंट मोशन को लिया जाए और इस पर सदन में बहस होनी चाहिए। हम सरकार को इस विषय पर सेंश्योर करना चाहेंगे और उसके साथ-साथ मैं प्रधान मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस तरह से देश के बेआबरू कर के अमरीका जाने के अपने कार्यक्रम को स्थगित करें। इस देश के पुरुषार्थ को इस तरह से दबा देने का काम मत करिए। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। .....**(व्यवधान)**.....

श्री वृशिण पटेल (सीवान) : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के भावनाएं भी श्री जार्ज जी के साथ हैं। हम उनका समर्थन करते हुए आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि उनके एडजर्नमेंड मोशन को आपको मान लेना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यह मुद्दा सबसे पहले मैंने उठाया था। फिर इसे दोबारा उठाया गया और दूसरी बार माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर दिया था परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कठिनाई कहां है और बहुत संक्षिप्त रूप से मैं उस ओर ध्यान दिलाऊंगा। कठिनाई पांच या छः मुद्दों के बारे में है। माननीय मंत्री जी, पहला .....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : जब आप सभा में चर्चा करते हैं तो अगले दिन अखबार में कुछ प्रकाशित होता है। क्या फिर भी आप चर्चा करना चाहेंगे ?

श्री जसवंत सिंह : जी नहीं, महोदय, यह बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : तो, अंतिम रूप से कुछ निर्णय लेना चाहिए।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं परंतु अंतिम रूप से निर्णय लेने का उत्तरदायित्व सरकार का है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों का बहुत स्पष्ट वक्तव्य दिया, इसके बाद भी समाचारपत्रों में कुछ प्रकाशित हुआ। पुनः आपने इसे सभा में उठाया। आप सरकार के वक्तव्य पर विश्वास नहीं कर रहे हैं वरन् सभा के बाहर प्रकाशित बातों पर विश्वास कर रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह : मैं सरकार के वक्तव्य पर विश्वास कर रहा हूँ। सरकार के ही कथन में असंगति है और मैं इस बात को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से मंत्री जी ने सभा में जो कुछ कहा है, उस संबंध में अंतिम रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि मंत्रीजी ने कहा था कि जहां तक परमाणु अप्रसार संधि संबंधी नीति का संबंध है वहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ? मुद्दा यह नहीं है, दूसरे, माननीय विदेश राज्य मंत्री दूसरे सदन में कहते हैं हां, हम लंदन में मिले हैं और हमने परमाणु अप्रसार संधि के बारे में बातचीत की है। क्या मैं यह कह सकता हूं कि परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि के पूरे प्रश्न का ही एक पहलू है। मंत्री जी ने जो कुछ यहां कहा और जो दूसरे सदन में कहा, उन दोनों में मतभेद है। यह एक बात है। अब, अन्य मुद्दे कौन से हैं ? संयुक्त राज्य अमरीका का कहना है कि हमने आणविक सामग्री के प्रयोग को बंद करने के बारे में लंदन में बैठक की है। हमारे लिए यह परमाणु अप्रसार संधि की दृष्टि से ही नहीं है वरन् परमाणु शक्ति कार्यक्रम की दृष्टि से भी बहुत बड़ा मामला है। हमारा सम्पूर्ण परमाणु कार्यक्रम भारत के आणविक सामग्री में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयास पर निर्भर करता है।

अतः सरकार किसके बारे में बात कर रही है ? तीसरी बात, सरकार ने ऐसा नहीं कहा है। सही है। परंतु अमरीका के प्रतिनिधियों ने लंदन से बोलते हुए कहा था कि वह भारत के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को भी बंद करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये वह वक्तव्य हैं जिन्हें आप समाचारपत्रों में पढ़ रहे हैं और जिनकी विस्तृत शब्दशः रिपोर्ट नहीं है।

श्री जसवंत सिंह : निसदेह, क्योंकि मंत्रीजी ने कोई उल्लेख नहीं किया था।

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : महोदय, यदि ये रिपोर्ट नहीं होती तो हमें पता नहीं चलता कि प्रधानमंत्री के दौरे से कुछ समय पहले लंदन में बैठक हुई है। .....**(व्यवधान)**.. ... माननीय, अध्यक्ष महोदय आपको इस बात को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी वाशिंगटन जा रहे हैं और इस पृष्ठभूमि को देखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम स्थिति को सही रखने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी नहीं महोदय, जिस तरह से यह सब किया गया है वह देश के लिए अपमानजनक है।

श्री जसवंत सिंह : मैं अपनी बात पूरी करने वाला था। दूसरा मुद्दा यह है कि आणाविक सामग्री के प्रयोग को बंद करने संबंधी ब्यौरे सरल नहीं हैं। वे केवल यह सुझाव देने से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं कि आणविक सामग्री के प्रयोग को बंद किया जाना चाहिए। वे देश में प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को बंद कराने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यह बहुत चिंताजनक पहलू है। यह समाचार भी छपे हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री अब कहते हैं कि अमरीका पाकिस्तान को बिना शर्त एफ-16 विमान की आपूर्ति करेगा। यदि यह सब असंबद्ध पहलू है तो हम अनावश्यक चिंता नहीं करेंगे। यह सब अंत: संबद्ध है। प्रधान मंत्री जी के निकट भविष्य में अमेरिका के दौरे से ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ गई हैं और ये कठिनाइयां पैदा हुई हैं क्योंकि सरकार अस्पष्ट बातें कर रही है। वह सीधे अमरीका से बात करना चाहती है परंतु इस सभा को विश्वास में नहीं लेती है। एक मंत्री जो कुछ यहां कहता है दूसरा मंत्री दूसरे सदन में कुछ और कहकर पहले मंत्री की बात का खंडन करता है।

इसलिए विषय का महत्त्व बढ़ गया है। प्रधानमंत्री जी की यात्रा के संदर्भ में तथा इस सरकार में देश के मुख्य सुरक्षा हितों के कारण व्याप्त दुविधा से इस विषय का महत्त्व बढ़ गया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैं अपना भाषण देश के वैज्ञानिकों को बधाई देकर आरम्भ करता हूं। यह अग्नि मिसाइल अगले कुछ वर्षों के दौरान बनने वाली पैट्रियर मिसाइल के समान अथवा उससे भी श्रेष्ठ है। इसमें अप्रसार सन्धि अन्तर्ग्रस्त नहीं है, बल्कि इन मिसाइलों में इसकी श्रेष्ठता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का यह विचार है कि यदि हम इन अग्नि मिसाइलों का विकास कर सकते हैं, तो अगले कुछ वर्षों में भारत एक ऐसी शक्ति बन जायेगा जो विश्व में किसी भी स्थान को लक्ष्य बना सके। प्रधानमंत्री के इसी प्रकार के व्यक्तव्य के बारे में जैसा कि आप उनको यह बता रहे हैं। एक तरफ वे वक्तव्य दे रहे हैं कि हम अप्रसार संधि संबंधी नीति को नहीं छोडेंगे और साथ ही वे यह कहते हैं कि कुछ आपसी समझौता होना चाहिए। और यह लेन-देन अग्नि मिसाइल कार्यक्रम के संबंध में है।

महोदय, समाचार पत्र महत्वपूर्ण हैं। आज के समाचार पत्रों में यह इंगित करते हैं हमें यह याद रखना चाहिए, कि यह भारत पर दबाब डालने की कोशिश है। कुछ दिन पूर्व व्यापार अधिनियम की धारा 301 लागू किए जाने के बारे में दबाव डाला जा रहा था। फिर वे कहते हैं कि इसे दो माह के लिए स्थगित किया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री को संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करनी चाहिए दबाव लगातार बना हुआ है। दबाव है और जैसा कि हम अपने अन्य अनुभव से जानते हैं यह कहना ही पर्याप्त नहीं होगा कि सरकार ने एक व्यक्तव्य जारी किया है।

महोदय, उरुग्वे दौर की समस्त वार्ताओं से यह पता चलता है कि सरकार द्वारा जारी वक्तव्यों

में इन्कार किए जाने के बावजूद 1986 से 1993 तक हमारे रुख में की अवधि के दौरान धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ है। महोदय इसलिए दूसरी ओर से यह हमारी संप्रभुता को पुन: खतरा बन गया है और यही कारण है कि हम यह मांग करते हैं कि सरकार वक्तव्य दे। बैठक स्थगित करने से पूर्व उक्त समझौता वार्ता के बारे में सम्पूर्ण अवधारणा के संबंध में सरकार को एक व्यक्तव्य देना चाहिए तथ्य यह है कि वार्ता को गोपनीय रखा जा रहा है, निन्दनीय है जिसके बारे में सभा को निर्णय करना चाहिए। अत: मैं चाहता हूँ कि सरकार इस संबंध में वक्तव्य दे।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसी घटना जिसका इस सभा के सभी वर्गों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए था। को गलत ढंग से रखा जा रहा है। आज विश्व में एक दूसरे की अन्त:निर्भरता आवश्यक है। हम सभी को इसका स्वागत करना चाहिए था कि प्रधानमंत्री महोदय आपसी चर्चा के लिए अमरीका जा रहे हैं। यह एक सामान्य कार्य है और पिछले कई वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री महोदय ने कई अन्य देशों की यात्रा की है और विभिन्न अन्य देशों के राज्याध्यक्षों ने बातचीत के लिए भारत की यात्रा की।

महोदय, आज यह वक्तव्य देकर यह धारणा बनाई जा रही है कि प्रधानमंत्री को अमरीका की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मानो उनकी यात्रा से हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध समझौता होगा। माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने इस सभा को बार-बार यह आश्वासन दिलाया है कि अप्रसार संधि के संबंध में हमारी स्पष्ट नीति से समझौता करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि आज समाचार पत्रों में कुछ प्रकाशित होता है और हम उस पर व्यक्तव्य देते हैं तो मैं यह कहूँगा इससे हमारे राष्ट्रीय हितों में वृद्धि नहीं होगी।

महोदय, मुझे किसी के विचारों पर आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन विभिन्न बातों को जोड़ना सही नहीं है। हमने पूरे समय गैट के बारे में बात की है। यह आश्वासन दिया गया है कि 301 को हमारे विरुद्ध लागू नहीं किया जायेगा .....**(व्यवधान)**.....

महोदय, आज यदि अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि यह वक्तव्य में कि वह 301 पर कार्यवाही को दो माह के लिए स्थगित कर रहा है। क्या इसका यह अर्थ है कि यह केवल भारत पर ही लागू की जा रही है। क्या इसका यह अर्थ है कि भारत पर दबाव डाला जा रहा है। क्या इसका यह अर्थ है कि भारत को ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्या इसका यह अर्थ हुआ कि वहां हमारे प्रधानमंत्री पर दबाव डाला जायेगा और वे उनके दबाव में आ जायेंगे जैसा कि उनमें से कुछ में साथ हुआ है जो वहाँ गये हैं।

महोदय, मैं वह नहीं दोहराना चाहता जो पूर्व में घटित हुआ है। श्री वाजपेयी यहां बैठे हैं। वे जानते हैं कि भारत के साथ उस समय कैसा व्यवहार किया गया था जब वे चीन की यात्रा पर गये थे। वैसा पुन: घटित नहीं होना चाहिए। हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आज हम विश्व को

क्या बताना चाहते हैं हम विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों के अन्तर्गत चर्चाधीन अथवा महत्वपूर्ण मामलों द्वारा अन्य विभिन्न मामलों पर चर्चा करने के सुवसर प्राप्त हुए हैं। लेकिन भूतकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव की मांग की जा रही है। मानो केवल यही सभा की चिन्ता का विषय हो।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : संसद के समक्ष संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण विषय है।

श्री पवन कुमार बंसल : जी हां, मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि कांग्रेस के अतिरिक्त हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा किसी ने नहीं की है। वे क्या महसूस करते हैं उनके विचारों का लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मैं केवल यह कह सकता हूँ कि विपक्ष के हमारे मित्र आज स्वयं 'गोबेबलरु' को कारनामों से भी कहीं आगे हैं। हमें इस प्रवृति का सामना करना चाहिए। केवल तभी हम अपने राष्ट्रीय हितों की वृद्धि कर सकते हैं। आज हमें प्रधानमंत्री को आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए जब वे अमरीका की यात्रा पर जाये तो वे यह बताने में सक्षम होने चाहिए कि सारा देश उनके साथ है। यह मामला पार्टी से ऊपर होना चाहिए। कल यदि कुछ होता है तो, जैसा कि वे पहले भी करते रहे हैं, उन्हें सभा पटल के नजदीक आने का अधिकार है, लेकिन वह तभी होता है जब कुछ महत्वपूर्ण घटना होती है।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या उपदेश दे रहे हैं ?

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। वे स्थिति का ढोंग कर रहे हैं। कुछ नहीं है, लेकिन वे कह रहे हैं कि भारत के विरुद्ध 301 लागू कर रहे हैं। वे यह कह रहे हैं कि हमारी आणविक क्षमता पर नियन्त्रण लगाया जा रहा है। वे ये सब निष्कर्ष कहां से निकाल रहे हैं ?

अन्तत: मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करुंगा कि वे आवश्यक सहायता दें, जैसाकि देश के प्रत्येक नागरिक से आशा है जब देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अथवा कोई मंत्री विदेश यात्रा पर जाता है। केवल तभी, हम अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : ऐसा नहीं है कि जहां तक हमारी संप्रभुता का संबंध है विपक्ष की रुचि पूर्ण सहयोग करने में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हमें संप्रभुता के अर्थ को समझना चाहिए। इसमें से कितना उपलब्ध है, क्या यह उस रूप में उपलब्ध है जिस रूप में 200 वर्ष पूर्व सोचा गया था।

श्री श्रीकान्त जेना : ऐसा नहीं है कि वाशिंगटन के प्रवक्ता ने मिसाइल कार्यक्रम, अग्नि को रोके जाने के बारे में कहा है। रक्षा मंत्री ने गुरुवार को इस सभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा था की कि भारत सरकार ने एक प्रयोग किया था तथा वह प्रयोग सफल रहा था तथा यह यहीं समाप्त होता है। तदन्तर दो दिन के पश्चात, वाशिंगटन से यह व्यक्तव्य आया कि इसे नियन्त्रित किया जाना चाहिए। हमें उस के कारण चिन्ता है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के सभी वैज्ञानिक इससे चिंतित हैं कि लंदन में क्या हो रहा है; वाशिंगटन में क्या हो रहा है। तथा रक्षा मंत्री के उत्तर से यह

मता लगता है कि वे पहले ही इसे नियन्त्रित करने के लिए सहमत हो गये हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आप मिसाइल कार्यक्रम को नियन्त्रित करने जा रहे हैं। यह एक लिखित प्रश्न का उत्तर है। . ....(व्यवधान).....।

इसी कारण से हम इस संबंध में एक विस्तृत व्यक्तव्य की मांग कर रहे है कि लंदन में क्या हुआ है, चाहे यह अमरीका में प्रधानमंत्री की यात्रा से पूर्व एक सामान्य बातचीत हो अथवा यह देश के मिसाइल कार्यक्रम को नियन्त्रित करने के संबंध में एक चर्चा थी। सरकार को इस सभा में इस संबंध में एक स्पष्ट व्यक्तव्य देना चाहिए।

श्री ए० सी० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : इस संबंध में हम माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट की गई चिन्ता की प्रसंशा करते हैं। लेकिन इस तरफ हम कम देशभक्त नहीं है। हमें भी देश के भविष्य के बारे में बराबर चिन्ता है। पूरी गम्भीरता तथा दु:ख के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि विगत एक दो वर्षों से इस सम्मानीय सभा द्वारा प्रदान की जा रही जानकारी ने 850 मिलियन हमारे देशवासियों का मनोबल गिराया है।

श्री श्रीकान्त जेना : ये 850 करोड़ हैं अथवा 850 मिलियन ?

श्री ए० सी० चार्ल्स : इससे हमारे देश के 850 मिलियन देशवासियों का मनोबल गिरा है। मैं आपको भी इससे सहमत करा सकता हूँ। गैट के संबंध में एक विशेष खण्ड है। यदि किसी स्तर पर, हम गैट से बाहर जाना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ 6 माह का नोटिस देना होगा। क्या मैं विपक्ष, जो कि अब एक मत है, को यह चुनौती दे सकता हूँ कि यदि वे सत्ता में आयें, तो छ: माह के भीतर गैट से अलग हो जाएंगे ? मैं यह चुनौती दे रहा हूँ। इसका विकल्प क्या है ?

इस विषय पर भी प्रधान मंत्री, सरकार का मनोबल गिराने का प्रयास हो रहा है। यह इस राष्ट्र के समस्त नैतिक बल को हिला रहा है। 85 करोड़ देशवासी एकमत हैं।

[अनुवाद]

मैं विपक्ष को मानव अधिकार आयोग पर एकमत से पारित संकल्प के लिए बधाई देता हूं और उससे एक सन्देश मिला है। आइए हम एकमत हों और देश को हतोत्साहित न करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, हमें बैठक के बारे में प्रेस के जरिए पता चला। ऐसा नहीं है कि सरकार इस सदन में आई अथवा सरकार ने विपक्ष के नेताओं को विश्वास में लिया है कि प्रधान मंत्री के दौरे की तैयारी के लिए कतिपय कार्यसूची तैयार कर ली गयी है और वे उस तरह से उस पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच सम्बन्ध प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिन्ता का विषय है। हम जानते हैं कि कतिपय मुद्दे हमारे सम्बन्धों को वाकई में प्रभावित कर रहे हैं। उनमें से एक परमाणु अप्रसार सन्धि (एन पी टी) है।

अब सरकार कह रही है कि "हमने एन पी टी पर चर्चा नहीं की; हमने अग्नि पर चर्चा नहीं कि; हमने मिसाइल सामग्री पर चर्चा नहीं की; हमने पाकिस्तान को बिना शर्त आपूर्ति किए जाने वाले

एफ-16 विमानों पर चर्चा नहीं की।" आपने लन्दन में क्या चर्चा की ? क्या यह प्रधान मंत्री के लिए मेन्यू है और वह भी किसी तीसरे देश में .....**(व्यवधान)**.....

आपका यह कुचालन वास्तव में देश में हर प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर रहा है और उससे सन्देह पैदा हो रहा है एक दिन वे कहते हैं कि इस बैठक का प्रधानमंत्री के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे दिन वे कहते हैं कि यह केवल प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी है। क्या इसमें कोई विरोधाभास नहीं है ? अमरीकी अधिकारी कहते हैं कि "यह निजी बातचीत है। हम यह बातचीत करते हैं और हमें इसे जारी रखना चाहिए।" क्या उन्होंने लन्दन में वास्तव में जो बातचीत की वे उसे बतायेंगे और हमें विश्वास में लेंगे ? उन्हें सदन को तथा विपक्ष के नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए। उन्हें ऐसा करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने अमरीका के राष्ट्रपति का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया है। उनकी अमरीका यात्रा की तिथि भी प्रधान मंत्री की सुविधा के अनुसार तय हुई है। दोनों देशों के प्रमुख अमरीका के राष्ट्रपति, क्लिंटन और हमारे प्रधान मंत्री, श्री नरसिंह राव अभी तक कहीं मिले नहीं हैं। इसलिए इस भेंट का महत्त्व बहुत बढ़ जाता है। इस भेंट को लेकर जो आशंकायें व्यक्त की जा रही हैं, उन आशंकाओं का सरकार द्वारा निराकरण जरूरी है। थोड़ा निराकरण किया गया है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। अगर यह यात्रा न भी होती अमरीका का हमारे ऊपर दबाव रहा है और वह दबाव और भी बढ़ेगा। वह दबाव एन पी टी को लेकर नहीं है। एन पी टी तो रिवाइज होने वाली है। हमने कह दिया है कि इस तरह की भेदभावपूर्ण संधि हमें स्वीकार नहीं है। दवाब इस बात को लेकर बढ़ेगा कि अमरीका पाकिस्तान और भारत को एक तराजू में रखना चाहता है, जबकि भारत की सुरक्षा की आवश्यकतायें अलग हैं।

चीन हमारा पड़ोसी है। चीन ने एटमी हथियारों का भण्डार लगा रखा है। हमारे चीन से संबंध सुधर रहे हैं, अच्छी बात है। संबंध और भी सुधरें, इसका प्रयत्न होना चाहिए। श्री बंसल मेरी चीन की यात्रा का उल्लेख कर रहे थे, सचमुच में चीन के साथ संबंध सुधरने का सिलसिला उसी समय शुरू हुआ और यह माना गया कि सीमा पर शान्ति रहनी चाहिए। उन्होंने वियतनाम पर हमला किया था, भारत पर नहीं। मगर राजनीतिक कारणों से मेरी यात्रा की सफलता पर पानी फेरने के लिए उसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी जो सुरक्षा की आशंकायें हैं, वह केवल पाकिस्तान को लेकर नहीं हैं। पाकिस्तान अगर F-16 ले ले, हम उसका सामना करना जानते हैं और हमारी सेनायें उसका उत्तर दे सकती हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि अमरीका F-16 क्यों दे रहा है ? लोकहिड में हड़ताल है, लोकहिड में घाटा चल रहा है। उन्हें जहाज बेचना है, तो हमारे पड़ौसियों को दे दो। अभी तक जो जहाज तथा अन्य शस्त्र पड़ौसी को दिए गए, वे हमारे खिलाफ में काम आए हैं, कम्युनिज्म से लड़ने के लिए

नहीं। सोवियत रूस के खिलाफ यद्यपि हथियार दिए गए, उन हथियारों का उपयोग हमारे खिलाफ हुआ। किसके लिए पाकिस्तान F-16 चाहता है ? अमरीका कह रहा है कि आप हथियार खरीदना चाहते हैं, तो हम F-16 आपको भी बेचने को तैयार हैं। क्या इस भूखण्ड में हथियारों की होड़ लगाई जाएगी ? अध्यक्ष महोदय, असल विवाद इस बात को लेकर हो रहा है कि NP साउथ एशिया का मामला है या सारे विश्व का मामला है ? सोवियत संघ विघटित हो गया। उसके साथ-साथ एटमी हथियार फैल गया। एशिया में नए स्वतन्त्र रिपब्लिक बने हैं, उनके पास एटमी हथियार हैं। दुनियां में ऐसे देश हैं, जो हथियार बनाने की क्षमता रखते हैं, देहरी पर खड़े हैं, जिन्हें कहा जाता है थ्रैसहोल्ड कंट्रीज। अमरीका का सारा जोर इस बात पर है कि भारत और पाकिस्तान आपस में तय कर लें या उन पर दबाव डाल कर तय कर दिया जाए। चीन निशस्त्रीकरण करने के लिए तैयार नहीं है और चीन से कोई इस बात पर दबाव डालने को भी तैयार नहीं है। अमरीका चीन के साथ व्यापार करने को तैयार है और मानवाधिकार सवाल को ताक पर रखने को तैयार है।

चीन हमारे ऊपर जज बन कर बैठे, यह स्थिति हमें स्वीकार नहीं है। मगर अमेरिका का दबाव है कि हम साऊथ एशिया को लेकर एक समझौता करें सरकार उसका विरोध कर रही है लेकिन मुझे लगता है कि दबाव में कहीं सरकार की नीति में परिवर्तन कहीं न हो जाए। नान-प्रोलीफरेशन के बारे में जो भी चर्चा होनी है उसमें उन देशों को शामिल करना जरूरी है जो थ्रेस होल्ड पर खड़े हैं। नार्थ कोरिया और इस्राइल चर्चा में आने चाहिये। लेटिन अमेरिका के देश भी, जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने एटोमिक वेपन की टैक्नोलॉजी डेवेलप कर ली है उनका समावेश जरूरी है। मगर उमेरिका इसकी चिन्ता नहीं कर रहा है और प्रधानमंत्री जी जब वाशिंगटन जाएंगे तो उन पर भारी दबाव पड़ने वाला है, हम आशा करते हैं कि उस दबाव का सामना किया जाएगा। आखिर प्रधानमंत्री जी को वापस आकर इस देश की पार्लियामेंट को जवाब देना है। यह संसद उनसे जवाब मांगेगी। लेकिन आशंकाएं इतनी बढ़ गई हैं कि यह सुझाव दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपनी यात्रा रद्द कर दें, मैं नहीं समझता प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं। अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। मैं भी पहले वाइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दे चुका था उस कि इस समय प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिये। लेकिन अब निमंत्रण आ गया, तिथि बदल गई सारी तैयारियां हो रही हैं इसलिए अब तो हमें प्रधानमंत्री से कहना ही होगा कि सारी पार्लियामेंट, सारा देश आपका समर्थन करेगा। मगर इन महत्वपूर्ण मामलों में भारत की जो भूमिका है उससे आपको टस से मस नहीं होना चाहिये, प्रधानमंत्री को हमें यह संदेश देना है। इसलिये चटर्जी साहब का एक सुझाव अच्छा आया है कि इस संबंध में सरकार सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिये कि वह अपने रवैये पर दृढ़ता से कायम है इसका पुनरोच्चार करें, इसकी पुनर्घोषणा करे और प्रधानमंत्री की यात्रा के पूर्व संसद में एक विस्तृत वक्तव्य होना चाहिये जो सदन को भी संतुष्ट करे और जो जनता के मन में भ्रम पैदा हो रहे हैं उनका भी निराकरण कर सकें।

[अनुवाद]

जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) महोदय, मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि भारत सरकार और प्रधान मंत्री कभी भी दबाव में नहीं आएंगे और दबाव में कोई समझौता नहीं करेंगे। अत: किसी देश के दबाव में कुछ करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हमारी जवाबदेही इस माननीय सदन और भारत के लोगों के प्रति है और हम जिस दबाव को स्वीकार करेंगे वह केवल इस सदन का तथा भारत के लोगों का होगा। हमारे दरम्यान अच्छी सूझबूझ है। यदि प्रधान मंत्री जी इसे आवश्यक समझेंगे और अगर यह उपयुक्त समझा जाता है तो मैं इस सदन की तथा माननीय सदस्यों की भावनाओं से उन्हें अवगत करा दूंगा। वह इस मामले में समुचित कार्यवाही करेंगे। लेकिन मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने से पड़ने वाले दबाव में आकर भारत द्वारा अपनी नीतियों में परिवर्तन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता .....**(व्यवधान)**.....

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : यदि मैंने सही समझा है तो उन्होंने कहा कि किसी खतरे का कोई सवाल ही नहीं है। क्या यह सच है ? महसूस क्या किया जाता है ? मैं जानना चाहूँगी कि क्या इससे किसी गंभीर खतरे की संभावना है ? मंत्री जी को इस पर टिप्पणी करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी, मैं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन ने एक सही संदेश तैयार करने का प्रयास किया है। कृपया हमें उसी संदेश को मानना चाहिए। यह बातें पार्टियों के जिम्मेदार नेताओं द्वारा कही गई हैं। हमें उसी संदेश का अनुसरण करना चाहिए। सदस्यों की बातों का आशय उन सभी लोगों के मस्तिष्क में रहनी चाहिए जो विदेश यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि देशों के बीच अच्छे सम्बन्ध हों और देश के हितों की रक्षा हो।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : महोदय .....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : शरद जी, आप बैठ जाइए, आप पहले मेरी बात को सुन लीजिए। देखिए, इस सत्र में हम केवल दो मिनिस्ट्री को ही डिसकस कर पाए हैं। यह खुशी की बात है कि स्टैंडिंग कमेटियों ने पूरी मिनिस्ट्रीज् के डिमान्ड्स को एक्जामिन किया है और मेरी दृष्टि से अच्छी रिपोर्ट दी है। हम आशा करते हैं कि मिनिस्ट्रीज् के सारे मिनिस्टर्स और उनके अधिकारी उसको बहुत ही गहराई से देखेंगे तथा उसके ऊपर अमल करेंगे। इसके बाद भी यदि आप लोगों को कुछ कहना है तो कल और परसों तक कह सकते हैं। अभी आधे घंटे की जो लिमिट रखी गई है, उसको आगे मत बढ़ाइए।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, इतनी देर में मेरी बात हो जाती।

अध्यक्ष महोदय : देखिए शरद जी, आप लीडर हैं और आपको मेरी मदद करनी चाहिए, मेरा इंटेंशन आपको समझना चाहिए।

श्री शरद यादव : मुझे अफसोस है कि आप मुझे बार-बार याद दिलाते हैं कि मैं लीडर हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं क्या करूं, कितना याद दिलाए आप समझते नहीं हैं।

श्री शरद यादव : यह ठीक नहीं है, किसी और को आपने याद नहीं दिलाया, मुझे ही याद दिलाया। यह आपने कोई एक बार नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय को कल भी लिया जा सकता है।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, इतनी देर में मेरी बात हो जाती।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, कहिए।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, शुक्रवार की पीएसी की जो रिपोर्ट आई है, वह बहुत भयावह है और लगता है कि इस देश में हर मामले में एनारकी मची हुई है। आज हम आशंकाओं से घिरे हुए हैं। अभी भी मेरे मित्र ने एक आशंका प्रकट की, जिसके बारे में सब लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। अध्यक्ष महोदय, इस देश में भ्रष्टाचार किस कदर बढ़ रहा है और सार्वजनिक संपत्ति का किस तरह से मिसयूज हो रहा है, नाश हो रहा है। पीएसी कि रिपोर्ट पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप देखिए कि 3000 करोड़ रुपए किस तरह से डूबोए गए। वित्त सचिव, वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री आदि के बारे में पीएसी की रिपोर्ट में जो कुछ दिया गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है। पीएजी ने भी इस बारे में 6 महीने पहले अपनी रिपोर्ट दी थी, जिस पर सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट आपके सामने है, यह 3000 करोड़ रुपए के दुरुपयोग का गंभीर मामला है और इसको आप बहस के दायरे में किसी तरह से लाने का काम करें और इस बहस का उत्तर माननीय प्रधान मंत्री जी दें और बताएं कि कौन दोषी है।

अध्यक्ष महोदय : आप किसी तरह से मत कहिए, आपको मुझे पहले नोटिस देना चाहिए और पर्टीकुलर रूल कोट करके बताना चाहिए कि इस रूल के तहत चर्चा करवाइए।

श्री शरद यादव : आप कहेंगे तो मैं नोटिस दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : बस इसके बाद यह तय करना मेरी जवाबदारी हो जाती है कि इस पर बहस हो सकती है या नहीं। ठीक है, अब आप बैठिए।

12.37 म० प०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

खनिज रियायत (संशोधन) नियम 1994

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) :

[अनुवाद]

मैं खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1947 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1994, जो 30 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 345 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी/गयी देखिए एल टी 5827/94)

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के कार्यकरण की पुनरीक्षा और 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण :-

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदना, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखते हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए एल. टी. 5828/94)

12:38 म० प०

विधेयकों पर अनुमति

महासचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा 22 अप्रैल, 1994 को सदन को प्रस्तुत करने के बाद दी रिपोर्ट राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त दो विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पंजाब ग्राम पंचायत समितियां और जिला परिषद (चंडीगढ़ निरसन) विधेयक, 1994

(2) रेल (संशोधन) विधेयक, 1994।

12.39 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की दृष्टि से जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों की स्थापना के मानदण्डों की समीक्षा करने की आवश्यकता।

डा० वसंत पवार (नासिक) : मैं नियम 377 के अधीन सार्वजनिक महत्व के इस मामले पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

वर्तमान में, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 1981 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर मंजूरी दी जाती है। तथापि, भारत सरकार ने 1991-92 और 1992-93 के दौरान किसी नए उप-केन्द्र की अनुमति नहीं दी है। इस दशक में जनसंख्या में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण, उप-केन्द्रों को 1991 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर मंजूरी प्रदान की जानी चाहिए, न कि 1981 की जनसंख्या के आधार पर। भारत सरकार को अब अपने आदेशों की भी पुनरीक्षा करनी चाहिए तथा नए उप-केन्द्रों को खोलने की अनुमति देनी चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, 5,000 की जनसंख्या वाले प्रत्येक गैर जनजातीय क्षेत्र में एक उपकेन्द्र तथा 30,000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों के मामलों में इन मानदण्डों में रियायत दी जाती है जहाँ प्रत्येक 20,000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक उपकेन्द्र खोला जाता है। महाराष्ट्र, विशेषरूप के नासिक, जो जनजातीय, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र है, में जनसंख्या भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इधर-उधर बिखरी हुई है। इससे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों को अधिक क्षेत्रों को देखना होता है। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को अपने दैनिक दौरों में इतनी लम्बी दूरी तक जाकर चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने में अधिकाधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा जनसंख्या के मानदण्डों और क्षेत्र, दोनों पर फिर से विचार करना चाहिए।

मैं सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकीय सुविधाओं में सुधार करने के लिए आवश्यक कदमों को उठाने का अनुरोध करता हूं।

(दो) रक्षा मंत्रालय द्वारा 1990 में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए चुने गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति शीघ्र करने की आवश्यकता।

श्री पी० पी० कालिया पेरुमल (कुड्डालोर) : रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 1990 में विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति के 2,000 अभ्यार्थियों का श्रेणी तीन और श्रेणी चार के पदों के लिए चयन किया गया था। चयनित अभ्यार्थियों का पुलिस सत्यापन और चिकित्सकीय जांच का कार्य पूरा कर लिया गया था। लेकिन गत तीन वर्षों से उन्हें कोई भी नियुक्ति

पत्र नहीं भेजा गया है। चूंकि उनका चयन कर लिया गया है अत: उनके नाम रोजगार कार्यालय में रजिस्टर से काट दिये गये हैं। वे भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा भी पार कर चुके हैं। इस प्रकार उन्हें अधर में छोड़ दिया गया है।

यह कहा जाता है कि रक्षा मंत्रालय में रोजगार की कतिपय श्रेणियों पर प्रतिबन्ध भी लगाया हुआ है इससे वे रिक्तियां प्रभावित हुई हैं जिन्हें अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशेष भर्ती अभियान के तहत भरा जाना है। इसके साथ ही, सहायक विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग) का पद प्रतिबन्ध होने के बावजूद भरा गया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस पद के लिए चयन किए गए हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए निर्धारित कोटा के अनुसार पदों को भरने के लिए पिछली रिक्तियां काफी हैं। ये 2,000 युवा दलित निर्धन हैं और वे भूखमरी की स्थिति में हैं।

अतएव मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इन 2,000 युवा दलितों की पीड़ा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और उन्हें आगे बिना कोई विलम्ब किए नियुक्ति प्रदान करे।

(तीन) भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों के कल्याण के लिए योजना बनाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर) : अध्यक्ष महोदय, देश में गरीबी, अशिक्षा और आर्थिक विषमताओं के कारण अनेक प्रकार की बुराइयां एवं समस्याएं ज्वलंत रूप धारण कर गई हैं। इन विषम परिस्थितियों से लाभ उठाने के लिए असामाजिक तत्वों की शक्तियां भी सक्रिय रूप धारण कर लेती हैं।

12.42 म० प०

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं)

न भूखा रहना पाप है और न भीख मांगना कुकर्म। परन्तु जिस देश में अनाथ एवं लाचार बच्चों से भीख मंगवाई जाए, बहुत ही शर्म की बात है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, मंदिर व मस्जिद जैसे सार्वजनिक स्थानों पर दस-पांच पैसे देने से अनाथ एवं लाचार भिक्षुक बच्चों की आदत में सुधार नहीं लाया जा सकता बल्कि उनका जीवन बर्बादी की ओर अग्रसर होता है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गरीब एवं लाचारी बच्चों को कल्याणकारी योजना की परिधि में लाने का उपाय करे तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाये क्योंकि वह देश का भविष्य है और सरकार का कर्तव्य उस भविष्य को उज्जवल करना है।

[अनुवाद]

(चार) असम के हैलकान्डी टाउन जिले में हैलकान्डी टाउन डाकघर का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : असम के हैलकान्डी जिले में स्थिति हैलकान्डी कस्बे

का डाकघर अभी भी एक उप-डाकघर है, यद्यपि कस्बा जिला मुख्यालय है। वित्तीय मामलों के संबंध में यह कस्बा पूर्ण रूप से सिलचर सामान्य डाकघर पर निर्भर रहता है। उसके परिणामस्वरूप, कस्बावासियों और अन्य लोगों को धन के नकदीकरण को मामले में काफी असुविधा होती है। यह बात संचार मंत्रालय की जानकारी में अनेक बार लाई गई है और उनसे हैलकान्डी डाकघर के दर्जा बढ़ाने का अनुरोध भी किया गया है परन्तु इसको कोई परिणाम नहीं निकला।

इन परिस्थितियों के अंतर्गत, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह जल्द से जल्द हैलकान्डी डाकघर का दर्जा बढ़ाये ताकि लोगों को एक सर्वसुविधा सम्पन्न डाकघर का लाभ प्राप्त हो सके।

(पांच) उत्तर प्रदेश के नैनीताल और पीलीभीत जिलों में बसे बांग्लादेशी शरणार्थियों के नामों को मतदाता सूची में शामिल करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : सभापति महोदय, देश के विभाजन के बाद लाखों की संख्या में बंगला देश से हिन्दू शरणार्थी आए थे, उनमें से काफी बड़ी संख्या में लोग नैनीताल, पीलीभीत जिले में सरकार की योजना में बसाये गये। वे लोग तब से लगातार हो रहे आम चुनावों में मत देते आ रहे हैं, किन्तु सरकार ने अचानक उनके नाम मतदाता सूचियों से बाहर कर दिए हैं, जिससे गत विधान सभा चुनाव में अधिकांश लोग वोट नहीं डाल सके। अब मतदाता सूची में उन्हें शामिल करने के लिए उनसे नागरिक प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, अधिकांश लोग झोपड़ियों में रहते हैं, जिस कारण आग व बाढ़ से उनके प्रमाण पत्र नष्ट हो गए हैं। इतने वर्षों बाद नागरिक प्रमाण पत्र मांगा जाना अन्यायपूर्ण है, क्योंकि उसी समय से पंजाब, सिन्ध से आए विस्थापितों से कोई भी प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया और उन लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि बंगाली विस्थापितों को मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाए।

[अनुवाद]

(छः) पश्चिम बंगाल के जलपाई गुड़ी जिले में धूपगुड़ी के मानव चालित दूरभाष केन्द्र को इलेक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र में परिवर्तित करने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाई गुड़ी) :

धूपगुड़ी, जिला जलपाई गुड़ी, पश्चिम बंगाल के लोगों की यह काफी समय से मांग रही है कि वहां के मानव चालित दूरभाष केन्द्र को इलेक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र में परिवर्तित किया जाए। धूपगुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, घनी आबादी वाला खण्ड मुख्यालय है। व्यापार के मामले में भूपों का यह मुख्य केन्द्र है। टेलीफोन कनेक्शनों के लिए काफी संख्या में आवेदन पत्र वर्षों से लम्बित पड़े हैं। यह भू-क्षेत्र अनेक चाय बागानों से घिरा हुआ है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उपरोक्त दूरभाष केन्द्र को जल्द से जल्द इलेक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र में परिवर्तित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए।

12.46 बजे

अनुदानों की माँगें (सामान्य) 1994-95 मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान करेगी। श्री चिन्मयानन्द स्वामी जी बोल रहे थे। वह पहले ही चार मिनट तक बोल चुके हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि वह अपनी बात आगे जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (बदायूं) : माननीय सभापति जी, मानव संसाधन मंत्रालय के बजट पर चर्चा गत 29 अप्रैल को प्रारम्भ हुई थी। उस संदर्भ में चर्चा प्रारम्भ करते हुए मैने सदन के सामने यह बात रखी थी कि राष्ट्र की अपनी शिक्षा नीति होनी चाहिए थी। राष्ट्र की सब मामले में अपनी नीति बनी। मेरे कहने का मतलब यह था कि जहां तमाम क्षेत्रों में राष्ट्र ने अपनी नीति बनाई थी, उसके पहले उसको अपनी शिक्षा नीति बना लेनी चाहिए थी। लेकिन उसे बनाने में अनावश्यक विलम्ब हुआ।

1986 में सबसे पहले शिक्षा के सम्बन्ध में चिन्ता की गई और बोर्दिया कमेटी ने एक शिक्षा नीति का दस्तावेज रखा, नीति बनी। लेकिन वह नीति पर्याप्त नहीं समझी गई और उस पर राममूर्ति आयोग बिठाया गया। उस ने भी अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन उसको भी सम्भवत: पर्याप्त नहीं समझा गया। फिर उस पर यशपाल समिति की एक रिपोर्ट आई है। उस पर भी एक समिति बिठाई गई है। समिति-दर-समिति बैठती गई, लेकिन शिक्षा की कोई नीति राष्ट्र के सामने अब तक नहीं आई। शिक्षा की अपनी नीति न होने का परिणाम देश के सामने विकट रूप से खड़ा हुआ है। आज देश के सामने राष्ट्रीय मूल्यों का प्रश्न खड़ा है, मैं समझता हूं उसका एकमात्र कारण राष्ट्र की शिक्षा नीति न होना है। यदि वह होती तो निश्चित ही आज जो राष्ट्रीय मूल्य हमारी विरासत और हमारी संस्कृति को सम्पुष्ट करते हैं वे संदिग्ध न बनते, वे संघर्ष और विवाद के कारण न बनते। आज देश जाति, सम्प्रदाय, भाषा, वर्ग के संघर्ष में इस तरह से पड़ गया है कि आम आर्थिक विकास के मुद्दे पीछे चले गये हैं और ये मुद्दे महत्वपूर्ण हो गये हैं। अगर शिक्षा की सोची-समझी नीति होती और राष्ट्र के विकास के लिए संविधान की भावना के अनुरूप, संविधान के परम्परा के आधार पर शिक्षा की नीति बनाई गई होती तो जो लोग आज 40-45 साल होकर भी राष्ट्र की विरासत के सम्बन्ध में राष्ट्र की धरोहर के सम्बन्ध में, राष्ट्रीय महापुरुषों के सम्बन्ध में अनुचित टिप्पणियां कर रहे हैं, शायद उन्हें यह करने का अवसर नहीं मिलता। अगर वे ऐसा करते तो उन्हें जनसमर्थन नहीं मिलता और जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन दुर्भाग्य है हम आज तक यह तय नहीं कर पाये कि हमारे इतिहास ने हमको महापुरुषों के रूप में किसे दिया है, कौन है हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का, राष्ट्रीय आस्था का प्रतीक।

राष्ट्रीय एकात्मकता को प्रभावित करने वाले कौन महापुरुष हैं। क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्रीय महापुरुष नही थे ? यदि वे महापुरुष हैं तो राष्ट्र उनके सामने नतमस्तक है। आज जब उनके विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की जाती है तो आप इसे किस संदर्भ या दृष्टि से देखना चाहेंगे ? यदि हमारी शिक्षा साफ-सुथरी होती और यह स्पष्ट होती तो कोई व्यक्ति इतना साहस नहीं कर पाता और न इस महान विभूति के विरुद्ध टिप्पणी करता ? हमारे संविधान में राष्ट्रपति और संविधान के विरुद्ध टिप्पणी करने वाले लोगों के लिये ऐसे कानून बने हुये हैं लेकिन राष्ट्रपिता के लिये गलत टिप्पणी करने वाले के विरुद्ध कानून नहीं बनाया गया है। इस सब का कारण हमारी शिक्षा नीति का साफ-सुथरा न होना है। कुछ लोग आज महात्मा गांधी की निन्दा करते हैं और महमूद गज़नवी की महिमा से मंडित करते हैं। परन्तु यह क्यों हो रहा है ? यदि इतिहास को सही दृष्टि दी गयी होती तो राष्ट्र एक ऐसी अव्यवस्था में न चलता और हमारी शिक्षा ऐसे संस्कार और चरित्र देती कि इस देश में पैदा होने वाला हर आदमी राष्ट्र के हर महापुरुष के प्रति नतमस्तक होता और उसके प्रति अपनी श्रद्धा रखता और एक भी कटु शब्द कहने के लिये तैयार नहीं होता।

सभापति महोदया, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना लोकतंत्र की अपनी एक प्रतिष्ठा है लेकिन स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय मूल्यों की अभिव्यक्ति ठीक से न किया जाना इस बात को दर्शाता है कि हमारी शिक्षा नीति साफ-सुथरी नहीं रही। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने छोटे-छोटे बच्चों की शिक्षा के उपेक्षा की और बड़े-बड़े विद्यालय बनाये, उच्च शिक्षा की ओर हमारा ध्यान गया। यदि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को आधार माना जाये तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से बढ़ोत्तरी हुई है, उसके अनुपात में प्राथमिक शिक्षा का इतना विकास नहीं हुआ है। सरकार ने विश्व विद्यालयों के अनुदान देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जिसके अन्तर्गत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गयी लेकिन प्रारम्भिक शिक्षा के लिये, जिसमें कि अक्षर ज्ञान आवश्यक था, उसके लिये कोई साफ नीति नहीं बनायी गयी। मैं यह समझता हूं कि यह भी रोटी की तरह अनिवार्य था।

सभापति महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां 1950-51 में 2 लाख 20 हजार प्राथमिक विद्यालय थे, वहां 1992-93 में इनकी संख्या 5 लाख 72 हजार हो गयी। यह सही है कि यह ढाई गुना वृद्धि है लेकिन तब से आज तक हमारी आबादी भी तो ढाई गुना बढ़ी है। इसका मतलब यह हुआ कि हम जहां थे, वहीं के वही खड़े हुये हैं। इसमें कोई अंतर नहीं आया है। और आज हम दावा कर रहे हैं कि सन 2000 तक सब को शिक्षित कर देंगे। यदि हम 1947 से 1993 तक दृष्टि डालें तो उससे देखने पर मालूम होगा कि कोई जादुई चिराग ही सन् 2000 तक सब को शिक्षित कर देगा। क्या उसमें कोई चमत्कार होने वाला है ? मेरा यह निवेदन है कि हमारा जो ध्यान प्रारम्भिक शिक्षा की ओर जाना चाहिये था वहां एक चिंता पुस्तकों के बारे में होना चाहिये था। हमारे लिये आज पुस्तकें एक अभिशाप बनती जा रही हैं। हमने मान

लिया है कि सारी शिक्षा केवल पुस्तकों से आती है और इन से ही हर तरह का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और बच्चों की शिक्षा के लिये पुस्तकों का बोझ बढ़ा रहे हैं।

सभापति महोदय, यशपाल कमेटी रिपोर्ट में इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गई है कि पुस्तकों का वजन बच्चों के वजन से ज्यादा होता जा रहा है। यह बोझ बच्चों के शरीर के लिये नहीं बल्कि उनके चेतना के विकास के लिये एक अभिशाप सिद्ध होगा। पुस्तकें उनके बीच से हटानी चाहिये। यदि पुस्तकें ही सब कुछ सिखा पाती हैं तो अध्यापकों की आवश्यकता क्यों है, स्कूलों की क्या आवश्यकता है ?

स्कूल और अध्यापक अगर पुस्तकों की संख्या कम नहीं कर सकते तो मैं उनकी प्रासंगिकता पर संदेह व्यक्त करता हूं। मैं समझता हूं कि अगर पुस्तकें ही सब कुछ सिखा सकती तो उनकी वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए पुस्तकों की संख्या कम होनी चाहिये। महात्मा गांधी ने कहा था–Learning by doing–यानी खेलते हुये सीखो, कुछ करते हुये सीखो, गाते हुये सीखो, खेतों में जाकर सीखो। हमने अपने पर्यावरण से, अपने परिवार से, अपने चारों ओर के माहौल से कुछ सीखने की पद्धति विकसित नहीं की। यदि हमने कोई पद्धति विकसित की होती तो आज हमारे बच्चे पुस्तकों के बोझ के नीचे न दबते और इतने वर्षों के बाद यशपाल जी जैसे शिक्षाविद को ऐसी चिन्ता न व्यक्त करनी पड़ती कि पुस्तकों का बोझ हमारी भावी पीढ़ी पर एक अभिशाप बनकर उतर रहा है। हमें चिन्ता होनी चाहिये लेकिन केवल चिन्ता करने से काम नहीं चलेगा। वह पद्धति कौन सी होगी जिसके माध्यम से हम नदी की परिभाषा नदी के किनारे खड़े होकर बच्चों को समझा सकें, पहाड़ क्या है, उसे पहाड़ के किनारे खड़े होकर समझा सकें। बड़े ताज्जुब की बात है कि कृषि की समझाने के लिये हम बच्चों को प्रयोगशाला तो ले जाते हैं लेकिन प्रकृति की खुली प्रयोगशाला में खड़े होकर बच्चे कृषि सीखें, इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। कम्प्यूटर की चिन्ता हमें है। कम्प्यूटर बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय चुनौती है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिये लेकिन उससे हम जो कुछ सीखे वह वैज्ञानिक शिक्षा के लिये, तकनीकी शिक्षा के लिये सीखें। कृषि इस देश में 80 फीसदी लोगों की जीविका है उसे सीखने के लिये कम्प्यूटर की प्रासंगिकता पर जोर न देकर यदि बच्चों को खेतों में काम करते हुये खेतों के बारे में सीखने पर जोर देते, खेती के बारे में वे जानते, पशुओं, मछलियों, पेड़, पहाड़ और नदियों के बारे में जानते, प्रकृति के विभिन्न रूपों से परिचय कराते हुये, बच्चों को उनका ज्ञान देने के लिए सीधी सी कोई पद्धति बनायी जाती तो वह हमारे लिये अधिक उपयोगी होती। इस दिशा में न तो हमारी नई शिक्षा नीति में कोई संकेत है और न मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जो दस्तावेज हमें उपलब्ध कराये गये हैं, उनमें कोई संकेत है।

अभी तक शिक्षा का कार्य केन्द्र सरकार राज्यों के सहयोग से चला रही है हमारे देश में 1987 से एक नई स्कीम "ऑपरेशन ब्लैक-बोर्ड" के नाम से शुरू की गयी थी। जहां तक मैं समझता हूं वह एक अच्छी योजना थी। उसको प्रभावी ढंग से चलाने के लिये केन्द्र जो सहायता राज्यों को दे

रहा है, चाहिये तो यह था कि उसकी मॉनिटरिंग की जाती लेकिन ऐसा न होने के कारण आज वह योजना एक मजाक बन कर रह गयी है। हम लोग जिस क्षेत्र में आते हैं, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां यह योजना मात्र एक कागजी बनकर रह गयी है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना से उन लोगों के गांव स्तर पर, पुर्वे स्तर पर, जंगल स्तर पर, कोई लाभ नहीं मिल रहा है जिनके लिये इसे शुरू किया गया था। इस क्षेत्र में एक प्रयोग बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने "चरवाहा विद्यालय" के नाम से शुरू किया है जिसकी सोच बहुत अच्छी है, जिस पर किसी को संदेह नहीं हो सकता। उसमें व्यवस्था है कि लोग करते हुये कुछ सीखें लेकिन केवल सोच ही काफी नहीं होती। यदि उसके पीछे संकल्प होता तो निश्चित रूप से उसे प्रभावकारी ढंग से चलाया जा सकता था परन्तु वैसा नहीं हुआ। हम किसी योजना की व्यापकता इस ढंग से बनायें कि लोग पशुओं के साथ रहकर, पक्षियों के साथ रहकर पढ़ सकें। हम लोगों की एक गैर-सरकारी संस्था "विद्या भारती" है जिसके अंतर्गत वनवासी क्षेत्रों में एक-एक विद्यालय चल रहा है, वनवासी क्षेत्र में वन टीचर स्कूल चला रहे हैं जिसमें एक आदमी होता है जो गांवों में जाकर रहता है और उनके साथ मिल-बैठकर, जब उन्हें फुरसत होती है और वे पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ाता है। आज से दो साल पहले वह स्कीम शुरू की गयी थी और इन दो सालों में संथाल परगना जिले में ही पढ़ाने वालों की संख्या 750 तक पहुंच गयी है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह इस योजना को व्यापक रूप देने में हमने कामयाबी पाई है।

13.00 बजे

सरकार इस स्कीम के साथ अपना दृढ़ संकल्प जोड़े, तो हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को प्रभावी बना सकते हैं। वह बन सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि वह एक सरकारी रोजगार की संस्था बन कर रह जाती है और उससे जुड़े हुए अध्यापक केवल उससे रोजी अर्जित करते हैं। उससे केवल अपनी नौकरी चलाते हैं, लेकिन बच्चों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी होती है, उसे किसी सीमा तक महसूस नहीं करते।

माननीय महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के अन्तर्गत चलने वाले विद्यालयों की स्थिति यह है कि उनमें छात्रों का प्रवेश तो होता है, लेकिन परीक्षा तक उनकी संख्या वह नहीं रहती जो प्रवेश के समय होती है। उनकी संख्या निरन्तर घटती है क्योंकि उनको कोई आकर्षण अनुभव नहीं होता है। क्या कारण है कि बच्चे प्रवेश तो लेते हैं लेकिन विद्यालय में कोई आकर्षण नहीं है जिससे वे महसूस कर सकें कि हमें यहां होना चाहिए। इन स्कूलों की स्थिति तो यह बननी चाहिए, शिक्षा को इतना आकर्षक बनाना चाहिए, इतना रुचिकर बनाना चाहिए कि बच्चे अपने घर से ज्यादा स्कूल को पसन्द करें। अध्यापक से लगाव महसूस करें और जब तक वह अध्यापक से, शिक्षक से लगाव महसूस नहीं कर सकेंगे तब तक वह कुछ सीख सकेगा, ऐसा पक्का नहीं कहा जा सकता क्योंकि हम सीखते वहीं से हैं जहां से लगाव महसूस करते हैं। जहां से लगाव होता है

वहां से हम सरलता से सीख लेते हैं और सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है लेकिन टीचर एंड टाट के बीच में, शिक्षक और छात्र के बीच में जो सम्बन्ध होना चाहिए वह सरकारी सम्बन्ध बनकर रह गया है। वह केवल नौकरी का सम्बन्ध बनकर रह गया है। वह केवल जीविका का सम्बन्ध बनकर रह गया है। वह जीवन का सम्बन्ध नहीं बना है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य मध्याह्न भोजन के बाद अपना वक्तव्य जारी रखेंगे, अब हम मध्याह्न भोजन के लिए सभा को स्थगित करते ।

सभा 2.05 म० प० बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 2.05 म० प० तक मध्याह्न के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 02.15 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुई)

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1994-95

मानव संसाधन विकास मंत्रालय-जारी

सभापति महोदय : अब श्री चिन्मयानन्द स्वामी आगे बोलें।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (बदायूं) : माननीय सभापति महोदया, मैं प्रारम्भिक शिक्षा पर चर्चा कर रहा था। मैंने लंच पूर्व निवेदन किया था कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा प्रारम्भिक क्षेत्र में जो कार्य होना चाहिए था और जहां तक यह योजना पहुंचनी चाहिये थे, और जिन लोगों के लिए यह योजना तैयार की गई थी, जहां तक यह योजना नहीं पहुंच पाई और उसका वह परिणाम नहीं आ पा रहा है। इसमें मुझे लगता है कि यदि केन्द्र और राज्य के बीच में निरन्तर इस योजना की समीक्षा होती रहती और उसकी मोनेटरिंग की एक उचित व्यवस्था होती तो उसको और प्रभावी बनाया जा सकता था।

इस योजना के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि इस योजना में कुछ और जोड़ा जा सकता है, कुछ और सोचा जा सकता है। जैसे मैंने दो उदाहरण दिये कि एक बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया चरवाहा विद्यालय और एक निजी संख्या के द्वारा चालू किया गया 1 टीचर स्कूल। यह दोनों इसी पैमाने के, इसी धरातल के दो और प्रयोग हैं। इन प्रयोगों को जोड़कर अगर देखा गया होता तो निश्चित ही हम आपरेशन ब्लैक बोर्ड की ओर भी व्यापक और प्रभावी बना सकते थे। मैं इसी संदर्भ में निवेदन कर रहा था कि पुस्तकों की आवश्यकता प्रारम्भिक शिक्षा में कम होनी चाहिए और इस

सीमा तक कम होनी चाहिए कि पुस्तक शिक्षक और छात्र के बीच में एक बहुत बड़ी आवश्यकता न बने। वह केवल एक साधारण और सामान्य माध्यम बने। अगर ऐसा होता तो निश्चित ही शिक्षकों की रुचि छात्रों में होती और छात्रों की रुचि शिक्षकों में होती और दोनों मिलकर शिक्षा को रुचिपूर्ण बनाते तो जो बच्चे एक बार विद्यालय में प्रवेश लेते, वह निरन्तर आगे विद्यालय में आते और इस शिकायत का मौका न मिलता कि विद्यालयों में छात्रों की संख्या निरन्तर घट जाती है और छोटे बच्चे नहीं आते।

एक कारण और है। यह छोटे-छोटे बच्चे, जिनके लिए यह आपरेशन ब्लैक बोर्ड बनाया गया है। यह उन परिवारों से आते हैं, जहां परिवार के प्रमुख इन बच्चों का उपयोग जीविका अर्जित करने के लिए करते हैं और बचपन में ही इन्हें मजदूरी के काम में लगा देते हैं। परिणाम यह होता है कि वह शिक्षा को अपनी रोटी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते और उन्हें रोटी की भूख होती है इसलिए वह उसे जुटाने में लग जाते हैं। यह रोटी जुटाने का क्रम इस देश में इतना वीभत्स है कि कहीं हमारे देश में वह कोयला बीन रहे होते हैं, कहीं कागज बीन रहे होते हैं, कहीं रद्दी बीन रहे होते हैं और की सड़कों पर और स्टेशनों पर भीख मांग रहे होते हैं। मतलब यह है कि उनके सामने जीविका का जो संकट बचपन में ही पैदा हो जाता है, वह उसको महत्वपूर्ण मानकर जीवन के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। अगर योजना बनाते समय यह व्यवस्था हुई कि इन बच्चों के आहार की व्यवस्था हो। आहार योजना जो भी बनाई गई, वह प्रभावी सिद्ध नहीं हुई। उनके भोजन का प्रबन्ध वहां होता और वह वहां से भोजन पाते तो निश्चित ही है कि वह पढ़ने भी जाते और वहां उनके जीवन का रास्ता भी आगे बढ़ता।

एक बात मैं इस संदर्भ में और भी जोड़ना चाहूंगा कि एक ओर जहां सरकार की ओर से आपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे योजनाऐं चलाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ निजी संस्थाओं के द्वारा कान्वेंट स्कूल और तरह-तरह के निजी स्कूल चलाये जाते हैं, जिनमें शिक्षा बहुत महंगी है। मैं एक स्कूल की बात करूं, नाम लिये बिना मैं उस स्कूल के बारे में कहना चाहता हूं। मसूरी में एक स्कूल चल रहा है, जिसकी सालाना फीस 72,000 रुपये है। 72,000 रुपये देकर उन्हीं कक्षाओं में वह बच्चे पढ़ने जाते हैं, जिन कक्षाओं में पढ़ने के लिए उसे अपनी रोटी की भी जरूरत बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जब एक ही देश में दो तरह की शिक्षा और वह भी प्रारम्भिक स्तर पर चल रही हो तो यह देश के लिए चिन्ता का विषय नहीं है तो क्या है ? देश के लोग इसकी चिन्ता नहीं करते हैं तो करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो उन दोनों विद्यालयों से निकलने वाले लोग दो अलग-अलग मानसिकता के होंगे। एक वह होंगे, जो देश में समृद्धि की बात करेंगे और एक वह होंगे, जो गरीबी के त्रास से त्रस्त होकर कुंठित होंगे, फ्रस्ट्रेटिड होंगे और उनके द्वारा क्या होगा, यह नहीं कहा जा सकता है।

दोहरी शिक्षा प्रणाली क्यों चल रही है। मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने प्रयास से आठवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर ज्यादा बजट बढ़ाया

है, कुल बजट 3.5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत किया है मैं समझता हूं कि आगे उन जरूरतों को पूरा करने के लिए वह कोशिश करेंगे। लेकिन बजट का कितना हिस्सा प्रारम्भिक शिक्षा पर जाता है। प्रारम्भिक शिक्षा पर अगर बजट अधिक खर्च नहीं किया गया तो आनुपातिक दृष्टि से परिणाम बड़ा गलत होगा तो इसलिए यह प्रारम्भिक शिक्षा इस देश की बुनियादी शिक्षा के रूप में, राष्ट्रीय आवश्यकता के रूप में खड़ी होनी चाहिए। यह पूरी तरह राज्यों के तहत नहीं छोड़नी चाहिए। मैं पीड़ित मन से कहना चाहता हूं, कुछ राज्य प्रारम्भिक शिक्षा के महत्व से बिल्कुल इन्कार करते हैं। वह उसके महत्व को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि उसकी बड़ी उपेक्षा करते हैं। चाहिए यह कि राज्यों के मंत्री आपस में बैठ कर इस बारे में कुछ करें, जिससे कि वे प्रारम्भिक शिक्षा के महत्व को मानकर चलें।

माननीया, अब मैं माध्यमिक शिक्षा की ओर आता हूं। माध्यमिक शिक्षा हमारे यहां ज्यादातर जिलों में एक या दो सरकारी कालेज होते हैं और बाकी निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं। जहां तक हमारे उत्तर प्रदेश की बात है, एक जिले में एक सरकारी कालेज या दो सरकारी कालेज होते हैं और बाकी निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं, जिनको सरकार से अनुदान या सहायता मिलती है। माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी वही बात आ जाती है, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में जो पाठ्यक्रम दिए जाते हैं, उन पाठ्यक्रमों में उनकी उम्र के हिसाब से समाज से, राष्ट्र से और समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं से कितना जुड़ पाते हैं या कितना जुड़ते हैं उनका किशोर मन, उनका करुण होता मन कितना जुड़ पाता है और वे व्यावसायिक चुनौतियों को कितना स्वीकार कर पाते हैं। इसकी चिंता नहीं की जाती इधर नई शिक्षा योजना स्वीकार होने के बाद व्यावसायिक शिक्षा की बात जोड़ी गई है। व्यावसायिक शिक्षा से कुछ स्कूलों में कुछ तकनीकी शिक्षा शुरू की गई है। मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे यहां एक विद्यालय में 1991 में व्यावसायिक शिक्षा की स्वीकृति दी गई और आज 1994 बीत रहा है, लेकिन आपके द्वारा स्वीकृत अनुदान पूरी तरह से नहीं उपलब्ध कराया गया है। कक्षा भी नहीं शुरू हो पाई है। माध्यमिक शिक्षा में जिस व्यावसायिकता की बात कही गई है, वह व्यावसायिकता कहीं तो फोटोग्राफी की है, कहीं टाइपिंग है और कहीं कुछ इस तरह की है कि जैसे उनको कलर्क बनाया जा रहा है या बाजार के लिए मजदूर बनाया जा रहा है। हम यह बात भूल जाते हैं, जब हमने शिक्षा की व्यावसायिकता की बात उठाई, तो कृषि को भी उससे जोड़ा जाता। ऐसे कितने जिलों में विद्यालय हैं, जहां माध्यमिक विद्यालयों में कृषि पढ़ाई जाती हो। ऐसे कई नगर या जनपद है, जहां माध्यमिक शिक्षा में कृषि की शिक्षा होती ही नहीं है। मैं जिस जनपद में आता हूं, मैं जानता हूं, वहां एक भी विद्यालय नहीं है, जहां माध्यमिक स्तर पर कृषि की शिक्षा दी जाती हो। कृषि हमारे देश की चुनौती है। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वहां की स्थानीय परिस्थितियो के अनुसार उनको कृषि की शिक्षा मिलनी चाहिए। उस शिक्षा प्रणाली में जो भी सुधार लाने की आवश्यकता हो, उसको किया जाना चाहिए। इसी तरह से वनवासी पिछड़े क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में वहां भी कृषि के अतिरिक्त दूसरे जैसे फल संरक्षण, फूल संरक्षण या दूसरी जो कृषि की चीजें हैं, उनकी भी शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था अगर माध्यमिक स्तर पर हो, और इसको प्रभावी

ढंग से खड़ा किया जाए। बच्चे जिन गांवों में आते हैं, जिन मौहल्लों से आते हैं वहां चलने वाली परम्परागत चीजों को सीखकर वे अपने ही धन्धों में लग सकते हैं। उनको हाईस्कूल के सर्टीफिकेट की भी आवश्यकता नहीं है और रोजगार के दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगायेंगे। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए।

मैं उच्च शिक्षा की बात करने से पहले यह कहना चाहूंगा कि व्यक्ति का विकास शैक्षिक दृष्टि से तीन तलों पर होता—एक शारीरिक स्तर, दूसरा मानसिक स्तर और तीसरा बौद्धिक स्तर। तीन तलों से आदमी बनता है – एक तन, दूसरा मन और तीसरा बुद्धि। तन के विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए हमें बचपन से चिन्ता करनी चाहिए। मैं कह सकता हूं कि आज की दोहरी शिक्षा प्रणाली के तहत कान्वेंट स्कूलों में तीन साल की आयु के बच्चे चले जाते हैं। ये उसी तरह से पैक करके भेजे जाते हैं, जिस प्रकार से मॉडर्न ब्रैड पैक करके भेजी जाती है। उनको हवा भी ठीक से नहीं मिल पाती है। खूल-कूद क्या चीज हैं, उनको कुछ भी पता नहीं होता है। वे जानते हैं क्रिकेट, जो कि एक अन्तर्राष्ट्रीय खेल है। वे जानते हैं बैडमिन्टन, जो कि एक अन्तर्राष्ट्रीय खेल है। लेकिन जिससे उनके शरीर का विकास हो सके, इस योग शिक्षा की चिन्ता नई शिक्षा नीति में तो की गई है, ऐसा पहले कुछ भी नहीं था। मुझे याद है, बहुत पहले केन्द्रीय विद्यालयों में, अन्य विद्यालयों में योग शिक्षा के लिए योग शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन लगता है कि वह योजना कहीं पर पीछे छूट गई है। मैं पूछता हूं, आज कितने विद्यालयों में योग शिक्षक है ? हमारे जनपद में चलने वाले किसी भी विद्यालय में योग शिक्षक हों, ऐसा दिखाई नहीं देता है। केन्द्रीय विद्यालयों में योग शिक्षक रखने की बात की गई है। माननीय मंत्री जी बता सकेंगे कि कितने केन्द्रीय विद्यालयों में योग शिक्षक काम कर रहे हैं ? शरीर का सम्पूर्ण विकास नैसर्गिक पद्धति से हो, प्राकृतिक पद्धति से हो भारतीय पद्धति से हो। इनका इन्तजाम करेंगे।

अगर हम योग को बचपन से बच्चों के विकास से जोड़ें तो निश्चय ही इनके शरीर का विकास इस तरह से होगा कि न केवल उनका शरीर विकसित होगा बल्कि उसके साथ-साथ उनका मन भी विकसित होगा और जब तन-मन विकसित होगा तो उनके बुद्धि का विकास रुक नहीं सकता है, निरंतर होता रहेगा। हम योग की शिक्षा को महत्व दें। जहां तक हमने बजट में देखा है योग शिक्षा के लिए कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं दिया गया है, जितना पिछले साल स्वीकृत किया गया था लगभग उतना ही इस साल भी स्वीकृत किया गया है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

महोदय, तीसरी बात यह आती है कि हम किशोरों के मन में राष्ट्रीय भावना पैदा करने के लिए खेल को अपने माध्यमिक स्तर पर किस तरह से अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ पाते हैं। गांवों में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पीटीआई, या स्पोर्टस टीचर नहीं है। हम अलग से स्टेडियम बनाए, स्पोर्ट्स कोच चलाएं, अलग से ये सब करें यह तो अपनी जगह ठीक है लेकिन क्या स्कूलों को भी खेल के मैदान के रूप में मजबूत नहीं किया जा सकता। क्या हर स्कूल में खेल अनिवार्य नहीं किया

जा सकता। मेरा कहना यह है कि यह प्राइमरी से ही शुरू किया जाना चाहिये, इस तरफ शुरू से ही ध्यान दिया जाना चाहिये।

महोदया, इसके साथ-साथ अभी हमारी सरकार की ओर से युवकों के अंदर राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने के लिए, निर्माण करने के लिये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिन संगठनों को इन कार्यक्रमों के लिए सरकार अनुदान देती है उन संगठनों के द्वारा जो कार्यक्रम होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रीय चेतना का निर्माण किस तरह होता है उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है इसमें पेज संख्या 28 के बाद एक चित्र लगा हुआ है उसमें नेहरू युवक केन्द्र के द्वारा एक कार्यक्रम कहीं प्रस्तुत किया गया है जिसे एक विभाग की एक उपलब्धि के रूप में इस सरकारी रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है जिसमें राष्ट्रीय झंडा उल्टा लगाया गया है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम इन कार्यक्रमों और केन्द्रों को जो धन देते हैं उनका कितना सदुपयोग होता है। यह सरकारी रिपोर्ट है और हमारे होनहार मंत्री माननीय वासनिक जी के विभाग से संबंधित है। यह उल्टा झंटा तो लगा हुआ ही है, यह तो है ही इसके साथ है उसे सरकारी रिपोर्ट में छाती ठोक कर प्रकाशित किया गया कि हम गलती करते हैं और छाती ठोक कर गल्ती करते हैं। हम उस पर कोई नजर नहीं रखते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही सरकारी वित्त पोषित संस्था 'सहमत' द्वारा प्रस्तुत एक पोस्टर को लेकर सदन में हंगामा हुआ था। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महसूस किया कि गलती हो गयी थी, लेकिन क्या माननीय मंत्री जी इस गलती को भी स्वीकार करेंगे कि यह इस तरह गलत हो गया है। हम जिन संगठनों को पैसा देते हैं वे संगठन उस पैसे को कहां खर्च करते हैं, किस तरह खर्च करते हैं, उससे कितना राष्ट्रीय चरित्र निर्मित होता है, इस तरफ हमारा ध्यान जाता है या नहीं जाता है।

महोदया, जहां तक विश्वविद्यालयों में शिक्षा की बात है, विश्वविद्यालयों में शिक्षा की क्या स्थिति है। माननीय मंत्री जी की ओर से जवाब आया था कि 32 विश्वविद्यालय एक प्रांत में फर्जी चल रहे हैं तो जिस देश में फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हों आश्चर्य है कि इनके द्वारा मिली हुई डिग्रियों का क्या अंजाम होता होगा और उसकी युवा पीढ़ी पर क्या असर पड़ता होगा। वहां से ली गई डिग्री का क्या उपयोग वे राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण में करते होंगे तथा देश के निर्माण में करते होंगे। क्या हम इस पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते हैं ? जहां पर सरकार की आंखों के सामने 32-32 विश्वविद्यालय फर्जी चलें और उन पर अंकुश न लग सकें क्या अफसोसजनक नहीं है। आज विश्वविद्यालयों की स्थिति यह है कि कोई भी परीक्षा समय से नहीं हो पा रही है। आज 89 की परीक्षा 91 में हो रही है, 90 की परीक्षा 92 में हो रही है। 2-2, 3-3 साल तक परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। शायद ही कोई विश्वविद्यालय ऐसा हो जिसकी परीक्षाएं नियमित समय पर होती हों, इन पर नियंत्रण क्यों नहीं, परीक्षा एवं शिक्षा का बड़ा गहरा संबंध है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां परीक्षा को लेकर लोग अब राजनीति करने लगे हैं। परीक्षा

को जो नैतिक प्रश्न बना कर चलना चाहिये उसे आज राजनैतिक प्रश्न बना दिया गया है। परीक्षा ही शिक्षा की कसौटी है जब तक परीक्षा पवित्र नहीं होगी तब तक शिक्षा पवित्र नहीं हो सकती। हम जब तक परीक्षा को कठोर नहीं बनाएंगे तब तक शिक्षा में अनुशासन नहीं आ सकता है। जहां शिक्षा में अकल की जरूरत है वहां शिक्षा में नकल की जरूरत महसूस की जा रही है।

अब यह सोचना होगा कि परीक्षा अकल से होगी या नकल से होगी। यदि अकल से होगी तो परीक्षा को प्रामाणिक बनाना होगा और यदि नकल से होती है तो फिर आप दरवाजे खोल दीजिए, चाहे जैसे परीक्षाएं करवाइए।

सभापति महोदय, एक बात विश्वविद्यालयों के बारे में और भी कहना चाहूंगा। एक डॉ० अंबेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात की गई थी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार ने जमीन भी उपलब्ध करवा दी थी, इस बारे में केन्द्र सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, यह मैं जानना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में बताएं कि उत्तर प्रदेश में डॉ० अंबेडकर केन्द्रीय विश्व विद्यालय की क्या स्थिति है और अब तक वह विश्वविद्यालय क्यों कायम नहीं हो पाया है।

सभापति महोदय, मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि शिक्षा का राष्ट्रीय चरित्र राष्ट्र के सामने आना चाहिए, शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

अंत में पाठ्य-पुस्तकों के बारे में एक बात कहूंगा। पाठ्य पुस्तकों के बारे में सरकार को चिंता करनी चाहिए। पुस्तकों में जो सामग्री छपती है, उसके बारे में एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। चाहे किसी भी क्षेत्र की या किसी भी राज्य की पुस्तकें हो, उनके लिए एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए कि हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और पुस्तकें कब, कहां, किस मात्रा में और किस कीमत पर उपलब्ध होंगी, इसकी चिंता होनी चाहिए। आज अलग-अलग एजेंसीज पुस्तकें छापती हैं और एनसीईआरटी के समानान्तर कई संगठन खड़े हो गए हैं जो पुस्तकें छापकर महंगे दामों पर बेचते हैं, जिनको खरीदना आप आदमी के लिए कठिन होता है। कहने का तात्पर्य है कि चाहे पुस्तकें हों, पाठ्यक्रम हो, परीक्षाएं हों, इन सब के बारे में एक राष्ट्रीय नीति चिंतन की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि वर्तमान मंत्रीमंडल के सबसे जिम्मेदार मंत्री समझे जाने वाले माननीय अर्जुन सिंह जी के पास यह विभाग है और जैसे अन्य मामलों के बारे में वे गंभीरता से सोचते हैं, इन विषयों के बारे में भी वे गंभीरता से विचार करेंगे। मैं मानता हूं कि संस्कृति नीति, शिक्षा नीति के बारे में उन्होंने काफी कुछ किया है, लेकिन परिणाम अभी तक सामने नहीं आए हैं, संस्कृति नीति पर बहस चल रही है, लेकिन अभी तक यह नीति निर्मित नहीं हो पाई है, शिक्षा नीति भी बीच में पड़ी हुई है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि अपने कार्यकाल में इस नीति को राष्ट्र को सौंप दें और राष्ट्र को गौरव प्रदान करें। जो देश इतने वर्षों से बिना शिक्षा नीति के चल रहा था, जिस देश की सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक विरासत गौरव-गरिमा की रही है, उसके लिए संस्कृति नीति और शिक्षा नीति प्रदान करें, यह बहुत आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री अपने उत्तर में इन प्रश्नों के उत्तर देकर

हमको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[अनुवाद]

डा० वसंत पवार (नासिक) : सभापति महोदया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान माँगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिये जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

मानव संसाधन विकास संबंधी विषय काफी विस्तृत विषय है। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान माँगों का समर्थन कर रहा हूँ।

चूँकि यह एक काफी विस्तृत विषय है, अतएव मैं केवल युवा गतिविधियों तथा खेलों तक ही अपना वक्तव्य सीमित रखूँगा। जहाँ तक वर्ष 1994-95 के बजट आवंटनों का संबंध है, लगभग 10.48 करोड़ रू० की आँशिक वृद्धि हुई है। वास्तव में जनगणना रिपोर्ट के अनुसार युवाओं की जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन बजट आबंटन उसके अनुपात में नहीं है।

युवा और खेल गतिविधियों के तहत में एक बहुत ही अच्छी गतिविधि राष्ट्रीय समाज सेवा (एन० एस० एस०) आरंभ की गई थी अब हम इसका रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। इस गतिविधि में 159 विश्वविद्यालयों तथा लगभग सात हजार महाविद्यालयों को शामिल किया गया है। इस गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को विशेषकर वैयक्तिक विकास, राष्ट्रीय अखंडता तथा मूल्यों का विकास आदि विषय पढ़ाए जाते हैं जोकि काफी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इस राष्ट्रीय समाज सेवा के लिए एक निगरानी प्रणाली भी होनी चाहिए। हमारे देश में लगभग 12 लाख राष्ट्रीय समाज सेवा के स्वयंसेवक हैं और अभी भी सभी महाविद्यालय यह माँग कर रहे हैं कि और स्वयं सेवक तथा अधिक अनुदान होना चाहिए। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे देखें कि इस गतिविधि को और कारगर बनाया जाए तथा इसके लिए और अधिक बजटीय प्रावधान किए जाएं।

राष्ट्रीय युवा केन्द्रों के बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि ये आम युवाओं (गैर-विद्यार्थी) की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। देश में लगभग 448 केन्द्र हैं। वे अच्छा काम कर रहे हैं।

इस वर्ष स्वर्गीय राजीव गाँधी की 50वीं वर्षगांठ है तथा इस 50वीं वर्ष गाँठ को मनाने के लिए मंत्रालय ने पूरे देश में युवा महोत्सव मनाने हेतु उचित प्रकार से योजना बनाई है। ये महोत्सव मंडल स्तर से आरंभ होकर राज्यस्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी जो कि स्वामी विवेकानन्द की वर्षगांठ है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। राष्ट्रीय युवा केन्द्रों को आदिवासी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक संशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए बजटीय आबंटन अधिक होने चाहिए तथा बेहतर परिणाम देने के लिए इस योजना को कारगर बनाया जाना चाहिए।

युवा विभाग का एक अन्य कार्य उन स्वैच्छिक संगठनों की सहायता करना है जो युवा कार्यक्रमों की आयोजना कर रहे हैं। ऐसे बहुत से अच्छे संगठन हैं जो युवा गतिविधियों हेतु अपना समय दे रहे हैं तथा इन गतिविधियों को संगठित कर रहे हैं। युवा हमारे देश की आशा हैं और यदि हम उनका उचित प्रकार से मार्गनिर्देशन करते हैं तो वे निश्चित रूप से राष्ट्रनिर्माण में भाग लेंगे। इन स्वैच्छिक संगठनों के लिए लगभग 55 लाख रु. आबंटित किए गए हैं। इसमें भी पर्याप्त रूप से वृद्धि करनी होगी ताकि स्वैच्छिक संगठनों को इन युवा कार्यक्रमों को संगठित करने में कुछ सहायता मिल सके।

महोदया, अब मैं स्काउटिंग और गाइडिंग के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। यह वास्तव में 'कैच देम यंग' कार्यक्रम विद्यालयों में युवा विद्यार्थियों, लड़के और लड़कियों के लिए हैं। यह स्काउटिंग और गाइडिंग गतिविधि पूरे देश में लगभग अस्सी हजार विद्यार्थियों के लिए है तथा इसे और भी अधिक कारगर बनाया जाना चाहिए। हाल ही में अनेक विद्यालय खोले गए हैं और अभी भी यह माँग की गई है कि यह स्काउटिंग और गाइडिंग यूनिट सभी विद्यालयों को दी जानी चाहिए।

महोदया, अब मैं खेलों के बारे में कुछ कहूँगा खेल राज्यसूची में आते हैं। मेरे विचार मे इन्हें समवर्ती सूची में लाया जाना चाहिए क्योंकि केन्द्र सरकार का कर्तव्य उन्हें केवल कुछ अनुदान देने तक सीमित है। खेल विभाग में किसी प्रकार की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की जाती है। सभी संघ अपने कार्यक्रमों का प्रबंधन कर रहे हैं तथा उनके अपने चुनाव हैं। सभी संघों के अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं। यदि कुछ गलत हो जाता है, और यदि मैडल नहीं मिलते तो प्रत्येक व्यक्ति केन्द्र सरकार को अर्थात् खेल मंत्री को दोष देता है लेकिन उनके पास इसे नियंत्रण करने की तथा खेल क्षेत्र में उत्तरदायित्व निर्धारित करने की शक्ति नहीं है। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूँगा कि वे इस विषय को समवर्ती सूची में ले आएं और खेलों के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं एक उदाहरण दूँगा। हम आधारभूत सुविधाओं का समर्थन कर रहे हैं। हमारी राजधानी में इंदिरागांधी स्टेडियम है। मेरे विचार से यह भारतीय खेल प्राधिकरण के अधीन हैं। स्टेडियम के लिए पहले ही काफी निवेश किया जा चुका है। लगभग 1500 विद्यार्थी वहाँ रह सकते हैं। लेकिन अब सरकार के समक्ष यह समस्या है कि इन सभी स्टेडियम का प्रबंधन कैसे किया जाए। स्टेडियमों के रख-रखाव के लिए 6 करोड़ रु. की राशि संस्वीकृत की गई है तथा राज्य सरकारों द्वारा करों के रूप में 3 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया जा रहा है। अब केन्द्र सरकार एक योजना लाई है कि यदि कोई उद्योग खेल संबंधी गतिविधियों में निवेश करता है तो उसे शत प्रतिशत छूट मिलेगी। लेकिन राज्य सरकारें अपने कर लगा रही हैं। अत: हमें कुछ करना होगा। हमें राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहिए कि उन्हें स्टेडियमों पर तथा खेलों की आधारभूत सुविधाओं पर कर नहीं लगाना चाहिए तथा वे भी खेल संबंधी गतिविधियों में कुछ योगदान दे सकती हैं। मुझे पता चला है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में 1500 कमरे हैं। अब प्रश्न यह है कि उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। अत: अब वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इसे होस्टल में बदल दिया जाए।

अब इस पर फिर से विचार किया जा रहा है तथा वे सोच रहे हैं कि होस्टल के स्थान पर वहाँ एक अस्पताल बना दिया जाए। यदि इस प्रकार की बातें होती हैं तो मेरे विचार से यदि हम आधारभूत सुविधाएं सृजित करते हैं तो इससे हमारे देश के युवाओं को भी सहायता नहीं मिलेगी।

खेलों के लिए लगभग 71 करोड़ रु० का बजट है जो कि बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को यह घोषणा करने के लिए धन्यवाद देता हूँ कि अगली योजना में मानव संसाधन विकास के लिए यह बजट जी डी पी का छः प्रतिशत होगा।

लेकिन साथ ही खेल संबंधी गतिविधियों के बजट में भी अवश्य सुधार किया जाना चाहिए। ग्रामीण खेल टूर्नामेंट के लिए केवल 1 करोड़ रु० का बजट है। इन टूर्नामेंट्स में ग्रामीण युवा किस प्रकार भाग लेंगे ? मैं नहीं जानता कि इतने बड़े देश में केवल 1 करोड़ रु० से वे किस प्रकार टूर्नामेंट करवायेंगे। खेल के मैदानों के विकास संबंधी (प्लेयिंग-फील्ट डेवलपमेंट) प्रोग्राम के लिए भी बजट 1 करोड़ रु० है तथा शर्त यह है कि प्रत्येक विद्यालय को अपने खेल के मैदान के विकास के लिए 1 लाख रु० मिलेगा। इसका यह अर्थ हुआ कि हमारे देश में एक हजार विद्यालयों में से केवल 100 विद्यालयों को अपने खेल के मैदान के विकास के लिए 1 लाख रु० मिलेगा।

[अनुवाद]

शेष विद्यालयों की क्या स्थिति है ? अतः, हमें सही दिशा में विचार करना है ताकि ग्रामीण खेलों के लिए आधारभूत सुविधाएं निश्चित रूप से जुटाई जा सकें।

खेलकूद के लिए कई इनाम हैं और लोगों को इनाम मिल रहे हैं। युवाओं को दूसरे देशों में भी भेजने का कार्यक्रम है।, हम यूथ हॉस्टल के लिए भी अनुदान दे रहे हैं और ये बहुत अच्छे चल रहे हैं। परंतु मेरे विचार से खेलकूद का माहौल बनाने के लिए सरकार के पास एक ठोस योजना होनी चाहिए। विद्यार्थियों को खेलकूद को अपना पेशा बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। विद्यार्थी खेलकूद को अपना पेशा बनाने के लिए बिलकुल भी तैयार नहीं हैं। क्योंकि वे पुराने खिलाड़ियों की कठिनाइयों को स्वयं देख रहे हैं। क्योंकि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, वे भूखों मर रहे हैं। अतः हमें इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि हमारे देश में खेलकूद का अच्छा माहौल हो और इस तरह राष्ट्र निर्माण हेतु हम हमारे देश में युवाओं का पथ-प्रदर्शन कर पाएंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : आदरणीय सभापति महोदया, शिक्षा और संस्कृति किसी भी देश के विकास का पैमाना होता है। आजादी के पहले की गौरवपूर्ण बातें, जो हमारे इतिहास के पन्नों में आदिकाल, मध्यकाल से लेकर हमारे आजाद होने तक की कहानी से जुड़ी हुई हैं। हमारे उस समय के ज्ञान-विज्ञान की कहानियां, कलाओं की गाथायें और आज की दशा क्या है। जब पूरे 47 वर्ष हो गये हैं हमें आजाद हुए और एक ऐसी सरकार बनाये हुए जिसको हमने कहा कि हमारी बनाई

सरकार है, हमने बनाई है और यह हमारी सरकार है, ऐसी सरकार में साक्षर होने की बात, मैं शिक्षित होने की बात को उससे अलग होने की बात समझती हूं, साक्षर होने को प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन अभी तक यदा-कदा समाचार-पत्रों में पढ़ने के लिए मिलता है कि अमुक जिला पूर्ण साक्षर हो गया। मैं इस विश्वास के साथ कहती हूं कि वहां यदि भ्रमण किया जाये, मंत्रीजी किसी खोजी दस्ते द्वारा जांच करवायें तो पायेंगे कि वह जिला पूर्णरूप से शिक्षित होना तो दूर, साक्षर भी नहीं हुआ है।

और इस प्रकार शिक्षा विभाग का नया नामकरण भी हो गया और पुराना पटा उतर गया। मानव संसाधन विकास में कहा गया है कि मनुष्य के समय विकास के लिये यह आवश्यक है कि उस पर शिक्षा का इस प्रकार जोर डाला जाये कि वह शारीरिक, मानसिक, प्रगतिशील के साथ-साथ अर्थदायिनी भी हो, ख्याल के तौर पर यह बात बहुत अच्छी लगती है जिसमें मेरा कहीं कोई विरोध नहीं है। यह सपना देखा गया है कि इस सदी के अंत तक सबको शिक्षित करना है। एक-एक व्यक्ति साक्षर हो जायेगा। उसके लिये प्रारूप तैयार किये जाते हैं और यह कहा जाता है कि यह मील का पत्थर होगा परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि उसके प्रसार-प्रचार में जो खर्चा हो रहा है यदि इतना खर्चा गांवों के स्कूलों पर करने का मंत्री जी मनोयोग करते तो कम से कम एक वर्ष में कई जिले साक्षर हो जायेंगे। हालात यह हैं कि देशी चिन्तकों को छोड़कर विदेशी लोगों को बुलाया जाता है और उसके लिये मुझे भी बैठक से सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित किया गया। मैंने सोचा कि इस ताम-झाम से कुछ होने वाला नहीं है और यदि शिक्षित करना ही है तो उन सुझावों को मानें। इस सरकार ने ही कमेटी बनायी और उसके फैसलों को रद्दी की टोकरी में डालने का काम किया है या यहां पर पुस्तकालय में रख कर छोड़ दिया है जैसे शील गृह में मृत रखा जाता है।

सभापति महोदया, इस विभाग को चार भागों में बांटा गया है। पहले इसमें एक मंत्री हुआ करता था और अब चार मंत्री हो गये हैं कि शिक्षा का चतुर्मुखी, चतुर्दिक विकास होगा ? इसमें प्राथमिक शिक्षा आवश्यक है क्योंकि यह हमें हर तरह का मार्ग दिखाता है। मंत्री जी भी मानते हैं कि हम ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जो रोजगार, संस्कृति, शारीरिक शिक्षा को भी जोड़ेगी लेकिन यह शिक्षा सर्व सुलभीकरण ही नहीं हो सकी। हमारे यहां कई स्कूल हैं जहां से प्रकांड पंडित निकले हैं-रामानुजम, राधाकृष्णन। संगीत साधक पं. ओंकार नाथ ठाकुर और श्री विष्णु दिगम्बर पलुस्कर हैं जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति और उसके ढांचे की देन हैं। उन्होंने समय-समय पर राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है। यह सब छोटे स्कूलों की देन है।

सभापति महोदया, क्वालिटी एजूकेशन के नाम पर एक नया कार्यक्रम चलाया जा रहा है नवोदय विद्यालय। यह कहा गया कि हर जिले में एक नवोदय विद्यालय होगा जहां पर 80 छात्र छात्रायें पढ़ेंगे लेकिन खर्च बेढब। एक सफेद हाथी बन कर रह गया है। मेरे जिले में भी खुला है। यदि ठीक से चलाया जाता तो बात ठीक रहती। स्व. राजीव गांधी का सपना था-आप्रेशन ब्लैक बोर्ड पर स्कूलों में श्यामपट तक नहीं है। यदि इस कार्यक्रम के द्वारा ठीक से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हम लोगों

को भी भागीदारी रहेगी। हम लोग भी बढ़-चढ़ कर भाग लेंगे। केवल नाम के लिये नहीं बल्कि अपना प्रथम कर्तव्य समझकर।

सभापति महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 1600 गांव हैं जहां पर आधे में भी स्कूल नहीं हैं। वोटरों की संख्या 12.50 लाख और नवोदय स्कूल केवल एक। कहां पढ़ेंगे सब बच्चे, कितने नवोदय विद्यालय चाहिये ? आप कैसे शिक्षा दे पायेंगे सबको सन् 2000 तक ? यह प्रश्न मंडराता रहता है कि 1947 से लेकर आज तक 50-51% खींच-खांचकर पूरा कर पाये हैं साक्षरता और मेरे जिले में औरतों की साक्षरता केवल 19% है। इन सब बातों को सब लोग जानते हैं।

जहां केवल 19 प्रतिशत महिलायें ही साक्षर हैं वहां ऐसे स्कूलों की कल्पना करना कि हम क्वालिटी एजूकेशन देंगे, बड़ा बेमानी लगता है। क्वालिटी एजूकेशन की कहानी इस प्रकार है कि आज 40 वर्ष से कुछ अधिक का समय हो चुका है और हमारे मिनिस्टर साहब ने भी इसे स्वीकार किया है कि नवोदय विद्यालयों की स्थापना के समय यह कल्पना की गयी थी कि उनमें हर प्रकार की शिक्षा दी जायेगी, सह-शिक्षा का इंतजाम होगा, नेशनल इंटीग्रेशन के मामले में नवोदय विद्यालय बहुत कारगर कदम सिद्ध होंगे लेकिन आज उनके हालात ऐसे हैं कि जब 30 प्रतिशत हिन्दी भाषी छात्रों को अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भेजा जाता है तो वहां अभी तक उस भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति ही नहीं की गयी है जिसके कारण हमारे बच्चे त्रिभाषा फार्मूले का लाभ नहीं उठा पाते। मैं समझ नहीं पाती कि ऐसी हालत में बच्चों के वहां भेजने का क्या लाभ है ?

छटी कक्षा के बाद, दो वर्ष की तालीम देकर हमारे बालक और बालिकाओं की आयु 13-14 वर्ष हो जाती है। यदि हमारे यहां के छात्र किसी अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में जायेंगे जिससे वे अवगत नहीं हैं तो वहां कैसे रह पायेंगे। इस योजना के प्रारूप में ऐसे शिक्षकों को नियुक्त करने का प्रावधान था लेकिन उनकी नियुक्ति न करके, केवल नई शिक्षा नीति का ढिंढ़ोरा पीटना हमारी मानसिकता के खोखलेपन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। यह शिक्षा के प्रति अन्याय है, उनमें पढ़ने वाले गरीब विद्यार्थियों के प्रति अन्याय है, उनके अभिभावकों के प्रति अन्याय है और साथ ही साथ पूरे समाज के प्रति अन्याय है।

इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि पहले हम स्तरीय शिक्षा की बात करें, गांव गांव में स्कूल खोलने की बात करें, हर स्कूल में लटकाने के लिये एक ब्लैक-बोर्ड की व्यवस्था करें। हमारे अनेक स्कूलों में सातवें दर्जे तक जहां पढ़ाई होती है, पिछले 20 वर्षों से अनेकों स्कूलों में केवल एक शिक्षक ही है। इससे आप सोच सकती हैं कि एक शिक्षक दिन भर में सात कक्षाओं को कैसे पढ़ा सकता है। मैं समझती हूं कि इस नीति में शिक्षा के नाम पर जितना खोखलापन है, उतना खोखलापन अन्य किसी विभाग की नीति में नहीं है।

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसी ही हालत है। यदि हमारी भावी पीढ़ी के चिन्तन में पहले ही घुन लग जायेगा तो उनका विकास कैसे हो सकता है। जिसने प्राथमिक स्तर पर ही सही शिक्षा

न पायी हो वह माध्यमिक स्तर पर जाकर कैसे शिक्षा ले सकता है और ऊपर से विद्यालय भवनों का अभाव, पुस्तकों का अभाव और इसके अलावा मेरे क्षेत्र में गरीबी का वर्चस्व उन्हें शिक्षित होने से बराबर रोकता रहता है। यदि हम गरीब बच्चों के लिये सही शिक्षा प्रणाली लागू करना चाहते हैं तो सबसे पहले गांव गांव में ऐसे स्कूलों को मजबूत करना होगा जिनके माध्यम से हमारे बड़े बड़े मनीषी और विद्वान निकले हैं तभी हमारे गांवों में शिक्षा की ज्योति फैल सकेगी। केवल एक-दो शहरीकृत स्कूलों से शिक्षा की ज्योति नहीं फैल सकती।

इससे पहले हमारे एक बंधु ने विश्व-विद्यालयीन शिक्षा के खोखलेपन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। हमारे देश में अनेकों फेक यूनीवर्सिटीज चल रही हैं। विश्वविद्यालयों में अनुदान की हालत यह है कि वहां का हर शिक्षक सबसे पहले यह सवाल पूछता है कि इस महीने की तनख्वाह उसे कब मिलने वाली है। वह ऐसा नहीं पूछता कि फलां टॉपिक पर तुम्हारा जो रिसर्च वर्क था वह पूरा हुआ या नहीं। शिक्षा जगत में व्याप्त खोखलेपन का द्योतक ही यह प्रारूप है, जिसे मंत्री महोदय ने तैयार किया है।

वैसे तो हमारे यहां सभी को सुलभ शिक्षा की बात की जाती है और पहले जितने विश्व-विद्यालय थे, उनकी संख्या 8 से बढ़कर आज हजारों में पहुंच गयी है लेकिन हमारी स्तरीय शिक्षा में लगातार गिरावट आ रही है जितनी शिक्षण संस्थाएं या सैन्ट्रल यूनिवर्सिटीज इनके हाथ में हैं, उनमें से बनारस हिन्दू-विश्वविद्यालय की हालत मैं जानती हूँ जहां बहुत दिनों तक कोई वाइस चांसलर नहीं थे और जिनके न रहने के कारण, जो कुछ संभव था, वह विश्व-विद्यालय जातीय युद्धक्षेत्र में परिणित हो गया और विश्व स्तर पर विख्यात वह विश्व-विद्यालय आज जातीय युद्ध को झेल रहा है।

वैसे शिक्षकों के कई स्थान रिक्त हैं, वे आज तक नहीं भरे गए हैं। केवल कला संकाय की बात मैं कहती हू। वहां भी शिक्षकों के जो पद होते हैं उनको भी भरने का काम अभी तक नहीं किया गया है। यह सीधी केन्द्र के शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बनती है। आपने मेरे क्षेत्र में तो केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने में बिलकुल इंकार कर दिया है, पता नहीं यदि मेरे क्षेत्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोल दिया जाएगा, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कौन सा तूफान आ जाएगा।, क्या आकाश नीचे आ जाएगा यदि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना देते। आपका खर्च भी अधिक नहीं लगता। वहां पर जितने शिक्षक हैं उतने ही शिक्षकों से काम चल जाता। सिर्फ नामपट्ट केन्द्रीय विश्वविद्यालय का लगाना है। आप अनुदान तो देते ही हैं। उसको सम्मान देने का काम करिए। विधानचन्द्र राय वहीं के विद्यार्थी थे। आज भी हम विधान चन्द्र राय पैदा कर सकते हैं, लेकिन शिक्षकों को सम्मान नहीं मिलता है। शिक्षक भूखे हैं। आज भी दिल्ली की ओर देखते हैं कि अनुदान कैसे आएगा, कैसे हम पाएंगे ?

जहां तक यू. जी. सी. की बात है, उसने भी 15% अनुदान बढ़ाने की सिफारिश आपसे की है। महंगाई के चलते, महंगाई की मार से कुछ बचने के लिए महंगाई भत्ता जो बढ़ा है, वह हर साल

बढ़ता ही जा रहा है। इसके कारण जो बढ़ती हुई मांग है, वह आपके अनुदान से मैचिंग नहीं करती है इसलिए शिक्षा को आप राजनीति से ऊपर उठाएं और ज्ञान को ज्ञान की परिभाषा में ही बांधने की चेष्टा करें।

आपके मंत्रालय में एक विभाग एक संस्कृति का भी है। यदि ग्रीक यह कहते हैं कि हम पुरातन संस्कृति वाले हैं, तो उससे भी पुरातन संस्कृति वाले हम अपने को कह सकते हैं क्योंकि मोहन जोदड़ो और सिधु घाटी की सभ्यता उससे की पुरानी है, लेकिन आजकल जो खोखलापन हमारे समाज में व्याप्त है, विदेशी प्रदूषण जो हमारे समाज में व्याप्त है, उससे कोई इंकार नही कर सकता है, कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। खोखलापन यह है कि हमारी अपनी पुरानी संस्कृति की पहचान में यहां पर विदेशी छात्र आते हैं शांति ढूंढने, उसी के माध्यम से साधना करने, उसी के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार करने, लेकिन हमारे युवा दिग्भ्रमित और नशीली दवाओं और विदेशीकरण की होड़ में दौड़ रहे हैं।

सभापति महोदया, इसके लिए संस्कृति का एक प्रारूप सरकार का तैयार हुआ है, लेकिन आज तक 2 वर्ष बाद भी उसे सदन में न लाकर सबके सामने पेश करने का काम सरकार ने नहीं किया है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : आदरणीय सभापति महोदया, वैसे तो मैं चुपचाप बैठकर सुन ही रहा था, लेकिन एक तथ्यात्मकरूप से गलत बात हो जाती यदि मैं यह नहीं बताऊं कि यह कल्चरल पॉलिसी का जो एप्रोच पेपर है, वह सदन के सामने है और आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जब भी चर्चा इस सदन में होगी, वह हो सकती है।

श्रीमती गिरिजा देवी : सभापति महोदया, यह शाब्दिक भूल मैं मानती हूं, लेकिन अगर उसे टेबल पर ले कर दिया जाए और उस पर चर्चा न हो, तो वह अमृत के बराबर है। इससे शायद आप भी सहमत होंगे। मेरी अनुमति से तो उसमें बहस करनी नहीं है। आप लोगों की ही अनुमति से उस पर बहस होनी है और आम राय बनानी है और आप यह अवश्य मानेंगे कि संस्कृति के क्षेत्र में निरन्तर ह्रास हो रहा है, निरंतर गिरावट हो रही है। गिरावट हर क्षेत्र में होती जा रही है, केवल संस्कृति की बात कुछ और है।

आपने संस्कृति बड़े व्यापक पैमाने पर अलग-अलग बांटा है, लेकिन बांटने से कोई बात बनने वाली नहीं है। यह वह देश है जहां संगीत को सच्चा स्वरूप माना गया है इसके पहले पाइथंगेएस इसको सत्य माना है, तो हमारे रिपब्लिकन प्लेटो ने भी यह माना है कि संगीत की शिक्षा सबके लिए जरूरी होनी चाहिए और इसी से "सत्यम शिवम् सुन्दरम" की प्राप्ति समाज में हो सकती है। आप विद्वान हैं, इतने पढ़े-लिखे लोग हैं, लेकिन इस गिरावट की ओर से यदि विमुख हो जाएंगे, तो अगली आने वाली पीढ़ी हमको, आपको माफ करने वाली नहीं है।

3.00 म॰ प॰

विदेशीकरण की चर्चा भी हमेशा होती रहती है। आपकी प्राथमिक शिक्षा है। आप जिसे मील का पत्थर कह रहे हैं, वह आपकी शिक्षा नहीं है। रोजगार के लिए यदि आप विदेशों से ऋण लेते हैं तो यह बात समझ में आती है लेकिन शिक्षा के लिए हम ऋण लेते हैं तो अवश्य ही वह हमारी शिक्षा नीति नहीं होगी। जो भी महाजन हमें कर्ज देता है, उसकी अपनी शर्त होती है। मैं नहीं जानती कि जो कर्ज आप विदेशों से ले रहे हैं, उसकी क्या-क्या शर्तें हैं और तब हमारी शिक्षा में कितनी विदेशी मान्यता होगी, कितनी देशी। इसलिए आज की शिक्षा देशी हो, देश के लिए हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप दूसरी चीजों के लिए जरूर कर्ज लें लेकिन शिक्षा के लिए आपके पास जितने संसाधन हैं, उसके लिए मनोबल बढ़ाइए। जहां-जहां लूट हो रही है, आपने जो राजनैतिक केन्द्र खोल रखे हैं, उनको बन्द कीजिए। एन. जी. ओज़ के माध्यम से जो आप लूट का काम कर रहे हैं, मै एन. जी. ओज में बहुत कुछ विश्वास रखते हुए भी यह जरूर कहूंगी कि कहीं-कहीं आप देने में बहुत उदार हो जाते हैं लेकिन उसकी जांच करने में आप शिथिल हो जाते हैं। उसी के माध्यम से बहुत लोगों को खुश करने का काम भी हो रहा है। इसलिए राजनीति या दलगत भावना से ऊपर उठकर प्राथमिक शिक्षा को आप साकार करें तो अच्छा होगा।

3.01 म॰ प॰

(श्री पी॰ सी॰ चाको पीठासीन हुए)

फौरन फंडिग से दूर हों या न हों, आपकी प्राथमिक शिक्षा के हालत यह हो गए हैं कि पहले जब ब्रितानिया सरकार थी तो हमारे यहां हर क्षेत्र में हमारा अपना स्कूल था, हम अपने माध्यम से बच्चे पढ़ाते थे। जब हमारी सरकार हो गई तो गांव-गांव में सरकारी स्कूल बेकार पड़े हुए हैं। केन्द्र शासित क्षेत्रों में मैंने देखा कि सरकारी स्कूल के बगल में ही अंग्रेजी माध्यम के स्कूल या अंग्रेजी नाम पर चलने वाले स्कूल ज्यादा पनप रहे हैं और जैसा हमारे साथी ने कहा कि स्कूलों में उपभोक्तावाद की संस्कृति पैठ करती जा रही है। लोग यह समझते हैं कि यदि हम विदेशी भाषा में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे तो हमारे बच्चे ठीक ढंग से शिक्षित नहीं हो पाएंगे। विदेशीकरण की होड़ में शिक्षा की संस्कृति पूर्णतया समाप्त हो चुकी है। विदेशीकरण को समाप्त करने के लिए सार्थक कदम यही होगा कि शिक्षा में जिन क्षेत्रों में लूट हो रही है, उन क्षेत्रों को, कुछ दिन के लिए ही सही, पांच साल के लिए बन्द करके सारे माध्यमिक स्कूलों को वैल-इक्विप्ड करें।

नेत्र हाट के स्कूलों में, जहां जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने नवोदय विद्यालय की कार्यप्रणाली के ढंग को सीखा था या जानने की कोशिश की थी, उस ढंग से सस्ते दर पर सही जगह पर यदि स्कूल खोले जाएं तो यह बहुत मुश्किल काम नहीं है और बहुत खर्चीला भी नहीं है।

बहुत उत्साह से कहा जा रहा है कि औद्योगीकरण या उसके बाद उसी के माध्यम से रोजगार देने वाली शिक्षा आप बनाने जा रहे हैं। लेकिन उसका आपने कोई भी मापक तैयार नहीं किया है

कि कैसे योजनाएं चलाएंगे। वोकलाईज़ेशन के लिए उत्तरी क्षेत्र से लेकर दक्षिणी क्षेत्र तक सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और इस क्षेत्र में भी बहुत लूट मची हुई है।

मैं यहां आलोचना करने के लिए खड़ी नहीं हुई हूं। मेरे पास प्रारूप है। जैसा मैंने कहा, आप सभी जिला मुख्यालयों को कहें कि एक-एक स्कूल ब्लॉक में नेत्र हाट के समान देने का काम करें तो कुछ ही दिनों में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा और उसका सुलभीकरण भी होगा।

जहां वोकलाईज़ेशन की बात है, उसका बहुत सही व सस्ता नुस्खा हमारे यहां अपना लिया गया है और वह है चरवाहा विद्यालय। चरवाहा विद्यालय का नाम सुनकर सब लोक स्मितहास हो जाते हैं। लेकिन चरवाहा विद्यालय पूर्ण शिक्षा दर्शन है जहां बच्चा अपनी संस्कृति से अपनी माटी, पानी और हवा से भी नहीं कटता है और अपने क्षेत्र में फैली हुई सभी प्रकार की संस्कृति से, भाषा से और शिल्प से जुड़ा हुआ होता है। थोड़ा बड़ा होता है, अपने ही क्षेत्र के शिल्प के माध्य से, तकनीक के माध्यम से अपनी रोज़ी-रोटी की तलाश लेता है।

केवल अक्षर शिक्षा प्राप्त करके जो बेरोजगारों की फौज तैयार होती जा रही है, उससे बचने का एकमात्र साधन यह है कि खर्चीली शिक्षा नीति को बंद करें, दोहरी शिक्षा नीति पर पूरी तरह से रोक लगायें, चरवाहा विद्यालय की तरह की शिक्षा नीति अपनायें जो सब के लिये सुलभ हो।

एक हमारा महिलाओं और शैडयूल्ड कास्ट्स व शैडयूल्ड ट्राइब्स का क्षेत्र जो किसी न किसी कारण से चाहे सर्वसुलभ न होने के कारण, सामाजिक असुरक्षा के कारण या गरीबी के कारण वह स्कूल नहीं जा पाती है, यदि जाती हैं तो 5-6 वर्ष के बाद स्कूल छोड़ कर बैठ जाती है। इस ओर भी आपकी दृष्टि जानी चाहिये। आपकी थोड़ी दृष्टि गई, लेकिन वह दृष्टि और पैनी होनी चाहिये। यदि हमारा वर्ग पिछड़ गया तो समग्र विकास नहीं हो सकेगा। महिलाओं के बारे में आपने इस प्रकार की बात की, लेकिन यदि आप उनके चल कर जाने की दूरी पर विद्यालय नहीं देते तो उनके शिक्षित होने का कोई असर भविष्य में नजर नहीं आयेगा। बार-बार कहने के बाद वे महिलायें शिक्षित हो जायेंगी, एक महिला के शिक्षित होने का मतलब पूरे एक परिवार का शिक्षित होना इसलिये विवेकानन्द जी की इस बात का मर्म रखें यदि पांच लड़कों को शिक्षित करेंगे तो वे पांच के पांच रहेंगे। यदि पांच महिलाओं को शिक्षित करेंगे तो पांच परिवारों को शिक्षित करेंगे। इस तरह ज्ञानिकिक गुणात्मक फल के अनुसार अपने ज्ञान का प्रकाश फैलता जायेगा, समाज भी सुसंस्कृत, सुशिक्षित होगा। इसलिये महिलाओं की शिक्षा के लिये यदि योजना बनानी है तो नवोदय विद्यालय में 30 परसैंट रिजर्वेशन रखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उनके घर के दरवाजे पर चल कर जाने की सीमा के अन्दर प्राथमिक स्कूल देने का काम करने से कुछ सम्भव हो पायेगा।

संस्कृति की बात के साथ बहुत बातें जुड़ी हुई हैं। हमारे यहां के कलाकार उपेक्षित हैं, भूखे हैं। हमारे यहां कला के लिये समग्र दृष्टि होनी चाहिये।

कलाकार के मन में सुरक्षा के भाव पैदा करने चाहिये। कलाकार परिवार में जहां पहले वंशानुक्रम

में कला साधक हुआ करते थे, वे अब अपने बच्चों को किसी तरह डाक्टर, इंजीनियर या कम से कम प्राथमिक स्कूल का शिक्षक बनाना पसन्द करते हैं, बनिस्बत कलाकार बनाने के। यह यहां के सामाजिक या राजनीतिक घोर उपेक्षापूर्ण रवैये का प्रतिफल है। इसे हमारा समाज आज भोग रहा है। आने वाली संतति उस धरोहर को पा नहीं सकेगी जो हमारे यहां प्राचीन साधकों की धरोहर है। वह अपने जीवन के साथ कहते हैं कि चिता के साथ उनकी कलायें भस्मीभूत होती जा रही हैं।

सम्मान देने में कुछ खर्चा नहीं होता है। आज देख लें, जितने लोगों के नाम में स्टैम्प्स निकलती हैं, उनमें कलाकार साधकों के नाम से कितनी निकली हैं और राजनीतिक दाव-पेंच में रहने वालों के नाम से कितनी निकली है ? यह पैमाना छोटा सा है पर आईना है नामकरण कला संस्थाओं के भी होते हैं जो कि कलाकारों के नाम से नहीं होते, जो कला में यह नहीं बता सकते हैं कि यह शिल्प अमुक घराने का है, जो यह नहीं बता सकते कि यह गायक किस घराने का है, यह नहीं बता सकते कि यह चित्रकारी किस घराने की है ? उन लोगों के नाम से सम्मान दिया जाता है और हम विवश हैं। हम उसी जगह खड़े हैं जहां गाथा गड़गिल विवश थे। जब हम पराधीन थे, जब हम प्रशस्ति गायन करने को बाध्य थे, तभी हमारी रोजी-रोटी चलती थी। हम ससम्मान रोजी-रोटी आज नहीं पा सकते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि कला क्षेत्र में राजनीतिकरण बंद कर दें नहीं तो रुकमणि अरुणदले द्वारा स्थापित कला क्षेत्र की कुछ दिन पहले जो अवस्था हो गई थी और जो जूतमपैजार हुए, वे हालात पूरे देश में होने जा रहे हैं। अभी जो बचे-खुचे कलाकार हैं, उनके पास देश की धरोहर है। आप किसी भी कीमत पर कला संरक्षण का काम करिये।

उसके लिए आप आर्काइव्ज बनाइये, उसके लिए विडियो कैसेट लाइब्रेरी बनाइये। अभी भी कुछ लोग बच रहे हैं, नामावली आपके पास भी है, किसी को दो बार, किसी को तीन बार हार्ट अटैक हो चुका है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मैं एक बात के लिए आपको अवश्य धन्यवाद दूंगी, जिसमें गुरु शिष्य परम्परा से एक विद्यालय कहिये या गुरु आश्रय कहिये, बनाने के लिए पं० रविशंकर जी को जमीन मुहैया कराई गई है लेकिन उस कतार में और लोगों के भी नाम हैं, जिनका नाम मैं यहां लेना पसन्द नहीं करती हूं। जो पूर्व गायकी की एकमात्र गायक गायिका बाकी रह गई है, कोई पश्चिम की गायकी का है। कोई यहां लुप्तप्राय: होती हुई ध्रुपद का अंग का गायक अब बाकी रह गया है। अन्तिम कड़ी बची हुई है, उसको तो बचाकर रखना चाहिए। आपके पास साधन हैं, ससम्मान अपने पास आप रख लेने का काम करें, जिससे भावी पीढ़ी को भी प्रकाश मिलता रहेगा।

खेलकूद की दुनियां में नाम करने वाले जब खेल के मैदान से चले जाते हैं, तब उनकी क्या हालत होती है। एक हाकी खिलाड़ी, जिसने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का सम्मान दिलाने का काम किया था, वह अपना गम गलत करने के लिए अपनी जिंदगी भी खत्म करने के लिए तैयार था, इस सदन में जब इस बात को उठाया गया, तब उनको पेंशन देने का काम हुआ है। उस पेंशन के लिए आपको अवश्य धन्यवाद दूंगी। लेकिन उनके खेल की विशिष्टता का पहचान कर सही समय

पर अगर उपयोग करने का काम किया गया होता, उन्हें सम्मान देकर तो अवश्य ही हमारे देश के लिए यह फायदे की बात हुई होती।

और भी बातें हैं। आप अपने यहां पुस्तकालयों के प्रचार-प्रसार की बात करते हैं, एक रामपुर का पुराना पुस्तकालय है, जिसमें बहुमूल्य किताबें नहीं, अमूल्य किताबें हैं लेकिन उन अमूल्य किताबों की ओर किसी की दृष्टि नहीं जा रही। उनमें कीड़े-मकौड़े लग रहे हैं, वहां दीमक लग रही है इसलिए उसको बढ़िया तरीके से रखने का काम होना चाहिए, यह मेरी मांग है। इसी प्रकार से एक खुदाबख्श लाइब्रेरी है। इसमें अधिकांश किताबें उर्दू की हैं जो किताबें बहुमूल्य हैं। मैंने एक शोध किया था, भारतीय मुसलमान एवं संगीत पर, उसमें मैं कई बार गई और मैंने सागरी साहब से मिलने का काम भी किया। वहां पर ऐसी दुर्लभ चीजें हैं जो हिन्दू मुसलमान की गंगा जमुनी संस्कृति के लिए अद्वितीय निधि है, उसको भी आप संजोने का काम करें।

पुरातत्व विभाग भी आपके दायरे में आता है और हमारे यहां रोज मूर्तियों की चोरी हो रही है और विदेशों में उनका व्यापार हो रहा है। मैंने एक पत्र के द्वारा इस बारे में आपका ध्यान खींचना चाहा है, दो चार दिन में शायद आपके यहां से उत्तर भी आ जाय। सारन जिले में एक चिरान स्थान है, जो मोरध्वज की राजधानी कही जाती है। हो सकता है कि उसके उत्खनन पर अच्छी तरह से विचार करने से वह मोहन जोदड़ों से भी प्राचीन सिद्ध हो सके। उसके साथ मोरध्वज की दानवीरता की कहानी भी जुड़ी हुई है, यह अलग बात है, इतनी शान भी उसके साथ हुई है। साथ ही ईंटखोरी की ओर भी मैंने प्रश्न के द्वारा आपका ध्यान आकर्षित किया था लेकिन सब को आप स्टेट मैटर कह देते हैं।

जिस प्रदेश में जिंदा व्यक्तियों को अच्छी प्रकार से रखने लायक धन नहीं हो, हम बिहार वाले गरीब हैं, इस बात को मैं मानती हूं और हमारी राशि का आप अच्छी तरह से भुगतान नहीं करते हैं, इसलिए हम और गरीब होते जा रहे हैं लेकिन वह केवल बिहार की धरोहर नहीं है, वह पूरे देश की धरोहर है, इसलिए ईंटखोरी, चिरान, मुंगेर के पास सांस्कृतिक अवशेष को, नालन्दा को, विक्रमशिला को, इन सारे स्थानों को आप अपने हाथ में ले लीजिये और उनका सर्वेक्षण आप करने का काम करेंगे तो यह बहुत ही यश की बात होगी और आने वाली संतति हमेशा आपका यशोगान करती रहेगी।

यहां से बौद्ध धर्म के अनुयायियों का जत्था उनकी स्मृतियों और उस संस्कृति से जुड़ी हुई चीजों को लेकर दूसरे देशों में गया था। इस बौद्ध संस्कृति का अभ्युदय जहां हुआ है, वह स्थान अवहेलित है। राजनीति उस बोधगया के मंदिर परिसर में भी प्रवेश कर गई है।

इस बोधगया क्षेत्र को अपने हाथ में लेकर उसे राजनीति से ऊपर उठाकर, बोध की बात को धान देकर, जिसने सकल मानवता की शान्ति के लिए, सकल मानवता के सुख के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया, उस शान्ति को स्थापित करने का काम करें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

हमारे देश में हमेशा मूर्तियां चोरी होती रही हैं। प्रेमवश किताबें भी यहां से ले जाने का भी

काम हुआ है, लेकिन लाने का काम केवल एक ही व्यक्ति ने किया है और उनका नाम है-राहुल सांकृत्यायण। ये जहां भी मिले, जैसे भी मिले, धर्म परिवर्तन करना पड़ा हो, नाम बदलना पड़ा हो या जीवन अर्पण करने वाली स्थिति आ गई हो, राहुल सांकृत्यायण कभी भी विचलित नहीं हुए हैं। लेकिन आज इनकी कृतियां अवहेलित हो रही हैं। उनके नाम पर कोई भी काम यहां पर नहीं हो रहा है। सरकार को इस ओर भी देखना चाहिए।

महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं और साथ ही साथ अपने शिक्षा मंत्री जी को याद दिलाना चाहती हूं, यदि सबके लिए शिक्षा बनानी हो, तो वे गांवों की ओर अपना मुंह मोड़ें, शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ें और देश की संस्कृति के साथ जोड़ें। उसके लिए हमारे पास हैं। मानक हमारे देश में उपलब्ध हैं।

इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : माननीय सभापति, महोदय, आरंभ में मैं बहुत अच्छे सुझाव देने के लिए माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगी, एक बार फिर मैं स्थायी समिति के सदस्यों को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने चर्चा के दौरान बहुत रचनात्मक सुझाव दिए हैं। मैंने इन सुझावों को पढ़ा है। उन्होंने महिला तथा बाल कल्याण कार्यक्रमों में अत्यधिक रुचि ली है। मैं इन सुझावों में से कुछ का उत्तर देना चाहती हूं।

सर्वप्रथम, मैं उन कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहती हूं जिन्हें हम वर्ष 1993-94 के दौरान करते रहे हैं। हमारे विभाग में सबसे बड़ा कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम है। यह वर्ष 1975-76 में आरंभ किया गया जिसमें 33 परियोजनाएं थी जैसे कि आज हमारे पास 3378 परियोजनाएं हैं जिसमें विश्व बैंक परियोजनाएं तथा राज्य परियोजनाएं भी शामिल हैं। इसमें लगभग 1.61 करोड़ बच्चे शामिल हैं जिसमें से गर्भवती महिलाओं सहित 33 लाख महिलाएं हैं। हम इस कार्यक्रम को सर्वव्यापी बनाना चाहते हैं। यह स्थायी समिति में दिये गए सुझावों में से एक था। परंतु इस कार्यक्रम को सभी जगह लागू करने के लिए आठवीं योजना के दौरान 1166.27 करोड़ रुपये की भारी राशि की आवश्यकता है। राज्यों को पोषण के लिए 1379.96 लाख रुपये भी व्यय करने हैं। पिछले वर्ष हमें 300 परियोजनाओं के लिए मंजूरी मिली और इस वर्ष हमें फिर 200 परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है। पिछले वर्ष की परियोजनाओं, को पहले ही मंजूर किया जा चुका है और हमने विभिन्न राज्यों को धनराशि वितरित की है। जहां कहीं भी ऐसी परियोजनाएं हैं वहां मैंने संबंधित सदस्यों को पत्र लिखे हैं।

स्थायी समिति ने यह चिंता भी व्यक्त की थी कि यहां समुचित सहयोग तथा समन्वय होना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करते समय

समुचित सहयोग और समन्वय होना चाहिए। पंचायत चुनावों के बाद इनमें महिला सदस्य चुने जाने के पश्चात् हम उन्हें आंगनवाड़ी कार्यकत्ताओं, सी. डी. पी. ओ. तथा निरीक्षकों के कार्य की निगरानी का काम तथा महिला और बाल विकास से संबंधित उन सभी कार्यक्रमों की निगरानी का कार्य सौंपना चाहते हैं जिनके लिए हम पहले ही बाल विकास समितियों का गठन कर चुके हैं। ये समितियां इन कार्यक्रमों की निगरानी करेंगी। जहां तक स्वास्थ्य पोषण, प्रतिरक्षाकरण तथा उपस्थिति आदि का संबंध है, यहां एक बेहतर निगरानी प्रणाली है। हमें मासिक तथा तिमाही रिपोर्ट मिल रही है और इस तरह हम एकीकृत बाल विकास योजना की सम्पूर्ण व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। मेरे विचार से एक बार ये पंचायती राज्य संस्थाएं कार्य करना प्रारंभ कर दें और महिला सदस्य इन बाल विकास समितियों का गठन कर लें तो निचले से निचले स्तर पर इन कार्यक्रमों की अधिक निगरानी की जा सकेगी।

दूसरी बात मैं क्षेत्रीय सहयोग संबंधी दक्षिण एशियाई संघ (दक्षेस) घोषणा के संबंध में कहना चाहती हूं। हमने दक्षेस, घोषणा पर हस्ताक्षर किये हैं जोकि बालिकाओं की जीवन रक्षा, सुरक्षा तथा विकास के लिए है। परिणामस्वरूप हमने राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई है। इस दिशा में हमने बालिकाओं के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाए हैं। बनाये गए विभिन्न कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम किशोरियों से संबंधित है। हम 507 मंडलों में इस कार्यक्रम को इससे ही आरंभ कर चुके हैं जिसमें किशोरावस्था के लगभग 2 लाख बच्चे हैं। हम उन्हें अच्छा पोषण, शिक्षा दे रहे हैं स्वास्थ्य जांच करवा रहे हैं तथा विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम उन्हें भोजन भी देते हैं; हम उन्हें आंगनवाड़ी में रखते हैं और उनकी भली-भांति देखभाल करते हैं और काम खत्म होने के बाद उन्हें वापस घर भेज देते हैं। इस प्रकार देश के विभिन्न भागों में 507 मंडलों में इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है।

शिशु पालन केन्द्र के संबंध में मैं कहना चाहती हू कि एक पुराना कार्यक्रम है। आज से हमने और शिशु पालन केन्द्र खोलने बंद कर दिये हैं परंतु इस वर्ष हम राष्ट्रीय शिशु पालन निधि आरंभ कर रहे हैं। यह निधि 19.90 करोड़ रुपये से आरंभ की गई है जो हमें भारत सरकार से प्राप्त हुई है। हम इस वर्ष अधिकाधिक शिशु पालन केन्द्र खोलेंगे। स्थायी समिति ने टिप्पणी की थी कि हमने बजट में केवल 1 लाख रुपय का प्रावधान किया है परंतु यह कैसे संभव है कि हम इस वर्ष इतने अधिक शिशु पालन केन्द्र खोलें यह एक निकाय निधि है जिससे ब्याज मिलता है और जिससे हम अधिकाधिक शिशु पालन केन्द्र और अधिक शिशु केन्द्र खोलेंगे और अधिक शिशु केन्द्र खोलते समय हम इनका 40 प्रतिशत आंगनवाड़ी में परिवतर्तित करना चाहते हैं ताकि हमारी आंगनवाडी भी इससे लाभान्वित हो सकें।

कुछ सदस्यों ने बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम का उल्लेख किया है। हम देखेंगे कि इस कार्यक्रम को बंद न किया जाए। इन कार्यक्रमों को संरक्षण प्रदान किया जायेगा जैसा कि अब तक हम करते रहे हैं और इन्हें उतनी राशि प्रदान की जायेगी। बालगृहों के सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि इस

बालगृह कार्यक्रम को इस वर्ष के दौरान भी जारी रखा जायेगा।

कुछ सदस्यों ने राष्ट्रीय महिला कोष का उल्लेख किया है। यह एक नया कार्यक्रम है। राष्ट्रीय महिला कोष से अनौपचारिक क्षेत्र में उन व्यक्तियों को राशि प्रदान की जायेगी जो पहले ही विभिन्न कार्य कर रहे हों, चाहे यह नौकरी नयी हो, अथवा चाहे वे अनौपचारिक क्षेत्र में सब्जी विक्रेता, चटाई बुनने वालों, मछली विक्रेता, फूल विक्रेता आदि का कार्य कर रहे हों। उन्हें बैंकों से धन प्राप्त करने में कठिनाई महसूस हो रही है। उन्हें या तो ऋण मिलता ही नहीं और यदि ऋण मिलता भी है तो उस पर ब्याज की दर अधिक होती है। हमने इस बात पर विचार किया कि इन ऋणों के लिए एक व्यक्ति को उत्तरदायी बनाया जाय। पिछले वर्ष हमें भारत सरकार से 31 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। हमने यह राशि बैंक में रखी है और इस राशि से हमें जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, उसी से हम अपने गैर-सरकारी संगठनों में माध्यम से यह राष्ट्रीय महिला कोष चला रहे हैं। हमारे देश में ऐसे अनेक गैर-सरकारी संगठन है जो ऋण एवं बचत कार्यक्रम चलाने में निपुण हैं। उन्हें इस प्रकार के कार्यक्रमों में अनुभव प्राप्त है। वे पहले से ही ऐसे कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहे हैं। हम उन गैर-सरकारी संगठनों को प्राथमिकता दे रहे हैं जिन्हें ऐसे कार्यक्रम चलाने का तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त है और उन्हें राष्ट्रीय महिला कोष से राशि प्रदान की जायेगी।

हम उन्हें 8% ब्याज की दर पर राशि देते हैं और वे इस राशि को 12% ब्याज पर उधारकर्त्ता को देते हैं। मेरे विचार से केवल अल्पावधि और माध्यावधि ऋण ही दिये गये हैं। हम प्रत्येक उधार कर्त्ता को अंल्पावधि ऋण के रूप में 2500 रु. और माध्यावधि ऋण के रूप में 5000 रु. दे रहे हैं। इन ऋणों का क्रमश: 15 माह और तीन वर्ष की अवधि के अन्दर भुगतान किया जाता है। इस देश में यह कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। यह कोष भी बेहतर कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम में पहले ही 37,000 महिलाओं को शामिल किया गया है और वर्ष 1993-94 के दौरान 4.39 करोड़ रु. का भुगतान किया गया है। इस सम्बन्ध में अब थोड़ा विलम्ब हुआ है। हमने वर्ष 1993-94 के दौरान 8 करोड़ रु० खर्च करने की योजना बनाई थी लेकिन विभिन्न कारणों से हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। इसका कारण यह है कि इसे केवल हाल ही में शुरू किया गया था और पंजीकरण तथा अन्य कार्यों में भी थोड़ा-बहुत समय लगा था। हाल ही में हमने महिला विकास निगम जैसे लघु संगठनों को इसमें शामिल किया है। अन्य समाजसेवी संगठन भी राष्ट्रीय महिला कोष से ऐसा धन प्राप्त करने के हकदार हैं। दूसरी बात यह है कि किसी ने यह पूछा कि राष्ट्रीय महिला कोष की इस राशि को बढ़ाया क्या नहीं जा सकता। मेरे विचार से अभी हमें इस राशि में, जिसमें स्वंय ही पर्याप्त निधियां सृजित होंगी, वृद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तक हमने इसकी कोई पुनरीक्षा नही की है क्योंकि इस कार्यक्रम को हाल ही में चलाया गया था।

समिति ने दूसरी सिफारिश महिला स्मृद्धि योजना के बारे में की है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने हाल ही में यह कार्यक्रम चलाया है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें एक महिला अपनी आय

में से कुछ बचत कर सकती है। जहाँ कहीं से भी उसे आय होगी, उसे कुछ बचत करनी पड़ेगी। इस तरीके से वह बचत करती है और डाकघरों से पासबुक प्राप्त करती है। देश में लगभग 1.32 लाख डाकघर हैं। वे एजेंसियों का संचालन कर रहे हैं। हमारी शीर्षस्थ एजेंसी है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे पास बुक और प्रपत्र वितरित करें। हमें समिति में यह बताया गया था कि प्रपत्र और पास बुक निचले स्तर पर वितरित नही किये जाते हैं इसलिए अब तक राशि जमा नहीं की जा सकी है। यह बात सत्य है कि आरम्भ में डाकपालों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। अब उनमें से अधिकांश को प्रशिक्षण दिया गया है। महा डाकपालों को भी राशि दी गई है और सभी महा डाकपालों ने प्रपत्रों और पास बुकों को भी मुद्रित कराया है। उन्होंने निचले स्तर पर इनका सभी डाकघरों को वितरण भी किया है। मेरे विचार से अब तक 9 लाख खाते खोले जा चुके हैं। यह एक ऐसी योजना है जिसमें एक महिला 300 रु. तक की राशि जमा कर सकती है और उसे इस राशि पर 25% प्रोत्साहन मिलेगा अर्थात् उसे एक वर्ष के पश्चात् 75 रु० प्राप्त होंगे। एक सुझाव यह है कि इस कार्यक्रम में शहरी क्षेत्रों से महिलाओं को भी क्यों न शामिल कर लिया जाये। वर्तमान में हमने शहरी महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया है–चाहे वे स्लम क्षेत्रों से हों अथवा नहीं। फिर भी इसकी समीक्षा करने के पश्चात् हम समिति द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेंगे।

नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए होस्टलों के संरक्षण में कई सुझाव दिये गये हैं। इस समय हमने नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए 687 होस्टलों के लिए स्वीकृति प्रदान की है जिसमें हजारों महिलाओं को शामिल किया गया है। इस वर्ष के दौरान हमारा 3000 महिलाओं को शामिल करने का कार्यक्रम है। इस वर्ष के दौरान हमने जो राशि प्रदान की है, वह नौकरी करने वाली सभी महिलाओं को शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए अधिक से अधिक होस्टल खोलने की आवश्यकता है। एक होस्टल के निर्माण के लिए हम 50% भू-लागत और 75% निर्माण लागत का भुगतान करेंगे और प्रति होस्टल हम 40,000 रु० दे रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह कह रहा है कि उच्च लागत और कीमतों में वृद्धि के कारण यह बहुत ही अपर्याप्त है। जहाँ तक बड़े शहरों का सम्बन्ध है, उनमें भूमि प्राप्त करना अत्यधिक मुश्किल है। इसलिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो रहे हैं। फिर भी कुछ महाविद्यालय और गैर-सरकारी संगठन तथा कुछ अच्छे संस्थान आगे आये हैं। हमने इस वर्ष के दौरान 30 से भी अधिक नये होस्टलों के लिए स्वीकृति प्रदान की है। अनेक प्रस्ताव आ रहे हैं। इस नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए निश्चित रूप से होस्टलों की स्वीकृति प्रदान करेंगे क्योंकि यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनकी एक आवश्यकता है और इन होस्टलों में ऐसी सुरक्षा की अपेक्षा रहती है। इस संबन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उनको ठहरने की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया जायेगा और यहाँ तक कि फिर कुछ महिलाएँ हमेशा के लिए यहाँ ठहरना चाहेंगी। मैं सभा में आपको यह बता दूं कि केन्द्र में हमने यह निर्णय लिया है 5000 रु० तक की आय वाली लड़कियाँ भी यहाँ ठहर सकती हैं और उनके ठहरने की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया जायेगा। कुछ मामलों में हमने उन्हें विशेष कठिनाई के कारण

अधिक समय तक भी ठहरने की अनुमति प्रदान की है। वे अपनी सुरक्षा के बारे में चिन्तित हैं। क्योंकि हो सकता है उनके पति देश में किसी अन्य भाग में कार्य कर रहे हों और महिलायें देश के किसी दूसरे भाग में। यही कारण है कि वे हमारे होस्टलों में ठहरना चाहेंगी। मैं नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए होस्टल के बारे में यही कुछ कहना चाहती हूँ।

कुछ सदस्य इन्दिरा महिला योजना के बारे में अत्यधिक चिन्तित हैं। हमने यह वचन दिया है कि इस इन्दिरा महिला योजना को यथाशीघ्र शुरू कर दिया जायेगा। इस समस्या में विगत तीन वर्षों से पत्र-व्यवहार चल रहा है। हम इस कार्यक्रम को एक ही छत के अन्तर्गत लाना चाहते हैं। लेकिन विभिन्न कारणों से कई मंत्री अपने-अपने मंत्रालयों से सम्बद्ध कार्यक्रमों को एक ही छत के नीचे लाने को सहमत तक भी नहीं हुए। अब कम-से-कम हम इस निष्कर्ष पर तो पहुंचे हैं कि इस कार्यक्रम के प्रति जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार किया जाए। तथा इसे आय सृर्जन की सम्भावनाओं से पुष्ट किया जाए। हम योजना आयोग से इस वर्ष के दौरान कम से कम 200 खण्ड में इस योजना को आरम्भ करने की अनुमति देने का आग्रह कर रहे हैं। लेकिन योजना आयोग ने हमारे प्रस्ताव को अभी तक स्वीकृत प्रदान नहीं की है और इस इंदिरा महिला योजना के लिए फिलहाल 8 करोड़ रुपये की धनराशि तय की है। मुझे आशा है कि इस योजना पर इसी वर्ष के दौरान विचार किया जायेगा तथा हमें इसके लिए शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति प्राप्त होगी। महिलाओं पर बहुत अधिक अत्याचार किए जाते हैं। हम समाचार पत्रों में बच्चों से बलात्कार, अत्याचार, बाल हत्या आदि के बारे में पढ़ते रहे हैं। इतना कुछ घटित हो रहा है। अब हमने एक राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की है जो अत्याचारों तथा अन्य बातों के बारे में जांच करेगा। वे इस समय लागू विभिन्न विधियों की भी जांच कर रहे हैं। इससे सम्बंधित कानून हैं। उसने पहले ही दो अधिनियमों-दहेज अधिनियम तथा सती निवारण अधिनियम के खण्डों में संशोधनों के बारे में सुझाव दिया है। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि हम संशोधन कैसे करें ताकि अपराधियों को और अधिक दण्ड दिया जा सके। जहां कहीं ऐसे मामले उनके ध्यान में लाये जायेंगे, वे उनके साथ विचार-विमर्श करेंगे तथा राज्य-सरकारों को परामर्श देंगे, और वे पुलिस से सम्पर्क करेंगे। इस तरह वे यह सुनिश्चित करेंगे कि अपराधियों को यथा शीघ्र पकड़ा जाये।

जहां तक अत्याचारों का संबंध है, हम यह चाहते हैं कि अत्याचारों को कम करने के लिए उनके प्रति जन-चेतना का संचार करना ही मानदण्ड होना चाहिए। जहां तक जागरूकता उत्पन्न करने का संबंध है हम यूनिसेफ की सहायता से सभी विधिक शिक्षा पुस्तिकाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रित कर रहे हैं। हमने यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रसास किया है कि वे आम जनता तक पहुंचे। हमने राज्य सरकारों को इसके बारे में जानकारी दी है। हमने महिला विकास निगम को भी इसके बारे में जानकारी दी है। हमने यह जानकारी परिवार परामर्श केद्रों को भी प्रदान की है। ताकि वे जन-सामन्य तक पहुंच सकें। जब महिलाएं एक बार सचेत हो जाएंगी तो उन पर होने वाले अत्याचारों में काफी कमी आएगी।

जहां तक राजनैतिक शक्तियां प्रदान करने का संबंध है, हमने पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए 33.1/3 प्रतिशत आरक्षण किया है। मेरे विचार से संविधान में संशोधन करके महिलाओं के लिए 33 1/3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव की प्रशंसा करनी चाहिए। यह देखना हमारा सर्वोपरि कर्त्तव्य है कि पंचायती राज में आम महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। मेरे विचार से तीनों स्तरों पर प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना वे कारगर ढंग से कार्य करने में समक्ष नहीं होगी। इसलिए, हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए हैं। जहां कहीं गैर सरकारी संगठन अथवा अन्य संस्थाए अथवा विश्वविद्यालय पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए आगे आते हैं तो हम उनको केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से 10,000 रुपये प्रदान कर सकते हैं। इन बोर्डों का गठन किया गया है और वे कार्य कर रहे हैं। मैंने माननीय मुख्य मंत्रियों को इस आशय के कई पत्र लिखे हैं कि जब कभी वे उचित मूल्य की दुकानों अथवा डेयरी विकास निगम अथवा गैस अभिकरणों, का आवंटन करे ती महिलाओं को वरीयता दी जानी चाहिए मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस ओर तुरन्त ध्यान दिया है और उन्होंने उचित मूल्य की दुकानों के मामले में महिलाओं को वरीयता दी है। कर्नाटक सरकार भी उचित कीमत की दुकानें आबंटित करते समय निचले स्तर पर महिलाओं को वरीयता प्रदान करने में आगे आयी है।

दूसरा प्रश्न पोषण तत्व से संबंधित है। समन्वित बाल विकास कार्यक्रम का प्रमुख भाग पौषक तत्त्व प्रदान करना है। जहां तक पोषक सामग्री का संबंध है, हम अपनी गतिविधियों का विस्तार करना चाहते हैं। हाल ही में, हमें यह पता चला है कि पोषक सामग्री के लिए कुछ राज्य सरकारें केवल 50 पैसे, तो कुछ 60 पैसे, तथा कुछ में 75 पैसे प्रदान प्रति बच्चा की दर से कर रही थीं। हमने ऐसे राज्यों को यह बता दिया है कि जब तक वे पोषक सामग्री के लिए 1 रुपया प्रति बच्चा की दर से नहीं देते तब तक हम किसी नई परियोजना के लिए मंजूरी प्रदान नहीं करेंगे। कई राज्य सरकारें समन्वित बाल विकास योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के पोषण के लिए 1 रुपये प्रति बच्चा की दर से धनराशि प्रदान करने के लिए आगे आये हैं।

हम महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र प्रारम्भ करना चाहते हैं। अनुसंधान की देखभाल तथा महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए तथा तत्सम्बंधी नैटवर्क स्थापित करने के लिए हम इस वर्ष यह कार्यक्रम प्रारम्भ कर रहे हैं। आज, हमने बाल विकास केन्द्र का विकास किया है जिसमें वे प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। जहां तक पर्यवेक्षकों तथा आंगन वाड़ी अध्यापिकाओं का संबंध है, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उसकी तरह जहां तक महिलाओं का संबंध है, हम महिलाओं के बारे में गहन अध्ययन करना चाहते हैं। इस वर्ष के दौरान हमने ये विभिन्न कार्यक्रम प्रारम्भ किए हैं।

आप जानते हैं कि हाल ही में, महाराष्ट्र में भूकम्प आया था। भूकम्प के समय काफी अन्तर्राष्ट्रीय

एजेन्सियां आगे आयी थीं। उन्होंने काफी दान दिया था। हमने भी लातूर में अधिकारियों का एक दल भेजा था। हमने वहां 135 से अधिक शिशु सदन खोले ताकि निराश्रित बच्चों की देखभाल की जा सके। हमने महिलाओं के लिए अल्पावधि हेतु ठहरने के लिए गृह खोले हैं। हमने आय सृजित करने वाले कुछ कार्यक्रम भी प्रारम्भ किए हैं। बच्चों तथा विधवाओं की सहायता के लिए बैंक ने भी राज्य सरकार को 6 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। इस प्रकार में कुछ कार्यक्रम है जिन्हें हमने प्रारम्भ किया है।

बैठक में अन्य सुझाव यह दिया गया था कि स्टाफ अपर्याप्त है। यद्यपि इस कार्यक्रम का बहुत अधिक विस्तार किया गया है तो भी स्टाफ अपर्याप्त है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस समय स्टाफ अपर्याप्त है यद्यपि हमने विगत वर्ष के दौरान महिला समृद्धि योजना तथा राष्ट्रीय बालगृह विधि जैसे कई कार्यक्रमों का विस्तार किया है। हम ये सभी कार्यक्रम प्रारम्भ करेंगे मुझे आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी तथा हमें पर्याप्त स्टाफ प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेगी।

स्थायी समिति में एक अन्य सुझाव यह था कि हम पुराने कार्यक्रमों की ओर अधिक ध्यान नहीं दे रहे थे बल्कि नये कार्यक्रमों को महत्व दे रहे थे। यह हमारा प्रयोजन नहीं है। हम सभी कार्यक्रमों को, जो पहले ही प्रारम्भ हो चुके हैं, पर्याप्त निधियां प्रदान कर रहे हैं। मने उनको सुदृढ़ कर रहे हैं। जहां तक पुराने कार्यक्रमों का संबंध है हम उनका बहुत अधिक प्रचार कर रहे हैं। जहां तक नये कार्यक्रमों का संबंध है, हम टी.वी., दूरदर्शन तथा वाल पेंटिग आदि के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं।

इन सभी कार्यक्रमों के द्वारा मेरे विचार से, महिलाओं को समाज की ओर से शक्ति प्राप्त होगी। उनके लिए आर्थिक दृष्टि से सशक्त करने के लिए, हमारे पास आय सृजन परियोजनाएं हैं जिनमें हम पारम्परिक क्षेत्रों में नहीं बल्कि कम्प्यूटर, इलैक्ट्रौनिक्स, ब्यूटी पारलर आदि गैर पारम्परिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देते हैं।

उसके लिए हम 90 प्रतिशत अनुदान देते हैं। इस तरक के आय पैदा करने वाले कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग तथा हमारे विभाग में भी चल रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम महिलाओं को निश्चित रूप से प्रशिक्षण तथा आय प्रदान करेंगे। इस आय-उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम से वे कुछ बचत भी कर लेंगी।

इस सामाजिक अधिकार को देने के बाद आर्थिक अधिकार देने की बात आती है। हम उसे अपने आय-उत्पन्न करने वाले कार्यक्रमों के जरिए दे रहे हैं।

तीसरा अधिकार राजनैतिक अधिकार है जिसे हमारे प्रधान मंत्री पंचायती राज संस्था के जरिए दे चुके हैं। इन अधिकारों को देने के बाद, हमारे देश में महिलाएं आशानुरूप प्रगति कर सकेंगी। जहां तक आय का संबंध है, वे आत्मनिर्भर हो जाएंगी तथा अपने बच्चों का स्कूल जाना नहीं बन्द करवाएंगी।

वे अपने महिला बच्चों की देखभाल कर सकने की स्थिति में होंगी तथा उससे पूरे देश में हमारे सभी बच्चों की शिक्षा में सुधार होगा।

इन टिप्पणियों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ। मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : चूंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय अनुदान मांगों का क्षेत्र काफी व्यापक होता है अतः मैं कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट की गई बातों तक ही अपने आपको सीमित रखूंगी जिसमें बजट की समग्र प्रवृत्ति परिलक्षित होगी।

सरकार ने कई मौकों पर इस आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि वह प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना चाहती है। इस सत्र के प्रारम्भ में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए यह वायदा किया गया कि इस शताब्दी के अंत तक 'सबके लिए शिक्षा' का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। यह भी कहा गया था कि नौवीं योजना में शिक्षा के परिव्यय को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पादन के छः प्रतिशत तक कर दिया जाएगा। तथापि हम देखते हैं कि जबकि 1993-94 में यह परिव्यय सकल घरेलू उत्पादन का केवल 3.5 प्रतिशत था, 1994-95 में इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। अब, नौवीं योजना एक-दो वर्षों में शुरू हो जाएगी और हमें एक साथ भारी-भरकम वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर साल दर साल कोई वृद्धि नहीं की जाती है तो क्या हमें मालूम है कि जब हम 1996-97 में प्रवेश करेंगे तो हमें अचानक लम्बी छलांग लगानी पड़ेगी ? अतः, सरकार को संसद के समक्ष किए गए वायदे को पूरा करने के लिए स्वयं इस बजट में ही शैक्षणिक परिव्यय के हिस्से में वृद्धि करनी चाहिए थी, जो कि वाकई में नहीं की गई है।

1991 में हम देखते हैं कि साक्षरता के क्षेत्र में कुछ विकास और कुछ प्रगति हुई है। सात वर्ष से अधिक उम्र के 52.19 प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में साक्षर हैं। और अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हमें साक्षर बनाना है। हम देखते हैं कि पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत 64.20 है, महिलाएं अभी भी काफी पिछड़ी हुई हैं। इस तथ्य के बावजूद कि महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, अभी केवल 39.13 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। हम देख सकते हैं कि जबकि कतिपय योजनाएं और परियोजनाएं शुरू तो की जाती हैं, लेकिन उसके साथ ही निरक्षरों की पिछली संख्या जारी रहने के कारण लक्ष्य सुदूर में पिछड़ता जाता है जब तक कि इस जारी रहने वाली निरक्षरों की पिछली संख्या को समाप्त नहीं किया जाता तब तक मैं समझती हूं कि लक्ष्य की प्राप्ति कभी भी नहीं की जा सकती। लक्ष्य की ओर से छोरों से बढ़ना होगा। एक छोर है बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण और दूसरा है वयस्कों में निरक्षरता को कम करना।

आइए, प्राथमिक शिक्षा पर एक नजर डालें। यदि हम पचास और नब्बे के दशक के बीच की रिपोर्ट को देखें तो पाएंगे कि प्राईमरी और उच्च प्राईमरी पाठशालाओं की संख्या अवश्य ही बढ़ गई है। 1950-51 और 1991-92 के बीच स्कूलों की संख्या में तुलनात्मक वृद्धि हुई है। हम देखते हैं कि अब प्राईमरी और उच्च प्राईमरी स्कूलों की संख्या 7,17,863 हो गई है तथा 2,70,000 अनौपचारिक शैक्षणिक केन्द्र हैं जिसमें 136 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं।

और, फिर भी, जैसा कि सरकार ने इस पुस्तक में, जो 'सबके लिए शिक्षा शिखर सम्मेलन' के दौरान प्रकाशित की जाती है, इंगित किया है कि उच्च स्तरीय सुविधा की परिणति आवश्यक नहीं है कि बच्चों के उच्च स्तरीय पंजीयन में ही हो। अर्थात् यदि स्कूल अधिक हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि बच्चे सारे स्कूलों में जाएंगे ही। ठीक यही हो रहा है। स्कूलों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन उस हिसाब से बच्चों के पंजीयन की संख्या नहीं बढ़ी है बच्चों के पंजीयन का समग्र अनुपात भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में काफी भिन्न है। आज भी 6-14 वर्ष की उम्र के 24 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। कक्षा 1 से 4 के बीच स्कूल छोड़ने की दर काफी ऊंची 45 प्रतिशत है और यदि हम कक्षा 1 से 8 के बीच देखें तो यह और भी भयावह, 60 प्रतिशत है। अत: प्रश्न यह है कि यदि स्कूल हैं तो बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा जाता है, स्कूल जाने की दर इतनी कम क्यों हैं और इतनी अधिक संख्या में बच्चे स्कूल से पढ़ाई क्यों छोड़ देते हैं ?

सरकार को इन सभी प्रश्नों को हल करना होगा। ये मामूली सवाल नहीं हैं। जब तक कि गम्भीर राजनैतिक इच्छा होगी तब तक मैं नहीं समझती कि इस समस्या का समाधान किया जा सकेगा। यहां तक कि थोड़ा-बहुत धन-जिसे इस पर खर्च किया जा रहा है-भी निरर्थक जा रहा है क्योंकि लक्ष्यों को लगातार पीछे धकेला जा रहा है।

आइए, 'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड' को लेते हैं। मौजूदा बजट में इसके लिए धनराशि बढ़ाई गई है और फिर भी हम देखते हैं कि जहां तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सम्बन्ध है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफलता ही हाथ लगी है। 'कार्यवाई कार्यक्रम, 1992' के अनुसार, मार्च, 1992 तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 5, 385 सामुदायिक विकास केन्द्रों और 11,000 नगर पालिका क्षेत्रों में केवल 4.14 लाख स्कूलों तक ही पहुंच पाया था। यह ऑपरेशन जितने स्कूलों तक पहुंच पाया है वह लक्ष्य का केवल 77 प्रतिशत है। रपट कहती है कि संसाधनों के अभाव के कारण यथा अभिकल्पित देश के सभी प्राईमरी स्कूलों तक नहीं पहुंचा जा सका। लक्ष्य पूरा करने के लिए पहचाने गए एकल-अध्यापक विद्यालयों में 1.52 लाख अध्यापकों की नियुक्ति की तुलना में केवल 70,000 अध्यापकों की ही नियुक्त की गई है। मैं समझती हूं कि यह आंकड़ा थोड़ा पुराना है।

अब तक नियुक्त किए गए अध्यापकों की संख्या बढ़कर 1.02 लाख हो गई होगी, न कि 70,000 ही होगी। लेकिन फिर भी आज देख सकते हैं कि अध्यापकों की संख्या बढ़ाने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य और भर्ती किए गए अध्यापकों की वास्तविक संख्या के बीच काफी बड़ा अन्तर है।

यही बात कक्षाओं के निर्माण के संबंध में लागू होती है। कुल लक्ष्य का केवल 43 प्रतिशत प्राप्त किया गया है। मैं धन के दुरुपयोग अथवा भ्रष्टाचार, जिसके बारे में आरोप लगाया गया है, के बारे में कुछ करने नहीं जा रही हूं लेकिन जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन्हें भी नहीं प्राप्त किया गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना काफी पीछे चल रही है। जबकि अभी भी 'सिंगल-टीचर' स्कूलों की संख्या काफी बड़ी है, विभाग ने आश्चर्यजनक रूप से 'टू-टीचर' स्कूलों को मजबूत बनाए बिना

'थ्री-टीचर' स्कूलों को खोलने का निर्णय कर लिया है। विभाग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का विस्तार उच्च प्राईमरी स्तर के लिए भी करने जा रहा है।

मैं समझती हूं कि लक्ष्यों को प्राप्त किए बिना आगे बढ़ने की बजाय हमें पहले शुरू किए गए कार्यों को सुदृढ़ बनाना चाहिए। हम यह भी देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना में लचीलेपन का भी थोड़ा-बहुत अभाव रहा है। जिन्हें अध्यापकों की नहीं स्कूल की इमारतों की आवश्यकता थी, उन्हें अध्यापकों की नियुक्ति करने के लिए कहा गया। जिन्हें कमरों की नहीं, अध्यापकों की आवश्यकता थी, उन्हें अध्यापक नहीं मिले। अत: मैं समझती हूं कि इस प्रकार की योजना में, जिसे हमने पूरे देश की शैक्षणिक व्यवस्था में लागू किया है, हमें कुछ लचीलापन लाना होगा अन्यथा निधियों का दुष्प्रयोग अथवा उनका कम उपयोग होता रहेगा।

हमारे पास यह जिला प्राईमरी शैक्षणिक कार्यक्रम भी है जो विकेन्द्रीकरण और शैक्षणिक योजना में जिला स्तरीय भागीदारी के लिए है। इसका भी जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया गया है। उसमें से 85 प्रतिशत सहायता बाहरी संसाधनों से और 15 प्रतिशत सरकार से प्राप्त होगी। हालाँकि इसकी घोषणा बड़े ही जोश के साथ की गई थी, फिर भी इस महत्वपूर्ण योजना के लिए बाहरी सहायता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। मेरे विचार से यह योजना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस योजना के कार्यान्वयन है जितनी धन राशि की आवश्यकता है वह उपलब्ध नहीं है। अत: मेरा सुझाव यह है कि जहाँ पर सशक्त पंचायत व्यवस्था है वहाँ पायलट परियाजनायें होनी चाहिए और उन्हीं के भरोसे अपना कार्य शुरू किया जाना चाहिए। परन्तु मेरे विचार से योजना और संसाधनों को जुटाने के बीच जो विसंगति हैं उसका कारण एक बार फिर राजनैतिक संकल्प शक्ति का अभाव ही है।

मेरे विचार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसका उद्देश्य नि:शुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। तथा प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा पर बल दिये जाने की नीति है, बीच कतिपय विसगतियाँ हैं। मैं राष्ट्रीय नीति के तहत औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के बीच जो संबंध हैं उसके बारे में संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूँ :-

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बताया गया है कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवाय रूप से संतोषजनक स्तर की शिक्षा दी जाए . . . . ."

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह स्वीकार किया गया है कि पाठशालाएं सभी बच्चों विशेषकर लाखों बालिकाओं तथा कार्यरत बच्चों जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के फलस्वरूप, पाठशाला नहीं जा सकते हैं, के लिए पर्याप्त नहीं है।

अब आप यह कहते हैं कि आप लोग इस देश में प्राथमिक स्तर तक नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा शुरू करने जा रहे हैं। नि:संदेह, अनिवार्य शिक्षा का यह तात्पर्य नहीं हाता कि आप लोग बच्चों को जबरन शिक्षा दे सकते हैं। अनिवार्य शिक्षा को कार्यान्वित करने हेतु कतिपय आधारभूत सुविधाओं का होना आवश्यक है। यह देखना होगा, कि बच्चे पाठशाला क्यों नहीं आते, उन्हें पाठशाला आने

के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, और कार्यरत बच्चों को अपने कार्य से कैसे मुक्त करवाया जा सकता है तथा उन्हें पाठशाला में आने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। अत: आप या तो यह बताएं कि आप लोग फलॉ-फलॉ तारीख तक नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा शुरू करने जा रहे हैं अथवा आप लोग यह कहें कि सभी पाठशाला जाने लायक बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा शुरू किया जाना संभव नहीं है। अत: हमें अनौपचारिक शिक्षा रखनी होगी। मेरे विचार से जब तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के कार्यान्वयन को शुरू नहीं किया जाता तब तक कुछ समय तक बच्चों के लिए केवल अनौपचारिक शिक्षा ही जारी रखनी चाहिए।

और यह कार्य इस शताब्दी के अन्त तक हो सकेगा। अत: अब समय बहुत कम बचा है। हमें यह भी देखना है कि अनौपचारिक शिक्षा इस औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ कैसे चलायी जा सकेगी। इस बात का आपके कुछ प्रतिवेदनों में उल्लेख भी किया गया है और यही कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किया जाना चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा, इन बच्चों के लिए जो पाठशाला नहीं जा पाये, एक सोपान का काम करना चाहिए। और इस कार्य के लिए हमें नि:संदेह औपचारिक शिक्षण प्रक्रिया को ही बदलना होगा; उसे अधिक लचीला और अधिक मुक्त तथा सुगम्य बनाना होगा। अत: यह अन्योन्याश्रित होगी। परन्तु आप लोग सभी बच्चों विशेषकर बालिकाओं को केवल इसलिए स अनौपचारिक शिक्षा ही नहीं देंगे कि वे सामाजिक और आर्थिक कारणों के फलस्वरूप पाठशाला नहीं जा पाते हैं।

पूर्ण साक्षरता अभियान के लिए बजट में काफी अधिक धन राशि के लिए प्रावधान किया गया है। हम यह भी महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय साक्षरता अभियान सही दिशा में कार्य कर रहा है। इसने कतिपय क्षेत्रों में काफी अच्छा कार्य किया है। और कुछ क्षेत्रों में यह अभियान पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने में सफल रहा है। पश्चिम बंगाल के कुछ जिले में पूर्ण साक्षर हो गए हैं। राजस्थान के डूंगरपुर ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है। केरल राज्य में यह कार्य पहले ही पूरा हो गया है तथापि, हम लोग यह देखते हैं कि इस विभाग ने 60 नए जिलों के पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने हेतु 180.00 करोड़ रुपयों की माँग की थी। इस विभाग को 180 करोड़ रुपयों के स्थान पर केवल 154.75 करोड़ रुपये ही दिए गए हैं। साक्षरता के बाद के कार्यक्रमों को वास्तव में अभी तक शुरू नहीं किया गया, और इस बात की पुष्टि बजटीय परिदृश्य से है। वर्ष 1993-94 के लिए बजट प्राक्कलन 13.50 करोड़ रुपये था जबकि संशोधित प्राक्कलन 8 करोड़ रुपये था। अत: क्या इस पूर्ण साक्षरता के कार्यक्रम की गति जान बूझ कर धीमी की जा रही है। क्या धनराशि की कमी के कारण इस कार्यक्रम पर अधिक बल नहीं दिया जा रहा है ? समग्र रूप से यदि देखा जाए तो शिक्षा के लिए अधिक राशि आवंटित नहीं की गई हैं, शिक्षा पर जितनी धन राशि आवंटित करने का वादा किया गया था उतनी धन राशि आवंटित नहीं की गई। हमारे विचार में जब तक साक्षरता हेतु अधिक धन राशि आवंटित नहीं की जायेगी तब तक पूर्ण साक्षरता कार्यक्रमों पर दुष्प्रभाव पड़ता रहेगा।

केन्द्रीय विद्यालयों के लिये नियोजित बजटीय सहायता नहीं है परन्तु फिर भी इनकी माँग अत्यधिक बढ़ती ही जा रही है क्योंकि निजी क्षेत्र में शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। सभी राज्यों में, राज्य सरकार द्वारा संचालित पाठशालाएं नहीं हैं, इसी कारण केन्द्रीय विद्यालयों की अत्यधिक माँग है तब भी हम लोग यह पा रहे हैं कि शिक्षकों तथा छात्रों के बीच का अनुपात वर्ष 1992 और 1993 के मध्य नीचे चला गया है, पाठशालाओं की संख्या वही रह गई है, परन्तु छात्रों की संख्या बढ़ गई है जिसका तात्पर्य कुछ विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक छात्र हो गए हैं। हमारे पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं अत: जब तक उन्हें नियोजित सहायता नहीं दी जाती तब तक मेरे विचार से जिस प्रयोजनार्थ इन विद्यालयों को खोला गया है, वे पूरे नहीं हो पाएंगे।

जैसा कि आप सभी को मालूम है, नवोदय विद्यालय, शिक्षा के प्रचार-प्रसार की गति तीव्र करने के प्रयोजनार्थ खोले गए हैं। क्यो वे गति तीव्र करने वाले संस्थान बन पाये हैं ? नवोदय विद्यालयों की दो बार पुनरीक्षा की गई।

4.00 म॰ प॰

दूसरे प्रतिवेदन के अनुसार उन्हें चालू रखा जाना चाहिए परन्तु कुछ सतर्कताएं बरती जाने की आवश्यकता है। इस योजना को चलाया जा सकता है परन्तु तीन बातों को ध्यान में रखना होगा। इस योजना को कम लागत वाली योजना बनाए रखने हेतु इसकी सतत पुनरीक्षा किया जाना प्रवेश परीक्षा की वैधता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया जाना; और इन संस्थानों की, शिक्षा को गति प्रदान करने वाली जो भूमिका है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाना। प्रश्न यह उठता है कि क्या इन तीम बातों पर ध्यान दिया जाता है ?

कतिपय क्षेत्रों के नवोदय विद्यालय, मेरी जानकारी के अनुसार काफी अच्छी तरह चलाए जा रहे हैं। परन्तु देश के विभिन्न भागों में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां स्थिति बिलकुल ही भिन्न है। हमें पता है कि उच्च माध्यमिक स्तर पर पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत काफी कम है। हमारे पास जो अद्यतन आँकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार 4897 छात्रों में से 2738 छात्र पास हुए। यह कोई बहुत अच्छा रिकार्ड नहीं है। इन छात्रों का चयन श्रेष्ठ प्रतिभा के कारण किया गया। इनका चयन इसलिए किया गया क्योंकि वे विशेष प्रतिभासम्पन्न छात्र थे हमें केवल प्रतिशत को ही नहीं परन्तु उनका परिणाम किस स्तर का रहा, इस बात पर भी ध्यान देना होगा।

सभापति महोदय : आपने, अपनी पार्टी के आंवटित समय का पूरा उपयोग कर लिया है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं केवल शिक्षा के संबंध में ही बोल रही हूँ।

सभापति महोदय : यह केवल आपको सतर्क करने के लिए कहा गया है अब आप अपना भाषण जल्दी समाप्त कर दीजिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं, यथा संभव संक्षेप में बोलूंगी।

जब छात्रों को उत्तीर्ण कर देते हैं तो वे क्या करते हैं। क्या, नवोदय विद्यालय द्वारा जो परिणाम

दिया जाता है उनके आधार पर इन केन्द्रों को श्रेष्ठ सिद्ध किया जा सकता है। क्या इसी प्रकार के परिणाम सामान्य पाठशालाओं का उन्नयन कर तथा उन्हें सुधारकर प्राप्त नहीं किया जा सकता ? इस प्रयोजन हेतु नवोदय विद्यालयों की क्यों आवश्यकता हुई ? यहाँ किस विशिष्ट क्षेत्र में विद्यार्थियों की प्रतिभा प्रकट की जाती है ? इसी प्रकार के प्रश्न हमारे जहन में उठते हैं। शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ने पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया। नि:सदेह इस क्षेत्र को अधिक धन राशि आवंटित की गई परन्तु इस क्षेत्र यह व्यावसायीकरण के लिए अपेक्षित राशि काफी कम है। शिक्षा क्षेत्र में यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और यह बड़ी ही चिन्ता की बात है कि इस क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई।

जहाँ तक उच्चतरशिक्षा का संबंध है मैं केवल यह कहना चाहती हूँ कि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के बजट को बढ़ाया गया है। परन्तु फिर भी हमें यह बनाया गया है कि इस अतिरिक्त निवेश को देश के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए नहीं अपितु आसाम में इंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा दो केन्द्रीय विश्व विद्यालयों को स्थापित करने हेतु उपयोग में लाया जायेगा। मेरे विचार से वहाँ एक इंजीनियरिंग कालेज खोला जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। वहाँ पर एक केन्द्रीय विश्व विद्यालय भी होना चाहिए। परन्तु जब हम लोग, जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय पहले से ही है, उन्हें धन राशि नहीं दे पा रहे हैं तो सरकार आसम में एक साथ दो विश्वविद्यालय क्यों खोलने जा रही है ? क्या वे आसाम के लोगों की इस प्रकार से मदद करना चाहती है ? मैं यह बात बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। यदि सामान्य कालेजों तथा राज्य के विश्वविद्यालयों को और अधिक सुविधाओं से सम्पन्न किया जाता और इस प्रकार उनकी स्थिति को सुधारा जाता तो क्या वे इन दो प्रस्तावित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की अपेक्षा राज्य के लोगों को अधिक लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता। मैं यही प्रश्न पूछना चाहूँगी।

महोदय, मैं महिलाओं तथा बाल विकास पर बोलने के लिए कुछ मिनटों का समय लूंगी। अभी-अभी माननीय मंत्री इस पर बोले हैं। मैं केवल यह इंगित करना चाहती हूं कि इस विभाग में योजनाओं की कोई कमी नही हैं, और वास्तव में इस विभाग के आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। तथापि, चिन्ताजनक बात यह है कि योजनाए प्रारम्भ तो कर दी जाती हैं लेकिन फिर कुछ समय पश्चात वे चलती प्रतीत नहीं होती हैं।

तुरन्त हमारे दिमाग में इन्दिरा महिला योजना आती है। इसकी घोषणा 1991 में की गई थी और आठवीं योजना के लिए 1785 करोड़ रुपये आंबटित करने का प्रस्ताव किया गया था। इसका कुछ परिणाम नहीं निकला अब शेष आठवीं योजना के लिए 78 करोड़ रुपये की संशोधित योजना है। यहां तक कि इसे भी अभी तक योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

राष्ट्रीय बाल कार्य योजना एक अन्य योजना है। हम जानते हैं कि इसके लिए विभिन्न विभागों द्वारा धनराशि व्यय करने की आशा थी। लेकिन महिला तथा बाल विकास विभाग शीर्षस्थ विभाग है

और यह आश्चर्यजनक बात है कि इस शीर्षस्थ विभाग के बजट में हमें इस संबन्ध में कोई संकेत नहीं मिलते कि क्या राष्ट्रीय बाल कार्य योजना ने प्रगति की है, इसने कितनी प्रगति की है, क्या इसने प्रगति की भी है अथवा नहीं।

फिर अगली योजना राष्ट्रीय महिला कोष है। हम यह पाते हैं कि इस कोष के लिए 31 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकार की गई है। लेकिन इस वर्ष केवल 1 लाख रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है। हम नहीं जानते कि इसका क्या कारण है। यदि धन के लिए कोई आयोजना नहीं थी तो यह बड़ा कोष क्यों निर्धारित किया गया था, इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

समन्वित बाल विकास योजना को इन दिनों एक छतरी संगठन के रूप में देखा जा रहा है, एक तरह की एकल खिड़की योजना जो इस देश में महिलाओं तथा बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इसमें बाल्यकाल शिक्षा बालवाड़ी कार्यक्रम, डे केयर सैंटर आदि को शामिल किया जाना था। देश के कई भागों में समम्वित बाल विकास योजनाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। कुछ भी हो मुझे यह कहने में कोई शक नहीं है। फिर भी, 1993 के अन्त में, हम पाते हैं कि कई खण्ड इसमें अन्तर्गत लाये गये हैं, 5239 खण्डों में से 2119 खण्ड अब भी इसके अन्तर्गत लाये जाने हैं, और यदि प्रत्येक वर्ष औसतन 200 खण्ड इसके अन्तर्गत लाए जाते हैं, तो भी समस्त देश को इसके अन्तर्गत लाए जाने में दस वर्ष लगेंगे। इस कार्य में दस वर्ष का समय लगेगा। साथ ही, हम पाते हैं कि इस में सभी योजनाओं-क्रेच, डे केयर, शैशवकाल-को इसमें शामिल किया गया है-ये सब इस बास्केट के अन्दर हैं। इन योजनाओं के लिए कोई अतिरिक्त नियतन नहीं है, जबकि अलग योजनाएं जो इन सब के लिए थी, उनको परिव्यय न करने वाली योजनाएं बना दी गई थी, वास्तव में उनके पास निधियां समाप्त हो रही हैं। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जब तक समन्वित बाल विकास योजना इन अन्य योजनाओं को शामिल करने के लिए काफी सुदृढ़ नहीं होगी, अन्य योजनाओं को जारी रखना चाहिए। इनमें निधियां समाप्त नहीं होनी चाहिए।

संस्कृति विभाग पर केवल कुछ और मिनट का समय दीजिए। संस्कृति एक ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार। हस्तक्षेप का सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। अथवा नहीं भी हो सकता। मेरे कहने का यह अर्थ है कि यहां सिफ ये धनराशि प्रदान करने सकारात्मक प्रभाव प्राप्त नहीं किए जा सकते। यह बहुत ध्यानपूर्वक पूछना है कि धनराशि का किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है, किसके लिए धनराशि खर्च की जा रही है। आज हम पाते हैं संस्कृति का अत्यधिक वाणिज्यीकरण हो गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्री अभी अभी यहीं थे, मुझे खेद है कि वे अब यहां नहीं हैं। आज ही अपने घर से बाहर आने से पूर्व मैंने सुना कि आज मैट्रो चैनल पर 10 बजे के अंग्रेजी समाचार स्थगित कर दिए गए थे। महोदय, क्या आपको उसके कारण का पता है ?

इसका कारण यह था कि दूरदर्शन पीइरे कारडिन फैशन शो का सीधा प्रसारण करना चाहता

था। और इस कारण 10 बजे के मैट्रो चैनल के अंग्रेजी समाचार स्थगित करने पड़े थे। हम कहां हैं? महोदय, स्वयं सरकार एक तरफ सांस्कृतिक आक्रमण की बात कर रही है और दूसरी ओर इस सांस्कृतिक आक्रमण को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। मेरे विचार से सरकार को लोगों को विकल्प प्रदान करने पर बल देना चाहिए, विशेषकर शहरी तथा ग्रामीण गरीबों को क्योंकि आज जिस तरह का सांस्कृतिक आक्रमण हम देख रहे हैं वह लोगों के लिए अफीम बन रहा है; एक तरह की निम्न स्तर की संस्कृति लोगों के लिए अफीम बन रही है। अतः, सरकार को संस्कृति के इस वाणिज्यिकरण के लिए एक विकल्प प्रदान करना है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस तथ्य के बावजूद कि हममें से कई यह एक लम्बे समय से कह रहे हैं, फिर भी अभी तक लोक तथा जनजातीय संस्कृति के लिए कोई अलग नियतन नहीं है। ये हमारी देहात में सजीव रूप से विद्यमान हैं, जो हम विशिष्ट लोगों की काफी अवहेलना के बावजूद जीवित है। उन्हें बाजार स्थलों पर लाये बिना, उन्हें स्थानीय, मूल स्थानों, जहां वे रहते हैं, पर प्रोत्साहन प्रदान करके उन्हें एक नया बल प्रदान किया जा सकता है। और सरकारी सहायता का लाभ कलाकारों तथा लोगों को मिलना चाहिए, विचौलियों को नहीं जिनमें माध्यम से निधियां भेजी जाती है।

एक तरफ जबकि संस्कृति का अभाव है, दूसरी ओर हम पाते हैं कि संस्कृति विभाग के संसाधनों का विगत कुछ वर्षों से पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है। अतः भारी सांस्कृतिक समूहों के बावजूद, जहां अधिकांश लोगों की कोई पहुंच नहीं होगी, मैं यह सुझाव देना चाहूंगी कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लघु सांस्कृतिक-केन्द्र, क्षेत्रीय भिन्नताओं के लिए काफी संभावनाओं सहित, बनाये जायें। इन्दिरा गांधी कला केन्द्र में कार्य में वर्षों का विलम्ब हुआ है। इसे हमारे सांस्कृतिक विभाग के बजट का काफी भाग प्राप्त होता है। और फिर भी यह बहु-सांस्कृतिक समूह, जो इन्दिरा गांधी केन्द्र को बनाया जाना था, अब भी नहीं बनाया गया और अब हमारे पास एक अन्य बड़े बहु-सांस्कृतिक समूह के लिए एक योजना है। यह ऐसी बात नहीं है जिसके कारण प्रारम्भिक स्तर पर संसाधनों का उचित नियतन हो सके।

अन्त में, महोदय, मैं जिला संग्रहालयों तथा ग्रामीण पुस्तकालयों की योजना का स्वागत करता हूँ। मेरे विचार से यह एक बहुत अच्छी योजना है। इसे उचित ढंग से तैयार करना है। मुझे आशा है कि इसे शीघ्र ही क्रियान्वित किया जायेगा।

जहां तक हमारे देश में एक पुस्तकालय का संबंध है, इस पर काफी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और यह राष्ट्रीय पुस्तकालय है। मुझे कहना चाहिए कि वहां प्रशासकीय समस्या को काफी लम्बे समय से हाथ से बाहर जाने की अनुमति दी गई है जबकि पाठकों को कठिनाइयां हो रही है, अतः, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सभी तरह की अनुशासनहीनता, सत्ता का उल्लंघन करने, गुण्डागर्दी के विरुद्ध उच्चतम स्तर तक प्रशासनिक कार्यवाही होनी चाहिए और किसी को भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। राष्ट्रीय पुस्तकालय की समस्याओं की समग्र रूप से जांच करने के लिए एक समिति

का तुरन्त गठन किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय पुस्तकालय के राष्ट्रीय महत्व को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ क्योंकि हमारा एक बड़ा देश है और मानव संसाधन विकास एक बहुत महत्वपूर्ण तथा बड़ा विभाग है।

महोदय, जैसा कि आपको जानकारी है, एक कहावत है, "एक वृक्ष को उसमें लगने वाले फल से जाना जाता है।" देश का निर्माण इसकी शिक्षा पर निर्भर करता है। कोई भी देश अपनी शिक्षा, परम्परा तथा उसके मूल्यों से जाना जाता है।

4.15 म०प०

(श्रीमती सन्तोष चौधरी पीठासीन)

आज मैं रविन्द्र नाथ टैगोर की कविता से उद्धरण देती हूँ जिन्होंने इस प्रकार कहा है :-

"जहां हृदय में निर्भयता है और मस्तक अन्याय के सामने नहीं झुकता;

जहां ज्ञान का मूल्य नहीं लगता;

जहां संसार घरों की संकीर्ण दीवारों में खण्डित और विभक्त नहीं हुआ;

जहां शब्दों का उद्भव केवल सत्य के गहरे स्रोत से होता है;

जहां अनर्थक उद्यम पूर्णता के आलिगंन के लिए ही भुजाएं पसारता है;

जहां विवेक की निर्मल जल धारा पुरातन रुढ़ियो के ;

मरुस्थल में सूखकर लुप्त नहीं हो गई है;

जहां मन तुम्हारे नेतृत्व में सदा उत्तरोत्तर विर्त्तीण होने वाले विचारों और कर्मों में रत रहता है;

प्रभु ! उस स्वतन्त्रता के दिव्य प्रकाश में मेरा देश जाग्रत हो।"

आज मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी का उद्धरण देती हूँ जिन्होंने इस प्रकार कहा था :-

"मेरी समझ में यह नहीं आता कि किसी व्यक्ति को अपने भारतीय होने पर गर्व न हो।"

आज मैं श्री राजीव गांधी को भी याद करती हूँ जिन्होंने यह 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड', 'लिट्रेशी मिशन' तथा अन्य कार्यक्रम इस देश के लिए प्रारम्भ किए थे ताकि हमारी शिक्षा प्रणाली निचले स्तर तक पहुंच सके और हमारी शिक्षा प्रणाली हमारे नैतिक चरित्र का निर्माण कर सके। मैं स्थायी विवेकानन्द का उद्धारण देती हूँ जिन्होंने इस प्रकार कहा था :

"हमें अपना नैतिक चरित्र बनाना है। हमें अपने चरित्र निर्माण कार्यक्रम को प्रारम्भ करना है। आज हम वह नहीं कर रहे हैं। उसकी आज कमी है। इसी कारण से, मेरे विचार से मुझे अन्य विषय पर ध्यान केन्द्रित नहीं करना चाहिए बल्कि मुझे स्वयं शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए क्योंकि

पहले मुझे इतना क्षेत्र नहीं मिला था। मैं यह महसूस करती हूँ कि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और हमारी सरकार इस क्षेत्र पर अधिक बल दे रही है। लेकिन मुख्य समस्या यह है कि हमारे पास इतनी अधिक योजनाएं तथा इतने अधिक कार्यक्रम हैं।

[अनुवाद]

मुख्य समस्या यह है कि शिक्षा, राज्य सरकार का विषय है। भारतीय खेल भी राज्य का विषय है। भारत सरकार धन राशि दे रही है। उसके पास कुछ योजनाएं भी हैं। तीन राज्य सरकारें मैं सभी राज्यों के बारे में नहीं कह रही हूँ–बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं मैं, इस संबंध में केरल को बधाई देती हूँ। वहाँ पर साक्षरता दर भी काफी अच्छी है। महाराष्ट्र सरकार भी अच्छा कार्य कर रही है .....(व्यवधान)..... कर्नाटक सरकार तथा अन्य राज्य भी अच्छा कार्य कर रहे हैं .....(व्यवधान).....

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है ?

कुमारी ममता बनर्जी : मैं, पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में ही बोलने जा रही हूँ मेरे पास सभी संगत पत्र हैं।

महोदया, आप इस बात का समर्थन करेंगी कि शिक्षा सार्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और कम से कम इसका तो हमें राजनैतिकरण नहीं करना चाहिए, हमें शिक्षण संस्थानों को नष्ट नहीं करना चाहिए। राजनैतिक हस्तक्षेप और प्रभाव के कारण हमारी व्यवस्था को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा किसी चीज का अध्ययन करना ही नहीं है अपितु एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था से स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ विचार का निर्माण होता है। परनतु आजकल क्या हो रहा है ? मैं इस बात पर विस्तार से चर्चा नहीं करूँगी। क्योंकि इस बारे में बजट सम्बंधी पत्रों तथा स्थायी समिति के प्रतिवेदन में पहले ही बताया जा चुका है।

सर्वप्रथम, मैं, राष्ट्रीय ग्रन्थालय के संबंध में बोलूंगी। निसंदेह हमें अपने राष्ट्रीय ग्रन्थालय पर गर्व है, हमें हमारी संस्कृतिक विरासत, परंपरा और मूल्यों पर गर्व है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि किन कारणों या किस दल के दबाव के कारण इस संस्थान को क्षति पहुँचाई जा रही है।

इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? इस सभा में कई ऐसे सदस्य हैं जो शिक्षा क्षेत्र में राजनीति को नहीं चाहते। और ये ही वे लोग हैं जो सस्थाओं के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं। उसी कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है इन हस्तक्षेपों से भविष्य में क्या परिणाम होंगे ? इस संस्थान का भविष्य क्या होगा ? पहले वहाँ पर कोई झगड़े नहीं थे। परन्तु अब राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण दूरगामी परिणाम हुये हैं। संस्थान के आन्तरिक विवाद उसके रोजमर्रा के प्रशासन पर गंभीर तथा प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। मैं, मंत्रालय के टिप्पणी से ही उद्धृत कर रही हूँ जिसके अनुसार ग्रन्थालय के विकासात्मक कार्यक्रम, जैसे कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम, माइक्रोफिल्मिंग कार्यक्रम, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं

की खरीद, आदि, ग्रन्थालय के अधिकारियों के पास ऐसे संरचनात्मक कार्यों के लिए समय नहीं होने में कारण लगभग रुक गए हैं। तदनुसार, वर्ष प्रति वर्ष नियोजित बजट की काफी बड़ी राशि व्यय किए बिना ही रह जाती है। यहां तक कि 42 करोड़ रुपये की लागत से भाषा भवन निर्माण करने की परियोजना में भी शिथिलता आई है"।

ऐसा क्यों हुआ ? जब पहले वाले निदेशक थे, तो वहाँ पर कोई भी झगड़ा नहीं था। महोदया, आप इस बात का समर्थन करेंगी कि चूँकि हमारा देश एक गणतंत्रात्मक देश है अत: प्रत्येक उद्योग में कोई एक विरोधी संघ होना चाहिए। यह बात किसी एक संस्थान के लिए ही नहीं हैं, हर जगह कर्मचारियों को यूनियन बनाने का अधिकार है। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि यूनियन के लोग, राजनीतिज्ञों की सहायता से स्थिति को बिगाड़ें। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस विभाग को कैसे तंग किया गया तथा कैसे अवहेलना की गई है।

मैं आपको केवल पत्र दिखा रही हूँ। ऐसा राष्ट्रीय ग्रन्थालय में ही क्यों हो रहा है ? ऐसा कुछ पदोन्नति, भर्ती तथा अनुकम्पा के आधार पर की गई भर्ती के कारण हुआ है। चूँकि यह ग्रंथालय मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है अत: मैं माननीय वरिष्ठ मंत्री अर्जुन सिंह जी से कई बार मिली तथा उनसे यह कहा कि इस ग्रन्थालय को बन्द नहीं किया जाए। यदि कोई झगड़ा है तो ये दोनों यूनियन साथ बैठकर विचार विमर्श कर सकती हैं। निदेशक महोदय स्वयं एक बैठक बुला सकते हैं अथवा कोई दिल्ली से जा सकता है। वे लोग साथ बैठकर निर्णय कर सकते हैं। परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो यह रहा है कि वर्तमान निदेशक* के बाद .... को नियुक्त किया गया, ऐसे झगड़े शुरू हुए* ... मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूँ।

महोदया, आप इस बात का समर्थन करेंगी कि 6.9.93 को किसी एक विशेष पदोन्नति के लिए श्री डी॰ एन॰ बनर्जी ने यह लिखा कि कलकत्ता के श्री सफुल्ल कुमार नंदी को सहायक लाइब्रेरियन (उड़ीसा) के पद पर पदोन्नत किया जाता है। मेरा कहना यह है कि यह एक विभागीय कार्य है। 4.10.93 को पुन: एक पत्र आया जिसमें कहा गया था कि 6 सितम्बर, 1993, 1993-94 की आदेश सं. 538 को संस्कृति विभाग के निर्देश आने तक आगे कार्यान्वित नहीं किया जाए। तत्पश्चात 9.10.93 को एक और पत्र मिला। यह पत्र भी श्री डी. एन. बनर्जी का था। उस पत्र में उन्होंने यह लिखा कि इस मद के लिए डी. पी. सी. को पुन: मामले की पुनरीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है अर्थात इस व्यक्ति को पदोन्नत किया जाना चाहिए। इसके बाद 26 अक्तूबर, 1993 को श्री एन. शकधर से एक और पत्र प्राप्त हुआ। उस पत्र में उन्होंने लिखा था........।

"दिनांक 20 सितम्बर, 1993 के हमारे समसंख्यक पत्र में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि की उक्त डी.सी.पी. की बैठक की कार्यावाही सारांश की मद सं. 3 में श्री सफुल्ल कुमार नंदी को सहायत लाइब्रेरियन पद पर पदोन्नत करने के संबंध में की गई सिफारिश उचित है"।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

तत्पश्चात् 3.1.94 को एक और पत्र आया जिसमें कहा गया था कि श्री नंदी को सहायक लाइब्रेरियन पद पर 3 अगस्त को पदोन्नत किया गया था, अत: उनकी वरीयता नियमानुसार निर्धारित की जाएगी।

महोदया, अब पदोन्नति संबंधी विभागीय समिति उसे उचित पदोन्नति दे रही है। वे उन्हें चौथी बार पदोन्नति दे रहे हैं और एक बार उन्होंने यह कहा नहीं, इसे स्थगित रखा जाए। उन्हें चार बार पदोन्नति देने के बाद विभाग ने 21 फरवरी को पुन: पत्र भेजा जिसमें कहा गया था :-

"जब तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती श्री सफुल्ल कुमार नंदी को सूचना सहायक पद का वेतन ही दिया जाए। श्री सफुल्ल कुमार नंदी के सहायक लाईब्रेरियन और सूचना अधिकारी के पद पर पदोन्नतियों को 1993-94 के कार्यालय आदेश सं. 990 दि. 3.1.94 के द्वारा स्थगित रखा जाता है।"

अत: स्वयं विभाग द्वारा चार बार जारी किए गए पदोन्नति आदेशों के बावजूद भी श्री नंदी की पदोन्नति को स्थगित रखा गया।

तत्पश्चात, 21 मार्च, 1994 को निदेशक ने पुन: पत्र लिखा। वे निदेशक कैसे बने। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्या किसी संस्थान के निदेशक इस प्रकार से लिख सकते हैं ? यह 1993-94 का आदेश सं.1217 हैं जिसमें बताया गया है :-

"राष्ट्रीय ग्रन्थालय संबंधी मामलों की जांच करने के संबंध में मानव संसाधन के विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई समिति के संबंध में 18.3.94 के विभिन्न समाचार माध्यमों में प्रकाशित समाचारों के फलस्वरूप ......

मैं आगे भी उद्धृत कर रही हूँ-

"यह विचार किया गया है कि श्री सफुल्ल कुमार नंदी के मामले सहित सभी विवादों और लंबित को उक्त समिति के प्रतिवेदन को प्राप्त किए जाने तक, लंबित रखा जाए।"

निदेशक महोदय ने समाचार माध्यमों में प्रकाशित समाचारों को देखकर कार्यालय आदेश का उल्लेख किया है। यह उन महोदय के कार्य करने का ढंग है। वहाँ पर इस प्रकार का कार्य होता है जब वहां पर इस प्रकार का कार्य होता है तो न केवल राष्ट्रीय ग्रन्थालय अपितु सभी प्रमुख संस्थानों को नुकसान पहुंचेगा। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से इस मामले की जांच करने का अनुरोध कर सकती हूँ ?

निदेशक महोदय ने 21 मार्च को एक पत्र जारी किया। पुन: 20 मार्च को श्री अशोक बाजपेयी, संयुक्त सचिव से इस आशय का एक पत्र प्राप्त हुआ कि श्री सफुल्ल कुमार नंदी तथा अन्य सभी को उनकी पदोन्नति के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। एक पदोन्नति के लिए इतना कुछ हो गया।

राष्ट्रीय ग्रन्थालय में एन. एल. ई. ए. और एन. एल.. एस. ए. नाम की दो यूनियन हैं जिसमें निसंदेह एक यूनियन को राज्य में सत्ता पक्ष का समर्थन प्राप्त है और दूसरी यूनियन निरास्पक्ष है।

.....(व्यवधान)..... आप, अब बता रहे हैं। मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप संस्थान को नुकशान पहुँचा रहे हैं। **.....(व्यवधान).....** जब आपको अवसर मिला है तो आप क्यों नहीं बोले आपको समय दिया गया तो उस समय आपने उसका सदुपयोग क्यों नहीं किया ? **.....(व्यवधान).....** मैं, दस्तावेजों पर आधारित बात कह रही हूँ।

श्री मणिशंकर अय्यर (माईलाडुदुराई) : आपने प्रश्न पूछा। वे उसका उत्तर दे रही हैं **.....(व्यवधान).....**

कुमारी ममता बनर्जी : महोदया, यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं किसी यूनियन का समर्थन नहीं कर रही हूँ। मैं यह कह रही हूँ कि यदि कोई बात विवाद में उठती है तो निदेशक को दोनों यूनियनों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। परन्तु महोदया, निदेशक, सी. पी. आई. (एम) दल के समर्थन के कारण ऐसा कर रहे हैं। वे इस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। जिसका यह प्रमाण है। मैं इसे आपको दिखा रही हूँ। **.....(व्यवधान).....** मैं इसका समर्थन करती हूँ **..... (व्यवधान).....** जब व्यक्ति को अपमानित किया गया तो उन्होंने शिकायत की और कार्यवाही की गई। एक सदस्य को नौकरी से निकाला गया तथा तीन सदस्यों को निलंबित किया गया है। माननीय सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं पहले के राजनैतिक दृष्टिकोण की बात नहीं कर रही हूँ। आप उनसे इस घटना के बारे में पूछ सकते हैं। श्रीमती कल्पना दासगुप्त वहाँ पर लाइब्रेरियन हैं। वे काफी प्रख्यात महिला हैं। ईरानी शिष्टमंडल के समक्ष उनको अपमानित किया गया तथा उनके साथ दुर्व्यहार किया गया। ऐसा क्यों किया गया ? इस मामले में किसी को भी निलम्बित नहीं किया गया। मेरा कहना है कि इस मामले से सम्बन्धित लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। यह शर्मनाक मामला है। मेरा निवेदन है कि यदि इसके लिए कोई सजा है तो दोनों पक्षों को सजा दी जानी चाहिए। श्रीमती कल्पना दास गुप्त विख्यात महिला हैं। पिछले वर्ष उन्हें 'वर्ष की श्रेष्ठ महिला' का सम्मान प्रदान किया गया था उन्हें इस हद तक अपमानित किया गया इसके विरुद्ध उन्होंने शिकायत की और पुलिस स्टेशन में एफ. आई. आर. भी दर्ज करवाई। लेकिन इस मामले में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया था। इस प्रकार की घटनाएं नेशनल लाइब्रेरी में घटित हो रही हैं वहां की सभी विकास गतिविधियां रुकी गई हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह गम्भीरता से इस मामले की जांच करें। मैं किसी भी यूनियन का समर्थन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी दिलचस्पी लोगों के लिए, पाठकों के लिए, राष्ट्र और देश के लिए है इसलिए मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि किसी विशेष संस्थान के निदेशक, चाहे वह कोई भी हों, उन्हें निष्पक्षता पूर्वक कार्य करना चाहिए और उन्हें अपने कार्यों हेतु किसी राजनीतिक दल से सहायता नहीं लेनी चाहिए और उन्हें संस्थान के बेहतर हित हेतु कार्य करना चाहिए। यही मेरा निवेदन है। सरकार को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा इस प्रकार की घटनाएं संस्थान को खराब कर देंगी। इस प्रकार के संस्थान समाप्त हो जायेंगे। इसलिए मैं एक मुद्दे को सदन में उठाना चाहती थी।

महोदया, अब मैं सरकार के साक्षरता कार्यक्रम पर आती हूँ। स्वर्गीय राजीव गांधी ने "ऑपिरेशन ब्लैकबोर्ड" और साक्षरता कार्यक्रम आरम्भ किये थे। मेरे विचार से सरकार को 'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड' कार्यक्रम को व्यापक रूप से अपनाना चाहिए। सरकार को यह देखना चाहिए कि वे राज्य कौन से हैं जो इस कार्यक्रम हेतु प्रदान किये गये अनुदानों का उचित उपयोग कर रहे हैं और वे राज्य कौन से हैं जो इसका उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही राशि का समुचित प्रयोग संचार माध्यमों और सरकार द्वारा निगरानी व्यवस्था के अभाव के कारण नहीं हो रहा है। उस धन का उचित प्रयोग नहीं हो रहा है। मैंने कई स्थानों का दौरा किया है। मैंने वहां देखा कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के नाम पर कई स्थानों पर तो ब्लैकबोर्ड तक नहीं थे। ऐसी स्थिति वहां देखने को मिली। मुझे समझ में नहीं आता कि वह ब्लैकबोर्ड के बिना किस प्रकार पढ़ाते होंगे। मेरा विचार है सरकार को इस कार्यक्रम की निगरानी रखनी चाहिए और इस कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी अवश्य किया जाना चाहिए।

जहां तक साक्षरता कार्यक्रम का सम्बन्ध है मैं अपनी सरकार को मुबारक बाद देती हूं। हमारी सरकार साक्षरता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है और कई राज्यों ने तो शतप्रतिशत साक्षरता को भी प्राप्त कर लिया है।

महोदया मैं उन तीनों पुस्तकों के बारे में बताना चाहती हू जो साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत पढ़ाई जाती हैं। यदि माननीय मन्त्री महोदय चाहें तो मैं उन्हें भी यह पुस्तकें दे सकती हू। मेरे विचार में सरकार को रामकृष्ण मिशन जैसे कुछ प्रतिष्ठित संगठनों के माध्यम से साक्षरता कार्यक्रम चलाने चाहिए। मैं दूसरे राज्यों के बारे में नहीं जानती और अन्य राज्यों के सदस्य अपने राज्यों के बारे में स्वयं ही बतायेंगे। अत: मैं कहना चाहूंगी कि मेरे राज्य में साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत क्या हो रहा है। मेरे राज्य पश्चिमी बंगाल में साक्षसरता कार्यक्रम के नाम पर, इस कार्यक्रम का राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं इस पुस्तक में दिये गये पाठ में से कुछ बताना चाहती हूँ जो कि साक्षरता कार्यक्रम के अर्न्तगत हमारे राज्य में पढ़ाई जाती है। यह पुस्तक बंगाली भाषा में है और मैं जानती हू कि यहां के अधिकांश सदस्य बंगाली भाषा नहीं समझते हैं इसलिए मैं उस पुस्तक के कुछ भागों का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करती हूँ इसमें कहा गया है : 'हमारे देश की राजधानी दिल्ली है यदि यह मांग आम जनता का राज्य द्वारा की जाती तो सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करना चाहती। वे इस देश पर राज्य कर रहे हैं। वे हमारी मांग को स्वीकार नहीं करना चाहते। वे हमें कुछ भी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि वे स्वार्थी हैं वह इस पर कुछ सुनने को तैयार नही हैं।'

महोदया, साक्षरता कार्यक्रम के अर्न्तगत वह यह सब बातें पढ़ा रहे हैं और इस प्रकार वे पश्चिम बंगाल के आशिक्षित लोगों का मन परिवर्तित कर रहे हैं। एक अन्य स्थान में हथौड़ा और दराती का उल्लेख किया है। उनका चुनाव चिन्ह हथौड़ा और दराती है और वह लोगों को इस प्रकार से बता रहे हैं कि यदि आप जीवित रहना चाहते हो तो हथौड़ा और दराती अर्थात हमारी पार्टी को मजबूत

'बनाओ।'

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं समझता हूं बैल, सांड, और सभी प्रकार के पशु भी यहां पाये जाते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : यदि आप चाहते हैं तो मैं इसे चुनाव आयोग को भेज दूंगी वे बहुत प्रसन्न होंगे और वह तुम्हें पुरस्कार भी देंगे। इस प्रकार का साक्षरता कार्यक्रम पश्चिमी बंगाल में चल रहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हथौड़ा और दरांती मजदूर और किसानों का प्रतीक हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं मजदूर और किसानों का विरोध नहीं करती हूं। लेकिन आप बच्चों का और अशिक्षित लोगों का बलात मत प्रवर्तन कर रहे हैं ताकि वह आपको मत दे सकें। इस प्रकार के राजनीतिकरण के कारण साक्षरता कार्यक्रम स्तर का घट गया है।

महोदया, इससे पहले पूरे देश में साक्षरता स्तर पर पश्चिमी बंगाल का दूसरा स्थान था लेकिन अब देश में हमारा 18वां स्थान है। अत: मैं कहना चाहती हूं कि साक्षरता कार्यक्रम को राजनैतिक कार्यक्रम नहीं बनाना चाहिए। हमें अपने लोगों को शिक्षित करना चाहिए हमें सभी को शिक्षित करना चाहिए। हमें प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति को पढ़ाने के सिद्धान्त का पालन करना चाहिए। हमें इस प्रकार की राजनीतिक शिक्षा के स्थान पर लोगों को उचित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। लेकिन महोदया, हर व्यक्ति प्रमाण पर निर्भर करता है।

प्रमाण में आप देखेंगे कि अधिकारियों ने बताया है कि यहां शतप्रतिशत साक्षरता है। यदि आप वहां पर राज्य सरकार और सम्बन्धित एजेन्सी को सूचित किये बिना नमूना सर्वेक्षण कराते हैं तो आप को पता चलेगा कि वहां पर साक्षरता की दर कितनी है। वे बुर्दवान में साक्षरता का शतप्रतिशत दावा करते हैं। यदि आप निगोम गांव, औशुगोम गांव या पूरवा स्थली का दौरा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह एक ढोंग मात्र है।

इसलिए मैं समझती हूँ कि इस मामले को सदन को उठाना मेरा नैतिक दायित्व है ताकि केन्द्र सरकार को पता चल सके कि शिक्षा के नाम पर क्या हो रहा है। मेरे राज्य में उन्होंने किसी भी मॉडल स्कूल को खोलने की इजाजत नहीं दी हैं। इसमें क्या कठिनाई है ? सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से पांच में अंग्रेजी विषय नहीं पढ़ाया जाता है उन्होंने पिछले 17 वर्षों में इस प्रणाली को बदल दिया है अब तो आम लोगों को अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजना आरम्भ कर दिया है। इसलिए अब उस राज्य में कई अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल गये हैं। यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेजना चाहता है तो अधिकतर मामलों में उन्हें प्रत्येक सीट के लिए 30,000 रु. से एक लाख रु० तक अनुदान राशि देनी पड़ती है वह ऐसा करने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि उनके बच्चों को अंग्रेजी पढ़नी ही पड़ेगी। अन्यथा वह शिक्षा की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे। इस प्रकार की स्थिति है।

मैं नहीं जानती कि हमारी राज्य सरकार ने मॉडल स्कूलों नवोदय विद्यालयों को खोलने की अनुमति क्यों नहीं दी है। यदि राज्य सरकार ने नवोदय विद्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी होती तो कम से कम 50 से 60 स्कूल खुल गये होते और 50,000 से 60,000 बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिल गया होता। केवल राजनीति के कारण वह इन स्कूलों को खोलने की अनुमति नही देते हैं। मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह इस बात की छान बीन करें ताकि हमारे राज्य में नवोदय विद्यालय खोले जा सकें। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जो चाहते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिभाशाली बच्चे आगे आएं। वह इन मॉडल विद्यालयों के माध्यम से उचित शिक्षा प्राप्त करें।

मैं अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में एक अन्य मुद्दे को उठा रही हूँ। मैं कुछ अल्पसंख्यक लोगों से मिली। उन्होंने बताया कि हमारे राज्य में 150 मदरसा स्कूलों में सरकार से मान्यता प्रदान करने के लिए कहा है लेकिन आज तक किसी एक भी मदरसा स्कूल को मान्यता नहीं दी गई है। पश्चिमी बंगाल में एक उर्दू अकादमी की स्थापना की जानी है। मैं नहीं जानता उसकी नींव रखी गई है। पश्चिमी बंगाल में एक उर्दू अकादमी स्थापित करने में कितना समय लगेगा। चुनाव के समय में वह अल्पसंख्यकों से कहेंगे कि उनका दल अल्पसंख्यकों के लिए कई काम कर रहा है लेकिन यह शर्म की बात है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक थी मदरसा को मान्यता प्रदान नहीं की है और एक उर्दू अकादमी भी स्थापित नहीं की है।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम हैं लेकिन राज्य सरकार ने किसी भी सूत्र को कार्यान्वित नहीं किया है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : आपकी सूचनार्थ, पश्चिमी बंगाल में मदरसा बोर्ड है।

कुमारी ममता बनर्जी : एक छोटे से क्षेत्र में वह प्राथमिक स्कूल की तरह ही एक मदरसा खोलना चाहते हैं। वहां लगभग 400 मदरसे हैं जिन्हें अभी मान्यता दी जानी है। आप अल्पसंख्यकों को भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में तो 40 प्रतिशत मुसलमान आबादी है और हमें उनकी शिक्षा व्यवस्था को भी देखना है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप उन्हें मदरसे तक ही शोभित न करें। उन्हें साधारण स्कूलों में भी जाने दीजिए, उन्हें अपने दायरे से बाहर आने दीजिए। मदरसा शिक्षा में सुधार करने की आवश्यकता है। अल्पसंख्यकों के बच्चे मदरसे में जाएंगे। लेकिन उस प्रणाली का भी सुधार कई वर्षों से नहीं किया गया है। हमें इस समस्या को नए सिरे से देखना होगा।

कुमारी ममता बनर्जी : यदि कुछ लोग आम स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम उन्हें प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन उर्दू भाषा को मान्यता नहीं दी जानी है, उसे किसी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। आपको यह समझना होगा कि उर्दू भाषा हर संस्था में नहीं उपलब्ध

है। मैं भाषा के बारे में बात कर रही हूं।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। .....**(व्यवधान)**.....

कुमारी ममता बनर्जी : कृपया मुझे स्पष्ट करने दीजिए .....**(व्यवधान)**.....

सभापति महोदया : अब आप समाप्त करने का प्रयास कीजिए .....**(व्यवधान)**.....

कुमारी ममता बनर्जी : जब वे लगातार कमेन्ट्री कर रहे हैं तो मैं अपना भाषण कैसे पूरा कर सकती हूं ?

मैं चाहती हूं कि हमारे राज्य में कुछ आदर्श स्कूल अवश्य खोले जाएं। केन्द्रीय स्कूल और नवोदय स्कूल की भांति कुछ नए स्कूल खोले जाएं ताकि स्कूल में सभी लोग आ सकें। लेकिन, इसके साथ ही, आपको यह बात समझनी चाहिए कि उर्दू भाषी लोग चाहते हैं कि मदरसे खोले जाएं क्योंकि वे अपनी भाषा सीखना चाहते हैं।

श्री ई॰ अहमद (मंजेरी) : माननीय सदस्यों को मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करना चाहिए कि वह पश्चिम बंगाल में अल्प संख्यकों की दशा के बारे सही स्थिति को बताएं।

कुमारी ममता बनर्जी : इसीलिए मैं यह प्रश्न उठा रही हूं। उन लोगों के लिए वहां कोई समस्या नहीं है जो सामान्य शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। लेकिन मैं उर्दू भाषी लोगों की समस्या के बारे में बात कर रही हूं। कई उर्दू भाषी लोग कलकत्ता से लगे क्षेत्रों में भी रहते हैं। वे बंगाली भी नहीं जानते हैं। वे हिन्दी जानते हैं। आपको भाषाई समस्या भी समझनी होगी। इसीलिए मैं इस मुद्दे को उठा रही हूं। सरकार को यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाना चाहिए।

सभापति महोदय : अभी अन्य कई सदस्यों को बोलना है। कृपया समाप्त कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं अन्य चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक बोलने नहीं जा रही हूँ।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : उर्दू भाषा को पश्चिमी बंगाल की माध्यमिक परीक्षाओं में एक माध्यम के रूप में लेने की अनुमति है। .....**(व्यवधान)**.....

सभापति महोदय : कृपया अभी व्यवधान न उत्पन्न करें।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं आपका बचाव चाहती हूं। काफी सदस्य मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेरी आवाज मेरी जनता के लिए है। मैं अकेली हूं। लेकिन में इन लोगों से लड़ सकती हूँ क्योंकि मेरी आवाज औरों से ज्यादा बुलन्द है।

मैं यह मुद्दा सदन में उठाना चाहती थी। यदि मेरी सूचना गलत है तो मंत्रालय वहां एक दल भेज सकता है जो राज्य सरकार तथा सम्बद्ध एजेन्सी को बताए बिना सीधे लोगों से सम्पर्क कर पूछताछ कर सकता है। वे लोगों से पूछ सकते हैं कि क्या हुआ। मैं जानती हूं कि यह मुस्लिम संस्था कलकत्ता में एक महत्वपूर्ण संस्था है और आप भी इस मुस्लिम संस्था के बारे में जानते हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहती हूं। श्रीमती बसवा राजेश्वरी पहले ही इस मुद्दे पर बोल चुकी हैं। अत: मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बोलना चाहती हूं।

जहां तक राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राज्य महिला आयोगों का सम्बन्ध है, निश्चय ही, सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित किया था और कुछ राज्य सरकारों ने राज्य महिला आयोग स्थापित किए हैं। हमारी राज्य सरकार ने भी यह आयोग गठित किया है। मैं महसूस करती हूं कि आधारभूत सुविधाओं के अभाव तथा आयोग और प्रशासन के बीच सम्प्रेषण की कमी के कारण यह आयोग समुचित ढंग से अपना कार्य करने में असमर्थ है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह मामले पर आगे गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही करें ताकि राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग समुचित ढंग से कार्य कर सकें। मैं नहीं जानती कि यह सच है या नहीं कि आयोग के छ: सदस्यों में से दो पहले ही त्यागपत्र दे चुके हैं। यदि यह सच है तो आप बताइए कि जिस आयोग के छ: में से दो सदस्य पहले ही त्यागपत्र दे चुके हों वह अपना कार्य कैसे कर सकता है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री : (महिला और बाल विकास विभाग) (श्रीमती बसवा राजेश्वरी) : एक सदस्य ने पहले ही त्यागपत्र दे दिया है और दूसरे ने त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिया है।

कुमारी ममता बनर्जी : इन परिस्थितियों में, इस राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या दशा होगी?

यह एक बहुत उच्च तथा महत्वपूर्ण संस्था है। इस निकाय के सदस्यों को महिलाओं की शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए था। मैंने कई बार देखा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य पूछताछ के लिए कुछ राज्यों में गए। लेकिन प्रशासन उनकी बात ही नहीं सुन रहा था। यहां तक कि वे लोगों से मिलने में भी सक्षम नहीं थे। यदि ऐसा ही रहा तो राष्ट्रीय महिला आयोग अथवा राज्य महिला आयोगों की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। हमारे यहां भी राज्य महिला आयोग है। आयोग के सदस्य मेरी पार्टी के न होकर उनकी पार्टी के हैं। वे अल्पना बनर्जी नाम की एक महिला से मिलना चाहते थे। यहां तक कि हस्पताल के अधीक्षक ने भी राज्य महिला आयोग की महिला सदस्यों को पीड़ितों से मिलने की इजाजत नहीं दी। तब वे खुद अधीक्षक से मिली और कहा : "हम लोग राज्य महिला आयोग के सदस्य हैं। यदि हमें उनसे नहीं मिलने दिया जाता है तो हम पीड़ितों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे ? यह क्या है ?" अत: सब कुछ इस तरह से घटित हो रहा है। अतएव मेरा अनुरोध है कि सरकार का मामला गृह मंत्रालय के साथ भी उठाए।

उसके अलावा, लिंग सुग्राहीकर कार्यक्रम चल रहा है। कुछ राज्य इसे क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ इसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद, महिलाओं पर अत्याचार का मामला है। यदि किसी महिला पर कोई अत्याचार होता है तो लोग कहते हैं कि यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है और इसे गृह मंत्रालय देखेगा। लेकिन मामले का तथ्य यह है कि इस आयोग का गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया है। संप्रेषण की कमी के कारण वे अपने कार्य

करने में सक्षम नहीं हैं। मैं नहीं जानती हूं कि कारण क्या है ? मंत्रालय ब्यौरों का पता लगा सकता है। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह मामले की गंभीरता से जांच करें। मैं युवा मामलों और खेलकूद के बारे में भी बोलना चाहूंगी। सरकार द्वारा इस विभाग को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि हमारे युवक काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। उन्हें इस विभाग के जरिए अवसर मिलने चाहिए यदि हम चरित्र निर्माण कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं तो इस विभाग को यह कार्यक्रम विकसित करने के लिए और अधिक धन प्राप्त होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। मैं आपको यह अवसर देने के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं विपक्षी दलों के अपने मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे इन मुद्दों पर बोलने के लिए प्रोत्साहित किया है।

[हिन्दी]·

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हो रही है। मैं पिछले कई दिनों से तलाश करता रहा हूं कि मानव संसाधन मंत्रालय की जो स्थाई समिति बनी है, उसकी रिपोर्ट कहां है। जब मैंने उस स्थाई समिति के सदस्यों से पता किया, तो मुझे बताया गया कि समिति ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है। लेकिन मंत्रालय ने उसे अभी बितरित नहीं किया है। स्थाई समिति द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान मंत्रालय के कार्यकलाप के सम्बन्ध में रिपोर्ट में दिया जाता है। उसी प्रकार इस मंत्रालय की स्थाई समिति ने भी बहुत मेहनत करके अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को दी है, जो संभवत: अभी तक वितरित नहीं हुई। इसका क्या कारण है मंत्री जी जब अपने विभाग की मांगों पर चर्चा का जबाव दें तो उसमें बताने का कष्ट करें। मेरे पास मई 1993 की, यानी एक वर्ष पूर्व की रिपोर्ट है। बहुत बड़ा विभाग है। मंत्री महोदय भी बहुत चुस्त हैं, मगर पता नहीं किन कारणों से इस मंत्रालय की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली।

महोदया, शत प्रतिशत साक्षरता लाने के लिए, शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता के आधार पर सुधार आना चाहिए और संविधान की धारा 45 के तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, इसका संविधान में प्रावधान है और प्राय: हर पार्टी और दल तथा हर सरकार घोषणा भी करती है, वायदा भी करती है, परन्तु यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, इस वायदे को पूरा करना चाहिए।

चूंकि मेरे पास गत वर्ष की रिपोर्ट है, मैं उसी में से कुछ उद्धृत करना चाहता हूं। आपरेशन ब्लैक बोर्ड की चर्चा करते हुए दो-तीन महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया गया है–

"1. लड़के-लड़कियों के लिए एक प्रांगण में और अलग-अलग शौचालयों सहित सभी मौसम में प्रयोग किया जाने वाला कम से कम दो कमरे वाला एक भवन।

2. प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक उनमें से एक महिला अध्यापक और

3. ब्लेक बोर्ड, नक्शे, मानचित्र, कार्य अनुभवों के उपकरण सहित आवश्यक पठन सामग्रियों

का प्रबन्ध।"

मुख्य तौर से इन तीन बातों पर बल दिया गया है और कमेटी अपनी रिपोर्ट में कहती है कि महिला अध्यापिकाएं अधिक योग्य पाई गई हैं। वे पढ़ाई के लिए पुरुषों की तुलना में सहयोगी उपकरणों का अधिक बार प्रयोग करती हैं और इससे ब्लैक बोर्ड के इस महत्वपूर्ण प्रबन्ध का औचित्य सिद्ध होता है। कमेटी ने अपनी रिकमैंडेशन में यह भी कहा है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम से कम 50 प्रतिशत महिला अध्यापिकाएं लगाई जाएं।

इस वर्ष की रिपोर्ट तो आई नहीं है, पिछला वर्ष तो पूरा बीत गया। मैं चाहूंगा जब मंत्री महोदय उत्तर दें तो कमेटी ने उस रिपोर्ट के आधार पर जो अनुशंसाएं दी थीं, उस पर क्या कदम उठाए गए हैं, यह बताएं। क्या सचमुच में महिला अध्यापिकाओं की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ाई गई है ?

अभी पश्चिम बंगाल के एक माननीय सदस्य प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कह रहे थे। मैं स्वयं इस बारे में पूरी तरह कभी नहीं समझ पाया। मैं गांव से आता हूं। इसके पीछे भावना जरूर अच्छी रही होगी कि सब साक्षर हों लेकिन इसपर बहुत धन व्यय किया जा रहा है। उसके परिणामस्वरूप लोगों को हम कितना शिक्षित कर पाए हैं, मैं चाहूंगा कि मानव संसाधन मंत्री इसका मूल्यांकन अवश्य करवाएं। गांवों में आम तौर पर चर्चा में लोग प्रौढ़ शिक्षा को फ्रौड शिक्षा का नाम देते हैं। जो बात ममता जी ने कही, बिल्कुल सत्य है। मेरा भी अनुभव है। कई जगह तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा कि जब कोई व्यक्ति परीक्षा लेने के लिए आता है कितनी शिक्षा हुई तो लोगों को पकड़कर लाया जाता है कि चलो, आज वहां पर परीक्षा होनी है, तुमको खाना भी दिया जाएगा। जिन संस्थाओं ने जिम्मा लिया है कि हम प्रौढ़ शिक्षा देंगे, वे संस्थाएं सांस्कृतिक कार्यक्रम करती हैं, गाने सुनाए जाते हैं।

अपने प्रदेश में मैं एक जगह गया। वहां बहुत बड़ा पंचायत सम्मेलन था। वहां ब्लॉक समिति के सदस्य ने भाषण में कहा कि बुजुर्ग लोग पढ़ें न पढ़ें, प्रौढ़ शिक्षा हो न हो लेकिन पत्थर और चट्टान सब पढ़ गए। चट्टानों पर लिखा है, पत्थरों पर लिखा है, बसों में लिखा है। मैंने पंचायत के लोगों से पूछा कि क्या बात है, क्या आप पढ़ाते भी हैं ? कहने लगे कि क्या करें, लोग आने के लिए तैयार ही नहीं हैं और कुछ लोगों को आरग्यूमैंट होता है कि 60-65 साल की उम्र में जोर लगाकर आप मात्र हस्ताक्षर करना सिखा देते हैं तो कहां तक शिक्षित होंगे। मेरा अनुरोध है कि आप प्राथमिक शिक्षा पर बल दें।

मैं एक स्कूल में गया जो पहाड़ी पर है। वहां पर पांच कक्षाएं हैं और एकमात्र महिला अध्यापिका है। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे पढ़ाती हैं। कहने लगी, जब मैं एक कक्षा में जाती हूं तो दूसरी कक्षा के लोग शोर मचाने लगते हैं और दूसरी कक्षा में जाती हूं तो पहली कक्षा के शोर मचाते हैं। आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि एक अध्यापिका पांच कक्षाओं को क्या पढ़ाती होगी। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि आप प्राथमिक शिक्षा पर अधिक अध्यापक लगाइए।

जैसे ममता जी ने कहा, ब्लैक बोर्ड नहीं होता, बैठने के लिए टाट नहीं होती, चौक नहीं होता।

मैं यह भी मानता हूं कि यह काम प्रदेश सरकार पर ज्यादा निर्भर है। आप निर्देश दें और उसके आधार पर सुधार करें, कनकरैन्ट सबजैक्ट होने के नाते आप उसपर हस्तक्षेप भी करें। मैं समझता हूं कि यदि प्राथमिक शिक्षा सही हो जाएगी तो एक बेस बन जाएगा और उसके आधर पर बच्चा अच्छा निकल सकता है।

अभी कुछ महीने पहले दिल्ली में "सबके लिए शिक्षा" का सम्मलेन हुआ। नौ देशों ने उसमें भाग लिया। ये वे देश हैं जहां 95 करोड़ अशिक्षित लोग इन्हीं देशों के हैं। मैं उनके आंकड़े देख रहा था। 95 करोड़ की आबादी में भी दो-तिहाई महिलाएं हैं और महिलाओं में अशिक्षित होने के कारण जो अनुमान लगाया गया है, उसके अनुसार जिन देशों में महिलाओं की शिक्षा की दर ऊंची है, उसमें उच्च आर्थिक उत्पादकता, जन्म दर में कमी शिशुओं तथा माताओं की प्रसव काल में मृत्यु दर बहुत कम है। उन देशों में पुरुषों और महिलाओं की आयु में औसतन काफी अधिक अन्तर है। भारत में ही वे महिलायें जिन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की है, अशिक्षित महिलाओं के मुकाबले में डेढ़ गुना ज्यादा कमाती हैं। वे हाई स्कूल तक पढ़ी हैं तब भी डेढ़ गुना उनकी इनकम ज्यादा है। मैं चाहूंगा कि महिला शिक्षा पर बल दिया जाये।

इससे जुड़ा हुआ दूसरा एक प्रश्न है। आपने घोषणा कर रखी है कि सन् दो हजार तक सब को शिक्षित कर देंगे। इसके लिये बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। धन कहां से आयेगा ? इसके बारे में इस सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पास किया कि दो हजार तक सब को शिक्षा देने के लिये विकसित देश धन दें। यूरोपीय संघ ने भारत को 600 करोड़ रुपये मुहैय्या कराने को कहा। देखने में तो यह बहुत बड़ी सहायता है लेकिन वास्तव में यह एक ऋण है। इसकी शर्तों में एक शर्त यह है कि जितना धन हम दे रहे हैं, इसका 1/3 उन अधिकारियों पर खर्च किया जायेगा जो अधिकारी यहां काम करेंगे। ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि जो हमें ऋण दे रहे हैं, जिनकी शर्तों के अनुसार उनको रखना पड़ रहा है, वे उनके प्रतिनिधि ही यहां होंगे, स्वाभाविक तौर पर उनकी रुचि अपने उन स्वामियों की ओर होगी जिन्होंने धन दिया है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होगा। इससे बजाय लाभ के नुकसान होगा। इसलिये भारत में शिक्षा भारतीय परिपेक्ष्य में दी जाये। आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसी शर्तों वाली सहायता स्वीकार न करें।

जो 9 देश इकट्ठे हुए थे, उन्होंने घोषण कर दी कि दो हजार तक सब को शिक्षित कर देंगे, लेकिन आपको सुन कर हैरानी होगी कि वह कितना धन खर्च कर रहे हैं ? मेरे पास जो 1990 के आधार पर ग्रॉस नैशनल पोडक्ट के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से जो खर्च शिक्षा के ऊपर किया जा रहा है, बंगाल देश में मात्र 2 परसैंट, ब्राजील में 4.5 परसैंट, चीन में 2.3 परसैंट, मिस्र में 6.7 परसैंट, भारत में 3.5 परसैंट, इंडोनेशिया में 0.9 परसैंट, मैक्सिको में 4.1 परसैंट, नाइजीरिया में 1.7 परसैंट और पाकिस्तान में 3.4 परसैंट।

प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है और मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी को भी धन्यवाद देना

चाहता हूं कि उन्होंने 6 परसैंट तक राशि को बढ़ाने की घोषणा की है। मैं चाहता हूं कि वह धन आवंटित हो। कुछ माननीय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है कि वह धन अभी नहीं बढ़ाया गया है। अंत के वर्षों में उसको बढ़ायेंगे तो उसका लाभ नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में मंत्री महोदय उस धन का सदुपयोग करेंगे जिससे सब को शिक्षा देने का उद्देश्य पूरा हो सके।

एक बात मदरसे के बारे में कही गई। शायद उसमें कन्फ्यूजन था। एक तरफ से कहा गया कि डेढ़ सौ मदरसों को स्वीकृति नहीं मिल रही है लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वीकृति मिली हुई है। मैं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा संस्थान चलाने की पूरी गारंटी और सुविधा दी गई है। वह मिलनी भी चाहिये लेकिन कुछ लोग इसको उद्योग के तौर पर चला रहे हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के कुछ शिक्षा संस्थान ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई किसी बात को मानने से इन्कार करते हैं। अगर कोई बच्चा या विद्यार्थी उसको करता है तो उसको सजा देते हैं।

इसी संसद में यह मामला पहले भी उठ चुका है। बम्बई में विशेष स्कूल के प्रधानाचार्य ने 11 वर्षीय लड़की, जिसका नाम ऋतु था, उसकी बहन की शादी थी तो उस छोटी बच्ची को मेंहदी लगा दी। वह मेंहदी लगाकर स्कूल में आ गई तो वहां के प्रिंसीपल ने उसको निकाल दिया। मेरे एक साथी कह रहे हैं कि रांची और जामनगर में भी यही हुआ। न्यायालय भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि माननीय संविधान में इन स्कूलों को संरक्षण प्रदान किया है। जब सभी पेरेण्ट/टीचर एसोसिएशन के लोग जाकर मिले, सब लोगों ने कहा कि यह हमारी संस्कृति की बात है, इसकी बड़ी बहन की शादी थी और 11 वर्षीय लड़की की मेंहदी लगा दी तो, सभापति महोदया, आप तो जानते हैं कि मेंहदी का रंग जरा धीरे उतरता है, उसे उतरने में काफी समय लगता है तो प्रधानाचार्य ने आदेश दिया, उन्होंने न्याय दिया कि वह स्कूल में आ सकती है लेकिन जब तक उसके हाथ से मेंहदी पूरी तौर पर नहीं उतर जाती, उसे प्रतिदिन 75 रुपये अर्थ दण्ड अदा करना पड़ेगा, मेंहदी लगाने के लिए 75 रुपये डेली फाइन देना पड़ेगा, जब तक हाथ साफ न हो जायें। तो क्या अल्पसंख्यक दायरे में यह भी चलेगा। इसमें सरकार कहे कि हम असहाय हैं, क्योंकि हम एड नहीं देते, सहायता नहीं देते, तो इसका मतलब है कि वह जो मर्जी कर लें ? ऐसी बातों में हमें निश्चित तौर पर निर्णय लेने होंगे और सरकार को सख्ती के साथ उनको स्पष्ट करना पड़ेगा। मैं इतनी ही बात मंत्री महोदय के लिए इस बिन्दु पर तो छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अर्जुन सिंह जी के विचार में यह बात सही होगी तो वह खुद हस्तक्षेप करेंगे, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है।

कमेटी ने एक और सुझाव दिया था, वह ओरिएण्टेशन प्रोग्राम के बारे में था। टीचर्स जब शिक्षा ग्रहण करते हैं और नौकरी में लग जाते हैं, उससे पहले किसी ने B. Ed. कर लिया, किसी ने JBT कर लिया लेकिन जिस प्रकार से सलेबस बढ़ रहा है, नई-नई बातें सलेबस में जोड़ी जा रही हैं तो

अध्यापकों के लिए सेवा के दौरान फिर शिक्षा का, ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का जो प्रावधान है, वह अधिक से अधिक किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन पर मैं केन्द्रीय माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। केन्द्रीय विद्यालय योजना को 1963-64 के शैक्षणिक वर्ष में शुरू किया गया था। इस योजना के कुछ उद्देश्य थे, जिनमें नम्बर वन पर था रक्षा कार्मिकों समेत केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरित होने वाले कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा जरूरतों को पूरा करना। नम्बर दो-शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य के संदर्भ में इन विद्यालयों को आर्दश विद्यालयों के रूप में विकसित करना। नम्बर 3-अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नये प्रयोगों को शुरू करना तथा बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहन देना। इस समिति ने सिफारिश भी की है कि सरकार को उन क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए, जहां पर सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक केन्द्रित है और जिनके लिए पर्याप्त शिक्षा सुविधायें मौजूद नहीं हैं।

मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री का धन्यवादी हूं। मेरे क्षेत्र में भी एक स्कूल का मामला बहुत दिनों से लटका पड़ा था, कई मानव संसाधन विकास मंत्री इस दौर में हो गये लेकिन माननीय अर्जुन सिंह जी ने उस बात को माना। वहां पर भूतपूर्व सैनिकों ने और सब लोगों ने मिलकर सारा ढांचा तैयार किया था, उसे तो इन्होंने स्वीकृत कर दिया और पिछले वर्ष से वहां पढ़ाई शुरू हो गई। वहां से लगातार विभाग को लिखा जा रहा है कि बच्चों के लिए सैक्शंस 2-2 कर दिये जायें लेकिन अभी तक उसका कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात भी लाऊं। शायद उसमें मध्य प्रदेश की लिस्ट काफी निकली थी तो मेरे उस हिमाचल प्रदेश की जगह उस स्कूल के आगे मध्य प्रदेश ही लिख दिया गया था। मेरे प्रदेश के दो जिलों, ऊना और बिलासपुर में बहुत से लोग सेना में कार्यरत हैं, अर्धसैनिक बलों में हैं। उनकी पोस्टिंग लेह लद्दाख में हैं, फैमिली पीछे है।

इन दोनों जिलों में अभी तक केन्द्रीय विद्यालय नहीं खुले हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप ऊना और बिलासपुर, बिलासपुर आपके मध्य प्रदेश में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है, के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करके वहां केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए आवश्यक आदेश दें। हमीरपुर के केन्द्रीय विद्यालय में पिछले दो वर्षों से प्रिंसिपल नहीं हैं। जब हम देखते हैं कि हमारा उद्देश्य आदर्श शिक्षा देना है और हमारे पास स्टाफ की कमी है और स्कूल की भवन नहीं हैं, तो हमारा उद्देश्य कैसे पूरा हो सकता है। हमीरपुर के लिए तो प्रदेश सरकार ने जगह दे रखी है और इसके लिए मैं पिछले कई वर्षों के लगातार लिख रहा हूं, लेकिन काम फिर भी नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपके कुशल नेतृत्व में केन्द्रीय विद्यालय के लिए सही आवास की व्यवस्था, पढ़ाने के लिए उचित स्थान और स्टाफ की व्यवस्था हो जाए, तो समस्या हल हो सकती

है। शायद स्वतन्त्रता के बाद सबसे अधिक अगर कोई क्षेत्र पीछे रह गया है, तो शिक्षा का ही क्षेत्र है। मैं चाहूंगा कि इतिहास में आपको इसमें सुधार लाने के लिए जाना जाए, आप कुछ इस तरह का काम करें।

मैं थोड़ा सा नवोदय विद्यालय के बारे में कहना चाहता हूं। कमेटी ने भी रिपोर्ट में इसके बारे में कहा है, ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से नवोदय विद्यालय कम हैं। हर जिले में कम से कम एक नवोदय विद्यालय खोले जायें। नौवीं कक्षा से हम विद्यार्थी को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भेजते हैं। इसमें भावना यह है कि सकारात्मक योगदान हो। नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी में राष्ट्र के प्रति अच्छी भावना पैदा हो और राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत होकर निकले। हर कार्यक्रम शुरू में तो अच्छा होता है, लेकिन बाद में उसके मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। उसका एप्रेजल होते रहना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, इन नवोदय विद्यालयों से जो विद्यार्थी पढ़ कर निकल रहे हैं, वे किस तरह से जीवन के क्षेत्र में सफल रहे हैं और क्या-क्या कर रहे हैं, उसका भी मूल्यांकन करें, तो अच्छा होगा।

नेहरू युवक केन्द्र के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं, जो लोग शिक्षा संस्थानों में नहीं पढ़ते हैं, नौजवान हैं, उनके विकास के लिए इन केन्द्रों को खोला गया है। माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं, काफी शिकायतें नेहरू युवक केन्द्र के बारे में आ रही हैं और ये भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। कई जगह दो दल की राजनीति में और दल में भी गुटों की राजनीति में उलझ कर रह गए हैं उसकी पीछे एक एन्क्वायरी हुई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई होगी। मैं चाहूंगा कि जो भी दोषी पाए जायें, उन लोगों के खिलाफ आप कार्यवाही करें।

मैं संस्कृत की शिक्षा पर बल देना चाहता हूं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात साबित हो चुकी है कि कम्प्यूटर के लिए सबसे बढ़िया भाषा अगर कोई है, तो तकनीकी आधार पर संस्कृत है। मैं चाहूंगा कि मानव संसाधन मंत्रालय संस्कृत शिक्षा का विकास करने के लिए अधिक सुविधायें उपलब्ध कराए। कम से कम केन्द्रीय तथा नवोदय विद्यालय में दसवीं तक संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। ऐसा करने से संस्कृत का विकास होगा।

अंत में, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा, महिला शिक्षा, विकलांगों के लिए, जो-जो सुविधाओं की घोषणा होती रहती है, उनका लाभ वास्तव में उन लोगों तक पहुंचे, आप इसको सुनिश्चित करें। डिग्री को रोजगार से अलग करने की बात हमेशा आती है, लेकिन यह केवल मात्र घोषणा होकर न रह जाए। उनको 10+2, जैसा सोचा गया है, काम के साथ जोड़ा जाए। जिस विषय में बच्चे की रुचि हो, उसके लिए उसको विकसित किया जाए। फेक यूनिवर्सिटीज की बात यहां पर आ चुकी है। 27 यूनिवर्सिटीज की तो यूजीसी ने पिछले साल लिस्ट निकाली थी, तब माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था कि इसकी जांच हो रही है। अगर जांच पूरी हो गई हो तो या जो कानून

आप लाए थे वह बिल पड़ा हुआ है वह पास ही नहीं हुआ। वह जो सजा देने का था, जाली विश्वविद्यालय चलाने का था उस कानून को शीघ्र पास कराने के लिये सरकार अपनी तरफ से तेजी लाये।

महोदय, कुछ राज्यों से ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि कुछ शिक्षा संस्थान अपने आपको केन्द्रीय सैकेंड्री एजूकेशन बोर्ड है उसके साथ सम्बद्ध करना चाहते हैं। कुछ प्रदेशों ने, जैसे राजस्थान ने पास कर दिया कि जो वहां सम्बद्ध करना चाहते हैं वे कर लें या प्रदेश के शिक्षा बोर्ड से कर लें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट प्रदेश की तरफ से चाहिये और फिर प्रदेश सरकार यह कहती है क्योंकि हमारा अपना ही शिक्षा बोर्ड है आप केन्द्र के शिक्षा बोर्ड के साथ सम्बद्ध क्यों करना चाहते हैं। महोदय, आप जिस प्रदेश से आते हैं वहां 3-4 विश्वविद्यालय हैं। आप जानते हैं कि अलग-अलग विश्वविद्यालय का अलग-अलग सलेबस है। अगर एक प्रदेश में भी एक से अधिक विश्वविद्यालय है और एक समान हम सलेबस न लगा सकें तो इस तरह से लोग यह चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर सलेबस है इसके स्थान पर यदि बच्चा पढ़ेगा तो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी कंपीटिशन में वह अच्छा भाग ले सकेगा और इसमें आप उचित समझें तो अवश्य हस्तक्षेप करें। इतनी स्वतंत्रता शिक्षा संस्थान को होनी चाहिये कि वे प्रदेश के शिक्षा बोर्ड के साथ सम्बद्ध होना चाहते हैं या केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड के साथ होना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की आपने जो रचना की है। इसमें मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब यूजीसी का गठन होता है तो कुछ प्रदेशों से ही लोगों को लिया जाता है मेरा आग्रह होगा कि आप पूरे देश की दृष्टि से देख कर, सभी प्रदेशों को उसमें प्रतिनिधित्व मिल सके, जो प्रदेश कभी भी रिप्रजंट हुआ नहीं है उसको भी वहां प्रतिनिधित्व मिले ऐसा अवश्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्यमन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदया, मैं उन सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अब तक इस चर्चा में भाग लिया है। मैं उन सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने युवा कार्य और खेल विभाग के बारे में कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं।

चर्चा आरम्भ करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। यह आम धारणा है कि इस वर्ष खेलों के लिए निधियों के नियतन में कटौती की गई है। निधियों के नियतन में की गई कटौती से हमारे खेल संवर्द्धन सम्बन्धी प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव होगा।

यदि हम वर्ष 1993-94 के लिए बजट आकलन को देखें तो हमें पता चलता है कि खेलों के लिए नियतन 62.56 करोड़ रुपये का था जिसे बाद में संशोधित किया गया और बढ़ाकर 76.91 करोड़ रुपये कर दिया गया। और इस वर्ष के लिए 71.33 करोड़ रुपये बजट आकलन में दर्शाए गए

हैं। इन आंकड़ों में अन्तर है क्योंकि पिछले वर्ष हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया था कि हम आगामी एशिया खेलों के लिए स्वयं को उचित रूप से तैयार करना चाहते हैं। हमने महसूस किया कि उचित और प्रभावी रूप से तैयारी करने हेतु हमें कुछ अतिरिक्त निधियों के नियतन की आवश्यकता होगी। भारतीय ओलम्पिक संघ से हमें अनुरोध मिला। खेल संघों के कई प्रतिनिधियों ने भी हमसे भेंट की। उनके अनुरोध पर विभाग की ओर से हमने प्रधानमंत्री के साथ इस प्रस्ताव के बारे में विचार-विमर्श किया उन्होंने अगले वर्ष हिरोशिया में होने वाले एशियायी खेलों में भाग लेने वाले भारतीय उपद्वीप के खिलाड़ियों की तैयारी के लिए 20 करोड़ रुपये की एक मुक्त अनुदान की राशि के नियतन को पहले ही मंजूरी दे दी थी। वे 20 करोड़ रुपये पिछले वर्ष ही समंजित कर लिये गए थे। संशोधित आकलन में लगभग दो तिहाई का नियतन कर लिया गया था और शेष राशि का नियतन चालू वर्ष में कर लिया गया है अत: यह अन्तर पाया गया।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यद्यपि हमारे पास उपलब्ध धनराशि बहुत सीमित है। फिर भी हम यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि खेलों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया जाए। लगभग दो वर्ष पूर्व, वर्ष 1992 में, खेल सम्वर्द्धन हेतु कार्य योजना इस सदन में प्रस्तुत की गई थी और उसमें से तीन अथवा चार क्षेत्र ने जिन पर हमने अपनी कार्यशक्ति और संसाधनों को केन्द्रित करने का निणर्य लिया था ये क्षेत्र हैं–1. खेल संवर्द्धन में उद्योगों की अधिकाधिक भागीदारी 2. शिक्षण प्रक्रिया के साथ खेलों, शारीरिक शिक्षा एवं योग शिक्षा को सम्मिलित किया जाना 3. उचित और उपयुक्त वातावरण का निर्माण और 4. खेल उपकरणों को सरलता से उपलब्ध कराया जाना।

यहां मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले वर्ष बजट प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने आयकर अधिनियम को संशोधित किया था और अब अधिनियम की धारा 35 (क) (ग) के अर्न्तगत उद्योगों द्वारा खेलों को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं में किये गए निवेश पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। पिछले वर्ष के दौरान, जब यह संशोधन किया गया था तब कुछ प्रस्ताव आए थे और उनके लिए मंजूरी दे दी गयी थी। एक प्रस्ताव लाला राम गुप्ता धमार्थ न्यास द्वारा आगरा में खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने के लिए आया था। जिसकी लागत लगभग 75 लाख रुपये बतायी गयी थी। दूसरा प्रस्ताव कोचीन में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण केन्द्र हेतु बहुत्तर कोचीन विकास प्राधिकरण परियोजना का था। जिसके लिए लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत बतायी गयी थी। और तीसरा प्रस्ताव जलपाईगुड़ी में बैडमिन्टन अकादमी की स्थापना के लिए इन्डोर बैडमिंटन प्लेयर्स एसोसिएशन परियोजना के बारे में था। इन तीन प्रस्तावों को पिछले वर्ष के दौरान मंजूरी दी गई थी। हमने अपनी ओर से उद्योगपतियों के कई प्रतिनिधियों से भेंट की थी। मैंने स्वयं दिल्ली, बंगलौर कलकत्ता हैदराबाद और कई अन्य स्थानों पर भारतीय उद्योग संघ के सदस्यों के साथ भेंट की थी। हम उद्योग पतियों को अधिक से अधिक इस तथ्य से अवगत कराने का प्रयास कर रहे थे कि खेल

संवर्द्धन में उनके अधिकाधिक भागीदारी की आवश्यकता है। इससे न केवल खेलों को ही बढ़ावा मिलेगा बल्कि इससे उद्योगों को भी लाभ होगा।

दूसरा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जिसका मैंने वर्णन किया है वह शिक्षण प्रक्रिया में खेलों, शारीरिक शिक्षा एवं योग शिक्षा को सम्मिलित करने सम्बन्धित है। इस वर्ष के आरम्भ में माननीय अर्जुन सिंह जी ने महसूस किया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत इस विशेष पहलू को अभी तक उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया है अत: उन्होंने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की उप समिति का गठन करने का निर्णय किया जो मामले की छानबीन करे और शिक्षण प्रक्रिया में खेलों और शारीरिक शिक्षा का उचित और प्रभावी ढंग से सम्मिलित करने के बारे में सिफारिश कर सके। इस समिति ने मार्च के पहले सप्ताह में कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की थी उन्हें केन्द्रीय सलाहकर बोर्ड के सन्मुख प्रस्तुत किया गया था और जिसे सदस्यों के स्वीकार कर लिया था। अब हम इसके बारे में राज्य सरकारों वे विचार विमर्श कर रहे हैं ताकि इन्हें उपयुक्त बनाया जाए और यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जाए।

महोदया, केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड समिति ने कुछ क्षेत्रों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि :

1. शारीरिक शिक्षा और खेलों को स्कूल पाठ्यचर्चा का अनिवार्य भाग बनाया जाए और स्कूल समय सारणी में प्रतिदिन कम से कम 40 मिनट इसी के लिए नियत किये जाएं।

2. शारीरिक शिक्षा और खेलों में बच्चों की औसतन भागीदारी और सक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन प्रणाली आरम्भ की जानी चाहिए।

3. विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापकों को सेवा पूर्व और सेवा काल के दौरान भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से शारीरिक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जाए।

4. केन्द्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि कालेजों और स्कूलों में खेल सम्बंधी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खेल निधि में अंशदान दें।

5. सभी राज्य सरकारों द्वारा स्कूलों और कालेजों को बड़े पैमाने पर खेलों में और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए भागीदारी बनाने के लिए कार्यक्रम बनाए जाएं।

6. जिन छात्रों ने खुलकूद में विशेष स्थान बनाया हो उन्हें उच्चतर शिक्षा हेतु प्रवेश (दाखिले) के समय तरजीह दी जानी चाहिए।

हम महसूस करते हैं कि जब तक खेलों और शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग नहीं बनाया जाएगा तब तक देश में उच्च स्तर के खिलाड़ी उभर कर नहीं आएंगे। अत: इस दिशा में हम काफी प्रयास कर रहे हैं और हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि इसको शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। आजकल स्कूलों और कालेजों में खेल गतिविधियां बढ़ गई हैं फिर भी हमें यह देखना होगा कि खेलों को अनिवार्य किया जाए तथा स्कूल और कालेज दोनों स्तरों पर इसे पाठ्यचर्चा का अभिन्न अंग बनाया जाए।

जहां तक देश में खेल के लिए वातावरण अथवा खेलों के प्रति सचेत करने की बात है, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी आजकल खेलों के बारे में अधिकाधिक कार्यक्रम दे रहे हैं। पहले हमें केवल क्रिकेट अथवा टेनिस ही देखने को मिलता था आजकल हमें खो-खो, कब्बड़ी, मल्लखम्भ और कई अन्य खेल देखने को मिलते हैं जो कुछ वर्ष पहले नहीं देखने को मिलते थे। अत: जहाँ तक दूरदर्शन और आकाशवाणी की कार्यक्रम सारणी का सम्बन्ध है उसमें तबदीली की गई है और मुझे विश्वास है कि इससे खेलों के प्रति जागरूकता आएगी। इससे उपर्युक्त वातावरण बनेगा जिसमें अधिक संख्या में नवयुवकों का खेलों के प्रति रुझान होगा।

5.23 म० प०

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

हाल ही में हमनें उच्च कोटि के पुराने खिलाड़ियों को पेंशन देने की योजना बनाई है। जिन खिलाड़ियों ने ओलम्पिक अथवा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किये हैं उन्हें 200 रु० प्रति माह और 1500 रु० माहवार पेंशन दी जाएगी। इससे निश्चित ही हमारे प्रयासों में मदद मिलेगी।

अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र खेल उपस्करों की उपलब्धता के बारे में है हमने इस तरह ध्यान दिया है और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में हमें कोई समस्या नहीं होगी।

सभापति महोदय, स्थायी समिति जिसने युवा कार्य एवं खेल विभाग के वजट प्रस्तावों की जांच की है उसने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विभाग ने समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मैं उनमें से कुछ के बारे में यहां पर चर्चा करना चाहता हूं।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन० एस० एस०) जो देश में विशालतम युवा संस्थान हैं और जिसमें 1-1 मिलियन स्वयंसेवक हैं, इस वर्ष अपनी रजतजयन्ती मना रहा है।

समिति द्वारा यह महसूस किया गया कि एन० एस० एस० स्कीम के अन्तर्गत केवल कुछ स्कूल ही आते हैं। समिति का विचार है कि इसमें अधिकाधिक स्कूलों को शामिल किया जाना चाहिए। हमने समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और हमारा यह प्रयास है कि इस योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक स्कूलों को शामिल किया जाए।

एक अन्य सिफारिश भारत स्काउट और गाइड और आलइण्डिया बॉय स्काउट के बारे में दी गई हैं। हम भारत स्काउट और गाइड को पर्याप्त अनुदान और आल इण्डिया बॉय स्काउट को थोड़ी मात्रा में अनुदान देते रहे हैं।

समिति ने यह महसूस किया कि हमें अखिल भारतीय ब्यायज स्काउट की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए उन योजनाओं, जिन्हें हम क्रियान्वित कर रहे हैं, का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हम इस योजना का मूल्यांकरन करेंगे और अखिल भारतीय ब्यावज स्काउट की ओर अधिक ध्यान देने का भी प्रयास करेंगे।

देश का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा शिष्टमण्डलों की अदला बदली करने के सम्बन्ध में यह महसूस किया गया कि उनका चयन करने के मानदण्डों, विदेशों में उनकी उपलब्धि और उनके द्वारा भाग लेने आदि का ब्यौरा विभाग के विभिन्न दस्तावेजों में बताया जाना चाहिए। हम यह कार्य करेंगे और इसे विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करेंगे।

समिति ने यह भी महसूस किया कि जहाँ कि जहाँ तक सम्भव हो सके, देश-भर में युवा-होस्टलों का समान वितरण किया जाना चाहिए। हमने यह सुझाव भी स्वीकार कर लिया है और इस सम्बन्ध में हम प्रयास करेंगे तथा तथा इन कार्यों के बारे में राज्य सरकारों को परामर्श देगें और जहाँ-कहीं भी नये युवा-होस्टलों की स्थापना की जायेगी हम इस बात को ध्यान में रखेंगे।

खेलकूद के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये थे। इनमें से एक सुझाव भारतीय खेलकूद प्राधिकरण और विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही खेलकूद की विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन करने हेतु एक तंत्र का विकास करने की आवश्यकता के बारे में दिया गया है। वर्तमान में टाटा कंसलटेंसी सर्विसिज द्वारा एक स्वतंत्र अध्ययन किया जा रहा है जो हमारे द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के विभिन्न लक्ष्यों की इस सम्बन्ध में जाँच कर रही है कि इन सभी योजनाओं का प्रबन्धन कैसा है, इनका तकनीकी ब्यौरा क्या है और वह विगत के मूल्यांकन और संसाधन क्षमता का भी पूर्ण अध्ययन करेगी। इस अध्ययन के अन्तर्गत राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिभा प्रतियोगिता, सैन्य ब्वायज़ खेलकूद कम्पनी, खेलकूद परियोजना विकास क्षेत्र, राष्ट्रीय कोचिंग योजना और खेलकूद होस्टल स्कीय सम्बन्धी योजनाएँ आती हैं। हमें इसकी रिपोर्ट लगभग 15 मई तक प्राप्त हो जायेगी और इसकी रिपोर्ट तथा सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात हम यह देखेंगे कि इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु हमें और क्या प्रयास करने चाहिएं।

दूसरा सुझाव भारतीय खेलकूद प्राधिकरण के आय निकाय और शासी निकाय में व्यावसायिकों को अधिक प्रतिनिधत्व देने के बारे में दिया गया था। हमने यह निर्णय किया है कि यह कार्य अवश्य किया जाना चाहिए और इसके लिए हम इन निकायों को पुनर्गठित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इसमें व्यावसायिकों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

मैं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में नहीं जाना चाहता लेकिन अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ। श्री बसन्त पवार महोदय ने ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रमों का उल्लेख किया था, हमने इस योजना में संशोधन किया है और जहाँ तक सम्भव हो सका है हमने इनके लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि की है जो हम जिला खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए जिला स्तर पर देते हैं।

इसी प्रकार से राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भी वृद्धि की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे युवा क्लबों, खेलकूद क्लबों की सहायता करने हेतु एक नई योजना भी तैयार की गई है।

हम गैर-जन-जातीय ब्लाक को ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद क्लब को लगभग 30,000 रु॰ प्रदान

करेंगे जबकि जन-जातीय ब्लाक में हम लगभग 45,000 रु० देंगें। आगामी दो वर्षों में इन खेलकूद क्लबों को प्रतिवर्ष 5000 रु० की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जायेगी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या राज्य सरकार द्वारा भी अनुदान की समतुल्य राशि प्रदान की जायेगी?

श्री मुकुल वासनिक : राज्य सरकार द्वारा अनुदान की कोई समतुल्य राशि प्रदान नहीं की जायेगी। यह धन हम देगें। लेकिन यह उसी में से दिया जायेगा जो हमारे पास उपलब्ध होगा। इसलिए हम इसमें अधिक खेलकूद क्लबों की बजाय केवल कुछ ही खेलकूद क्लबों को शामिल कर पायेंगे। हम निश्चय ही समुचित रूप से उनकी सहायता करेंगे ताकि वे उन क्षेत्रों में प्रभावी रूप से कार्य कर सकें।

सभापति महोदय : अनुदान प्राप्त करने के लिए आपको श्री मुकुल वासनिक को बुलाना पड़ेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : हम कभी किसी को नहीं बुलाते हैं।

श्री मुकुल वासनिक : हम यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रणाली तैयार कर रहे हैं कि खेलकूद क्लबों को समुचित वित्तीय सहायता प्रदान की जाये। यह ग्रामीण खेलकूद टूर्नामेंट से देखा जा सकता है अथवा इसका पता लगाने के लिए अन्य विभिन्न साधन हो सकते हैं। कुछ दिन पहले मैने प्रशिक्षकों को भी प्रोत्साहन देने का उल्लेख किया था। इसके लिए हमने एक नई योजना आरम्भ की है। एशियाई खेलों में पदक विजेताओं के अच्छे प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी प्रशिक्षकों को भी खेलकूद को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए विशेष नगद इनाम दिया जायेगा।

जहां तक युवा मामलों का संबंध है, श्री पेरुम्बुदुर में "राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान" की स्थापना की जा रही है। पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी नींव रखी थी। भवन निर्माण कार्य चल रहा है और शीघ्र ही उसके ब्यौरे को अंतिम रूप दे दिया जायेगा। यह युवा संगठनों के प्रशिक्षण, अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान होगा, और यह इस संबंध में सभी गतिविधियों के लिए शीर्षस्थ निकाय होगा।

इस वर्ष एक राष्ट्रीय युवा महोत्सव योजना प्रारम्भ करने का भी निर्णय किया गया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव खण्ड से प्रारम्भ होकर राष्ट्रीय स्तर तक होगा; और हम खण्ड स्तर लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इसे सीधे सहायता प्रदान करेंगे। इससे प्रतिभावान युवाओं को अवसर मिलेगा जो विभिन्न गतिविधियों में संलग्न हैं चाहे वह संगीत हो, नृत्य हो, नाटक हो अथवा अन्य कोई क्षेत्र हो। अतः इस वर्ष यह भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। और यह जारी रहेगी।

यह एक और महत्वपूर्ण बात है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। और वह है राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार की स्थापना करना। पहले कुछ समस्या होती थी क्योंकि अर्जुन अवार्ड मूलतः खेलों के लिए था और साहसिक कार्यों के लिए इसे प्राप्त करना कठिन होता था क्योंकि राष्ट्रीयस्तर पर उनके कार्यों को उचित रूप से मान्यता प्रदान नहीं की जाती थी। इसलिए, हमने राष्ट्रीय साहसिक

कार्य अवार्ड की स्थापना करने का निर्णय किया जो अर्जुन अवार्ड के समान होगा और हम शीघ्र ही राष्ट्रीय साहसिक कार्य अवार्ड प्रदान करने के लिए पहला कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। राष्ट्रीय युवा कार्य से संबंधित एक समिति का भी गठन किया गया है जिसमें विभिन्न युवा संगठनों, राष्ट्रीय स्तर पर राजनैतिक दलों, उल्पसंख्यकों अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होंगे तथा इस समिति का सभापतित्व प्रधान मंत्री करेंगे और यह युवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और यह देखने के लिए कि हम युवा लोगों की क्षमता का उपयोग कर सकें, विभिन्न अथवा अधिक गतिविधियां करने की आवश्यकता पर चर्चा करेगी।

यह अवसर प्रदान किये जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूँ कि वे इस मंत्रालय की अनुदान मांगों के लिए अपना समर्थन दें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूँ ? जहाँ तक नेहरू युवक केन्द्रों का सम्बन्ध है, मेरे राज्य, पश्चिम बंगाल में कई जिलों में जिला संयोजकों की नियुक्ति नहीं की गई है। हमने यह भी देखा है कि कुछ जिलों में इन केन्द्रों के कार्य निष्पादन को स्पष्ट नहीं किया गया है और स्थान, स्थानीय लोगों तथा स्थानीय संस्थाओं से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। क्या सरकार को इसकी जानकारी है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : सभापति जी, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस प्रश्न पर भी विचार करें कि खिलाड़ियों के लिये केन्द्रीय नौकरियों में जो कोटा निश्चित है, वह कोटा पिछले 3-4 सालों से पूरा नहीं किया जा रहा है। पहले ही काफी कम कोटा खिलाड़ियों के लिये है, 15 साल पहले जो फिक्स किया गया था, आज भी उतना ही है। क्या इस कोटे को बढ़ाने के बारे में मंत्री जी विचार करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक : पश्चिम बंगाल में नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यकरण के सम्बन्ध में, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी रिक्त पद हैं, उन्हें हम शीघ्र ही भरेंगे।

दूसरा प्रश्न नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यकरण को स्पष्ट किये जाने के बारे में बताया गया है। इस सम्बन्ध में मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि नेहरू युवक केन्द्रों के लिए जिला कलैक्टर की आध्यक्षता में जिला संगठन सलाहकार समितियाँ गठित की गई हैं और नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा किये जाने वाले प्रमुख कार्यों पर सामान्यतया इस सलाहकार समिति में चर्चा की जाती है तथा इसमें कतिपय स्वैच्छिक संगठनों को प्रतिनिधि और कुछ गैर सरकारी सदस्य भी हैं। इसलिए मेरे विचार से नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यों में ऐसा कुछ नहीं है जिसे छिपाया जाये .....(व्यवधान)*.....

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय (श्री नीतीश कुमार) : पाणिग्रही जी, ऐसे नहीं चलेगा। चर्चा का फाईनल उत्तर मंत्री जी देंगे। आप अपने प्वाइंट्स को जहन में रखिये और जब आपको मौका मिले तो आप उनको रखिये। मैंने एक एक्सैप्शन एलाव किया तो इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा ही चलेगा। आप काफी तजुर्बेकार माननीय सदस्य है। आप अभी सीट पर बैठिये और मिनिस्टर से मिलकर बात भी कर सकते हैं। श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जायेगा।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं समय देने के लिये आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों पर बोलने का अवसर दिया। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय है लेकिन यह राज्य सरकारों का विषय भी माना जाता है। हमारे आजाद देश में शिक्षा के महत्व को अभी तक नहीं समझा गया बल्कि पश्चिमी मॉडल को अपनाकर हम लोग चल रहे हैं जबकि हमारा सामाजिक ढांचा दूसरे देशों की तुलना में बिल्कुल भिन्न है, उसमें काफी फर्क है। हमारी आवश्यकताएं दूसरे किस्म की है। न तो हमारे यहां प्राथमिक शिक्षा पर समुचित ध्यान दिया गया और न माध्यमिक शिक्षा पर साक्षरता कम होने का यही कारण है क्योंकि हमने सभी इस ओर ध्यान नहीं दिया।

आज स्थिति यह है कि देश में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। शिक्षा के जरिये हम अपने देश के सामाजिक ढांचे को बदल सकते हैं, हम अपना सामाजिक उत्थान कर सकते हैं और हर चीज में भागीदार बन सकते हैं परन्तु आज हम बहुत ही पिछड़े हुये हैं और खासकर पिछड़ी जातियों के लोग इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में शिक्षा को व्यापारिक विषय बना दिया गया है और अभिजात्य वर्ग के लोग निजी विद्यालयों को तेजी से खोल रहे हैं और इसे उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है। यही कारण है कि देश में पब्लिक स्कूल तेजी से खुलते जा रहे हैं यानी पैसा दो और शिक्षा लो।

जहां तक मैडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने का संबंध है, आजकल यह प्रथा हमारे देश में काफी तेजी से बढ़ती जा रही है कि चंदे के नाम पर मोटी रकमें देकर आप मनमानी डिग्रियां हासिल कर सकते हैं। हमारी वर्तमान व्यवस्था में जितनी खामियां आयी हैं, सरकार को उन सब की जानकारी है।

सभापति महोदय, दूसरी बात मुझे यह कहना है कि मैडीकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा पर यह सरकार बहुत खर्च करती है और प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पर बहुत कम खर्च करती है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को बैठने की भी जगह उपलब्ध नहीं है। वे तो खुले आकाश के नीचे या पेड़ों की छांव में चलते हैं और दूसरी ओर यह सरकार उच्च शिक्षा पर अनाप-शनाप खर्च करती है।

गांवों में जो विद्यालय हैं उनमें तो गांव के बड़े लोगों के बच्चे भी जाना पसन्द नहीं करते हैं। उनमें तो वही बच्चे जाते हैं जो गांव से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आज के युग के लड़के तो जहां अच्छे भवन और उपस्कर होते हैं वहां जाना पसन्द करते हैं। यही कारण है कि गांव के जो शुशहाल लोग हैं वे इस बात को जानते हैं कि ज्यादा पैसा खर्च करो और अच्छी पढ़ाई कराओ। यही कारण है कि वे अपने बच्चों को गांवों के स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं बल्कि शहरों के अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री बहुत योग्य एवं समझदार हैं। यदि शिक्षा में इनके समय में सुधार नहीं हुआ तो फिर कभी सुधार नहीं होगा। देश के प्रति इनकी आपार निष्ठा है और देश की भी इनमें बहुत आस्था है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए और शिक्षा की दोहरी नीति समाप्त होनी चाहिए। सिर्फ एक ही प्रकार की शिक्षा चलनी चाहिए।

महोदय प्रारंभिक काल में भी भाषा, क्षेत्र एवं स्थान का बंधन नहीं था, लेकिन अब तो हमें दूसरी ही स्थिति देखने को मिल रही है। अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि प्रौढ़ शिक्षा केवल कागजों पर ही चला रहे हैं, यही सही बात है। चाहे प्रौढ़ शिक्षा हो या कोई दूसरी सचाई यह है कि हम इस पर बहुत खर्च कर रहे हैं, पानी की तरह पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमें अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। पैसा बेकार जा रहा है। जितने अधिकारी इस कार्य के लिए रखे गए हैं वे सब ऐसे भ्रष्टाचार के समुद्र में डूबे हुए हैं कि सारा पैसा उन्हीं लोगों को बंट जाता है। यह सरकार इसकी मानिटरिंग क्यों नहीं करती ? यहां से बिहार के एक-दो गांवों में आदमी भेजकर वास्तविकता का पता क्यों नही लगाती ? यदि ऐसा किया जाए, तो पता चलेगा कि जो करोड़ों रुपया सरकार प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर बहा रही है, वह बेकार जा रहा है। सरकार को केवल खर्च करने से ही मतलब नहीं रहना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि जो पैसा वह खर्च कर रही है वह सही ढंग से खर्च हो रहा है कि नहीं। चाहे राज्य सरकार हो और चाहे केन्द्र सरकार हो पैसे का सही उपयोग होना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र जहानाबाद में अभी सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां एक भी विद्यालय नहीं है। आपने संविधान में यह लिख दिया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, लेकिन जब विद्यालय ही नहीं हैं, तो उनको शिक्षा कैसे मिलेगी। अनिवार्य शिक्षा के क्या मायने रह जाते हैं ? इसलिए बुनियादी चीज को भी देखना होगा। आपने बुनियादी चीज को छोड़ दिया है। हमारे यहां 600 से 1 हजार की आबादी के कई गांव हैं जहां कोई स्कूल नहीं है, तो यहां के बच्चों के लिए आपकी अनिवार्य शिक्षा के क्या मायने हैं ? वहां के लड़कों को क्या समझ में आएगा ? क्या वहां के लोगों की यह धारणा नहीं बनेगी कि हम बार-बार कहते हैं और हमारी बात न केन्द्र सरकार और न राज्य सरकार, कोई भी नहीं सुनती है। हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं ? संविधान आपने बना दिया, लेकिन आप लोगों के नजदीक स्कूलों को नहीं ला

सके। वे 6 वर्ष के बच्चे अभी तक अपनी कमाई पर अपने मां-बाप को जिन्दा रखे हुए हैं।

यह आपने भी देखा होगा। किसी के घर पर गए हों तो पता होगा कि उनके यहां पर 5-6 साल के बच्चे काम करते हैं। जहां पर बस आदि बनाने के कारखाने होते हैं, वहां पर भी बच्चे काम करते हैं। जहां कालीन बनते हैं, वहां भी छोटे-छोटे बच्चों से काम लिया जाता है। संविधान सिर्फ नाम का है। इसी सदन में 2-2 बार कानून में संशोधन हुए। हम पूछना चाहते हैं कि उससे क्या लाभ हुआ। आपने सिर्फ कानून बना दिया कि छोटे बच्चों से कार्य लेने पर संगीन अपराध माना जाएगा।

मैं कल एक अफसर के पास गया। उनके वहां भी छः साल का बच्चा चाय लेकर आया। मैंने सोचा कि संविधान बना हुआ है लेकिन फिर भी यह अपराध हो रहा है। आप उन बच्चों के पढ़ने की कैसे व्यवस्था करेंगे ? मेरा सुझाव है कि उन सब बच्चों का सर्वे करवाइए और इसके बाद उसी तरह से उनको शिक्षा दीजिए। कौन से माता-पिता नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे अफसर बनें, उनको अच्छी शिक्षा मिले। ऐसे बच्चे अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के हैं।

आपने सलेबस में इतनी ज्यादा किताबें दे दी हैं कि वे उन किताबों को भी नहीं खरीद सकते। आप राज्य सरकारों को जो पैसा देते हैं, उसपर ध्यान रखना चाहिए कि वह पैसा सही खर्च हुआ है या नहीं।

आप औपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य में चाहे किसी की सरकार हो, आपको यह देखना चाहिए कि वहां काम हो रहा है या नहीं। यदि सरकार काम नहीं करती है तो इस बारे में आपको पूछना होगा। मेरा सुझाव है, आप हर जगह पर, जहां 500-1000 की आबादी हैं वहां सबसे पहले विद्यालय खुलवाएं। प्राथमिक विद्यालय में कम से कम तीन कमरे होने चाहिएं और माध्यमिक विद्यालय में छः कमरे होने चाहिएं। बच्चों के पढ़ने की सारी सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए।

हमारे बिहार के शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक कुव्यवस्था की नयी प्रणाली विकसित की गई है अर्थात जो लड़का मैट्रिक पास है, उसे सौ रुपये महीना देकर अध्यापक अपनी जगह पर पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी शिक्षण संस्थाए प्रशासनिक बचाव के लिए 100 रुपया इंसपैक्टर को भी देते हैं, लड़का वहीं पढ़ता है लेकिन दूसरा काम शिक्षक करता है। यह एक नया रास्ता निकला है और भ्रष्टाचार का माहौल बनता जा रहा है। इस भ्रष्टाचार के माहौल से देश को बचाने के लिये कड़े कदम उठाने के आवश्यकता है जिससे देश को बचाया जा सके।

आज हमारा देश शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त अराजकता के बहुत संकट में है। आप पूरे मामले की जांच करायें। हर विद्यालय में भवन बनाने का प्रबन्ध करें और मास्टरों को समय पर नियुक्त करने की व्यवस्था करें। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा॰ एस॰ पी॰ यादव (सम्भल) : माननीय सभापति जी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। सन् 1985 में इस मंत्रालय की स्थापना हुई थी। जिन उद्देश्यों

को लेकर इस मंत्रालय की स्थापना की गई थी, वह पूरे नहीं हो पाये हैं। महिला शिक्षा, बाल विकास, कला, संस्कृति और युवा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिये इस मंत्रालय की स्थापना की गई थी। दसवीं लोक सभा के आप मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। कांग्रेस के अन्दर पायी जाने वाली कमियों को दूर करने के लिये आप प्रयत्नशील हैं। शिक्षा जगत में पाये जाने वाले भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और कमियों की ओर आप भी ध्यान दें। आज शिक्षा राज्य का विषय बन कर रह गया है। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाये और इसे केन्द्रीय विषय बनाया जाये ताकि पूरे हिन्दुस्तान में एक समान शिक्षा हो सके।

उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन, जूनियर हाई स्कूल की एजुकेशन और सेकेण्डरी एजुकेशन दूसरे प्रदेशों से अलग है। सब प्रदेशों का अलग-अलग सैलेबस है। हम आजादी के बाद एक समान शिक्षा अभी तक दे नहीं पाये हैं। इसके कारण अनियमिततायें चल रही हैं। प्राइमरी एजुकेशन और जूनियर हाई स्कूल की एजुकेशन वास्तविकता से बहुत परे हैं। आज दो प्रकार की शिक्षा है-एक शहरों की प्राइमरी एजुकेशन और दूसरी गांवों की प्राइमरी एजुकेशन। जो शहरी प्राइमरी एजुकेशन है, उसमें रोजाना हम लोग पता नहीं कितनी चिट्ठियां आपको लिखते हैं ? एक बच्चे का एडमिशन सैंट्रल स्कूल में या किसी दूसरे स्कूल में कराने के लिये आपको लिखते रहते हैं। आप बच्चों के एडमिशन की व्यवस्था आज तक नहीं कर पाये हैं-चाहे वह बच्चा दिल्ली में रहता हो, पटना, लखनऊ या दूसरे किसी शहर में रहता हो। बहुत भयंकर प्राबलम एडमिशन की है। बहुत से सांसदों की चिट्ठियां आपके पास इस सम्बन्ध में पहुंचती हैं। पिछले साल से आपने यह सिस्टम बना दिया है कि दो रिकमण्डेशन्स की एक सांसद कर सकता है। ऐसे में बाकी के लोग कहां जायें ? कितने ही लोग हम से एप्रोच करते रहते हैं। वे परेशान रहते हैं। आप पढ़ाने की व्यवस्था नहीं कर सकते तो ऐसी बात करना भी छोड़ दें कि लोग शिक्षित हो।

देहात में जो ग्रामीण अंचलों के स्कूल है, उनकी तरफ कभी आपने देखा नहीं। अगर वहां पर 300 बच्चे हैं तो वहां पर 1-2 टीचर हैं, उनके बैठने के लिए टाट-पट्टी नहीं हैं, पढ़ने के लिए स्कूल भवन नहीं हैं। मैं आपको बड़े खेद के साथ बताना चाहता हूं कि मुरादाबाद में पिछले साल एक तिमंजिले स्कूल बिल्डिंग की तीसरी मंजिल की छत गिर गई। तीसरी मंजिल की छत गिरने से दूसरी मंजिल गिरी और दूसरी मंजिल की छत गिरने से पहली मंजिल गिर गई। उस स्कूल में 400 लड़के और लड़कियां मलबे में दबकर मर गये। बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ी त्रासदी उस स्कूल के अन्दर मुरादाबाद में हुई। उस स्कूल के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया लेकिन गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन ही वह जमानत पर आ गया। उन बच्चों के पेरेण्ट्स से पूछिये, जिनके छोटे-छोटे बच्चे स्कूल में दबकर मर गये। राजेश पायलट जी वहां गये थे और उन्होंने एक दो बच्चों को लाकर यहां मैडीकल इंस्टीट्यूट में एडमिट कराया था। उसके बाद भी वहां करीब-करीब 400 बच्चों की मौत हुई। जब वहां से मलबे को लोग हटा रहे थे ताकि वहां से बच्चों की लाशों को निकाला जा सके तो पुलिस ने वहां उनपर

लाठी चार्ज किया कि तुम यहाँ हिन्दू मुसलमान के झगड़े भड़काने का काम कर रहे हो और तुम मलबे से दूर रहो। एक छोटी सी बच्ची जो पिलर्स के बीच में आ गई थी, उस बच्ची को एक छोटा सा छेद दिखाई दिया तो उसने पास में किसी आदमी को कहा कि अंकल मुझे पानी चाहिए तो एक गिलास में उसको पानी दिया गया। उन पिलर्स को वहां से काटकर हटाया गया तो बच्ची वहां से जिन्दा निकली।

किस तरह की दुर्दशाऐं ग्रामीण अंचलों में हैं, छोटे-छोटे कस्बों में हैं, उनका कोई भी अंदाज़ा हिन्दुस्तान की सरकार को नहीं है और प्रदेश सरकार को भी नहीं है। मैं देख रहा हूं, यहां पर 1989 से हूं लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की डिमाण्ड्स पर कोई चर्चा नहीं हुई। पहली बार यह चर्चा हो रही है। जब चर्चा ही नहीं होगी तो सांसदों को समस्याऐं कहने का मौका भी कहां से मिलेगा।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल जो ग्रामीण अंचलों में हैं, वहां टाट पट्टी और भवन की समस्या है, वहां एडमीशन की समस्या है। इन समस्याओं की आप जानकारी लीजिए और उनको दूर करने का कष्ट कीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन और सैकेण्डरी एजुकेशन पर राजनीति का बड़ा भारी प्रभाव हो गया है। आप इसको सही मानकर चलिए कि ग्रामीण अंचल के स्कूलों में अगर तीन शिक्षक है तो उनमें से केवल एक पढ़ाने जाता है और दो हाजिरी लगाकर चले जाते हैं या आते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको राजनैतिक संरक्षण रहता है। आप एक सर्वे कराइये और ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल के लोगों से जानकारी जीजिए कि आपकी समस्याऐं क्या हैं तो कितने ही पेरेण्ट्स दिल्ली में आ जायेंगे कि हमारे बच्चो का एडमीशन नहीं हुआ। जब एडमीश्न ही नहीं होगा तो शिक्षा कहां से मिलेगी। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि प्रत्येक बच्चे के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करे।

मैं एक और बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे साथी लोग अभी कह रहे थे कि शिक्षा केन्द्रीय लिस्ट पर है या कन्करेंट लिस्ट पर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सन् 1991-92 में जब उत्तर प्रदेश में BJP की सरकार थी तो उन्होंने नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया था। मैं समझता हूं कि वह अध्यादेश उन्होंने इसलिए लागू किया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में धुआंधार नकल की प्रवृत्ति चल रही थी, शायद मंत्री जी आपके संज्ञान में नहीं होगा कि फार्म भरने से लेकर परीक्षा तक और परीक्षा से आगे कापी जांचने तक ठेके हुआ करते थे, उनमें मैनेजमंट और प्रिंसीपल दोनों सम्मिलित रहते थे, उस को दूर करने के लिए BJP की सरकार ने नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया था। मैंने सदन के अन्दर उस अध्यादेश का स्वागत किया था लेकिन साथ-साथ मैंने यह भी कहा था कि काश कुछ शिक्षाविदों को पूछकर इस अध्यादेश में एक फार्मूला बनाया जाता ताकि 15-16 साल के बच्चों को जेल नहीं जाना पड़ता, लड़के-लड़कियों को जेल नहीं जाना पड़ता।

मात्र उस कालेज के प्रिंसिपल को सजा दी जाती यह कर दिया जाना चाहिए था, जिस कालेज के अन्दर नकल होगी, मास कॉपिंग होगी, उस कालेज के प्रिंसिपल को 6 महीने की सजा होगी।

मैं जानता हूँ अगर प्रिंसिपल नहीं चाहेगा, तो किसी कालेज के अन्दर नकल नहीं हो सकती है। अगर एक व्यक्ति सही हो जाएगा, तो पूरा कालेज ठीक हो जाएगा।

यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि अभी 1993 में फिर चुनाव हुए।

सभापति महोदय : यादव जी, आपका भाषण कल जारी रहेगा।

6.00 म॰ प॰

तत्पश्चात लोक सभा की बैठक मंगलवार, 3 मई, 1994/13 वैशाख, 1916 (शक) को 11.00 बजे तक के लिए स्थागित हुई।